राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9]   बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का सत्तरहवां दिवस   [संख्या : 12

बुधवार;

5 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम साहब। (व्यवधान) श्री रामचन्द्र जारोड़ा ।

तारांकित प्रश्नोतर

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण

171. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2004 से फरवरी, 2008 तक सरकार द्वारा जिला नागौर व विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया था? यदि हां, तो कितने समूहों को किस संस्था से ऋण दिया गया एवं कुल कितना ऋण वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऋण किस कार्य हेतु दिया गया? क्या ऋण देने का उद्देश्य पूर्ण हुआ? ऋण उपलब्ध कराने के बाद अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2004 से फरवरी 2008 तक नागौर जिले में विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 1075 महिला स्वयं सहायता समूहों को 317.74 लाख के ऋण दिलवाये गये, इनमें मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में फरवरी, 08 तक 133 समूहों को 38.55 लाख के ऋण दिलवाये गये, महिला स्वयं सहायता समूह, जिन्हें ऋण उपलब्ध करवाये गये व बैंकों का विवरण निम्न प्रकार है –

(श्री कनकमल कटारा)

जिला नागौर की बैंकवार एसएसजी ऋण सूची)

क्र. सं.	नाम बैंक	ऋण प्राप्त समूहों की संख्या	ऋण राशि (लाख रु.)
1.	एसबीबीजे	256	68.305
2.	एसबीआई	95	42.92
3.	एन.सी.सी.बी.	189	39.30
4.	जयपुर थार ग्रा. बैंक	342	113.405
5.	सी.बी.आई.	48	13.21
6.	यूको	101	27.65
7.	पी.एन.बी.	19	1.65
8.	ओ.बी.सी.	24	11.15
9.	राज. बैंक	01	0.15
	योग	**1075**	**317.74**

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋणों की सूचना निम्न अनुसार है –

क्र. सं.	नाम बैंक	ऋण प्राप्त समूहों की संख्या	ऋण राशि (लाख रु.)
1.	एसबीबीजे	22	8.57
2.	थार ग्रा. बैंक	37	17.536
3.	यूको	15	3.01
4.	एन.सी.सी.बी.	59	9.44
	योग	**133**	**38.556**

(2) उक्त ऋण निम्न कार्यो/उद्देश्यों हेतु दिये—जिला नागौर का एसएचजी ऋण का उद्देश्यवार विवरण –

(श्री कनकमल कटारा)

क्र. सं.	ऋण प्राप्त समूहों की संख्या	उद्देश्य जिस हेतु ऋण दिया
1.	242	सिलाई कार्य हेतु
2.	188	कृषि कार्य हेतु
3.	299	पशुपालन कार्य हेतु
4.	02	ब्यूटी पार्लर हेतु
5.	44	मनिहारी दुकान हेतु
6.	35	किराने की दुकान
7.	07	पापड़ बरी निर्माण
8.	20	आटा चक्की हेतु
9.	84	घरेलू कार्य हेतु
10.	07	सब्जी विक्रय हेतु
11.	01	स्टेशनरी दुकान हेतु
12.	01	बुनाई कढाई हेतु
13.	14	कसीदाकारी हेतु
14.	128	दुग्ध उत्पादन हेतु
15.	01	संगीत यंत्र हेतु
16.	02	चाय ढाबा हेतु
कुल	**1075**	

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की एसएचजी ऋण की उद्देश्यवार सूची—

क्र. सं.	ऋण प्राप्त समूहों की संख्या	उद्देश्य जिस हेतु ऋण दिया
1	**2**	**3**
1.	28	सिलाई कार्य हेतु
2.	31	कृषि कार्य हेतु

(श्री कनकमल कटारा)

1	2	3
3.	36	पशुपालन कार्य हेतु
4.	01	ब्यूटी पार्लर हेतु
5.	10	मनिहारी दुकान हेतु
6.	01	किराने की दुकान
7.	—	पापड़ बरी निर्माण
8.	01	आटा चक्की हेतु
9.	08	घरेलू कार्य हेतु
10.	07	सब्जी विक्रय हेतु
11.	0	स्टेशनरी दुकान हेतु
12.	05	बुनाई कढाई हेतु
13.	02	कसीदाकारी हेतु
14.	01	दुग्ध उत्पादन हेतु
15.	01	संगीत यंत्र हेतु
16.	01	चाय ढाबा हेतु
कुल	**133**	

जी हां। ऋण प्राप्त से महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उन्नयन हुआ। ऋण उपलब्ध कराने के बाद महिलाओं ने अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ आयजनक कार्य भी प्रारंभ किये हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। 1075 ऋण प्राप्त समूहों की 3079 महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की आयजनक गतिविधियों के माध्यम से प्रतिमाह औसतन 500 से 2000 रू. तक की आय अर्जित की है। विवरण परिशिष्ट अ व ब पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं सहायता समूहों का क्या लक्ष्य रखा व कितना ऋण दिया गया।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मेड़ता में 133 समूहों को 38.55 लाख का और लाभार्थी इसमें 289 का, यह पूरे आपके विधान सभा क्षेत्र के अंदर ऋण दिये गये और जो-जो भी समूह बैंक में जाकर नियमानुसार एप्लाई करते हैं, इनकी कोई बंदिश नहीं है, इनको निश्चित रूप से ऋण दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जो ऋण दिया गया है उसका क्या उपयोग हुआ व धरातल पर इसका कितना उपयोग हुआ व इसके लिए कोई अधिकारी से कोई जांच कराई गई?

श्री उपाध्यक्ष: कोई शिकायत देंगे तो जांच करवा लेंगे।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जिला नागौर के मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में जिन समूहों ने जो ऋण लिया था जिसमें सिलाई कार्य, कृषि, पशुपालन, आटा चक्की, ब्यूटी पार्लर, घरेलू कार्य और अन्य जिसमें लिया था, इन सब ने अपने जिस उद्देश्य के लिए लिया था वह पूरा-पूरा उपयोग हुआ है और उनको पूर्ण कर लिया गया है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: मेड़ता से संबंधित है।

श्री अमराराम (धोद) : हां, मेड़ता से।

श्री उपाध्यक्ष: हां।

श्री अमराराम (धोद): मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि पांच सौ से दो हजार रुपये प्रति माह एक महिला की कमाई है और सिलाई इकाई में कमाया है, आपने कौन-सी एजेंसी से इस बात का सर्वे करवाया कि एक महिला ने दो हजार रुपये कपड़ा सिलाई में माहवार इससे लाभ अर्जित किया, कौन-सी एजेंसी से कराया और क्या इसकी सत्यता पर आप विश्वास करते हैं कि एक महिला केवलमात्र तीन हजार रुपये के लोन से दो हजार रुपये कपड़ा सिलाई से माहवार कमा सकती है। मैं समझता हूं यह अतिश्योक्ति है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आमंत्रित करना चाहूंगा कि दो हजार, यानि 1 मार्च से 8 मार्च तक यहीं पूरे राजस्थान से महिलाएं लगभग 225 स्वयं सहायता समूह और अन्य स्टेट से भी कई महिलाएं आई हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नहीं-नहीं, मैं बात कह रहा हूं आपको।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो उस अधिकारी का बताइये जो मेड़ता में आपने दो हजार प्रतिमाह महिला ने कमाये हैं, दो हजार से कितने करोड़ रुपये हो गये उपाध्यक्ष महोदय...

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह आप तो वहां जाकर के देख सकते हैं और आपकी स्पेशली कोई बात है तो जांच करवा लेंगे, जांच करेंगे और वैश्म में आपको बता देंगे कि किसने कितना उपयोग किया है और इससे भी ज्यादा अभी मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, माननीय सदन को भी आमंत्रित करता हूं, लगभग 225 स्वयं सहायता समूह यहां पर आये हुए हैं रामलीला मैदान में और यह फोटोग्राफ्स हैं, इसको देखकर आपका मन हो तो चीजें खरीदने की, तो निश्चित रूप से आप वहां पधारें और स्वयं सहायता समूह, जो महिलाएं जिन्होंने अपने हाथों के द्वारा निर्मित की चीजें वहां पर लाई हुई हैं, इनको देखकर निश्चित रूप से खरीद सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह है, देखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीगोपाल बाहेती। नेक्स्ट क्वेश्चन।

नेशनल लेक कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत पुष्कर सरोवर/आनासागर झील को आबंटित राशि

172. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार के नेशनल लेक कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की कितनी झीलों का चयन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इनमें पुष्कर सरोवर व आनासागर झील भी शामिल हैं? यदि हां, तो इनके लिये कितनी राशि की कार्य योजना प्रस्तावित/स्वीकृत हुई ?

(3) क्या सरकार इन दोनों स्थानों में कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कार्यकारी एजेन्सी कौन है?

(4) इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कार्य योजना, मद व व्ययवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) श्री सुरेन्द्र गोयल : (1) केन्द्र

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सरकार के नेशनल लेक कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की आठ झीलों का प्रारम्भिक चयन किया गया था। इसके उपरान्त निम्न पांच झीलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई है :-

1. आनासागर झील, अजमेर
2. पुष्कर सरोवर, पुष्कर
3. नक्की झील, माउण्ट आबू
4. पिछोला झील, उदयपुर
5. फतेहसागर झील, उदयपुर

(2) जी हां। पुष्कर सरोवर हेतु 4837.00 लाख रुपये एवं आनासागर झील हेतु 1527.79 लाख रुपये की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

(3) जी हां। आनासागर झील परियोजना के लिए प्लवमान फव्वारा एवं वायु मिश्रण यंत्र के क्रय के कार्यादेश नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा दिये जा चुके हैं। पुष्कर झील परियोजना के कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराये जायेंगे। झील परियोजना का क्रियान्वयन संबंधित नगर निकाय/नगर विकास न्यास के द्वारा किया जावेगा।

(4) आनासागर झील व पुष्कर सरोवर की कार्य योजना का विवरण क्रमश: परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है। योजना के बजट मद सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस योजना में अब तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जैसा जवाब में इन्होंने बताया कि पुष्कर सरोवर के लिए 837 लाख रुपये और आनासागर के लिए 1527.79 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं इसमें कितना हिस्सा केन्द्र का है और कितना हिस्सा राज्य का है? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं ऐसा है कि जवाब मंत्रीजी देंगे आप ...(व्यवधान) इस बात की मुझे दिक्कत नहीं है, इस सामान्य प्रश्न से आप बौखलाओगे तो बात चलने वाली नहीं है, बहुत बात है, सरोवर की बात है, झील की बात है, पर्यावरण की बात है, इतना लाइट मत लो इस बात को, दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि पुष्कर का कार्य कब प्रारम्भ कर देंगे और जिसको एजेंसी

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बनाया इन्होंने नगरपालिका को उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टाफ क्या यह उपलब्ध कराएंगे और कब तक उपलब्ध करा देंगे? तीसरा, मेरा इनसे यह कहना है कि इन्होंने परिशिष्ट ''अ'' में लिखा है जलाशय झील सीमांकन कार्य इसका बजट जीरो रखा है इन्होंने तो जब जलाशय झील का आप सीमांकन ही नहीं करेंगे और सीमांकन कार्य नहीं करेंगे तो किस प्रकार आप लेख के अनुसार काम करेंगे? चौथा प्रश्न मेरा यह है कि क्या आनासागर के पेटे में और आनासागर के रूकावट में जो केस था अब्दुल बनाम स्टेट का उसकी लाइट में क्या सरकार ने कुछ वहां से कब्जे हटाए हैं जिससे झील संरक्षित हो सके। पांचवां मेरा यह है.....

श्री उपाध्यक्ष: अब एक बार चार का ...(व्यवधान)....

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): चलिए आप यह बता दें फिर बताऊंगा मैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है भारत सरकार का 70 प्रतिशत हिस्सा और 30 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट का है नम्बर एक, दूसरा आपने पूछा कि स्टाफ का, तो स्टाफ का मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि स्टाफ के तकनीकी जो कर्मचारी हैं उनका प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रावधान है और तकनीकी स्टाफ लेने के लिए जल्दी से जल्दी से कार्यवाही करके उनको लगाया जाएगा और तीसरा कब्जे बाबत आपने कहा है तो मेरा निवेदन है कि कब्जे बाबत कोई शिकायत नहीं है और अगर कोई कब्जे बाबत शिकायत होगी तो उसको हटाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): झील का सीमांकन का, आनासागर झील का सीमांकन का?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आनासागर झील का सीमांकन उसके चारों तरफ रोड है और बीच में आनासागर झील है, जितना झील का रकबा है वह आनासागर झील का रहेगा और मैंने आपसे निवेदन किया है कि जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूछना है, मैं कभी-कभी ही पूछता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चपलोत साहब वह पहले खड़े हो गये हैं, कोई बात नहीं...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में ही फरमाया है कि नक्की झील माउंट आबू की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। मैं तीन स्पेसिफिक बातें आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए थोड़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक तो भारत सरकार ने कब इसकी स्वीकृति प्रदान की? किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की? दूसरा, अभी तक माउंट आबू नगरपालिका को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं करने का क्या कारण है? और तीसरा नक्की झील के अंदर जो सीवरेज लाइन का पानी जाता था और उस सीवरेज लाइन के पानी को नाले के माध्यम से डायवर्ट करने का जो टेंडर दिया गया था इस कार्य को शुरू करने से पहले, उस काम के शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है मतलब नक्की झील की स्वीकृति नहीं होने के कारण क्या हैं? मैं आपसे निवेदन करुंगा कि डीपीआर इसकी मार्च, 2007 में...(व्यवधान) मेरी बात तो सुनिए आप। नक्की झील की डीपीआर भारत सरकार को मार्च, 2007 में भेजी जा चुकी है और स्वीकृति अभी आई नहीं है और नक्की झील की, पिछोला झील की और फतेहसागर झील की इनकी डीपीआर भेजी जा चुकी है और स्वीकृति आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और आनासागर झील और पुष्कर झील की, आनासागर की 23.11.07 को स्वीकृति आई और पुष्कर झील की 25.02.08 को स्वीकृति आ चुकी है और यह स्वीकृति आने के बाद में टेंडर प्रकिया प्रकियाधीन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है मंत्री महोदय कि जो टेक्नीकल आब्जेक्शन उसमें लगाए गए हैं अभी तक राजस्थान सरकार ने उसको क्लीयर नहीं किया है? अभी इसी महीने में आपने नगरपालिका माउंट आबू...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): वह जो टेक्नीकल आब्जेक्शन लगे हुए हैं उनको जो केरिज किया है, उनको सुधार करके वापिस भारत सरकार को भेजे गए हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फरवरी महीने में भी नगरपालिका ने टेक्नीकल आब्जेक्शन क्लीयर नहीं किए और....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जवाब आ गया है, विराजें आप। माननीय सदस्य यह बहस का विषय नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नक्की झील का काम शुरू करने से पहले जिस नाले का निर्माण करना है, सीवरेज लाइन को डायवर्ट करने के लिए उसका टेंडर हो गया, आपने वह नाले का निर्माण क्यों नहीं शुरू किया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जवाब आ गया है, आपका प्रश्न है यह बहस करने की बात नहीं है। माननीय सदस्य कोई बहस नहीं होगी इसके ऊपर, माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवताओं ने अपने नाखून से जिस झील का निर्माण किया जब उसके अंदर आज सीवरेज लाइन का पानी जा रहा है, टेंडर हो गये, उसके बाद भी आपने नाले का काम क्यों नहीं शुरू किया? पांच करोड़ रुपये का नाला है माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य आपके प्रश्न का जवाब देना भाषण नहीं होगा...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा पाइंटेड सवाल था यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस नाले का निर्माण शुरू क्यों नहीं हुआ? मैंने पाइंटेड पूछा है, आपकी आज्ञा से पूछा है..

श्री उपाध्यक्ष: पाइंटेड आ चुका है आपका, नहीं हुआ, यह कोई कारण है क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): यह नाले का अलग से क्वेश्चन है नक्की झील से संबंधित माननीय सदस्य का प्रश्न है जिस नाले के संबंध में इसका आपने प्रश्न पूछा नहीं, अलग पूछा है अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दे देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नक्की झील से संबंधित है, उस नाले का पानी सीवरेज लाइन का पानी नक्की में जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वहां के स्थानीय सदस्य को पूछने दीजिए आप। बीच में बहस शुरू कर दी आपने?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने कोई बहस शुरू नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष: कर दी है आपने और आपके उस प्रश्न का जवाब आ गया है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी आज्ञा से उपाध्यक्ष महोदय मैंने पाइंटेड सवाल पूछा है कि सीवरेज लाइन का पानी नक्की में जाता है, उस पानी को डायवर्ट करने के लिए जिस नाले का पांच करोड़ रुपये का टेंडर हुआ है वह काम शुरू क्यों नहीं हुआ?

श्री उपाध्यक्ष: हो जाएगा काम, टेंडर होते ही हो जाता है क्या शुरू?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कब होगा बताइए, टेंडर हो गया मंत्रीजी बताइए?

श्री उपाध्यक्ष: वह टेंडर हुआ, काम करेगा उसकी लिमिट है, कब शुरू हो गया, कब होगा...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उसको मना कर दिया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष:... (व्यवधान) आप इसमें यह मेंशन नहीं कर सकते ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह ...(व्यवधान) राजस्थान की नाक का सवाल है माउंट आबू नक्की झील विश्व प्रसिद्ध है और देवताओं ने अपने नाखून से उसका निर्माण किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है... (व्यवधान).... और पीछोला झील के लिए माननीय उपाध्यक्षजी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थानीय सदस्य ज्यादा चिंतित हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया है नक्की झील वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, निर्धारित प्रपत्र में वन भूमि से डी नोटिफाई के प्रस्ताव भिजवाये जा रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री जी ने फतेहसागर तथा पिछोला झील के बारे में लिखा है इसमें माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं फतेहसागर और पिछोला लेक के लिए आपने कितने-कितने रुपए के प्रस्ताव भिजवाएं हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हो? मैंने उपाध्यक्ष महोदय यह कहा है कि पांच करोड़ रुपये का टेंडर हो गया, अब ठेकेदार अगर काम नहीं कर रहा है तो सरकार इस बात का जवाब नहीं देगी क्या कि क्यों नहीं काम कर रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: ठेकेदार समय सीमा के अंदर करेगा तो कोई मियाद खतम थोड़े ही हो रही है। कब करेगा, क्यों नहीं करेगा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह ठेका निरस्त कर दिया, वह ठेका निरस्त कर दिया तो अब यह माननीय मंत्री महोदय जब तक उस नाले का निर्माण नहीं होगा माउंट आबू की नक्की झील में जो यह करोड़ों रुपये भारत सरकार ने दिए हैं उसका काम नहीं हो सकता। इसलिए पहले इसके बारे में जवाब दिलाओ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ठीक है, माननीय सदस्य आप बहस में पड़ गये, यह कोई इस प्रकार बहस थोड़े ही हो रही है, नहीं, नहीं, यह गलत बात है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या बहस कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि जो टेंडर हुआ, उस टेंडर पर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किसने कह दिया आपको काम नहीं कर रहा है? पेनल्टी लगेगी उस पर, काम करना पड़ेगा उसको, समय सीमा तय होती है, यह कोई बात हुई क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नगरपालिका ने लिखकर दे दिया काम नहीं हो सकता, नगरपालिका ने राज्य सरकार को लिखकर भेज दिया अब यह काम नहीं हो सकता ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आदेश इसलिए कह रहे हैं कि इनका खुद का ठेके में हिस्सा है इसलिए जोर से कह रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठेका कैंसिल हो गया इनके कहने से आदेश करवा दो आप तो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठिए, आ गया आपका जवाब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा जवाब कहां पर आ गया।

श्री उपाध्यक्ष: आ गया है जवाब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्पेसिफिक पाइंटेड प्रश्न पूछा है उस नाले का निर्माण क्यों नहीं हुआ?

श्री उपाध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की

(श्री संयम लोढ़ा)

जनता को यह जानने का हक है कि भारत सरकार जिस नक्की झील के सुधार कार्य के लिए 109 करोड़ रुपये दे रही है, राजस्थान की सरकार उसके लिए जरूरी काम नहीं करवाकर उसको क्यों लम्बित कर रही है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य फिर आप भाषण ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आनासागर झील का प्रश्न है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए... (व्यवधान).... टेंडर हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कब तक चालू होगा?

श्री उपाध्यक्ष: टेंडर हो गया है राजस्थान सरकार का ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं हुआ टेंडर, वापिस ठेकेदार ने मना कर दिया, टेंडर ड्रोप हो गया वहां पर ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि यह जो सरकारी निर्धारण की जो बात आपने कही है....

श्री उपाध्यक्ष: आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम हो गया है, यह बहस नहीं हो रही है, आपका जवाब आ गया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सरकार से जवाब दिलवा दीजिए, नाले का काम कितने दिनों में चालू होगा? यह जवाब दिलवा दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष:... (व्यवधान) कोई बता सकता है? कोई डेट बता सकता है क्या? (व्यवधान) बात करते हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): आपकी जानकारी में यह विषय लाना चाहती हूं यह आनासागर झील के पेटे जो जमीन खातेदारी की जमीन है अगर उसके ऊपर पानी भरता है तो यह जगह ...(व्यवधान) होती है इसके कारण से जो पानी खतम हो जाता है वह जो खातेदारी जमीन वाले लोग हैं, जो खेती करते हैं और उनका नियमन करने के लिए राज्य सरकार को एप्लाई करते हैं यदि इसी प्रकार उस भूमि का नियमन होता रहा तो आनासागर झील खतम हो जाएगी। इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस विषय में अपनी बातें कहीं क्या आप वहां खातेदारों को मुआवजा देकर उनको वहां से ...(व्यवधान) झील के संरक्षण की बात जो कहते हैं उनको आप करवाएंगे आगे उस कार्य को, उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र से

(श्रीमती अनिता भदेल)

जुड़ा हुआ प्रश्न है मैं यह चाहूंगी कि झील में आये दिन जो नियमन हो रहे हैं खातेदारी की जमीन होने के कारण से तो क्या इस झील के संरक्षण के लिए इसको ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने फतेहसागर और पिछोला झील को भी इसमें लिया है मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फतेहसागर और पिछोला झील के लिए कितने करोड़ का प्रस्ताव आपने भिजवाया है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व):)...व्यवधान) इसको बचाये रखने के लिए क्या इसकी जमीन को राज्य सरकार अधिग्रहण की कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। चपलोत साहब।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है वो मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है आरीजनल।

श्री उपाध्यक्ष: वो पूछ रहे हैं। (व्यवधान) पूछ लें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है वो मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका देंगे आप ठहरिये। पहले इनका नाम पुकार लिया है मैंने।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): सर, आप मुझे जरूर इसका जवाब दिलवायें कि क्या सरकार इस खातेदारी जमीन के अधिग्रहण के बारे में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके सवाल का जवाब देंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि फतेहसागर और पिछोला झील के प्रस्ताव भी भेजे हैं। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि फतेहसागर और पिछोला लेक, उदयपुर की उसके कितने करोड़ के प्रस्ताव आपने भिजवाये ?

श्री उपाध्यक्ष: पुष्कर का मामला है अब इसमें बीच में ...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): नहीं, इसमें फतेहसागर का नाम भी है आपने फतेहसागर का, पिछोला का नाम लिया है मंत्रीजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पिछोला है फतेहसागर भी है 1 नंबर में है। 1 नंबर में है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): फतेहसागर का और पिछोला का नाम लिया है आपने कितने करोड़ की योजना है ? ये बता दें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय , अजमेर की जो आनासागर झील है ...

श्री उपाध्यक्ष: अभी बैठिये आप थोड़ा।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, यह स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है नेशनल लेक कंजरवेशन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की कितनी झीलों का चयन किया गया है माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि उदयपुर की फतेहसागर और पिछोला झील भी है । मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने केन्द्र सरकार को कितने करोड़ के प्रस्ताव भेजे हैं। ये केवल आनासागर तक सीमित नहीं है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सदस्य, 132 करोड़ की योजना भेजी गयी है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): धन्यवाद।

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आनासागर में 1988-89 में चौधरी देवीलालजी ने जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने पैसे भेजे थे। माननीय शिवचरणजी माथुर तब मुख्य मंत्री थे उन्होंने वो पैसे वापस भेज दिये। खुदाई के लिए भेजे थे हरियाणा सरकार ने पैसे दिये । यह बतायें आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कौनसी बात कहां ले आये आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जीतराम (मालपुरा): हां बतायें। दो लाख रुपये भेजे थे और माननीय शिवचरणजी माथुर साहब ने वापस भेज दिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्नकर्ता।

श्री जीतराम (मालपुरा): हां हरियाणा सरकार ने दिये थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केन्द्र सरकार 126 करोड़ रुपये पर विचार करेगी दो लाख की बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा): 1988-99 में दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे इन्होंने वापस भेज दिये ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):... (व्यवधान) उस समय के दो लाख भी दो करोड़ होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिये। बैठिये माननीय सदस्य।

श्री जीतराम (मालपुरा): (व्यवधान)... पैसे दिये हैं और वापस भेजे हैं माननीय मंत्रीजी, बतायें। शिवचरणजी माथुर ने वापस भेज दिये। 32 रुपये मजदूरी नहीं दे सकते इसलिए वापस भेज दिये ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):... (व्यवधान) दो लाख रुपये कोई राशि होती है क्या, इन्होंने कहा कि ये मालपुरा में दे दो।

श्री जीतराम (मालपुरा): 1988-89 की बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह और लिखा..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जीतराम (मालपुरा): माथुर साहब ने कह दिया ...(व्यवधान) मजदूरी नहीं दे सकते इसलिए वापस भेजते हैं।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आप बीच में नहीं माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, पहले प्रश्नकर्ता को एक सवाल और पूछने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप माननीय सदस्य।

श्री जीतराम (मालपुरा): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सदस्य, आप जो बात बता रहे हैं वो कब आपने भेजा उसका आप मेरे को लिख कर दे दें, उसकी इंक्वायरी कराकर किस हिसाब से गया ...(व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये एक बार।

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं होगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : ×××

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्नकर्ता को पूछने दें। (व्यवधान) फिर खड़े हो गये आप। आप बैठिये।

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

डा.श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो साफ प्रश्न था कि आनासागर झील के परिशिष्ट 'अ' में जो इन्होंने दिया है मुझे जवाब 160 लाख रुपये रखे भूमि अधिग्रहण के लिए और सीमांकन के लिए मेरा फिर निवेदन है कि आनासागर झील का सीमांकन और उसमें अधिग्रहण का जो इन्होंने पैसा रखा है क्या वो उन्होंने काम प्रारम्भ कर दिया और यदि काम प्रारम्भ नहीं हुआ तो कब प्रारम्भ करेंगे ? ताकि वो झील बचायी जा सके। इस बात का जवाब मंत्रीजी दें मेरे को उसके बाद मुझे पूछना है पुष्कर सरोवर का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। आ गया प्रश्न आपका।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि केन्द्र सरकार का पैसा अभी आया नहीं है आने के बाद वो कार्य, टेण्डर प्रक्रिया विचाराधीन है पैसा आते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री जीतराम (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर खड़े हो गये बीच में।

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप थोड़ा स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि क्या ये जो आनासागर की झील की जो यह कार्ययोजना बनायी है, क्या इस कार्ययोजना में अवाप्त के लिए आनासागर झील के पेटे की जो जमीन है उसकी अवाप्ति की कार्यवाही के लिए कोई प्राविजन है क्या उसमें... ? (व्यवधान) और प्राविजन है तो वो काम कब से प्रारम्भ होगा? क्योंकि आनासागर

(श्रीमती अनिता भदेल)

झील खतम हो जाएगी यदि हम एक्वीजिशन की कार्यवाही नहीं करेंगे तो। सारी जमीन खातेदारी की जमीन है और वो नियमित रूप से नियमन करा रहे हैं रोज यहां पर । नियमित कराने के बाद वो झील खतम हो जाएगी उसके संरक्षण के लिए क्या आप अवाप्ति करेंगे और अवाप्ति करेंगे तो आपकी क्या कार्ययोजना है ? यह आप बतायें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह प्रश्न अलग से है । अवाप्ति का प्रश्न है और अगर इस नक्की झील से संबंधित, आनासागर झील की अवाप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, आनासागर, पुष्कर सरोवर इन्होंने जवाब दिया उसमें आपने बताया कि सरोवर के क्षेत्र के समग्र उत्थान के लिए 33.15 लाख रुपये हैं और बैठने के स्थान के लिए 40 लाख रुपये, सहायक नालों का जलस्तर के 2677 लाख रुपये। मेरा यह कहना है सरकार से कि यह बार बार एक बात कहते हैं कि केन्द्र से पैसा नहीं आया जब कि खुद मंत्रीजी ने बताया कि 25 तारीख को दो करोड़ रुपये और कुछ आ चुके हैं । आनासागर, पुष्कर सरोवर के लिए ग्यारहवें महीने में 34.38 करोड़ रुपये का प्रस्ताव वहां से पास हो चुका है उसके बाद में सरकार इस काम ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। अंकित नहीं होगा।

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ? आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये माननीय सदस्य।

श्री जीतराम (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप समय खराब कर रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य।

श्री जीतराम (मालपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए आपका प्रश्न आ गया है । नेक्स्ट क्वेश्चन श्री रिछपाल सिंह मिर्धा ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब पूरा नहीं आने पर और राजस्थान सरकार द्वारा पुष्कर सरोवर की उपेक्षा करने के विरोध में मैं वाक आउट करता हूं ।

(माननीय सदस्य डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा सदन से वाक आउट)

श्री उपाध्यक्ष: आपने तीन चार सप्लीमेंट्री पूछ लिये और उनका जवाब आ चुका, जाइए जाइए आप । श्री रिछपाल सिंह मिर्धा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) नक्की झील में सीवरेज का पानी जा रहा है पांच करोड़ रुपये मंजूर हुए पड़े हैं और यह बताने को तैयार नहीं हैं कब चालू करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कोई अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको किसने परमिशन दी है आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई आज्ञा नहीं है, कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):) .. व्यवधान) राजस्थान में हरे वृक्षों की कटाई से संबंधित प्रश्न है उसका जवाब आने दो ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है ।

श्री जीतराम (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, बीच में नहीं ।

जिला नागौर में हरे वृक्षों की कटाई पर रोक हेतु कार्य योजना

173. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में अवैध रूप से हरे वृक्षों की

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कटाई लम्बे समय से जारी है ? यदि हां, तो कहां-कहां और किन-किन वृक्षों की ? विवरण सदन की मेज रखें ।

(2) उक्त अवैध कटाई की शिकायतें पिछले तीन वर्षों के दौरान कहां कहां से प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कटाई से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा वर्षा में कमी आई है जिससे जिले को हमेशा अकाल की मार झेलनी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कटाई को रोकने हेतु प्रभावी उपाय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री प्रताप सिंह सिंघवी): (1) जी नहीं । जिला नागौर में हरे वृक्षों की लम्बे अर्से से अवैध कटाई की बात सही नहीं है ।

(2) अवैध कटाई की वन विभाग को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट- क पर उपलब्ध है ।

(3) वृक्षों की छिटपुट कटाई से पर्यावरण पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है फिर भी अवैध कटान को रोकने के लिये स्थानीय वन कर्मियों द्वारा वन क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जाती है तथा अवैध कटाई का कोई प्रकरण आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं उन्होंने अपने उत्तर के खण्ड-एक में कहा है कि जी नहीं। जिला नागौर में हरे वृक्षों की लम्बे अर्से से अवैध कटाई की बात सही नहीं है । तो अब तक जो कटाई हुई है वह लम्बे अर्से से नहीं हुई तो आप यह बता दें कि यह कटाई कब से हो रही है । अब जब कटाई हुई है तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कटाई नहीं छंगाई हुई है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): छंगाई नहीं साहब कटाई, अवैध वृक्षों की कटाई और उनको ले जाकर बेचना ।

श्री उपाध्यक्ष: आपने लम्बे अर्से का ही पूछा है इसमें ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): लम्बे अर्से से नहीं हुई तो छोटे अर्से में हुई है यह तो मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं, हुई जरूर है इस बात को वह खुद स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: आप छोटे का पूछते तो छोटे का बताते ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): छोटा लम्बा क्या साहब, मेरा सवाल यही था कि यह अवैध कटाई कब से हो रही है और हुई है तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है और यह कब तक रोक दी जायेगी और जिन्होंने हरे वृक्षों को काटा है राजस्थान के पर्यावरण को बिगाड़ने की कोशिश की है उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बीच में नहीं ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नंबर दो, जिस किसान के खेत में खड़ी खेजड़ी सूख गई, कोई पेड़ सूख गया उसको वह नहीं काट सकता और काटता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है । वन विभाग किस प्रक्रिया के तहत उसको परमिट जारी करता है और अब तक ऐसे कितने परमिट जारी किये हैं यह बताने की कृपा करें?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय इसके साथ ही मेरा जवाब भी दें दे।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ... (व्यवधान) 20 वर्षों से हो रहा है। सब से ज्यादा तो डेगाना में हो रहा है ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेड़ता का सवाल नहीं है ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मुझे ध्यान है गच्छीपुरा और डेगाना में धरने बंद हो रही है और जोधपुर तक जाती है, यह मैंने आंख से देखा है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा भी जवाब दे दें । (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप क्या फरमा रहे हो जवाब आप दोगे या मंत्री जी देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले जवाब आने दीजिए ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नहीं, आप क्या फरमा रहे हो, फरमाओ ।

श्री उपाध्यक्ष: पहले इनके प्रश्न का जवाब आने दीजिए । (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, सवाल को ऐसे मजाक में क्यों लिया जा रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है मंत्रीजी साथ में जवाब दे दें, बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसान की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था किसान की जान खेजड़ी होती है और पूरी खेजड़ी कट कर हरियाणा और दिल्ली में जा रही है और इनके प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है । मानव के लिये सबसे उपयोगी लकड़ी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इन्होंने यह पूछ लिया है जवाब आ रहा है ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में कहीं पर भी फोरेस्ट विभाग का डिपो नहीं है इसलिए नागौर जिले में डिपो नहीं होने के कारण फोरेस्ट से लकड़ी लाने का और परमिट देने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए फोरेस्ट की काई परमिशन नहीं दी जाती है । दूसरा जिस प्रकार आपने खेजडी का निवेदन किया, खेजड़ी के जो वृक्ष आइडेंटिफाई किये हुए हैं जिनको किसान बिना ट्रांजिक्ट पास के ले जा सकता है उसमें शीशम, सफेदा, आड़ू, देसी बबूल, अंग्रेजी बबूल, इजराइली बबूल पापुलर है। खेजड़ी का पेड़ इसमें कवर नहीं होता है, भारत सरकार ने भी इसको कवर नहीं किया है इसलिए इसकी परमिशन नहीं दी जाती है । मात्र छंगाई और जो दूसरे काम करते हैं उसके लिये समय-समय पर विभिन्न विभागों ने जो कार्यवाही की है उसका 2004 से 2007 तक का डाटा मेरे पास है आप चाहे तो मैं निवेदन कर दूं । दूसरा जो किसान खेत में लकड़ी काटता है उसको परमिट देने के लिये राजस्व विभाग अधिकृत है, तहसीलदार और एसडीओ उसके लिये अधिकृत है फोरेस्ट विभाग का उससे कोई लेना-देना नहीं है । राजस्व विभाग से वह जब चाहे नियमानुसार आवेदन करके एक रुपये की फीस पर परमिट ले सकता है और उसको परमिशन मिल जाती है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी मुझे प्रश्न करने के लिये ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला राजस्व विभाग से संबंधित है इसका जवाब राजस्व मंत्रीजी को देना चाहिये क्योंकि इनके पटवारी... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी.. (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): .... (व्यवधान) राजस्व मंत्रीजी को खुद को

(श्री सी. डी. देवल)

मालूम है इनके जोधपुर जिले में कट रही है, पाली में कट रही है, नागौर में कट रही है । इसलिए राजस्व विभाग इसमें क्या कार्यवाही कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए आप ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं पूछनी है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं पूर्व में फोरेस्ट ने जो सूखी लकड़ियां हैं उनको काटने के लिये टीपी जारी की थी और वह टीपी मैंने देखी है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं । अगर आप रेवेन्यु विभाग से दिलाना चाहते हैं तो यह व्यवस्था करें जिन काश्तकारों के खेत में सूखी लकडी पडी है उनको परमिट दे दें तो वह अपनी लकड़ी काट कर बेचें, यह व्यवस्था तो आप करवा दो ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस प्रकार निवेदन किया कि खेत में जो लकड़ी काटी जाती है और खेत से किसान परिवहन करके लकड़ी ले जाता है उसका ट्रांजिक्ट पास राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है फोरेस्ट से इसका कोई संबंध नहीं है । राजस्व विभाग नियमानुसार एक रुपये की फीस पर ट्रांजिक्ट पास देता है और किसान उस लकड़ी को अपने खेत से गंतव्य तक ले जा सकता है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसमें जवाब आ गया ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं जवाब बिलकुल नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जितेन्द्र सिंह ।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि

174. श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर), एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़)**:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कितने शिक्षकों का चयन किया गया, इनमें से कितने शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है? शेष को कब तक नियुक्ति दी जायेगी?

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कितने शिक्षकों की वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में नियुक्ति की जानी थी एवं वास्तव में कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है?

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(3) उपरोक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्षवार सरकार द्वारा अपने बजट से कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): (1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2006 के अंतर्गत दिनांक 28.02.08 तक प्राथमिक विद्यालय के लिये 8674 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 17640 आशार्थियों के आवेदन पत्र आरपीएससी से अनुशंसा सहित प्राप्त हुए । उनमें से प्राथमिक विद्यालय में 8595 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 12531 आशार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं । शेष को नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2006 के विज्ञापित पदों पर प्राथमिक विद्यालय के लिये 9305 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 18760 विशेष शिक्षकों के लिये 250, विधवा महिलाओं के लिये 2494 तथा विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिये 624 शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जानी थी। इनमें से प्राथमिक विद्यालय में 8545 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 12324, विधवा महिलाओं के कोटे से 258 तथा विवाह विच्छिन्न महिलाओं के कोटे से 377 को नियुक्ति दी जा चुकी है । वर्ष 2007-08 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 17816 व द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 6800 पद सृजन योग्य हैं, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(3) केन्द्राश एवं राज्यांश का अनुपात वर्ष 2006-07 तक 75:25 था एवं वर्ष 2007-08 में 65:35 है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में वर्ष 2006-07 एवं 2007-8 में शिक्षकों के वेतन मद प्रावधान एवं उसके विरुद्ध राज्यांश से राशि आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान**	**(राशि लाखों में) राज्य सरकार के अंश की राशि**
2006-07	43418.48	10854.62
2007-08	80755.57	28264.45

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मदवार राशि आबंटित नहीं की जाती है अपितु केन्द्र एवं राज्य से निर्धारित योजना एवं बजट के अनुसार समेकित राशि विभिन्न किस्तों में प्राप्त होती है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपको 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से 31433 विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक नियुक्त करने का अनुदान मिला और उसके पेटे 21501 ही शिक्षक विभिन्न कोटे में नियुक्ति दी है। यहां तक कि आप महिलाओं की, विधवाओं की बात करते हैं, जहां आपको देना चाहिए था 12324 वहां आपने सिर्फ दिये 258 और विवाह विच्छिन्न महिलाओं को 624 में से 337. आपकी मंशा एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमको, केन्द्र सरकार जब आपको पैसा दे रही है आप शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे ?

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2007-08 में आपको 24616 विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती के लिए केन्द्र सरकार से पैसा मिला है, 2007-08 खतम होने जा रहा है आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है।

तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें पे क्या दे रहे हैं। जिन शिक्षकों की आप भर्ती ले रहे हैं उनको आप पे कितना दे रहे हैं और केन्द्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उनको कितना पे देना चाहिए था यह जरा बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जहां तक विधवा महिलाओं के बारे में पूछा 2494 पद स्वीकृत थे उसके अगेन्स्ट में 258 को अपाइंटमेंट इसलिए दिया कि बीएड और एसटीसी की जो क्वालिफाइड महिलाए हैं विधवाओं में वह इतनी ही थी। इसी प्रकार से विवाह विच्छिन्न महिलाओं में 624 में से 377 को अपाइंटमेंट दिया उसका भी कारण यह था कि बीएड, एसटीसी क्वालिफाइड महिलाएं थी वह 377 ही थी। जहां तक बाकी नियुक्तियों का सवाल है हमने तो आरपीएससी के माध्यम से, जिससे कि सारा पारदर्शी रहे और नियुक्तियां हो, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा समय तो लगता है लेकिन हमने आपकी तरह कोई पैराटीचर्स नहीं रखे, हमने आरपीएससी के माध्यम से नियमित नियुक्तियां हो इस बात का प्रयास किया है और उसी का यह परिणाम है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई उसमें कोई लिटिगेशन नहीं हुआ, जिस प्रकार की आपके समय में हुआ। (व्यवधान) आपका जहां तक सवाल है हमारे चार साल के कार्यकाल में हमने 62902 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी हैं (व्यवधान) जबकि आपके कार्यकाल में केवल 746 लोगों को ही आपने नियुक्ति दी थी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जितनी भी भर्ती की हैं, आपने स्वयं ने जवाब दिया है सर्वशिक्षा अभियान के अंदर की है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि आपको केन्द्र सरकार से मिलती है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री) : किया तो, राज्य का अंश भी हमने दिया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का यह जवाब अपने आप में इस बात का घोतक है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा जो सर्व शिक्षा अभियान में, (व्यवधान) जो राशि दी जाती है उसका पूरा उपयोग नहीं कर रहे, मेरा सवाल यह है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई अहसान कर रहे हैं क्या (व्यवधान) काई अहसान है क्या ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 2007-08 में देखिये इनको 124174.05 लाख रूपया मिलने जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एमपी किसके हैं केन्द्र सरकार में? (व्यवधान) माहिर आजाद को कल स्टेज पर ही नहीं चढ़ने दिया। (व्यवधान) माहिर आजाद को कल स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री) : बिराजिए महावीरजी। सर्व शिक्षा अभियान तो 2001-02 में चालू हो गया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर सवाल है, खाली सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत (व्यवधान) पूछा है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): जवाब तो सुनिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंटेड सवाल, मेरा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत है। (व्यवधान) इस पर जवाब दें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने कोई मेहरबानी नहीं की, कोई पैकेज नहीं दिया।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): रामप्रतापजी बैठिये। उपाध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप मेहरबानी कर रहे हो क्या लोगों को नौकरी देकर, आप कोई अहसान कर रहे हो क्या? खा गये जनता का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बैठिये। मैं यह बताना चाहता हूं यह सर्व शिक्षा अभियान 2001-02 में प्रारम्भ हुआ था तो इनका जब राज था तो इन्होंने जो राशि मिली उसमें से केवल 36.34 प्रतिशत खर्च किया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 2001-02 में कितनी राशि मिली यह भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): 2002-03 में इन्होंने 47.70 प्रतिशत खर्च किया, 2003-04 में जब हमारी सरकार आ गई तो हमने 102.43 प्रतिशत खर्चा किया। और फिर 2004-05 में हमने खर्चा किया 115.04 प्रतिशत। 2005-06 में खर्च किया 98.69 प्रतिशत और 2006-07 में खर्चा किया 106-19 प्रतिशत। 2007-08 में, मेरे पास जनवरी 2008 तक आंकड़े हैं, हमने खर्चा कर दिया 82.14 प्रतिशत।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): प्रश्न पूछे, नहीं भाषण (व्यवधान) हम भी देंगे। प्रश्न पूछिये जवाब दे देंगे। आप प्रश्न पूछिये मंत्रीजी से।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आप योग्य आपके शिक्षा मंत्रीजी महायोग्य (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप तो उस समय वित्त मंत्री थे और डूबाने का काम आपने ही किया था महाराजा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनें भई, प्रश्न कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2001-02 की आप बात कर रहे हैं 2001-02 में किस किस मद में सर्व शिक्षा अभियान में, प्रतिशत तो कह दिया बहुत होशियारी से क्योंकि इसमें कमरों का पैसा भी है इसके अंदर यह सर्व...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह मदवार नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप बिराजें, आपके पास तो आंकड़े हैं, मेरे पास तो आंकड़े नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उस समय आपका सत्ता का (व्यवधान) मद था। मद नहीं था। उस समय आपको सत्ता का मद था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम तो मद में चूर थे, आप कहिये (व्यवधान) हम तो मद में चूर थे । उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि उस वक्त शिक्षा के...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वित्त मंत्रालय ने रोक लगा दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, बात कहने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वित मंत्रालय ने उस समय आपके नेतृत्व में (व्यवधान) रोक लगा दी, आपने खर्च नहीं होने दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब यह इन्कन्वीन क्वेश्चन का जवाब देना नहीं चाहते इसलिए शोर मचा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिलकुल देंगे, आप पूछिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): शांति से सुनिये तो सही श्रीमान। 2001-02 में कुल राशि करोड़ रुपये में राज्य सरकार को सर्व शिक्षा अभियान के पेटे कितनी मिली। 2003-04 में कितनी मिली और किस-किस मद में मिली। सवाल यह आता है कि भारत निर्माण के तहत सर्व शिक्षा अभियान के अंदर पिछले साल पांच लाख कमरों के निर्माण के लिए पैसा मिला। कमरों के निर्माण के लिए कितना पैसा मिला और शिक्षकों की नियुक्ति के पेटे कितना पैसा इसका बाइफरकेशन क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। जब तक आप बाइफरकेट उत्तर नहीं देंगे स्थिति साफ नहीं होगी । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): क्या मैं भाषण दे रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: भूमिका बांध रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं नहीं अब आप रूक जाइये, माननीय मंत्री महोदय आप वकील हैं, बहुत चतुर हैं लेकिन आप भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं सदन को। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं नहीं कर रहा। आंकड़े बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप रुक जाइये ना, पहले पूरा सवाल आ जाने दीजिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। मेरे पास तो सरकार है नहीं कि मेरे पास आंकड़े हो इसलिए आप यह बताने की कृपा करें...(व्यवधान)

मेरा पाइंटेड बड़ा सीधा-साधा सवाल है। 2001-02 में आपको सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितना पैसा, करोड़ रुपये के अन्दर मिला, लाखों की बात मत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करिये। कितने करोड़ रुपया मिला। आप कह रहे हैं 33...36 प्रतिशत पैसा खर्च किया, मान लेते हैं आपकी बात। एक तो निर्माण कार्य है इसके अन्दर और अध्यापकों की तनख्वाह के पेटे आपने क्या बे-ईमानी की। आपने कंसोलिडेट-पे के ऊपर इनको रख दिया। आप कितनी उनसे तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। या तो आप यह कहें कि जो हम एक्चुअल दे रहे हैं, कंसोलिडेट-पे के ऊपर जिन अध्यापकों को रखा है, उतना पैसा हम उनको दे रहे हैं या भारत सरकार से जो पैसा मिल रहा है, आप वहां से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। आप उनको कम पैसा दे रहे हैं। असल बात तो यह है और फिर आपने इसके अन्दर एक और होशियारी की है कि जो प्राइमरी टीचर हैं, मिडिल के टीचर हैं, आप उनसे सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर पढ़वा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं। (व्यवधान) यह क्वश्चन अवर है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बैठिये, बैठिये। आप इन लड़कों से, आज यहां राजस्थान के अन्दर बात चल रही है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये नये सिरे से भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। दे रहे हैं जवाब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सिर्फ जवाब देने के लिये जवाब दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं जानकारी दे दूं कि जब इनकी सरकार थी, उस समय सर्व-शिक्षा...(व्यवधान) सुनिये, एक मिनट, हो क्या रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमने काम नहीं किया, इसलिये हमको इधर बैठना पड़ रहा है। (व्यवधान) हम तो इधर बैठ गये आकर के। परन्तु आप जवाब दें हमको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शिक्षा के प्रति अपराध किया है आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस भूमिका से आपने पूछा है, वही यह बनायेंगे जवाब देने के लिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जानकारी दे दूं कि जब इनकी सरकार थी उस समय सर्व-शिक्षा अभियान में 85 प्रतिशत पैसा मिलता था केन्द्र सरकार से और केवल 15 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का लगता था। अब जो है 65 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और 35 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। (व्यवधान) अब आपने पूछा कितने करोड़ रुपये, 2001-02 में केन्द्र का अंश था 39.08 करोड़ और उसमें राज्य का अंश था 21.08 यानी कुल हुए 60.14 करोड़। इसमें से आपने केवल खर्च किया 20.48 करोड़, यानी 36.34 प्रतिशत। मैं यह बता रहा हूं। और 2002-03 में 174.35 करोड़ की वार्षिक योजना थी, टोटल, उसमें से केन्द्र का अंश मिला 64.07 और राज्य का अंश मिला 13.16, यानी कुल आपका जो पैसा मिला 77.33 और आपने खर्च किया 36.84 करोड़ यानी 47.70 प्रतिशत। और उसके बाद हमारे समय में 2003-04 में 430 करोड़ की योजना थी, उसमें केन्द्र का अंश मिला 152.52 और राज्य का अंश मिला 65.55 करोड़, कुल हुआ 215.07 करोड़ और व्यय हुआ 220.29 करोड़ यानी 102.43 प्रतिशत। उसके बाद 2004-05 में 230 करोड़ मिला केन्द्र से और 105.43 राज्य का हिस्सा, उसमें कुल 335.43 और व्यय हुआ 385.89 करोड़ यानी 115.04 प्रतिशत। सुन लीजिये, भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुन रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 2005-06 में 833 करोड़ की टोटल योजना थी उसमें केन्द्र का अंश मिला 588.29 करोड़ और राज्य का अंश मिला 165.37 करोड़ और खर्च हुआ 98 प्रतिशत, यानी 753 टोटल और खर्च 743 करोड़ हुए। 2006-07 में 751.38 करोड़ केन्द्र से मिला और 290.46 राज्य का अंश, टोटल 1041 करोड़ और खर्च हुआ 1106 करोड़ यानी 106.19 प्रतिशत। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मंत्री महोदय, आप यह बताइये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं यही कहना चाह रहा हूं हमको मिला 105 करोड़ रुपये दो साल में और इनको कितना मिला है। आपको हमसे 10 गुना से ज्यादा पैसा मिला है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 105 ही खर्च नहीं किये, 105 ही खर्च नहीं किये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): कोई खैरात में नहीं दिये हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमारे साथ भेदभाव किया गया, मैं यही

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कहना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि 39 करोड़ एक मिला और 110 करोड़ एक मिला। इनको कितना मिला है? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपकी मेहरबानियों से थोड़े ही मिला है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमको तो पैसा भी नहीं दिया ना। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कार्यशैली की वजह से केन्द्र सरकार ने पैसा दिया, वह दान में नहीं दिया। (व्यवधान) आपने 36 प्रतिशत खर्चा किया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कार्य क्षमता की वजह से दिया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज अध्यापकों को कितनी सैलेरी दी जा रही है और केन्द्र सरकार इनको कितने पैसे दे रही है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केन्द्र सरकार ने कोई दान में नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को दान में नहीं दिया। इससे ज्यादा खर्चा किया है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इनको इतना मिल जाता तो ये क्या करते। (व्यवधान) इन्होंने इतना ही खर्च नहीं किया। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): केन्द्र सरकार ने ज्यादा नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वह पैसा रिलीज कब हुआ? पैसा दिया, वह 39 करोड़ रुपया रिलीज कब हुआ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब कि सर्व शिक्षा अभियान में दूसरी जगहों पर विशेष पैकेज दिये हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह नमूना तो तब है जब कांग्रेस के अध्यक्ष सी.पी. जोशी थे शिक्षा मंत्री, बी.डी. कल्ला थे शिक्षा मंत्री और प्रद्युम्नसिंहजी थे वित्त मंत्री तथा ये भाषण दे रहे थे कल..। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस समय सरकार ने 39 करोड़ रुपये दिये थे और आपको 839 करोड़ रुपये दिये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): प्रश्न संख्या 45। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी से मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं। (व्यवधान) आर.पी.एस.सी. से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, नैक्स्ट सवाल पूछ लिया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, विधवा और परित्यकता तो बी.एड. और एस.टी.सी. की नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 31 हजार के अगेंस्ट में 21 हजार भरे हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहस की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य। स्पेस्फिक जवाब आ चुका है। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): प्रश्न संख्या 45। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 2006 में, मंत्री महोदय बतायें क्या बी.एड. और एस.टी.सी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न पूछ लिया है। आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। नहीं, नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): प्रश्न संख्या 45। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। उर्दू के 36 टीचर लिये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया मैंने। माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपने तो टोटल 700 लगाये हैं, महाराज। कहां से आपने लगा दिये। (व्यवधान) वाह साहब, वाह, क्या बात है। (व्यवधान)

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2008)

बीकानेर जिले का रंगमंच निर्माण

45. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में करोड़ों रुपये की लागत से वर्ष 1995 में रंगमंच का निर्माण शुरू करवाया गया था जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है?

(2) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अक्टूबर, 2004 में जिला कलक्टर को अधूरे रंगमंच निर्माण कार्य के फ्रेम स्ट्रक्चर को असुरक्षित बताते हुए टिप्पणी की गई थी? यदि हां, तो इसकी प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बतायें कि यह टिप्पणी किनके द्वारा व किन जांचों/किस आधार पर की गई तथा इसके पश्चात क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर एवं मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा उक्त रंगमंच की जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस जांच पर कितने रुपये व्यय किये गये?

(4) क्या यह भी सही है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा भी अधूरे रंगमंच की जांच करवाई गई थी? यदि हाँ, तो इस जांच पर कितने रुपये व्यय किये गये तथा इनके द्वारा इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट/टिप्पणी प्रस्तुत की

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बतायें कि उक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय के सदस्यों द्वारा जांच करवाये जाने तथा उस जांच पर लाखों रुपये व्यय करने के उपरान्त दोबारा रुड़की के सदस्यों द्वारा जांच क्यों करवाई गई?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय की सदस्यीय समिति द्वारा रंगमंच की जांच कर इसकी गुणवत्ता, ढांचें, निर्माण सामग्री आदि को उपयुक्त न मानते हुए इसे उपयोग हेतु ठीक नहीं माना गया था? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट में रंगमंच की गुणवत्ता/उपयुक्तता/उपयोगिता आदि के बारे में क्या कोई टिप्पणी की गई? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण में दायित्व निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय की सदस्यीय समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, यहां पर बहस नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, अगला प्रश्न पुकार लिया है, मैंने। वह जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय। आप मिल लेना मंत्रीजी से। (व्यवधान) आप मंत्रीजी से मिल लेना।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अक्टूबर, 2004 में जिला कलक्टर को अधूरे रंगमंच के निर्माण कार्य में फ्रेम स्ट्रक्चर को असुरक्षित बताते हुए कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। अपितु, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 5179-81, दिनांक 13.10.04 के द्वारा मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, जयपुर एवं पत्र क्रमांक 5182-84, दिनांक 13.10.2004 द्वारा एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर को भवन निर्माण की रचनात्मक सुरक्षा की जांच हेतु लिखते हुए उक्त जांच में होने वाले टैस्टिंग व यात्रा व्यय के बारे में जानकारी चाही गई थी तथा उक्त पत्रों की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, बीकानेर एवं सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर को भी प्रेषित की गयी थी। उक्त पत्रों में किसी के विरुद्ध कोई जांच अथवा

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कार्यवाही हेतु नहीं लिखा गया था। उक्त पत्रों की प्रति परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति ने भवन का वज़न सहने की क्षमता की जांच कराने एवं किसी अनहोनी से बचने के लिए भवन में अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने का सुझाव दिया। एम.बी.एम. महाविद्यालय, जोधपुर द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में रंगमंच के शेष भाग के निर्माण से पूर्व भूमि मृदा की जांच तथा आई.एस. 456-2000 के अनुसार जांच आदि का सुझाव दिया गया था। जांच रिपोर्ट पर राशि रुपये 53740/- का व्यय नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा किया गया।

(4) जी हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के द्वारा अधूरे रंगमंच भवन की जांच भवन के वज़न सहने की क्षमता का आंकलन कर उपयोग में लाने के लिए कराई गई थी। इस जांच पर राशि रुपये 12,54,130/- का व्यय किया गया। जांच रिपोर्ट में भवन को उपयोग में लाने के लिए आगे निर्माण करने से पूर्व आवश्यक सुरक्षात्मक तकनीकी सुझाव दिये गये। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट- 'स' पर संलग्न है।

(5) जी हां। एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग की समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एक-दूसरे की पूरक है। अत: इस संदर्भ में किसी संस्था के अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच प्रस्तावित नहीं है।

(6) जी हां। एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एक दूसरे की पूरक है एवं दोनों के सुझाव के अनुसार ही भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई.आई.टी.) के अनुसार ही जांच कराई गई थी एवं उनकी रिपोर्ट से राज्य सरकार संतुष्ट है व रिपोर्ट में प्रस्तुत सुझावों व अत्याधुनिक तकनीकी साज-सज्जा सहित रविन्द्र रंगमंच का कार्य निर्माण हेतु प्रस्तावित तख़मीना 6 करोड़ 65 लाख रुपये हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): एक प्रश्न है मेरा, मेरा महज एक प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कार्य जब शुरू किया गया तब इसका अनुमानित व्यय क्या था? इस कार्य के पूर्ण नहीं होने का क्या कारण रहा? बारम्बार जांच कराये जाने का क्या कारण रहा? अलग-अलग विभागों से जांच कराये जाने का क्या कारण रहा? जब कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसा विभाग आपके पास है जो बिना लागत के आपकी जांच कर सकता है और क्या कारण है कि यह निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ और अन्तिम समयावधि क्या है, कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, 1993 में, 29.10.1993 को उप शासन सचिव, नगरीय सुधार न्यास, नहीं, नगर सुधार न्यास, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा एक करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी। बाद में 1999 में दुबारा संशोधित स्वीकृति 2 करोड़ 34 लाख की जारी की गयी थी और आवास विकास संस्था को कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था इस पर व्यय एक करोड़ तीन लाख और पांच हजार रुपये का खर्चा हुआ था और अब इस पर आई.आई.टी., रूड़की द्वारा 6.65 करोड़ रुपये का मतलब तखमीना बनाया गया है, जिसमें से कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर द्वारा 30 लाख रुपये, सांसद कोटा से एक लाख रुपये, क्षेत्रीय विधायक के मद से, दोनों, देवीसिंहजी भाटी और बी.डी. कल्ला साहब के एक करोड़ रुपये, मानव संसाधन मद है, नई दिल्ली से, 1 करोड़ 65 लाख रुपये, कुल 6.65 करोड़ रुपये का मतलब तखमीना तैयार कराया गया है और उनसे पैसा आने के बाद में और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य कराया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। माननीय सदस्य, अब नहीं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): यह विलम्ब होने का कारण जो रहा है, इसके ऊपर क्या किसी के खिलाफ कोई जांच लम्बित है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप नहीं करें क्वेश्चन। स्थगन। माननीय सदस्य, समाप्त अब। चर्चा समाप्त। नहीं-नहीं, आ गयी सब बात। बात आ गयी बहुत डिटेल में। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा केवल एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी, आ चुका बहुत। आगे चले गया। ...(व्यवधान) आ गया बहुत।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं सिर्फ एक प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक हो जाएगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल गुजरे पांच मिनट हो गये। प्रश्न काल गुजरे पांच मिनट से ज्यादा समय हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप मंत्रीजी से पूछ लेना, वे सब कुछ बता देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कब तक करा देंगे और इस पर कितनी लागत आएगी?

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछ लेना उनसे, वे बता देंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, कब तक बना देंगे इसको?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह कब तक बन जाएगा?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, किन्हीं के खिलाफ जांच लम्बित है क्या? इस विलम्ब के लिए किन्हीं को दोषी माना जा रहा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। कल्लाजी, बैठिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): और बार-बार जांच कराये जाने के पीछे क्या यह मकसद है कि इस जांच में, इस निर्माण कार्य में कहीं कमी मानी गयी?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह कब तक बना दिया जाएगा और इस पर कितनी लागत आएगी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा अब। यह समाप्त हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: इनसे आप शंका दूर कर लेना। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री खुशवीर सिंह एवं पांच अन्य माननीय सदस्यों की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में व्यापक भ्रष्टाचार होने से लोगों में व्याप्त रोष के संबंध में।
2. श्री मांगीलाल गरासिया एवं तीन अन्य माननीय सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटड़ा में विद्यालय बंद होने से शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। वैसे भी माननीय सदस्य को 10 मार्च को पुलिस विभाग की अनुदान की मांग एवं दिनांक 14 मार्च को शिक्षा विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा के समय अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। पुलिस की मांग पर चर्चा हो जाएगी।

3. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से अलवर एवं भरतपुर जिलों में काबिज काश्तकारों को कस्टोडियन भूमि के पट्टों पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही में सफाई कर्मियों की भर्ती पर सरकार द्वारा रोक लगाने से कर्मचारियों में व्याप्त रोष के संबंध में।
5. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से जे.के. समूह कोटा के कारखाने को अराफात ग्रुप द्वारा नहीं चलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही

(श्री उपाध्यक्ष)

को रोककर इन पर विचार किया जाए। अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री जुबेर खान, श्री संयम लोढ़ा एवं श्री अमराराम धोद को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इतना भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है और उसकी वजह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता में रोष है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम ... (व्यवधान) अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य बीच में नहीं। माननीय सदस्य बीच में नहीं। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है यह। यह अंकित नहीं होगा। आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य। आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। ... (व्यवधान) आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पुलिस की मांग पर यह कहेंगे। मैंने व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान) आपको कहने का मौका मिलेगा। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप फालतू में समय बरबाद कर रहे हैं सदन का। माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बीच में काहे के लिए खड़े हो गये? बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। कुछ

(श्री उपाध्यक्ष)
भी अंकित नहीं हो रहा है। आप समय बरबाद कर रहे हैं फालतू का। माननीय सदस्य, फिर आप ... (व्यवधान) मैंने आपसे निवेदन कर दिया, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप समय बरबाद कर रहे हैं सदन का, माननीय सदस्य, आपकी बात, आपको सुनने का मौका दिया जाएगा। गृह विभाग की मांग के अवसर पर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। यह चलते में नहीं होगी बात। माननीय सदस्य, बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। आप बीच में, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। माननीय सदस्य, आप क्यों समय बरबाद कर रहे हैं? कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। आप समय बरबाद कर रहे हैं सदन का। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य की ओर से भरतपुर डिवीजन मुख्यालय पर संस्कृत शिक्षा का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में।

(2) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से हाड़ौती संभाग में व्यर्थ बहते वर्षा जल व गिरते भू-जल को रोकने हेतु सांगोद तहसील की सूखी नदियों को पुन:जीवित करने के संबंध में।

(3) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से प्राइवेट ब्लड बैंक द्वारा दिये गये ब्लड को राजकीय चिकित्सालयों में नहीं लिये जाने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से तहसील मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन पर एस.डी.एम. कार्यालय खोलने के संबंध में।

(5) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर, सदस्य की ओर से नदबई में गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हेतु नाला निर्माण कराने के संबंध में।

(6) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय को विकेन्द्रीकरण के नाम पर कमजोर करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(7) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का विस्तार करने के संबंध में।

(8) श्री केसरदेव बाबर, सदस्य की ओर से श्री बद्रीनारायण सोढ़ानी राजकीय चिकित्सालय, लोसल को सिटी डिस्पेंसरी के रूप में संचालित करने के संबंध में।

(9) श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से मृतक पंचायत राज अध्यापकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

(10) श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य की ओर से पिड़ावा में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय खोलने के संबंध में।

(11) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बड़ी पंचायतों का पुनर्गठन करने के संबंध में।

(12) श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय श्री जुबेर खान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मामले में बात आई। गृह मंत्रीजी इतने असहाय हैं कि इनके डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में कहां की बात करने लग गये? (व्यवधान) नहीं नहीं यह फालतू की बात नहीं। माननीय सदस्य, गृह विभाग की मांग के समय आप बोलें। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा राजस्थान के लिए कोई हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह इस तरह से चलते रास्ते कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन का समय बरबाद हो रहा है। कुछ अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन का समय बरबाद नहीं करें। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन का समय इस तरह से बरबाद मत करें। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने सदस्य के बोलने में रूकावट पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया। यह देखो, आप सदन की गरिमा के खिलाफ बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।) व्यवधान) माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप किस विषय पर बोल रहे हैं? (व्यवधान) आपको मौका देंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको नियमों का पालन करना चाहिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको नियमों का पालन करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं, यह अच्छा नहीं है। माननीय सदस्य, आपके सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच में खड़े हो गये। (व्यवधान) मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया। (व्यवधान) आप बीच में खड़े हो गये। मैं आपको परमिशन नहीं दे रहा हूं इसलिए आप स्थान ग्रहण कर लीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसकी आवश्यकता नहीं। आप कौन होते हो पूछने वाले? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप क्या इशारा करके कर रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य कोई बोल रहा है...(व्यवधान) इनका कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विरोधी दल के माननीय सचेतक महोदय अपने सदस्यों को समझाइये कि जब आप बोल रहे हैं, आपको परमिशन दे दी, तो यह बिना परमिशन के बोल रहे हैं ...(व्यवधान) नहीं, गलत बात है। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होना चाहिये। माननीय यह अच्छा नहीं होगा, यह मर्जी आवे तब खड़े हो जावें। मैं आपको (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) आप सदन का समय बरबाद मत कीजिये। बैठिये आप। आप मर्जी आवे जिस तरह से नहीं बोल सकते। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिराजिये। माननीय श्री जुबेर खान।

अलवर एवं भरतपुर जिलों में काबिज काश्तकारों के कस्टोडियन के पट्टों पर रोक हटाना

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से एक ऐसी समस्या सरकार के सामने रखना चाहता हूं जिसको लेकर राजस्थान के अनेकों जिलों में, खास तौर से अलवर,

(श्री जुबेर खान)

भरतपुर, गंगानगर और भी कुछ जिलों में किसानों को, काश्तकारों को बड़ी परेशानी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं उस जमीन की बात कर रहा हूं जब देश का विभाजन होकर जो लोग पाकिस्तान चले गये, उनकी जो जमीन थी उसकी केन्द्र सरकार कस्टोडियन बन गयी, वह केन्द्र सरकार के आधीन हो गयी। उसमें उन लोगों को वो जमीन देने के प्रावधान थे जो लोग पाकिस्तान से बंटवारे के बाद हिन्दुस्तान में आये लोग जो यहां सैटल हुए वो जमीन उनको दी जानी थी। उसकी कार्यवाही केन्द्र सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्युईज एक्ट, 1950 जिसके अन्दर मैनेजिंग आफिसर तहसीलदार थे, मैनेजिंग डाइरेक्टर सम्बन्धित कलक्टर होते थे सम्बन्धित और एक कमिश्नर भी थे पुनर्वास जो जयपुर में बैठते थे। फिर उसके बाद दूसरा डिसप्लैस परसन्स क्लेमेण्ट एक्ट, 1915, यह दो एक्ट के तहत उस भूमि का निस्तारण किया जाना था।

इसी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने भी 1963 में अपने कुछ नियम बनाये हैं, राजस्थान भू-राजस्व निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आबंटन पर। इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने भी 1963 में कुछ रूल बनाये, उन रूल के तहत लोगों को, जो काबिज थे, उनको पट्टा दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें समस्या आयी कि 2004 में राज्य सरकार ने 28.11.04 को एक सर्कूलर निकाला और उसमें इसमें कुछ संशोधन किया। संशोधन सिर्फ रेट में किया, पहले 600 रुपये प्रति बीघा काश्तकार से लिया जाता था उसके बाद में 28.11.04 से 25 परसेंट डी.एल.सी. रेट के पैसे जमा कराने के बाद लोगों को पट्टे दिये जाते थे लेकिन विचित्र स्थिति तो, उपाध्यक्ष महोदय, आयी 6 सितम्बर, 2005 को केन्द्र सरकार ने, संसद ने दोनों एक्ट रिपील कर दिये। 1950 के जो दोनों एक्ट थे वो 2005 में केन्द्र सरकार ने रिपील कर दिये और हमारे नियम जब भी बने उनमें केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों का और कानूनों का हवाला था। जब वो कानून खतम हो गया केन्द्र सरकार में तो राजस्थान सरकार ने पुनर्वास विभाग के एफ.17/5/पुनर्वास/न्याय/07/833 दिनांक 20.12.07 को राजस्व विभाग की तरफ से सर्कूलर निकाला क्योंकि केन्द्र सरकार में यह एक्ट रिपील हो गये हैं इसलिए इनमें अग्रिम कार्यवाही रोक दी जाए।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें तीन तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये बंटवारे के बाद, वो आज तक गैर-खातेदार इसलिए दर्ज हैं कि उन्होंने समय सीमा पर

(श्री जुबेर खान)
भी 600 रुपये प्रति बीघा के पैसे जमा नहीं कराये तो आज भी यह गैर-खातेदारी चल रही है और अब वो बैंक से जब लोन लेने जाते हैं, ट्रैक्टर का लोन लेने जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं, बिजली के कनेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप खातेदारी में अधिकार लाइये। अब इस नियम के, यह लेटेस्ट सर्कूलर के हैं तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता और ज्यादातर लोग ऐसे हैं अलवर, भरतपुर जिले में जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है पिछले 40-50 साल से, कहीं एक बीघा कहीं दो बीघा। माननीय गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और इन्होंने यह सोच कर कि शायद यह मुस्लिम लोगों की जमीन है उन्होंने उसमें कीमत लगाई है लेकिन इसमें ज्यादातर गरीब किसान हैं, एस.सी., एस.टी. के लोग हैं। अलवर जिले से आने वाले तमाम हमारे माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं, खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य जयरामजी जाटव के इलाके में कितने ही एस.सी., एस.टी. के परिवारों की यह जमीन है।

मेरा आपसे निवेदन है, हम कलक्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा कि जब तक राजस्थान सरकार अपने 1963 के अधिनियम के नियमों में चैंज नहीं करेगी, उनमें संशोधन नहीं करेंगी, यह संशोधन करना पड़ेगा कि जहां-जहां भी केन्द्र सरकार द्वारा लोक सभा, राज्य सभा द्वारा पारित जो अधिनियम हैं उनको जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, इस जमीन की समस्या का समाधान भी नहीं होगा। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सत्र चल रहा है, सत्र में अगर लाकर के उसमें अमेंडमेंट करना है 1963 के नियमों में तो यहां लाकर के करिये, अध्यादेश से करना है वो करिये, अगर राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रशासनिक आदेश निकाल सकती है तो वो निकालिये क्योंकि यह जमीन का राजस्थान सरकार 1963 में ही करोड़ों रुपये भारत सरकार को जमा करा चुकी है, इस जमीन पर राजस्थान सरकार का हक है, यह राजस्थान सरकार की जमीन है, इसको आप कस्टोडियन का क्योंकि एक्ट खत्म हो गया है, इसको आप सिवायचक कराइये और जो अतिक्रमणी या गैर-खातेदार जो वर्षों से, पचास-पचास साल से बैठे हुए हैं उनको आप नियमन की कार्यवाही कराइये, मेरा आपसे यह निवेदन है। इसके ऊपर आप जरूर कोई न कोई विचार करें क्योंकि अलवर, भरतपुर, गंगानगर तमाम में, अकेले रामगढ़ में 1100 परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं। अलवर जिले में हजारों की संख्या में, भरतपुर में हजारों की संख्या में, गंगानगर में हजारों की संख्या में, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बात को भलीभांति जानते हैं।

(श्री जुबेर खान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दीजिए कि इसमें इण्टरवीन कर के कोई न कोई हल निकाले तभी वहां हमारे जो काश्तकार हैं उनको लाभ मिल पायेगा वरना बहुत परेशान हो रहे हैं, परेशानी आ रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की राय में ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट। मेरे यहां सबसे बड़ी समस्या है। मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि माननीय गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और हम भी उसके सदस्य थे। तब वहां सवाल यह आया था कि दो तरीके की जमीन है, एक जमीनें वो हैं जो अजमेर और गंगानगर में हैं और एक जमीनें वो हैं जो अलवर और भरतपुर में हैं। उस वक्त यह स्थिति बनी थी कि हम उसकी डी.एल.सी. रेट के 25 परसेंट पर लगावें। माननीय कटारियाजी इस बात से सहमत थे और कमेटी इस बात से सहमत थी कि इसकी कुछ पैनल्टी, जिन्होंने पुरानी रसीदें हैं उनको मात्र 100 रुपये में उसका पट्टा दिया जाना चाहिए क्योंकि जमीन उन्हीं की है, उनको कोई सरकार ने अलाट नहीं की है लेकिन तत्कालीन प्रिंसिपल रेवेन्यु सेक्रेटरी इस बात पर अड़ गये, नहीं माने और आखिर यह रहा कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा लगा दी कि जो पैसे वाले लोग या जिन्होंने जमीन दूसरों को बेच दी उन्होंने तो उससे पैसे लेकर और यह खातेदारी करा कर रजिस्ट्री करा दी लेकिन जो वास्तविक खातेदार उस जमीन पर आज भी खेती कर रहा है और काबिज है उसको बड़ी दिक्कत पेश आ रही है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी किसान हैं, आपके माध्यम से यह है कि यहां रेवेन्यु मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और माननीय गृह मंत्रीजी भी बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि यह हजारों किसानों से सम्बन्धित मामला है, उनकी रोजी-रोटी और जीवन-मरण का मामला है, इस पर आप कुछ न कुछ सदन के मार्फत लोगों को आश्वासन दें और कोई कारगर कार्यवाही करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजस्व मंत्रीजी, आप बताइये न इस जमीन का आप करेंगे क्या? आप बिलकुल खामोश, मौन व्रत रख लिया आपने, आप बताइये कि आपकी जमीन हो गयी यह, आप इसको कैसे निस्तारण करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या कोई कानून बनायेंगे या कोई मीटिंग बुलायेंगे? आप बैठ गये, इतने लोगों से जुड़ा मुद्दा है और उठ कर जवाब नहीं देते, कितनी संवेदनहीन सरकार है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसके अन्दर आप बात कर लेना... (व्यवधान) आप चैम्बर में बात कर लेना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय गृह मंत्रीजी, आप इनको कहिये इसके ऊपर कुछ बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नम्बर आ रहा है आपका। श्री संयम लोढ़ा। ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजस्व मंत्रीजी, आपको कुछ कहना चाहिए, तकलीफ है क्या इस मुद्दे के ऊपर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): रेवेन्यु मिनिस्टर साहब, आप किसान हो, आप किसानों की बात से सहमत हो या नहीं कि यह होना चाहिए या आपको इसकी जानकारी नहीं है?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमारे पास अभी इसके बाबत कस्टोडियन लैंड जो राजस्थान के अन्दर है और जो भारत सरकार से वहां हमे, रेवेन्यु डिपार्टमेंट को देने का और पुनर्वास से देने का अभी तक हमारे पास सूचना नहीं आयी है जब सूचना आ जायेगी और उसको किस हिसाब से डील करना है, क्या काश्तकारों को कैसे अलॉट करना है और जो काबिज हैं और सारी बात को देख कर के मैं आपको कह सकता हूं। अब आप मेरे को अभी कहें, जब तक हमारे पास सारी इन्फोर्मेशन नहीं है तो में आपको कोई भी बात कहूंगा तो यह बात ठीक भी नहीं रहेगी क्योंकि यह सारे मामले रूल से बंध हुए हैं। किस प्रकार से उनकी डी.एल.सी. रेट होगी, कितनी परसेंटेज होगी, कितने लोग कब से बैठे हैं और जब सारी बात भारत सरकार से हमें आ जायेगी तो उस वक्त हमारा विभाग जो भी कानून के तहत उनको करना है वो करेंगे निश्चित तौर पर। अभी आधी-अधूरी सूचना देकर, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे राजस्थान से सम्बन्धित मामला है तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे राजस्थान के अन्दर है पर ऐसे अलग-अलग कैटेगिरीवाइज लैंड इस कस्टोडियन की है और अलग-अलग जगहों पर है तो उनका अभी तक पूरा सर्वे, कितनी कस्टोडियन लैंड है, कितनी नहीं है यह सारी रिकार्ड में तो आयी हुई है मगर उनको किस

(श्री रामनारायण डूडी)

प्रकार से करना, अभी कमेटी बनी हुई है, इस कमेटी की रिपोर्ट भी फाइनल हमारे पास आ जायेगी तो उसके बाद ही हम निश्चित तौर पर आपको जवाब...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कमेटी ने तो दे दी रिपोर्ट ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, जो भी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसका कोई ताल्लुक नहीं है और भारत सरकार का भी नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से इन किसानों को न्याय दिलाने के लिए जमीन भी अलॉट करने का मुद्दा नहीं है, जमीन तो उनके पास आलरेडी है। आपके जो गैर खातेदार हैं उनको खातेदारी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): भारत सरकार से हमारे पास स्पष्ट रूप से निर्देश आ जायेंगे तो हम ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिना कीमत के दोगे यह है मुद्दा ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भारत सरकार का अब कानूनन इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह प्योरली राजस्थान सरकार के अधिकार का क्षेत्र है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह पूरी जानकारी जो है... (व्यवधान) भारत सरकार से स्पष्ट आ जायेगी ....

श्री उपाध्यक्ष: बहुत लम्बे समय से चल रहा है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ,प्रतिपक्ष के दवाब में आकर जवाब नहीं देंगे मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने कहा है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): एक तो वह लोग जो बाहर से आये थे और उनके पास पट्टा था, उनको जितनी जमीन थी वह दे दी गयी थी और एक जो यहां से छोड़कर चले गये और पूरी जमीन उन लोगों को देने के बाद में जो बची है उस पर अभी तक हमारे राजस्व विभाग की तरफ से किसी प्रकार कोई भूमि हस्तांतरित नहीं हो रहा है जो भी पूरी इन्फार्मेशन मंगाकर रेवेन्यू विभाग क्या कर सकता है, पुनर्वास विभाग क्या कर सकता है, यह सारी हमारे पास डिटेल आ जाएगी जब हम इस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो जब मीटिंग बुलाएं हमें भी

(श्री जुबेर खान)

आमंत्रित कर लीजिएगा, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं जो यह सिद्ध कर देंगे कि केन्द्र सरकार का इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है। आपके ऊपर है, राज्य सरकार इसका कैसे निस्तारण करना चाहती है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ठीक है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम आपके सपोर्ट में डाकूमैंट्स लायेंगे, हम वह भी लायेंगे जो सरकार ने पैसे जमा किये हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कटारिया साहब, आपकी कमेटी का टाइम खतम हो गया है या अभी है?

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे, करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खतम हो गया ना, आपने तो रिपोर्ट दे दी।

श्री उपाध्यक्ष: रेवेन्यू डिपार्टमैंट से ....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह कह रहे हैं अभी रिपोर्ट ही नहीं मिल ...(व्यवधान) इनकी पुनर्वास विभाग से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पुनर्वास विभाग से कोई लेना-देना नहीं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : मंत्री महोदय सक्षम हैं सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कस्टोडियन विभाग से कोई लेना-देना नहीं केवल रेवेन्यू डिपार्टमैंट को यह तय करना है।

श्री उपाध्यक्ष: हां तो राजस्व विभाग से .....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह जो कीमत ले रहे हैं डी एल सी की पच्चीस परसेंट, आज डी एल सी की रेट आसमान छू रही है, गरीब किसान दे नहीं पा रहा ...(व्यवधान) अकेले इनका मामला है यह हमें बुला लो, आप अधिकारियों की मीटिंग बुला लो और जनहित में, किसानों के हित में कटारिया साहब को वापस बुला लो और इसके ऊपर कोई न कोई आप निर्णय लो। यह है मामला।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात आपकी, बात आ गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत पेचीदा मामला है और किसानों की हालत इससे बहुत ज्यादा खराब हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं वह खुद ही ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कटारिया साहब कुछ कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वह खुद ही ...(व्यवधान) मंत्री सभी हैं वह करेंगे।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मंत्री महोदय सक्षम हैं निर्णय लेने में, निर्णय लेने में आपके सहयोग की जरुरत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कटारिया साहब एक बार वापस से ...(व्यवधान) यह सुलझ जाय मामला।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार भी इस समस्या का समाधान करने के लिए विचार कर रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बड़ा लम्बा मामला है ...(व्यवधान) तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसमें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ने कह दी बात, दिक्कत क्या है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अभी सैशन चल रहा है यह छुट्टियों के बाद आप अधिकारियों को भी बुला लीजिए, संबंधित एम एल एज को बुला लीजिए। हमारा विश्वास है कि कोई न कोई रास्ता निकल आएगा लेकिन आप पहल कीजिए, आप विधान सभा सत्र में एक मीटिंग बुलाइये जैसे माननीय पी एच ई डी मंत्री महोदय ने बुलाई तो इसका हल निकल जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात, आ गयी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको जल्दबाजी ...(व्यवधान) यह पाकिस्तान से आए हुए लोगों के मामले में विषय है भले ही यहां पर ...(व्यवधान) इस तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं यह पूछो ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्री सक्षम हैं जो भी उचित निर्णय होगा अपने विवेक से करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

यह इनकी भावना दर्शाती है, पाकिस्तान से नहीं है यहीं के हैं यहीं पैदा हुए हैं और उन्हीं की जमीन का मुद्दा है कि उनसे कीमत ली जाय या नहीं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपकी सलाह की जरुरत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पाकिस्तान का नहीं है कोई लेना देना उससे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपकी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्री महोदय सक्षम हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पाकिस्तान से कल कश्मीर सिंह छोड़कर आया उसका स्वागत कर रहे हैं सब। उसका धन्यवाद करो कि ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पाकिस्तान जेल से छूटकर आया है। पाकिस्तान का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना क्यों डर लगता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: धर्म परिवर्तन करवाया वह भी ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): दिलावर साहब, यह उन लोगों की जमीनें हैं जिसमें आडवाणीजी की भी शामिल हैं, यह वह लोग हैं जो वहां से आए हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह है बात। ज्यादातर शरणार्थी लोग हैं ...(व्यवधान) मजहबी सिक्ख हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): शरणार्थी लोग हैं उनकी जमीनें हैं, आपको गम्भीरता का मालूम नहीं है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और मेव भी हैं अगर आप उनके खिलाफ हो तो कह दो... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कश्मीर के ...(व्यवधान) का धर्म परिवर्तन करवाया गया जो स्वीकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप, बैठिये। आ गयी बात।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने एक शब्द नहीं बोला, आप अच्छी तरह सुना करो, मैंने कुछ बोला ही नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपकी थोड़े ही कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने कुछ बोला ही नहीं फिर आप मेरा नाम कैसे ले रहे हैं ...(व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान की बड़ाई करो पाकिस्तान तो... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बोलते नहीं हो आप तो बुलवाते हो, आप तो बुलवाते हो। दूसरों को लगा देते हो कोहनी पर शहद ...(व्यवधान) आप तो बोलते नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने तो आपको इसलिए कहा था आडवाणी जी को आदर्श मानते हैं ना उन्हीं लोगों की जमीन है यह ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप तो फालतू की पंचायती में पड़ गये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप कहो तो उसकी लिस्ट टेबल कर दें उसमें शरणार्थी लोग, सिंधी, खत्री, सिक्ख......

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं, आपने कह दी अपनी बात, मंत्रीजी ने कह दिया कर रहे हैं विचार इस पर।

सिरोही में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से असंतोष

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सरकार के वित विभाग द्वारा राज्य में सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर लगाई गयी रोक और सिरोही में चल रहे वाल्मीकि समाज के आन्दोलन की ओर माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बचपन से एक तस्वीर दिलोदिमाग में बनी हुई है जब खेलने के लिए सुबह जाते थे तड़के और वापस लौटते थे तो रास्ते में अनेक महिलाएं, बहनें झाडू लेकर के उस सड़क को साफ करने का काम करती हुई दिखती थीं। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे परिवारों की माताएं और बहनें सुबह तड़के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का काम करती हैं तब जिस समाज की महिलाएं और जिस समाज की माताएं और बहनें हमारे अपने शहर, कस्बे को साफ रखने के लिए अपना वह महत्वपूर्ण समय शहर की स्वच्छता में और हम लोगों को अच्छा वातावरण देने के लिए लगाकर के काम में रत दिखती हैं। ऐसे ही समाज को आज चार साल से इस सरकार के आश्वासनों और वायदों से दुःखी होकर के सड़क पर आने का फैसला करना पड़ा है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक सप्ताह से सिरोही में वाल्मीकि समाज के हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें आंदोलन कर रही हैं अपनी जायज मांगों को लेकर और खाली सिरोही ही नहीं आज यह पूरे राजस्थान का परिदृश्य बन चुका है कि स्वायत्तशासी निकायों में सफाई के काम को बजाय सफाई कर्मियों से करवाने के ठेके पर देने का प्राथमिकता दी है। यह ठेके उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी जननी बन चुके हैं। सिरोही में भी लगातार वाल्मीकि समाज के लोगों ने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की।

मैं आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही नगरपालिका में बहुत प्रयास करके तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त 2002 में मैंने सफाई कर्मियों की भर्ती की मंजूरी दिलवाई थी और सिरोही में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने जनवरी 2003 में राज्य सरकार के आदेश पर सफाई कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी किया था। उस विज्ञापन के जारी होने के बाद बड़ी संख्या में नौजवनों ने नौकरी के लिए आवेदन किया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने सफाई कार्मिकों की नियुक्ति नहीं की। उसके बाद से लगातार वह नौजवान जिन्होंने सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लगातार स्थानीय प्रशासन का, नगरपालिका प्रशासन के अलावा राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे कि हमें नियुक्ति दी जाय।

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब पिछले छह दिन से वहां के लोग आंदोलन पर हैं जिसमें शिवगंज के लोग भी शामिल हुए, आबू रोड के भी लोग शामिल हुए और अभी तीन दिन पहले सभी स्थाई कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को यह अल्टीमेटम दिया है कि भ्रष्टाचार की उस जननी ठेका प्रथा को समाप्त करके यदि स्थाई रूप से सफाई कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया या संविदा के आधार पर सफाई कार्मिकों को नियुक्त नहीं किया गया तो पूरे जिले की सफाई व्यवस्था ठप्प कर दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, 1 तारीख को हमारे वाल्मीकि समाज की माताएं और बहनें जब जुलूस लेकर के जिला कलैक्ट्रेट पर गयीं तो मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 8 तारीख को किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लेकर के मैं खुद कलैक्ट्रेट गया था, सारे लोगों को कलैक्ट्रेट के चैम्बर तक पड़ौस के उद्यान में बैठने का अवसर दिया गया उसके बाद पैट्रोलियम पदार्थों में

(श्री संयम लोढ़ा)

मूल्यों में वृद्धि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया, उनको भी वहां तक आने दिया गया लेकिन 1 तारीख को जब हमारे वाल्मीकि समाज की माताएं और बहनें झाड़ू लेकर के इस सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर जिला कलक्टर के माध्यम से फरियाद करने के लिए गयीं तो बाहर जो लोहे का बड़ा गेट लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के दम पर हरिजन समाज के हमारे भाइयों को वहीं रोक दिया गया, उनको जिला कलैक्ट्रेट के भीतर प्रवेश करने नहीं दिया गया और जब हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने यह फैसला किया कि जो जिला कलक्टर सरकार का प्रतिनिधि होता है, यदि वही वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना चाहता है तो उन्होंने जिला कलक्टर से नहीं मिलने का फैसला किया, उसको ज्ञापन नहीं देने का फैसला किया। और वहीं पर अतिरिक्त जिला कलक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया और उनसे निवेदन किया कि वह राज्य सरकार को महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से उनकी भावनाओं से अवगत करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 15.4.2006 से नवीन नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है इसलिए राजस्थान की अनेकानेक नगर पालिकाएं जिसमें भीलवाड़ा, सिरोही, शिवगंज, पाली जिन्होंने लगातार राज्य सरकार से यह आग्रह किया है कि हम अपने यहां पर सफाई कार्मिकों की नियुक्ति करना चाहते हैं वह नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी बात ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट और ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने मुद्दे की बात कह दी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब 14 अप्रैल को ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): भाषण तो हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भाषण तो भाषण देंगे, नहीं तो क्या करेंगे यहां ? मंत्र पढ़ेंगे यहां पर क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कह दीजिये। आप बात कह दीजिये। (व्यवधान) पाइंटेड बात आ गयी। बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इसी पवित्र सदन के बाहर, इसी सर्वोच्च सदन के बाहर पिछले साल 14 अप्रैल को जो अम्बेडकर जयन्ती पर रैली की थी, मुख्यमंत्री ने उस पर घोषणा की थी कि स्वच्छकार वर्ग को स्नातकोत्तर करते ही नौकरी। आज एक साल बीत गया मुख्यमंत्री की घोषणा को वित्त विभाग ने इसके बावजूद पूरे साल में इस पर से रोक नहीं हटायी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद राजस्थान के एक भी वाल्मीकि समाज के उस गरीब बेरोजगार को राजस्थान के अन्दर नौकरी नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आगे बढ़कर यह घोषणा करे कि आज ही वित्त विभाग द्वारा सफाई कार्मिकों की नियुक्ति पर जो रोक लगायी है वह रोक हटा दी जायेगी और राजस्थान की हर नगरपालिका, हर स्थानीय निकाय, हर नगर परिषद्, हर नगर निगम में जितने सफाई कार्मिकों की कानून के मुताबिक आवश्यकता है उन कार्मिकों की भर्ती राजस्थान सरकार के द्वारा अलाऊ की जायेगी। यही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार अम्बेडकर दिवस पर घोषणा की थी कि स्वच्छकार का बेटा या बेटी जो पी जी करेंगे उन्हें संविदा के आधार पर नौकरी देंगे। उनको शायद मालूम नहीं उसी आधार पर राजस्थान में 148 संविदा पर नौकरी दी गयी। उसके बाद मामला उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय का स्थगन आने के बाद वह प्रक्रिया बंद हुई है। राजस्थान की मुख्यमंत्री जो कहती हैं वह करती हैं और उन्होंने पहल की है। राजस्थान पहला उदाहरण है। स्वच्छकार के बेटे को पी जी करते ही संविदा के आधार पर तुरन्त नौकरी। यह तो अब उच्च न्यायालय का ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी दोषी प्रक्रिया के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगायी है तो सरकार अगर वाल्मीकि समाज के हित पर ध्यान देना चाहती है आप इस बात की घोषणा कीजिये कि किस आधार पर आगे आप सफाई कार्मिकों की राजस्थान के अन्दर नियुक्ति करेंगे ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी घोषणाएं करते ही क्यों हैं जो ... (व्यवधान) ऐसी थोथी बातें करते ही क्यों हैं आप ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह घड़ियाली आंसू मत बहाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का वाल्मीकि समाज आज ... (व्यवधान) उनके बच्चे-बच्चियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनको रहने की जगह नहीं मिल रही है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के बाद सरकार ने अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया है और सरकार यह चाहती है। अगर उच्च न्यायालय का स्थगन हट जायेगा तो राजस्थान में ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आपके कई पक्ष पड़े हुए हैं जो चल रहे हैं हाई कोर्ट में। एक नहीं हैं। ऐसी करते ही क्यों हो आप घोषणाएं जो राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देख लेना। स्वच्छकारों के जो पी जी किये हुए बच्चे-बच्चियां हैं उनको तत्काल नौकरी देने की मंशा इस सरकार की है और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह कार्यवाही भी आपने करवायी होगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सफाई कर्मियों पर तो हाई-कोर्ट की रोक नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मुख्यमंत्री ने कभी भी घोषणा की ... (व्यवधान) गुर्जर मीणाओं को लड़वा दिया। पूरे राजस्थान में आतंक मचा रखा है आपने। ऐसी थोथी घोषणाएं करते ही क्यों हो जो जनता मरे और आपकी रिपोर्ट में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें। कोटा ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, नो फरदर डिस्कशन। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं में एक भी पद पिछले चार साल में नहीं भरा है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने रख दी अपनी बात, सरकार की तरफ से कोई जवाब देना था वह दे दिया है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अब अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया है माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब होगा माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, नियमानुसार कोई काम होगा वह किया जायेगा। करेंगे। आपको कह दिया ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, इसमें कोई लम्बी-चौड़ी चर्चा नहीं होगी। यह सब व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह नयी व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्थाएं बहुत लम्बे समय से चल रही हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह व्यवस्थाएं नयी नहीं हैं, बहुत लम्बे समय से चल रही हैं। ऐसे इसका समाधान ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई इस पर चर्चा नहीं होगी। सुनिये आप। जवाब सुनिये ... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, क्या कह रहे हैं सुनिये आप। माननीय सदस्य, सुनिये आप पहले ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: जब परमानेंट कर्मचारी हटते हैं तो कोई शिकायत नहीं है... (व्यवधान) आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई बात हुई क्या ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया है ... (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ... (व्यवधान) आपकी बात आ चुकी ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई भी अंकित नहीं होगा। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री):×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह सिरोही से आने वाले ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह सब कुछ ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रख दी ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री उपाध्यक्ष: अब सरकार की तरफ से जवाब आना था, सरकार ने जवाब कह दिया। अब आगे नहीं चलेगा ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्री जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठिये आप ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप हरिजनों के नाम पर कोई हंगामा ही करना चाहते हैं, आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं और हरिजनों का नाम लेकर के हंगामा करना है तो यह गलत बात है। माननीय सदस्य, यह गलत बात है आपकी, मत कीजिये... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात रख दी और भी बहुत से मौके मिलेंगे आपको अपनी बात रखने के, आपको समय दिया है इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे अब ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको जो समय दिया है, दो मिनट का, उसका दुरुपयोग नहीं करने देंगे, यह गलत बात है आपकी ...(व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी और जवाब आ गया सरकार की तरफ से, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा इसमें ...(व्यवधान) नहीं होगी, सही बात है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी, बोलिये आप, माननीय सदस्य, आप बैठिये, मैंने दूसरे सदस्य का नाम ले लिया है ...(व्यवधान) आप अकेले ही नहीं हैं यहां पर ...(व्यवधान) माननीय सदस्य दूसरे सदस्य को भी ...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगी... (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका ...(व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप सदन का समय जाया कर रहे हैं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार ने जो आवश्यक समझा वह जवाब दे दिया है ...(व्यवधान) आप अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो नहीं होंगे ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन के दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका गंवा रहे हैं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने अमरारामजी का नाम पुकार लिया है। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये ...(व्यवधान) आप सदन का समय दुरूपयोग करके दूसरे सदस्यों के बोलने का समय कम कर रहे हैं, यह गलत बात है। आसन ने कह दिया, बैठ जायें ...(व्यवधान) आपकी बात सुन ली, अब अमरारामजी ...(व्यवधान) अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी आपका अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन की परवाह नहीं कर रहे हैं यह सहन नहीं होगा ...(व्यवधान) बैठ जायें आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब नहीं सुनना चाहते हैं यह ...(व्यवधान) जवाब नहीं सुनना है आपको ...(व्यवधान) यह स्थान ही ग्रहण नहीं करेंगे तो कौन देगा जवाब ...(व्यवधान) यह बैठें तो सही पहले, बैठें आप ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब तक आप नहीं बैठेंगे ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: जब तक आप नहीं बैठेंगे ...(व्यवधान) आप कोई जवाब नहीं सुनना चाहते हो ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया ना जवाब ...(व्यवधान) वह दे देंगे आवश्यकता होगी तो, दे देंगे जवाब ...(व्यवधान) कोई मजबूरी थोड़े ही है, कोई मजबूरी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई मजबूरी नहीं है, यह परंपरा नहीं है सदन की... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन की परम्परा नहीं रही है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: उनकी इच्छा होगी तो जवाब दे देंगे ...(व्यवधान) आप मजबूर नहीं कर सकते हैं जवाब देने के लिए ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मजबूर नहीं कर सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि इस पर चर्चा नहीं हो रही है, विस्तृत चर्चा नहीं हो रही है, जवाब इसके ऊपर अभी देना आवश्यक नहीं है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं ...(व्यवधान) कोई बाध्यता नहीं है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका भी अंकित नहीं हो रहा है... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये... (व्यवधान) माननीय सदस्य, सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है ... (व्यवधान) आप संतुष्ट नहीं होंगे तो नहीं होंगे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य, आप देखें इस बारे में नहीं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका विषय नहीं है। श्री अमराराम जी)... व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार को जो आवश्यक था वह जवाब दे दिया इन्होंने ...(व्यवधान) अब कोई आवश्यक नहीं है ...(व्यवधान) जब इनकी मांग पर वाद-विवाद होगा तब पूछ लेना यह सवाल, तब वह जवाब देंगें ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री उपाध्यक्ष: कौन रोक रहा है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता ,प्रतिपक्ष): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):... ×××(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम धोद। ...(व्यवधान) हम अच्छी तरह से जानते हैं माननीय सदस्य, यह सदन अच्छी तरह से जानता है। आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, आपका सवाल नहीं है यहां पर, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। आसन ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, मैंने अमरारामजी का नाम पुकारा है। माननीय सदस्य, आपका अंकित कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दो मिनट की चर्चा के लिए समय दिया गया था, माननीय सदस्य ने अपनी बात रख दी इसलिए आप इस बारे में बाध्य नहीं कर सकते कि डेफिनेट कोई जवाब आज ही दे दिया जाए।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपका अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, श्री अमरारामजी।

जे. के. ग्रुप कोटा के कारखाने को अराफत ग्रुप द्वारा न चलाने से उत्पन्न स्थिति

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जे के सिंथेटिक उद्योग समूह, कोटा जिससे 1996 में पांच हजार श्रमिक सम्बन्धित थे, की ओर दिलाना चाहता हूं। जे के उद्योग के पांच कारखाने कोटा में थे, 1996 में इस उद्योग को सरकार के आदेश के बावजूद बंद कर दिया गया और 1998 में इन उद्योगों को बीमार उद्योग घोषित करके बी आई एफ आर में आई बी डी आई को इसकी रेगूलेटिंग अथोरिटी नियुक्ति किया गया। वर्ष 2000 में अराफात पेट्रो कैमिकल्स, श्रम विभाग राजस्थान और वहां के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत इन कारखानों को अराफात पेट्रो कैमिकल्स को दे दिया गया। जो भी लाइबिलिटी फाइनेंस कम्पनियों की और मजदूरों की थी वह उसको चुकानी थी और 2005 तक ग्रुप के इन पांचों कारखानों को चालू करना था, सब मजदूरों को काम पर लगाना था। लेकिन मात्र एक कारखाने को कुछ समय के लिए चलाया। इन कारखानों को 2005 तक चलाना था और उनके 5 हजार मजदूरों को रोजगार देने की आवश्यकता थी लेकिन अराफात पेट्रो कैमिकल्स ने इन बीमार उद्योगों को वापस चलाने के नाम पर राजस्थान सरकार से करोड़ों रुपये की राहत लेने के बावजूद कारखाना चलाकर, मजदूरों को रोजगार देकर और वैट के माध्यम से राजस्थान सरकार के खजाने में जो सहयोग करना चाहिए था उसके बजाय आज 2008 तक भी एक कारखाने को भी नहीं चलाया।

जिस तरह से पिछले एक महीने से क्योंकि इन कारखानों को चलाने के लिए और इस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी जिसमें कोटा के कलक्टर, एस.पी. और श्रम विभाग के अधिकारी हैं, का गठन किया ताकि श्रमिकों को रोजगार मिले, कारखाना वापस स्टार्ट हो और राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में उसका योगदान हो लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार के हाई पावर कमेटी बनाने के बाद भी उस समझौते को लागू करने के बजाय, 2005 में पांचों कारखानों को चालू करना था, चालू करने के बजाय, उन कारखानों से जो रा

(श्री अमराराम)

मैटेरियल था, जो मशीनें थीं, जो लाइबिलिटीज थी, उसको चालू करने के बजाय 125 ट्रक सामान पुलिस की निगरानी में, पुलिस की मौजूदगी में, सब मजदूरों के विरोध के बाद, लगातार वहां से रॉ मैटेरियल और मशीनें जो पांचों कारखानों की थी, उनको ले जाकर खुर्द-बुर्द करने का काम यह अराफात पेट्रो कैमिकल्स कर रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे, पांच सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने का काम एक आदमी नहीं कर सकता, सरकार की शह के बगैर खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता है, जो लाइबिलिटी मजदूरों की थी, जो लाइबिलिटी फाइनेंस कम्पनियों की थी, कारखाना चालू करके राजस्थान के खजाने में योगदान करने की बात थी वह तो दूर की बात है लेकिन जो सम्पत्ति इन पांचों कारखानों के अंदर है जो मशीनें हैं उनको ले जाकर बेचने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बुरा काम राजस्थान के लिए नहीं हो सकता।

सरकार की हाई पावर कमेटी केवल देखती रहे, हमारे गृह मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी को वहां के श्रमिकों ने ज्ञापन दिया, इन्होंने क्या इंटरवेंशन किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक वो अपने कारखानों से मशीनें निकालने में लगातार लगे हुए हैं। विभाग और सरकार उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर अराफात ग्रुप उस त्रिपक्षीय समझौते को लागू नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसके भंग करके उन कारखानों को वापस कब्जे में किया जाना चाहिए जिससे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति एक व्यक्ति नहीं ले जा सके और ऐसा सामान जो भी लेकर गया है उसको वापस लेने का काम करें और इन पांचों उद्योगों को वापस शुरू करें जिससे 5 हजार परिवार जो इससे अपनी रोजी-रोटी कमाते थे वे वापस रोजी-रोटी कमा सकें। जिन्होंने भी ऐसा काम करने में सहयोग किया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव के जरिये बात रखी है मैं निवेदन करना चाहूंगा मैं जब पहली बार उद्योग मंत्रालय संभालने के बाद कोटा गया तो यह इश्यू मेरी जानकारी में आया। श्रमिकों से भी बात हुई, वहां के प्रशासन से भी बात हुई, अमरारामजी ने यह विषय आज रखा है उससे पहले दो बार मैं वहां के श्रमिकों की यूनियन से बात कर चुका हूं। समस्या दोनों तरफ है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद यह अराफात ग्रुप जिसने इस मिल को चलाने के लिए लिया था, 7

(डा. दिगम्बर सिंह)
यूनिट इसमें है उन सातों यूनिट को चलाना था, परन्तु केवल एक यूनिट उन्होंने चलायी, एक्रेलिक यूनिट को चलाया, उसको भी बीच-बीच में कई बार बंद किया और लास्ट में उस प्लांट में आग लगने के कारण से वह बंद है। अगर अराफात ग्रुप की मंशा मिल को चलाने की नहीं है तो मैं सदन के माध्यम से आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सम्पत्ति को हम खुर्द-बुर्द बिलकुल नहीं होने देंगे। मैंने तो पहले से ही अगले सप्ताह में इस समस्या को लेकर बैठक मेरे ऑफिस में रखी हुई है और निश्चित रूप से मैं अमराराम जी को और सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि श्रमिकों के हित में, वहां के उद्योग के हित में जो भी स्टेप होंगे निश्चित रूप से मैं लूंगा, लेकिन श्रमिकों के पार्ट पर जो प्रोब्लम है वह भी मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा।

वहां करीब 300 से ज्यादा अंदर बहुत अच्छे हाउसेज बने हुए हैं। उन हाउसेज पर श्रमिकों ने कब्जा कर रखा है। जो लोग उन मकानों में रह रहे हैं उनका इंट्रेस्ट यही है कि चाहे फैक्ट्री चले या नहीं चले, यह मकान हमारे कब्जे में रहना चाहिए। यह दोनों तरह की समस्या है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगले सप्ताह में बैठक में निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही इस पर होगी।

श्री अमराराम (धोद): उद्योग मंत्रीजी, वो ही मजदूर हैं जो उस कारखाने के मजदूर थे, उनके क्वार्टर बने हुए हैं। जब 2005 तक सब कारखाने चालू करने का समझौता था तो पहली बात यह कोई प्रोब्लम नहीं है, मजदूरों ने इस कारखाने को चलाने के लिए 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी दी, जितनी मजदूरी थी उससे वन थर्ड पर डेढ़े टाइम पर मजदूरी करने का एक्सेप्ट किया है ताकि किसी तरह राजस्थान का यह सबसे बड़ा उद्योग, जिसमें 5 हजार लोग काम करते थे किसी भी तरह चले, उनकी रोजी-रोटी चले और राजस्थान के हित में हो, इन 5 हजार परिवारों के हित में हो, मजदूरों की एक परसेंट भी ऐसी मंशा नहीं थी। जहां 7 कारखाने 2005 तक चालू करने की बात थी 2008 में केवल एक एक्रेलिक कारखाना चालू किया गया उसमें भी मात्र 247 लोगों को लिया गया। आप उसमें इंटरवीन करें। मैं तो कहता हूं 125 ट्रक रा-मैटेरियल और मशीनें ले गये इसके लिए भी कोई जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं खुर्द-बुर्द नहीं करने देंगे, 125 ट्रक ले गये।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): वहां पर कलक्टर, कोटा की अध्यक्षता में कमेटी बनायी हुई है।

श्री अमराराम (धोद): कमेटी है, लेकिन कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस के संरक्षण में 125 ट्रक ले गये।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह बात बिलकुल गलत है।

श्री अमराराम (धोद): आप यह बता दें कोई भी सामान नहीं गया है, मशीनें और वहां का रा-मैटेरियल ..(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह बात बिलकुल गलत है और जो अमराराम जी कह रहे हैं कि वे श्रमिक जो उन क्वार्टरों में रहते हैं उन्होंने आज तक काम भी नहीं किया है। वहां पर वे उस जमीन को शादी के लिए किराये पर उठाते हैं, उन्होंने वहां पर पूरे मैरिज होम टाइप बना रखे हैं और जो एक माहौल कारखाने का रहना चाहिए उस माहौल को भी उन्होंने बिगाड़ रखा है। इस पर बिलकुल निष्पक्ष बात आपके सामने रखी है और मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं ..(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।.. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उद्योग मंत्रीजी, मैं आपकी इस भावना से सहमत हूं, लेकिन कोई मजदूर ऐसा नहीं है जो उन क्वार्टरों में रहता हो और उस उद्योग का कर्मचारी नहीं था।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैं जो कह रहा हूं यह बात भी हंड्रेड परसेंट सही है।

श्री अमराराम (धोद): कतई सही नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उन्होंने शादियों के लिए पूरे मण्डप बना लिये।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग रहेंगे, उनके बच्चे हैं, शादी भी होगी, मण्डप भी होगा। क्या मजदूर शादी नहीं करेगा? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): किराये पर देते हैं। (व्यवधान) खुद के बच्चों के लिए करे, परन्तु किराये के लिए मैरिज होम की तरह उसको यूज करें वह चीज अलाऊ नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर ली वह तो गैर कानूनी और 125 ट्रक सामान और मशीनों को लेकर चला गया वह कानूनी है? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं ..(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से धोद से आने वाले माननीय सदस्य को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर

(डा. दिगम्बर सिंह)

अराफात ग्रुप की मंशा उस कारखाने को चलाने की नहीं होगी तो निश्चित रूप से सरकार उसमें एक्शन लेगी और जो कुछ ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपको भी लग रहा है चलाएंगे? 2005 तक का समझौता किया सबको चलाएंगे और 2008 में हम यह बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है, हमारी मंशा है, इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अगर नहीं चलाएगा तो सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे।

श्री अमराराम (धोद): धन्यवाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भरतपुर संभाग में संस्कृत शिक्षा का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के संबंध में

श्री उपाध्यक्ष: 295 । श्री बनवारी लाल।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत भरतपुर संभाग में संस्कृत शिक्षा का संभागीय कार्यालय स्थापित कराये जाने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

राज्य में जब 6 डिवीजनल मुख्यालय कायम थे, उस समय संस्कृत शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय भी 6 संभागों में कायम किये हुए थे, किन्तु भरतपुर में नया डिवीजन हैडक्वार्टर कायम होने के बाद भी वहां संस्कृत शिक्षा का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं हुआ है, जो कि अब तक स्वत: हो जाना आवश्यक था। धौलपुर, भरतपुर जिलों की संस्कृत संस्थाओं को कोटा जाना पड़ता है जो जन सुविधा की दृष्टि से सर्वथा असंगत है।

मैं एतद्द्वारा सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भरतपुर डिवीजन के मुख्यालय पर संस्कृत शिक्षा का क्षेत्रीय कार्यालय कायम कराया जाए तथा धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों की संस्कृत संस्थाओं को उसके अधीन लाया जाए।

इसके संबंध में यह भी रेखांकित करना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा के बीकानेर संभागीय कार्यालय के अधीन सीकर तथा झुंझुनूं जिलों की संस्कृत

(श्री बनवारी लाल)

संस्थाओं को लगाया हुआ है जब कि उनका डिवीजनल मुख्यालय जयपुर है और वहां संस्कृत शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी कायम है। इस विसंगति को भी समाप्त कराया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जोधपुर संभाग के जालौर और सिरोही जिले हैं जो वहां से बहुत दूर पड़ते हैं। इसी प्रकार उदयपुर संभाग में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो उदयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र नहीं हैं। अत: राज्य के 33 जिलों की संस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाप्रद स्थानों पर उन जिलों की संस्थाओं को लगाये जाने अथवा उनके लिए उप जिला संस्कृत शिक्षाधिकारी का कार्यालय कायम किये जाने पर विचार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

हाड़ौती संभाग में वर्षा जल के संरक्षण के लिए सांगोद तहसील की सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत हाड़ौती संभाग में व्यर्थ बहते वर्षा जल व गिरते भूजल को रोकने हेतु सांगोद तहसील की सूखी नदियों को पुन: जीवित (रिवाईवल आफ रीवर्स) करने की आवश्यकता बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

हाड़ौती प्रदेश का वह भूभाग है जहां राज्य के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या जल की अपर्याप्तता है। हाड़ौती की समस्या पर्याप्त जल का अपर्याप्त संरक्षण है। हाड़ोती संभाग में औसतन वर्षा लगभग 800 मिलीमीटर है। गत एक दशक से हाड़ोती में वर्षा औसत से कम हो रही है। इस संभाग में प्रदेश की दो तिहाई नदियां स्थित हैं। हाड़ौती में बहने वाली छोटी-बड़ी नदियों की कुल लम्बाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इन नदियों में वर्षा ॠतु में प्रचुर मात्रा में पानी व्यर्थ ही बह जाता है।

आजादी से पूर्व हाड़ौती संभाग की नदियों में 9 महीने पानी बहता था। गर्मी के तीन महीनों में नदियों में प्रकृति द्वारा बने देह में पर्याप्त पानी रहता था। आज हालात इसके विपरीत हो गये हैं। अब वर्षा ॠतु में ही नदियों व तालाबों में पानी दिखाई देता है व गर्मी के आरम्भ होने से पूर्व ही सतही जल सूख जाता है। नदियों व सतही जल के सूखने के कारण हाड़ोती में पानी की कमी महसूस होने लगी है। ग्रीष्मकाल में अनेक गांवों में टैंकरों से पानी

(श्री भरत सिंह)

पहुंचाना पड़ता है व इस कार्य पर सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

झालावाड़ जिले में प्रदेश की सबसे (950एमएम) अधिक वर्षा होती है मगर जल संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में झालावाड़ जिले के लगभग सभी प्रमुख कस्बों में गर्मी के मौसम में टैंकर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। हाड़ोती संभाग में पर्याप्त सतही जल होने के बाद भी साठ के दशक में गांधीसागर, रावतभाटा व जवाहर सागर बांध के निर्माण के बाद चम्बल बेसिन के शेष बचे व्यर्थ बहते जल को रोकने पर ध्यान नहीं दिया गया है। आजादी के लगभग छह दशक बाद भी चम्बल बेसिन जल के उपयोग की हम केवल बात ही कर रहे हैं। इतने समय बाद भी चम्बल बेसिन का 3523 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चम्बल से यमुना व गंगा में होते हुए निरर्थक समुद्र में चला जाता है। जिस संभाग में 3 वृहत्, 10 मध्यम एवं लगभग 250 लघु सिंचाई परियोजनाएं चिन्हित हों उस संभाग में यदि नदियां सूखी हों व टैंकरों से पानी पहुंचाने की योजना बनानी पड़े तो यह राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश के लिए अत्यंन्त गंभीर व विचारणीय बात है व राज्य सरकार की उदासीनता का भी परिचायक है। सतही जल के संरक्षण के अभाव में आज किसान भू जल का दोहन कर रहा है व हाड़ोती के कोटा शहर को छोड़ कर सभी कस्बे व गांवों में पेयजल की मांग भू जल के दोहन से हो रही है जब कि यह व्यवस्था व्यर्थ बहते सतही जल पर आधारित होनी चाहिए।

दिनांक 23.02.2008 को दीगोद विधान सभा की सांगोद तहसील में लगभग 14,000 किसानों ने परवन नदी के सूखे पेटे में सभा करके सरकार का ध्यान व्यर्थ बहते वर्षा जल को संरक्षित करने पर केन्द्रित किया था। जल चेतना की इससे बड़ी सभा प्रदेश में किसानों के प्रयास से पूर्व में कभी नहीं हुई है। सरकार जल चेतना की केवल बात ही करे व किसानों के सुझावों पर ध्यान नहीं दे, यह जन हित में नहीं है। किसानों की मांग है कि सांगोद तहसील की सूखी नदियां कालीसिंध, परवन व उजाड़ पर इसी सत्र में कुछ स्थानों पर एनीकटों का निर्माण करवा कर सूखी नदियों को पुन: जीवित किया जावे। स्वीकृत लघु सिंचाई परियोजना आंवा, दांता, किशोरपुरा व लाडपुरा पर कार्य आरम्भ करवाएं तथा वृहत् सिंचाई योजना परवन व कालीसिंध पर भी ध्यान देकर कार्य आरम्भ करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

प्राइवेट ब्लड बैंक द्वारा जारी ब्लड संबंधी परेशानी

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मैं आपका ध्यान प्राइवेट ब्लड बैंक द्वारा दिये गये ब्लड को राजकीय चिकित्सालयों में नहीं लिये जाने से हो रही परेशानी की ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समय : 13.22 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट ब्लड बैंक स्थापित किये जाने हेतु नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्रदान कर रखी है। यह ब्लड बैंक 24 घंटे रक्त उपलब्ध करवाते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल, जनाना अस्पताल या कोई भी राजकीय चिकित्सालय जिसमें भर्ती मरीज को यदि ब्लड की आवश्यकता है और उसके पास किसी प्राइवेट ब्लड बैंक का डोनेशन का कार्ड है तो उस प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड लेकर एसएमएस हास्पिटल जाता है तो वहां के चिकित्सक उसे स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए उसके पास कोई ब्लड देने वाले और कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसे में तो मरीज की मृत्यु निश्चित है।

जब प्राइवेट ब्लड बैंक द्वारा दिया गया ब्लड संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल, जयपुर या अन्य किसी निजी अस्पताल द्वारा रूधिर मरीज को चढ़ाया जा सकता है तो फिर प्राइवेट ब्लड बैंक से लिया गया रूधिर एसएमएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा मरीज को चढ़ाने से क्यों मना किया जाता है।

जब राज्य सरकार ने राज्य में प्राइवेट ब्लड बैंक खोलने व उसे संचालित करने की अनुमति निर्धारित मापदण्डों व नियमों के अनुसार दे रखी है तो फिर प्राइवेट ब्लड बैंक का ब्लड एसएमएस हास्पिटल, जयपुर अथवा अन्य राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के लिए चिकित्सकों द्वारा क्यों नहीं चढ़ाया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे राज्य में चल रहे प्राइवेट ब्लड बैंक से मरीज के परिजनों द्वारा यदि एसएमएस हास्पिटल, जयपुर अथवा अन्य किसी राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती मरीज के लिए ब्लड लाकर दिया जाए तो उसे ब्लड चढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री खुशवीर सिंह जी।

मारवाड़ जंक्शन पर एस.डी.एम. कार्यालय खोलने विषयक

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, निवेदन है कि

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

विधान सभा क्षेत्र खारची में तहसील मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन पर एस.डी.एम. कार्यालय खोला जाना चाहिए, क्योंकि मारवाड़ जंक्शन तहसील जिले की सबसे बड़ी तहसील है जहां 48 ग्राम पंचायतें हैं, जब कि जिले में अन्य सभी तहसील मुख्यालयों पर एस.डी.एम. कार्यालय खोल दिए गए हैं। यहां तक की 25 पंचायत वाले तहसील मुख्यालय पर भी एस.डी.एम. कार्यालय खोल दिए गए हैं। हाल में एस.डी.एम. कार्यालय सोजत में होने के कारण वहां के लोगों को करीब 70 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है व वहां आवागमन के साधन भी नहीं मिलते हैं जिससे ग्रामीणों को काफी असुविधा होती है।

मेरा आपसे निवेदन है कि एस.डी.एम. कार्यालय सोजत में लगभग 70 प्रतिशत मुकदमे तहसील मारवाड़ जंक्शन के हैं। पिछली सरकार में मारवाड़ जंक्शन तहसील मुख्यालय पर नियुक्ति भी की गई थी, वहां एस.डी.एम. कार्यालय हेतु भवन भी बना हुआ है। सरकार को एस.डी.एम. कार्यालय खोलने पर किसी भी प्रकार का वित व्यय करने की भी आवश्यकता नहीं है। अत: इससे गरीब लोगों को अपने मुक़दमे निपटाने के लिए भी सहायता मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि तहसील मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन पर एस.डी.एम. कार्यालय तुरन्त खोला जाए जिससे वहां के ग्रामीणों को राहत प्रदान हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर - अनुपस्थित।

श्रीमान् वीरेन्द्र जी बेनीवाल।

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के कार्य का विकेन्द्रीकरण

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय को विकेन्द्रीकरण के नाम पर कमजोर करने के संबंध में विशेष उल्लेख।

मान्यवर, रियासतों के विलीनीकरण एवं राजस्थान के गठन के समय सरकार ने विभिन्न संभाग मुख्यालयों को तत्कालीन महाराजाओं से हुए समझौते के आधार पर विभागों का आबंटन किया था, जिसमें बीकानेर को शिक्षा का मुख्यालय आबंटित कर सभी प्रकार की शिक्षा का मुख्यालय बीकानेर रखा गया था। परन्तु धीरे-धीरे शिक्षा मुख्यालय, बीकानेर से कार्यों को तोड़ कर अलग-अलग जगह स्थानान्तरित कर दिए गए। सर्वप्रथम कालेज शिक्षा फिर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

तकनीकी शिक्षा, उसके पश्चात् संस्कृत शिक्षा के मुख्यालयों को भी बीकानेर से परिवर्तित कर अन्यत्र स्थापित कर दिया गया। आज की स्थिति यह है कि बीकानेर में सिर्फ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय ही रह गया है जिसे भी कार्यों के विकेन्द्रीकरण के नाम पर कमजोर किया जा रहा है। इसके तहत मान्यता का काम हो या डाइट का नियंत्रण, समाज शिक्षा का कार्य हो या पुस्तकालयों का नियंत्रण विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य आयुक्तालय से हटा लिए गए हैं।

वर्ष 1999-2000 में प्रस्तुत बजट भाषण में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से आठवीं कक्षा का राज्य में समान पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन पद्धति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड/आठवीं कक्षा बोर्ड स्थापित कर मुख्यालय बीकानेर में रखने की घोषणा की गई थी जिसकी भी आज दिनांक तक पूर्ति नहीं हो पाई है जब कि यह कार्य पंजीयक शिक्षा, विभागीय परीक्षाएं बीकानेर से करवाने पर सरकार को अतिरिक्त व्यय भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जमीन, भवन एवं स्टाफ की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

अत: मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय तत्काल प्रभाव से सदन में पूर्व में हुई घोषणानुसार जिला बीकानेर में आठवीं बोर्ड स्थापित करने एवं विकेन्द्रीकरण के नाम पर आयुक्तालयों से हटाए जा रहे कार्यों को रोकते हुए शिक्षा आयुक्तालयों में बीकानेर से कार्यों के लिए किए जा रहे बंटवारे को रोकते हुए पूर्व में हटाए गए कार्यों को पुन: आयुक्तालयों से ही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मोहन लाल जी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में चिकित्सा व्यवस्था का विस्तार करने के संबंध में।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत दुर्गति है, 295 पर आना पड़ा, साहब, इससे ज्यादा क्या दुर्गति होगी? (व्यवधान) आपने इनकी दुर्गति 295 के लिए कर दी है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सद्गति है, आपकी दुर्गति तो कल हो गई। (व्यवधान) जहां पर 50 हजार लोग ही नहीं आए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 295 बोलने वाले माननीय सदस्य की कोई दुर्गति होती है क्या ? सदन के नियम हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक महापौर रहा हुआ जयपुर का। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कालीचरणजी इनसे सीनियर हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सीनियर तो आपसे भी बहुत ज्यादा हैं इसलिए मुख्य मंत्री बने हुए हैं वे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, दुर्गति तो कल आपकी हो गई, जनता ने कर दी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो मंत्री हैं, कैसी बातें कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इतनी बड़ी उपलब्धियों की बात जो कालीचरणजी गिना रहे थे तो आप सीनियर नहीं थे क्या, यह दुर्गति क्यों हुई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो मेरा यह सौभाग्य है न कि मेरा विभाग जिसके पास हो, मेरी बातें गिना रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन्होंने ओथ लेने के बाद जो प्रेस स्टेटमेंट दिया था वह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा आपने ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, वह आपके लिए था। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 10 परसेंट पर ही था वह मामला, 8 परसेंट पर नहीं था।

श्री सभापति: बिराजें आप। हां, माननीय गुप्ताजी।

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में सुधार

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में स्थित विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों की चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार करने की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित विद्याधर नगर जो कि विशाल भू भाग पर बसा हुआ है, जिसमें वर्तमान में कोई भी राजकीय चिकित्सालय नहीं है

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

इसलिए इस क्षेत्र की विस्तृतता को देखते हुए यहां राजकीय चिकित्सालय खोला जाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित हरिबक्स कांवटिया जिला चिकित्सालय, शास्त्री नगर में गायनी के कई चिकित्सक पदस्थापित हैं लेकिन इस चिकित्सालय में नवजात बच्चों हेतु गहन चिकित्सा इकाई एवं ब्लड बैंक नहीं होने के कारण मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने कई बार विभाग को पत्र लिख कर इस चिकित्सालय की चिकित्सा सुविधाओं की कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे यहां पर यह भी उल्लेख करना है कि अष्टम सत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में विभाग ने उल्लेख किया था कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में कांवटिया चिकित्सालय का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ विशेषज्ञ पैथोलोजी, नेत्र रोग, ईएनटी एवं मनोरोग के पद सृजित किया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन विभाग ने आज तक इन पदों का सृजन नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के असत्य उत्तर देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए और अविलम्ब इन पदों का सृजन कांवटिया जिला चिकित्सालय में किया जाए।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय के भवन में चिकित्सा सुविधाओं के और विस्तार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण मरीजों को समुचित चिकित्सा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए मैंने विभाग को सिंधी कालोनी, बनीपार्क स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र जो कि बड़े भू-भाग पर स्थित है, के स्थान पर बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय का भवन बना कर स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया था एवं बार-बार मैंने इस संबंध में विभाग को पत्र लिखे, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई रुचि नहीं ली जा रही है और इसी कारण आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

श्री सभापति: श्री केसर देव बाबर।

लोसल (सीकर) स्थित श्री बद्रीनारायण सोढाणी राजकीय चिकित्सालय का सिटी डिस्पेंसरी के रूप में संचालन

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री केसर देव बाबर)

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से श्री बद्रीनारायण सोढाणी राजकीय चिकित्सालय, लोसल (सीकर) को सिटी डिस्पेंसरी के रूप में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि लोसल कस्बे एवं आस-पास के क्षेत्र की जनता की चिकित्सीय सेवा भावना से प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवी श्री बद्रीनारायण सोढाणी की स्मृति में श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन, लोसल का निर्माण लोसल कस्बे के मध्य में भामाशाहों द्वारा करवाया गया एवं सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन बना।

राज्य सरकार के पत्रांक 13/117/चि.स्वा./2/2000 दिनांक 13.7.2000 के द्वारा इस भवन में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं पी.पी. सेन्टर भी स्थानांतरित कर दिया गया परन्तु इसके पश्चात् प्रसवोत्तर केन्द्र के अन्तर्गत समाप्त हुए पदों का समायोजन करने हेतु मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, लोसल में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया गया जब कि श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन शहर के मध्यम में स्थित है। उक्त भवन का मूल्यांकन लगभग पचास लाख रुपये का है। भवन में 24 बड़े लेबर रूम, जनरेटर, एक्सरे मशीन, लेबोरेट्री एवं आवास गृह आदि की सम्पूर्ण व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। चिकित्सकों के पदस्थापन के अभाव में लोसल कस्बा एवं आस-पास के क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है एवं साथ ही भामाशाहों ने भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है एवं महान स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्रीनारायणजी सोढाणी की दिवंगत आत्मा का अपमान माना है।

अतएव मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि क्षेत्रवासियों के रोष एवं भामाशाहों की भावना का ध्यान रखते हुए इस चिकित्सा सदन में चिकित्सक लगाये जाएं एवं इसे सिटी डिस्पेंसरी या जनाना अस्पताल बनाकर आवश्यक समस्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती प्रतिभा सिंह।

मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित रहे मृतक अध्यापकों के आश्रितों

(श्री प्रतिभा सिंह)

को पंचायती राज सेवा में मंत्रालयिक पदों पर अनुकम्पा पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति का प्रावधान है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनूं के पत्रांक 324 दिनांक 19.5.2007 द्वारा उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू के पत्रांक उ.नि.शि./ प्रा.शि./चूरू/संस्था/2/204/6/875 दिनांक 15.5.2007 की पालना में आठ मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को जिला परिषद् की स्थापना समिति में विचार करके नौकरी देने के लिए प्रस्ताव भिजवाये गये थे। जिला परिषद्, झुन्झुनूं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रकरण को स्थापना समिति में विचारार्थ नहीं रखकर कार्यालय जिला परिषद्, झुन्झुनूं के पत्रांक 12643 दिनांक 16.10.07 द्वारा आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. सचिवालय, जयपुर को मार्गदर्शन हेतु भेज दिया गया।

मान्यवर, राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य प्रणाली बहुत ही विडम्बनापूर्ण है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं के पत्र क्रमांक 324 दिनांक 19.5.2007 का अवलोकन किया तो बहुत अफसोस हुआ कि 2004 में आवेदन करने वाले मृतक पंचायत राज अध्यापकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति आज तक भी नहीं दी गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शिक्षा), झुन्झुनूं के पत्रांक 324 दिनांक 19.5.07 में उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम बुगाला के श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय समन्त सिंह, निवासी ग्राम बुगाला सहित कुल आठ मृतक पंचायती राज अध्यापकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

पिड़ावा में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय की स्थापना

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत पिड़ावा नगर (झालावाड़) में सहायक अभियंता कार्यालय (विद्युत) खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) नगरपालिका क्षेत्र है, तहसील मुख्यालय है, उप खण्ड मुख्यालय है और लगभग 14-15 हजार की आबादी वाला कस्बा है लेकिन यहां अभी तक कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) का ही कार्यालय स्थित है। पिड़ावा के आस-पास की लगभग

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)
15 ग्राम पंचायतों के लोगों का सभी प्रकार के कार्यों की पूर्ति हेतु पिड़ावा नगर में ही आना जाना होता है। वर्तमान में पिड़ावा एवं पिड़ावा के आस-पास के सभी गांवों हेतु सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय सुनेल नगर में स्थित है जिसकी अंतिम ग्राम से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इसकी वजह से किसानों एवं सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विद्युतीय कार्य निपटाने के लिए 35-40 किलोमीटर चल कर आना पड़ता है। विभाग ने एक सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय पिड़ावा में खोले जाने हेतु विभाग को प्रपोजल बनाकर एक वर्ष पूर्व ही भिजवा रखे हैं और क्षेत्र के लोग काफी समय से पिड़ावा में उक्त कार्यालय खोले जाने हेतु मांग करते आ रहे हैं।

अत: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदया और विद्युत मंत्री महोदय से पिड़ावा नगर में सहायक अभियंता कार्यालय (विद्युत) खोले जाने हेतु आग्रह करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मांगीलाल गरासिया।

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में पंचायतों का पुनर्गठन

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बड़ी पंचायतों का पुनर्गठन कर नये सीमांकन के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत भौगोलिक दृष्टि से व बिखरी आबादी के हिसाब से बहुत बड़े क्षेत्रफल विस्तार में फैली हुई बड़ी पंचायतें हैं। पंचायत मुख्यालय पर आने जाने पर व सही संचालन कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की बड़ी पंचायत मेवाड़ों का मठ, डांग, बोखाडा, सेमड, गागरूद, पडावली खुद, पडावली कलां, चित्रावास, रावछ, समीजा, सामोली, मेरपुर, मालवा का चोरा, क्यारी, चोखावडी, ब्राह्मणों का कलवाना आदि पंचायतों का पुनर्सीमांकन कर नई पंचायतों का गठन कराये जाने की महत्ती आवश्यकता है।

अत: मेरा सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि प्राथमिकता प्रदान करावें। इसके साथ ही नई तहसील सायरा पुनर्गठन में बनाये जाने की भी कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुशील कटारा।

चिखली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं

(श्री सुशील कटारा)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली जिला डूंगरपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का आदेश प्रदान करावें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिखली क्षेत्र में 29 ग्राम पंचायतें आती हैं और इस क्षेत्र में 70000 के लगभग जनसंख्या निवास करती है। उस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, गुजरात जाना पड़ता है। चिखली क्षेत्र की शत-प्रतिशत जनसंख्या लगभग अनुसूचित जनजाति की है। आस-पास में कोई अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौजूद नहीं है। चिखली से अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी 50 से 70 किलोमीटर दूर पड़ती है।

अत: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराने का आदेश प्रदान करावें। धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा दिये गये ऋण वसूली में छूट विषयक

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। के.डी. बाबर साहब।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना 31.12.1970 को हुई। इस संस्था ने जो गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनको आवास के लिए लोन देना शुरू किया। सन् 1971 से लेकर 1993 के मध्य इन्होंने राज्य के ग्रामीण लोगों को सस्ती ब्याज पर आवास ऋण दिया परन्तु जिनको लोन दिया, वे अत्यन्त गरीब थे, उनकी जीविका का कोई साधन नहीं था, वे लोन चुका नहीं सके। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि उनको भी जैसे घरौंदा योजना है, इस योजना के तहत कोई उनको सुविधा हो कि उनका जो दण्डनीय ब्याज है, उसकी छूट हो और जो मूल रकम है वह लेने के आदेश प्रदान करे सरकार। मुख्य बात इसमें यह है कि एस.सी. एस.टी. को अधिकतर लोन दिया

(श्री केसर देव बाबर)
गया है, जिसमें पूरे प्रदेश में 28.70 करोड़ रुपये एस.सी. एस.टी. को दिया गया है और 21.30 करोड़ रुपये सामान्य लोगों को दिये गये हैं इसलिए जो यह एस.सी. एस.टी. के लोग हैं, ये अत्यन्त गरीब हैं, वे पैसा चुका नहीं सकते, समय-समय पर इनको तंग करते हैं, कुर्की का वारंट जाता है, इनके जो मकान हैं, उनको नीलाम करने की कार्यवाही की जाती है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में 60,000 करोड़ रुपये के लोन माफी की योजना चलाई है। यदि इसमें ये शामिल होते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसलिए आपसे मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि इनकी लोन माफी हो या कोई ऐसी योजना चलाकर या घरौंदा योजना जैसी योजना हो कोई और इनको सहायता प्रदान करें।

दूसरा, यह जो राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड जयपुर है, यह बन्द होने के कगार पर है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है और यह भारतीय जीवन बीमा निगम से लोन लेकर गरीबों को लोन वितरित करती है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वह गारंटी भी राजस्थान सरकार चालू करे। गारंटी की एवज में ये इस संस्था से 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष ले रहे हैं और वह संस्था बराबर दे रही है इसलिए आपके माध्यम से मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि उसको गारंटी चालू करें ताकि ये गरीब जो सस्ती दर पर लोन ले रहे हैं, उनको लोन मिल सके और गरीब को राहत पहुंच सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल वर्मा।

कोटा, टोंक आदि स्थानों में बस सेवा

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में रोड तो काफी बन गये हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को जिन्होंने जहां-जहां भी मैंने आग्रह किया, वहां रोड स्वीकृत करवाये और वे रोड बना दिये गये हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने पुराने वाहन जैसे बस, ट्रक जो सात वर्षों तक ग्रीन टैक्स नहीं लगता था, उनकी अवधि पांच वर्ष करके एक सराहनीय कार्य किया है जिससे प्रदूषण में कमी आयेगी क्योंकि धड़ल्ले से पुराने वाहन जो चलते थे, उनसे प्रदूषण फैलता था और यही नहीं, पहले 200 रुपये का ग्रीन टैक्स लगता था, अब 500 रुपये कर दिया गया है। इससे राजस्व आय में भी बढ़ोतरी होगी और यह जो बढ़ोत्तरी की जाएगी और इससे आय होगी, वह पर्यावरण सुधार में काम आयेगी तथा जन स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम लिया जायेगा। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: इसके बारे में पर्ची थी क्या? कोटा, टोंक, इटावा, सवाई माधोपुर बस सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में थी। आप वही बात बोलें पहले। चलो।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): मैं वही आ रहा हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। जो पुराने वाहन नष्ट हो चुके हैं, उन पर भी अब तक टैक्स लगता था, उनका टैक्स अगर 2008-2009 तक जमा करा देते हैं तो 31.3.2009 तक बकाया राशि जमा करके पंजीकरण निरस्त कराया जा सकता है। इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। मूल बात मेरे क्षेत्र की यह है कि बारां से इटावा-खातौली-सवाई माधोपुर होते हुए टोंक बस जाया करती थी। इस बस को करीब दो साल से बन्द कर दिया गया है जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को 80 किलोमीटर ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है। अगर यह बस चालू हो जाती है वापस तो काफी लोगों को सुविधा मिलेगी, समय और धन की भी बचत होगी।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि यह बस जो बारां से चलनी है और कोटा से भी एक बस चला दी जाये टोंक तक वाया सवाई माधोपुर तो काफी लोगों को फायदा मिलेगा। माननीय मंत्रीजी से मैंने पहले निवेदन किया था। आपने अधिकारियों को दो पत्र भी लिखे लेकिन उसकी कोई क्रियान्विति नहीं हुई।

एक मेरा निवेदन है कि कोटा से बमोलिया बस चलती है, इस बस को राजपुरा तक अगर बढ़ा दिया जाता है, पक्की रोड बन गई है, बढ़ाया जाता है तो लोगों को फायदा मिलेगा। मेरा यही निवेदन है। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमान् रामप्रतापजी कासनिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, कल जो रैली इनकी फ्लाप हो गई, प्रतिपक्ष की ओर से इसलिए कोई माननीय सदस्य नहीं बैठे हैं और ये बड़े दु:खी हो रहे हैं। इनको आप आश्वासन दें।

श्री सभापति: बिराजिये आप। इनका काम वो जाने। आप बिराजिये पहले। जबरदस्ती don't invite trouble.

हनुमानगढ़ व गंगानगर में डी.पी.ई.पी. के कार्यों में कथित अनियमितताएं

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में डी.पी.ई.पी. और एस.एस.ए. के माध्यम से जो निर्माण

(श्री रामप्रताप कासनिया)
कार्य हो रहे हैं, उनमें धांधली हुई है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और ये धांधली कोई अब पैदा हो गई है, ऐसी बात नहीं है। सन् 2001 से लेकर आज दिन तक यह दीमक मेरे जिले में लगी हुई है और यह कार्य ए.ईएन. जे.ईएन., इनके माध्यम से करवाया जाता है। एक ए.ईएन. हनुमानगढ़ जिले में है। एक ब्लाक हनुमानगढ़ का जो प्रभारी है जे.ईएन., इन दोनों ने विशेष रूप से हनुमानगढ़ जिले के अन्दर जो अपने कार्यकाल में काम करवाये हैं, उनका बखान तो मैं आगे करूंगा पर सभापति महोदय, इन दोनों अभियन्ताओं का स्थानान्तरण हो चुका था, स्थानान्तरण होने के बावजूद, उच्चाधिकारियों ने इनको रिलीव होकर अपने मूल विभाग में कार्य ज्वाइन करने के लिए आदेश दिये थे, उनकी पालना नहीं की गई। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनके साथ में जिन अभियन्ताओं के स्थानान्तरण हुए, वे काफी लोग रिलीव हुए हैं। जैसे गंगानगर जिले में छह अभियन्ता रिलीव हुए हैं। ज्यादा दूर की तो मैं जानकारी नहीं रखता, पर बीकानेर-चूरू, यहां से इनके साथ में जो स्थानान्तरण हुए, वे रिलीव हुए हैं।

सभापति महोदय, इन्होंने अपने कार्यकाल में 2001 से 2008 तक 44-45 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य करवाये हैं और निर्माण कार्य कराने के लिए अध्यापकों का जिले में एक ग्रुप बना रखा है। उनकी मर्जी आये, जो उनसे सैटिंग करे, उस अध्यापक को वे नोमिनेट ही करते हैं यानी उसको एस.एस.ए. के माध्यम से नियुक्ति उसी अध्यापक की होती है जिसको वे ए.ईएन. जे.ईएन. चाहे। इसके अलावा जो अध्यापक उनसे सांठ-गांठ नहीं करता, उनसे निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता। एक सैकण्ड में उनकी मर्जी नहीं हो तो हटा दिया जाता है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 13 विद्यालय हनुमानगढ़ में भवन रहित हैं, वे भवन आज दिन तक नहीं बनाये। मेरी जानकारी में पहले आठ थे, आज मुझे सूचना आई है कि 13 विद्यालय भवन विहीन हैं, जिनमें आज दिन भवन नहीं बने। इतना ही नहीं, जे.ईएन. ने अपने चहेते हुए एक ठेकेदार को पूरे अपने कार्य क्षेत्र में जिले में कार्य करवाने के लिए ठेके का सारा काम दिया गया है। यह एस.डी.एम.सी. के माध्यम से एक कमेटी बनती है।

जिसमें अध्यापक और एक प्रतिनिधि एमएलए भी नियुक्त करता है। सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इतना बड़ा निर्माण कार्य हुआ है और ब्लाक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व है कि एमएलए से सूची लेकर के एक व्यक्ति उनकी तरफ से नोमिनेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं

(श्री रामप्रताप कासनिया)

हुआ है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने आज तक 44 करोड़ रुपये के जो काम करवाये हैं इनके लिए कोई जी शिड्यूल नहीं है, निर्माण कार्य के लिए कोई प्रस्ताव नहीं, कोई रोकड़ पंजिका नहीं, कोई मस्टररोल पंजिका नहीं है। जेईएन अपना ट्यूर प्रोग्राम, सभापति महोदय, आप जानते हो कि आजकल सारा काम मोबाइल के माध्यम से होने लग गया है और इन महाशयों ने एक-एक दिन के ट्यूर प्रोग्राम में ढाई-ढाई सौ, तीन-तीन सौ किलोमीटर मोटर साइकिल पर चलना बताया है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अभियन्ता टेलीफोन के माध्यम से, सारे काम ठेकेदार को टेलीफोन से दिये जाते हैं और जो कमेटी बनी हुई है वह नाममात्र की कमेटी है। इस बात की जांच करवाई जा सकती है कि गांवों में जो कमेटी बनी हुई है उससे पूरी जानकारी करवा ली जाय, छानबीन करवा ली जाय कि आपके क्षेत्र में कितने कार्य हुए हैं, क्या-क्या कार्य हुए हैं तो वह नहीं बता पायेंगे। इसमें समिति में दो प्रतिशत, सभापति महोदय, एस्टीमेट 65 लाख का है तो दस हजार रुपये खर्च करने का भी प्रोवीजन है, कंटीजेंसी कहते हैं पढ़े-लिखे, इमरजेंसी कोई खर्च करना पड़े, तो सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि दो प्रतिशत पैसा, गांव के व्यक्ति को यह पता नहीं है कि कितना पैसा किस चीज में खर्च हो रहा है और उसके नाम से दो प्रतिशत राशि उस निर्माण कार्य में से काट ली जाती है यानि खर्च होना दिखाई जाती है कागजों में। सभापति महोदय, एईएन और जेईएन दो-दो महीने तक गैर हाजिर रहे और हाजिरी रजिस्टर में टी यानि ट्यूर पर गये हुए हैं और फिर आने के बाद में महीने-महीने, दो-दो महीने बाद वहां आकर ट्यूर प्रोग्राम दिखा दिये जाते हैं और बिल पास हो जाते हैं। बिल के लिए तो एक-एक गांव की डिटेल देनी पड़ती है कि फलां तारीख में मैं इस गांव से चलकर यहां आया, यहां आया, इतने किलोमीटर, एक-एक डिटेल ट्यूर प्रोग्राम की दी जाती है। सभापति महोदय, कोई डिटेल नहीं है, आंख मींचकर इनके टीए बिल पास कर दिये गये। सभापति महोदय, दो सिस्टम हैं निर्माण कार्यों के। एक तो विभागीय कोई समिति है, या कोई पहले से ही अंकित होता है, कम्प्यूटर में फीड होता है सारा प्रोग्राम पूरे जिले के कार्यों का कि कौन-कौन से विद्यालय में क्या-क्या सुविधा है, कौन से में क्या नहीं है, कहां क्या बनाने की आवश्यकता है, वह सारी डिटेल कम्प्यूटर में पहले से ही फीड कर ली जाती है। एक तो निर्माण कार्य उससे, क्रम संख्या के हिसाब से जरूरत के मुताबिक होते हैं, दूसरा सभापति महोदय...

श्री सभापति: कासनियाजी, एक मिनट, मैं आपको टोकना नहीं चाहता पर निर्माण कार्यों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में बात थी, वहां आएं तो ठीक है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): वही बता रहा हूं मैं। वहां आ रहा हूं। थोड़ा पढ़ा-लिखा कम हूं इसलिए थोड़ी त्रुटि हो जाती है।

श्री सभापति: नहीं, आप बहुत पढ़े-लिखे हो, ज्ञानी हो आप तो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): निर्माण कार्यों में धांधली की तरफ भी अभी मैं आ रहा हूं पर अभी मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक जिला परिषद के अंदर गवर्निंग कौंसिल जिसमें एमएलए, प्रधान और प्रमुख, इनकी भी एक समिति है वह भी इन निर्माण कार्यों की सूची बनाकर देती है। तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो जो सरकार ने लिस्ट बनाई और जो जिला पारिषद के अंदर लिस्ट हुई उससे भिन्न रूप से निर्माण कार्य किये गये हैं और निर्माण कार्यों में सभापति महोदय, जैसे एक गांव में एक कमरा स्वीकृत किया, उनका वहां मन लग गया तो वहां चार कमरे बिना स्वीकृति के ही और निर्माण करवा दिये। एक की जगह दो-दो, तीन-तीन एक्स्ट्रा। सभापति महोदय, इतना तो किया सो किया, पर किचन शेड थे, जैसे हमारे जिले में 701 किचन शेड बनने चाहिए थे उसके अगेंस्ट में 505 बनाये और कई दिनों से शिकायत चल रही थी कि निर्माण कार्य करवाया ही नहीं और आपने 196 के पैसा उठा लिया। यानि 701 के मुकाबले 505 का निर्माण कार्य किया और यह शिकायत आई एडीएम साहब, कलक्टर साहब के पास...

श्री सभापति: मोबाइल किसका बज रहा है? बंद करिये इसको। यह क्या तरीका है?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): शिकायत आने के बाद में यह कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता...

श्री सभापति: आपके इधर मोबाइल बज रहा है, स्विच आफ करिये।

श्री रिछपाल मिर्धा (डेगाना): सभापति महोदय, अभी भी बोल रहा है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, शिकायत होने के बाद में इन्होंने क्या गुल खिलाये, इन्होंने जो 196 किचन शेड नहीं बनाये उनकी संशोधित स्वीकृति, शिकायत होने के बाद में, संशोधित स्वीकृति कमरों के नाम से क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था, पच नहीं पाया, शिकायत हो गई और इसको

(श्री रामप्रताप कासनिया)

सही साबित करने के लिए संशोधित स्वीकृति और इसी तरह से जैसे निर्माण एक कमरे का होना है तो वहां तीन और करवा दिये या दो करवा दिये तो संशोधित स्वीकृति इनके हाथ में ही है। मर्जी आये तब संशोधित निकाल देते हैं, मर्जी आये तब संशोधित आदेश निकाल देते हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, 942 शौचालय हनुमानगढ़ जिले में टोटल बनने थे। यह सारे के सारे काशीराम, नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए, एक कोई यादव ठेकेदार है, उसके माध्यम से बनवाये गये। सभापति महोदय, कोई रिकार्ड में अंकन नहीं है कि कौन से विद्यालय में चार शौचालय बने। जैसे शौचालय पहले से बने हुए हैं और ठेकेदारजी ने जाकर उन पर थोड़ी सी कली लगाकर पुराने बने हुए शौचालयों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): दो माननीय सदस्य ही बचे हैं, बस। (व्यवधान) गिनती कर लो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, बहुत मुश्किल से तो आप नम्बर आने देते हो, तीन दिन से यह पर्ची लगी हुई है।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये आप, बोलिये।

एक माननीय सदस्य: आप लगे रहो न।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं लगा तो रहूंगा पर यह बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं न। रैम्प, विद्यालयों के अंदर जो रैम्प बनाये जाते हैं, सभापति महोदय, उनके लिए 240 रैम्प स्वीकृत हुए थे गत वर्ष और प्रति विद्यालय दस हजार रुपये स्वीकृत, कितने बने, कितने नहीं बने, जेईएन ने ढाई हजार रुपये प्रति रैम्प के हिसाब से, जेईएन सीधे पैसा नहीं उठाता है, इस बात से भी मैं परिचित हूं, वह बीच में समिति फिर आती है, वह बहाना होता है उस समिति के हैं। पैसे उठाने में कही भी इनका कोई वह नहीं आता है, रिकार्ड में वही बात जाती है उस समिति पर। ढाई हजार रुपये प्रति रैम्प के हिसाब से उठा लिये और सभापति महोदय, कितने बने, कितने नहीं बने, इसका कोई उल्लेख नहीं है। एईएन और जेईएन के बीच में इस बात को लेकर के झगड़ा और हुआ है, मैं यह बता दूं, इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनके आपस में लेनदेन के लिए झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ और एसआईटी बुक छपी थी, प्रत्येक निर्माण कार्यस्थल पर इसको रखा जाना चाहिए था, बुक छप गई पर बुक का पता ही नहीं है, कहां काम ली है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, भगवान जाने। मतलब इतना सभापति महोदय, आप कह रहे थे वित्य

(श्री रामप्रताप कासनिया)

अनियमितताएं, यह वित्तीय अनियमितता नहीं है तो और क्या है। क्वालिटी की तरफ तो अभी तक मैं पूरा जब तक कोई चीज की मैं जांच नहीं कर लूं तब तक यह बहुत पवित्र सदन है, क्वालिटी के बारे में भी कई जगह देखा है मैंने, घटिया, इतना घटिया नहीं है पर है। क्योंकि एक-दो स्थानों पर मैं गया हूं पर क्वालिटी में भी मेरा यह कहना है कि जिस तरह का बजट पीडब्लूडी और पंचायत समिति से ऊपर इनका बजट भी सबसे ज्यादा है। यानि हम जो कमरा पीडब्लूडी के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से एक लाख में बनाते हैं तो शायद लगभग पच्चीस-तीस प्रतिशत इनका अमाउंट ज्यादा होता है। सभापति महोदय, डीपीईपी व एसएसए की शिकायत कलक्टर के यहां हुई। एडीएम साहब ने जांच की और जांच करने के बाद में उस फाइल पर दोषी माना और सभापति महोदय, फाइल फिर कलक्टर साहब के पास गई। कलक्टर साहब ने भी उनको कारण बताओ नोटिस दिये। आज हालत यह है कि उस फाइल की तलाश करें तो वह भी नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिकायत की भनक उनको पहले ही लग गई, पहले लग गई इसलिए पिछले दो साल से लगातार इसका सुधार कर रहे हैं और अब 3 दिन पर्ची लगे हुए हो गई तो इस बात की एक-एक चीज की उनको जानकारी लग गई और उत्तर भी शायद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मंत्री महोदय उनकी बातों में नहीं आएंगे...

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की धांधली और मेरा कोई यह भी आशय नहीं है कि सरकार करवा रही हो, पूर्ववर्ती 2001 के समय की बात बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप बड़े ही अनुभवी और शिक्षित मंत्रीजी हैं, मैं यह आशा रखता हूं कि सर्वप्रथम तो आप इनको यहां से तुरन्त हटाने का काम करेंगे और दूसरा जांच करवाने का काम करेंगे। जांच में जो प्रमाण, जो भी कोई बात देनी होगी, पेश करनी होगी मैं करुंगा पर मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की दादागिरी मैं तो इसको कहता हूं तानाशाही 2001 से आज 2008 है, सभापति महोदय इनके अलावा क्या राजस्थान सरकार के पास कोई दूसरे कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता नहीं है? क्या इनकी यहां बापोती है? यह कहना माननीय सभापति महोदय, इनके बिना काम नहीं चलता तो राजस्थान कैसे

(श्री रामप्रताप कासनिया)

चलेगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय यह आशा करता हूं कि...

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप उनको तुरन्त रिलीव करके, इनकी जांच कराने का काम करेंगे और मैंने जो बात उठायी है जनता की गाढ़े खून-पसीने की जो कमाई है उसमें इन लोगों ने धांधली की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए यह निवेदन करना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो यहां पर जानकारी दी है मुझे ऐसा लगता है कि आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर आपने यहां जानकारी दी है। आपने एक बात तो यह कही कि इन जेईएन और एईएन को रिलीव करने के बाद वह गये नहीं तो मैं आपको जानकारी दे दूं सर्व शिक्षा अभियान में जल संसाधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 81 जेईएन लगे हुए हैं और जल संसाधन विभाग ने पुन: प्रतिनियुक्ति उनकी समाप्त कर मूल विभाग में प्रेषित किए जाने के लिए लिखा था परन्तु सर्व शिक्षा अभियान में उनके स्थान पर सिविल कंसलटेंट या कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको कार्यमुक्त करने पर असमर्थता वक्त की थी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय परमेश चन्द्रजी की अध्यक्षता में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की मीटिंग हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जून, 2008 तक इनकी कहीं भी प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की जाए इसलिए उनको वहां से नहीं हटाया नम्बर एक।

दूसरी शिकायत आपने वहां जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें धांधली हुई है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्रीय सरकार की गाइड लाइन है और उसके आधार पर जो निर्माण कार्य होते हैं वह विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति है, जिसको एसडीएमसी बोलते हैं, उसमें निर्माण सामग्री और मजदूरी का रिकार्ड भी सारा रखा जाता है। तो यहां जो आपने अभी बात कही उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी काम हुए हनुमानगढ़ ज़िले में उसकी एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा उसका मूल्यांकन भी कराया गया और 2005-06, 2006-07 के दौरान हनुमानगढ़ ज़िले में जितने भी काम हुए हैं उसकी रिपोर्ट यह एजेंसी की है वह सब संतोषप्रद हुए और आपने यह भी कहा कि 13 इस प्रकार के विद्यालय हैं

(श्री कालीचरण सर्राफ)
कि जहां भवन निर्माण नहीं बनाये गये तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यह जो 13 विद्यालय हैं वहां भूमि उपलब्ध नहीं है भवन बनाने के लिए इसलिए वहां भवन नहीं बनाये गये या तो वह किराए के स्कूल में चल रहे हैं विद्यालय या शिफ्ट में चल रहे हैं या किसी निजी विद्यालय में चल रहे हैं। इसलिए उन विद्यालय के लिए जमीन नहीं थी इसलिए वहां भवन नहीं बनाये गये। आपने कलक्टर की रिपोर्ट के बारे में भी यह कहा, यह भी हमने जांच की, एडीएम ने जांच की और कलक्टर ने उसमें यह कहा है कि यह मतलब गायब हो गई रिपोर्ट तो उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि वह कलक्टर की रिपोर्ट भी आ गई और उसमें उन्होंने यह लिखा है ''निर्माण कार्य योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार एवं बच्चों की संख्या उस विद्यालय से पर्याप्त प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है, अत: कमीशन लेकर निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं यह आरोप मिथ्या है शिकायत में बताए गए दोनों विद्यालयों की कैश बुक संधारित है'' कलक्टर के यहां से भी रिपोर्ट आ गई है फिर भी आपने मुझे यहां कई बातें और बताई हैं कि एमएलए का प्रतिनिधि एसडीएमसी में नहीं है, ट्यूर प्रोग्राम की भी बात आपने कही और बिना स्वीकृति के तो यह जितनी भी आपने बातें कहीं हैं वह आप मेरे को अलग से लिखकर दे देना, उसकी जांच करवाऊंगा और निश्चित रूप से यदि वह दोषी होंगे, उसकी कोई ठेकेदारी नहीं है कि वह जेईएन, एईएन जो है वह वहां पर रहे तो यदि वह दोषी होंगे तो निश्चित रूप से उनको वहां से उनके मूल विभाग में भेज दिया जाएगा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मेरी खुद की गलती है, मैं ऐसी आशा नहीं रखता था, मैंने तीन दिन पहले गलती कर ली और उसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूं, मैं इस पवित्र सदन में कहने में कतई संकोच नहीं करता...

श्री सभापति: विराजें आप, इस पर डिबेट थोड़े ही होनी है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, डिबेट नहीं कर रहा हूं, मंत्री महोदय ने देखो कितने मतलब यह कह दिया कि किसी को रिलीव नहीं किया, मैं मेरी जानकारी के अनुसार तारीख तक बता देता हूं गंगानगर ज़िले में 19.4.2005 को...

श्री सभापति: आप जानकारी कर लेना आपस में मंत्रीजी से विराजें आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप मेरे को बता देना जानकारी ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):)... व्यवधान) इनके बिना क्या हनुमानगढ़ नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं सभापति महोदय मैं इस सदन में, मैं यह सिद्ध ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग आपस में बैठकर के बात कर लेना, जो तथ्य आपको देने हैं वह दे देना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभापति महोदय यह तो बीजेपी के सपोर्टेड हैं इनकी तो बात सुनो आप।

श्री सभापति: विराजें आप, आप बीच में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, केन्द्रीय समिति एक आई थी जांच करने के लिए और उसने भी इनकी अनियमितता पाई है।

श्री सभापति: अब आप इनको दे देना, सदन का समय ज्यादा जाया मत करो आप। विराजें आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): दे देना उसकी जांच करवा लूंगा और दोषी हुए तो उसको हटा दूंगा।

श्री सभापति: मदनजी राठौड़।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): दोषी नहीं हो तो मैं अब इससे ज्यादा क्या कहूं, अगर दोषी नहीं हो तो सभापति महोदय अगर चार करोड़ रुपये ...(व्यवधान) इन अभियंताओं के माध्यम से कमीशन नहीं खाया है तो या तो मैं सदन में, आप कहोगे सिद्ध करो, सिद्ध कैसे करेंगे गांव के भोले-भाले लोगों के हस्ताक्षर करवाएं और उनको गुमराह करके पैसे उठाए जाते हैं, अब प्रमाण करना अलग है पर सच्चाई की जहां तक बात है चार करोड़ रुपये इन अभियंताओं ने खाये हैं। इसलिए इनकी इतनी ताकत है कि ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यदि चार करोड़ रूपये खाये हैं तो निश्चित रुपये से उनको वहां से हटाया जाएगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभापति महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और सरकार ...(व्यवधान) सीधा-सीधा भ्रष्टाचार का आरोप है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उनको हटाने में मंत्री महोदय ...(व्यवधान) मैंने आपको यह कागज दिए इसलिए ...(व्यवधान) आपने मेरे ही कागज से इस तरह की बात कर दी, आपने मेरा ही कागज लेकर और मेरा ही शोषण किया और कितनी सत्यता के प्रामाणिक बात है जिसमें आपने उन अभियंताओं को...(व्यवधान)....

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभापति महोदय यह तो भारी भ्रष्टाचार का मामला है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजे आप, अब अंकित नहीं होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें आप ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ऐसा है सर्व शिक्षा अभियान में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश इसलिए नहीं रहती कि केन्द्रीय सरकार की गाइड लाइन पर एसडीएमसी का निर्माण होता है और उसके थ्रू ही सारे निर्माण कार्य होते हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं उसके पहले 75 प्रतिशत पैसा दिया जाता है, उसके बाद 20 प्रतिशत फिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद में 5 प्रतिशत और बाकी जो आपने और बातें मेरी जानकारी में लाई हैं निश्चित रूप से उनकी जानकारी करके और दोषी यदि होंगे तो किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा यह मैं बताना चाहूंगा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सभापति: बैठिए आप, मंत्रीजी आपको भी अलाऊ नहीं कर रहा हूं। आप बैठिए, Please sit down. मदनजी बोलिए।

राजनेताओं के समान की रक्षा हेतु असत्य आरोप नहीं लगाने चाहिए

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजनीति और राजनेताओं के सम्मान की रक्षा के निमित्त अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं... .

अभी हमारे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कहा कि कांग्रेस की कल की रैली फेल हो गयी, यह बात बिलकुल सही है माननीय सभापति महोदय और उसका कारण भी यह है मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इन्होंने ऐसी गलत-गलत बातें प्रचारित कीं, गलत-गलत होर्डिंग्स इन्होंने लगाये जयपुर में, मैंने

(श्री मदन राठौड़)

भी देखे। बेबुनियाद, अनर्गल आरोप लगाने का इन्होंने प्रयास किया, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। राजस्थान की सरकार ने बहुत विकास के काम भी किये लेकिन इन्होंने गलत जानकारी दी। कल के भाषण में भी इन्होंने ऐसी अनर्गल बातें बोली जिसके कारण से जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया और रैली में संख्या कम आयी। यह बात बिलकुल सही है। सभापति महोदय, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि राजनीति और राजनेताओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के,+++ बेबुनियाद, मनगढ़त आरोप नहीं लगाने चाहिए यदि इस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप लगाते। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे तो राजनेताओं पर से विश्वास उठ जाएगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। +++ शब्द असंसदीय है निकाल दिया है, एक्सपंज कर दिया है। विराजिये आप ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं विषय पर बोल रहा हूं। मैं विषय पर बोल रहा हूं जो मैंने विषय दिया है मैं उसी पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आप राजनीति एवं राजनेताओं के प्रति सम्मान विषय पर केन्द्रित करें ।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): ...(व्यवधान)... आपका ...(व्यवधान)... फोटो असत्य है क्या? (व्यवधान)... आप विषय पर बोलिये।

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):... (व्यवधान) कांग्रेस की रैली फेल हुई कि पास हुई ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): आपका ...(व्यवधान) फोटो भी असत्य था क्या ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, इनसे राजनेताओं के सम्मान ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगायें।

श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) आप लोगों ने देख ली कांग्रेस की रैली फेल हुई... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): ...(व्यवधान) यह कैसी बहसबाजी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :... (व्यवधान) लाखों लोग सड़क पर आ गये हैं।

श्री सभापति: बैठिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और आपकी सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): आप अपने विषय पर आइये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप अपने विषय पर बोलिये हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आपको इस रैली पर टीका-टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है कम आये ज्यादा आये कांग्रेस जाने आपको क्या है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने राजनीति एवं राजनेताओं के प्रति सम्मान विषय दिया है इसी पर केन्द्रित रहें। इधर-उधर की बातें न करें। सदन का समय जाया न करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं राजनेताओं के सम्मान की बात कर रहा हूं... (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि हम अनर्गल बातें करेंगे तो राजनेताओं के सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती मैं यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं यदि हम इस प्रकार के असत्य आरोप लगायेंगे तो निश्चित रूप से जनता ये सोचेगी कि राजनेता तो ऐसे ही होते हैं। विकास के काम हो सकते हैं कि कांग्रेस ने भी कुछ किये होंगे लेकिन हमारी सरकार ने भी बहुत विकास के काम किये हैं। विकास के काम की बात करो, प्रतिस्पर्धा भी करनी है कंपीटिशन भी करना है तो विकास के नाम पर कंपीटिशन करो तब जाकर राजनेताओं के सम्मान की रक्षा होगी।

श्री सभापति: खतम ? विराजिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह भी कहना चाहता हूं। आप मेरी बात पूरी सुन लें सभापति महोदय, केवल एक मिनट में तो कोई बात मेरी पूरी नहीं हो सकती।

श्री सभापति: विषय पर आयें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार से...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये विधान सभा का मंच इस बात को तय नहीं कर सकता...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह आप इसी पर कोई बात कहें तो कहें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, लेकिन एक बात है मैं यह कहना चाहता हूं ...

श्री सभापति: कहीं आपका कोई असम्मान कर रहा हो, किसी अधिकारी ने आपको कुछ कहा हो तो वो बात करें। आप कंसेंट्रेट करें। आप इधर उधर की बातों में ज्यादा समय जाया न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अदालत में जा सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सदन का ढंग से काम चल रहा है जिसको ये खराब करना चाहते हैं इनको आप हिदायत दीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आप कितना ढंग से कर रहे हो यह मालूम है।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें अब।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):... (व्यवधान) यह अपनी बात करें, आपकी पार्टी कांग्रेस अनर्गल प्रचार करती है, बीजेपी अनर्गल बोलती है, कम्युनिस्ट अनर्गल बोलते हैं उसका आपका क्या लेना देना है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर ...(व्यवधान) आप जागे तो सही।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):... (व्यवधान) आपके मंत्रियों का ही सम्मान नहीं होता है आपकी पार्टी में। आपके विधायक मंत्रियों पर ही आरोप लगाते हैं उस समय आप कहां जाते हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप विराजिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का सांसद आरोप लगाये कि सरकार में भ्रष्टाचार है...(व्यवधान) कौनसी गलत बात कह दी...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खुद ने मुख्य मंत्री पर आरोप लगाये भ्रष्टाचार के, कौनसी बात गलत कह दी...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप यह क्या बात करते हो।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खुद ने +++ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये, क्या गलत बात कह दी कांग्रेस ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। विराजिये आप। एक मिनट में आप बात समाप्त करें। There is no substance in talking.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री सभापति: कोई बात हो आपके पास तो बतायें आप। विराजिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय विरायिजे आप। विराजिये। दो मिनट में बात खतम कर लें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, यहां सब जनप्रतिनिधि हैं और मैं चाहता हूं कि सबके सम्मान की रक्षा हो लेकिन यह सम्मान की रक्षा तभी होगी जब हम जनता को मालिक मान करके सेवक बन करके काम करें और अधिक काम करें। हम चाहते हैं ...

श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप विराजिये। आपको क्या तकलीफ हो गयी? (व्यवधान) आपको मिर्ची क्यों लग रही है जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है। आपका भ्रष्टाचार नहीं खोल रहा हूं मैं। मैं नहीं बोलूंगा आपके बारे में। मैं विषय पर बोल रहा हूं ।

श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा जो विषय है मैं उसी पर बोल रहा हूं।

श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री सभापति: जनता को मालिक मानने के लिए कह रहे हैं । बोलो आप।

श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय त्रिवेदीजी, बीच में डिस्टर्ब There is no end to it. एक मिनट में आप कंक्लूड करें।There must be some substance in talking.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां एक मिनट में। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम जनता को मालिक मान करके अपने आप को जनसेवक मान करके सेवा को समर्पित हैं यह काम इसलिए कर रहे हैं तो यही मैं निवेदन कर रहा हूं हम चाहते हैं कि अच्छे लोग कांग्रेस पार्टी में भी होने चाहिए, अच्छे लोग बीजेपी में भी होने चाहिए लेकिन प्रतिस्पर्धा तो तब हो कि अच्छा काम करके कंपीटिशन में आये। ये भी अच्छा काम करें हम भी अच्छा काम करें तो

(श्री मदन राठौड़)

निश्चित रूप से जनता का भला होगा और जनता के मन में विश्वास कायम होगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):...कि जनतंत्र है और जिसको हमने जिताकर भेजा है वो जनसेवा के लिए समर्पित है। सभापति महोदय, आप मुझे बोलने तो दें।

श्री सभापति: विराजिये। बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा बोले आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री सभापति: श्रीमान गुलाब चन्द जी कटारिया, गृह मंत्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या : एफ.6(1)एच-12/जेल-2002 दिनांक 17.1.2007, जिसके द्वारा राजस्थान प्रिजन्स) शार्टनिंग ऑफ सेन्टेन्सेज) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री खुशवीर सिंहजी जोजावर, सदस्य विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नैक्स्ट। ये गम्भीर ही नहीं हैं अपनी सीट पर रहते नहीं हैं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, He is serious.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार तीन निम्न याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

पाली मारवाड़ जंक्शन/ रानी में आरओबी (रेलवे ओबर ब्रिज) का निर्माण करवाने बाबत

1- पाली मारवाड़ जंक्शन/ रानी में आरओबी (रेलवे ओबर ब्रिज) का निर्माण करवाने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

पाली जिले के विभिन्न धार्मिक स्थानों की सड़कों का निर्माण करवाने बाबत

2- पाली जिले के विभिन्न धार्मिक स्थानों की सड़कों का निर्माण करवाने बाबत। एवं

मारवाड़ जंक्शन तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय खोलने बाबत

3- मारवाड़ जंक्शन तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय खोलने बाबत।

श्री सभापति: माननीय श्री मदनजी राठौड़, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

जवाई नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सुमेरपुर शिवगंज के मध्य जवाई नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के पुन: निर्माण करवाने बाबत् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

कोटड़ी मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय खोलने की मांग विषयक

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटड़ी मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय खोलने की स्वीकृति बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

किशनगढ़ मुख्यालय पर सूचना एवं सम्पर्क कार्यालय की मांग विषयक

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय खोलने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

छोटी सादड़ी गौण मण्डी को मुख्य मंडी का दर्जा देने की मांग विषयक

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेखानुसार 1. छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ की गौण कृषि उपज मंडी को स्वतंत्र रूप से कृषि उपज मंडी समिति का दर्जा प्रदान करने बाबत्,

राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा का क्रमोन्नयन

2. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत एवं

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धोलापानी का क्रमोन्नयन

3. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र तहसील छोटी सादड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धोलापानी को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने बाबत् तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-09

अनुदान की मांगों पर विचार

मांग संख्या 50, 28 व 41 की प्रस्तुति

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-09 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री कालूलाल गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुदान की मांग संख्या 50, 28 व 41 प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री कालूलाल गुर्जर)
वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये3,71,89,90,000 /- तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,76,17,91,000/- तक की राशि प्रदान की जाये ।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,25,58,55,000/- तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अनुदान की मांग संख्या 33 प्रस्तुत करेंगे ।

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,53,18,84,000 /- तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल मीणा (अनुपस्थित) श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार, मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास ....

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड कर अनुरोध करता हूं कि वह 10-12 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

(मांग संया-50, 28, 41 व 33 के कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मांग संख्या-50, 28, 41 व 33 पर विचार

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये कई प्रकार की नई योजनाएं प्रारम्भ कर उनकी शुरूआत की एवं पूर्व में जो संचालित योजनाएं थी उनमें अधिक बजट आबंटित कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो एक प्रशंसनीय प्रयास किया है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जहां पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में मात्र 986.60 करोड़ खर्च किये वहीं वर्तमान सरकार ने इनके उत्थान के लिये मात्र चार वर्ष में 1585 करोड़ रुपये खर्च कर एक सराहनीय कार्य किया है उसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । यह खर्च पूर्व के पांच वर्षों में किये गये खर्च से 60 प्रतिशत अधिक है । सभापति महोदय, राजकीय अनुदानित छात्रावासों के माध्यम से वर्तमान सरकार ने करीब 28246 छात्र-छात्राओं पर प्रतिवर्ष प्रति छात्र 11414 रुपये व्यय कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है जो गत सरकार में खर्च किया जा रहा था उससे प्रति छात्र प्रतिवर्ष 3372 रुपये अधिक खर्च किये हैं जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को शिक्षा में बहुत ही प्रोत्साहन मिला है । अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृति के क्रम में विगत सरकार ने पांच वर्षों के दौरान 103.12 करोड़ रुपये खर्च किये गये जबकि वर्तमान सरकार द्वारा मात्र चार वर्ष में इससे दुगुनी राशि 214.16 करोड़ रुपये खर्च कर छात्रवृति उपलब्ध कराई जो बहुत ही सराहनीय कार्य है । वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत पूर्व सरकार द्वारा 5,29896 व्यक्तियों पर मात्र 113.5 करोड़ रुपये खर्च किये उसके मुकाबले में वर्तमान सरकार ने चालू वर्ष के प्रथम 9 माह में 872804 व्यक्तियों पर 240.29 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । साथ ही वर्तमान सरकार ने जो पूर्व में 200 रुपये पेंशन मिलती थी उसको 400 रुपये कर एक सराहनीय कार्य किया है, समाज के लोगों को ऊपर उठाने का कार्य किया है उसके लिये मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । सभापति महोदय, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों द्वारा अखिल भारतीय सेवा में वर्तमान सरकार द्वारा समाज के गरीब एवं पिछडे वर्ग को ऊपर उठाने के लिये, उनके कल्याण के लिये नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ किये जिनमें से प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र जो भारतीय सेवाओं में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: पढ़ने दें उनको बहुत कम बोलते हैं ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न चरणों में जो उनके कम्पीटिशन होते हैं उनमें सफल होने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है । आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इनके उत्थान के लिये कुछ भी नहीं किया । सभापति महोदय, इसी प्रकार से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ... (व्यवधान) सभापतिजी अगर इजाजत दें तो आपको जो केन्द्र से विशेष सहायता मिली है ना अनुसूचित जनजाति के लिये उसका आधा भी खर्च नहीं किया है आपने ।

श्री सभापति: विराजिए आप ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जो सहायता मिली है उसको खर्च ही नहीं किया ।

श्री सभापति: माहिर साहब, आपका नंबर आये जब आप बोल देना अभी इन्हें बोलने दें । यह माननीय सदस्य रेयर ही बोलते हैं इन्हें बोलने दें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, यह बार-बार हिन्दुस्तान में राजस्थान है कि नहीं है । राजस्थान हिन्दुस्तान में है या नहीं ।

श्री सभापति: बीच में टोका-टाकी नहीं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुद्दा तो समझो, पूरा खर्च तो करते ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): है कि नहीं पहले यह बता दो ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने अनुसूचित जाति जनजाति का महत्व ही नहीं समझा और यहां ढिंढोरा पीट रहे हो एसटी, एससी । आपको जो सहायता मिली है वह खर्च ही नहीं की आपने ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): या तो यह कहो कि राजस्थान पाकिस्तान में है हिन्दुस्तान में नहीं है तो हम मान लेंगे आपकी बात ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कोई अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर):×××

श्री सभापति: राजपुरोहितजी विराजिए आप, माननीय राजपुरोहितजी अब आपको चार साल हो गये विधान सभा में आते, इधर देखिए आप उधर देख कर बात नहीं करेंगे और बीच में खडे नहीं होंगे । जो माननीय सदस्य कम

बोलते हैं उनको आप बोलने नहीं देते बीच में उनको इंटरवीन कर रहे हो । आप ज्यादा होशियार हो और वह नहीं है, यह गलत बात है ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मुस्लिम समाज के उत्थान के लिये पिछली सरकार में विकास के कार्य नहीं हुए चाहे उनके विद्यालयों का मामला हो, चाहे उनके मदरसों का मामला हो, चाहे उनको कम्प्युटराइज्ड करने का मामला हो, पिछली सरकार में कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी । सभापति महोदय, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में भी एससी के उन व्यक्तियों को जो सभी चरणों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं उनको 45 हजार की सहायता राशि प्रोत्साहन हेतु दी जाती है जो एक सराहनीय कदम है । इसी प्रकार से इस बजट में आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कालेज में परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी इसको शामिल किया गया है जो बहुत ही सराहनीय कदम है इससे लोगों को आईआईटी, आईआईएम में प्रोत्साहन मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: फिर बोल रहे हैं आप, क्या हो गया आपको ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, इस सरकार ने पहली बार पालनहार योजना प्रारम्भ की जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो जाये या उनको जेल हो जाये उन बच्चों को पालने के लिये, उनको शिक्षा देने के लिये, उनका पालन पोषण करने के लिये इस सरकार ने व्यवस्था की है । 500 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से जो उनका पालनहार है उसको देने की व्यवस्था की गई है । जैसे ही वह विद्यालय में दाखिला कर लेता है उसके लिये 675 रुपये मासिक अनुदान का प्रावधान भी किया गया है । इसी प्रकार से उनके कपड़े, जूते मौजे के लिये भी पहली बार 2000 रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है । पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, यह वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कदम है । इसी प्रकार विश्वास योजना, ऐसे विकलांग व्यक्ति जो स्वयं का धंधा करना चाहे उनको न्यूनतम ब्याज पर 50 हजार रुपये तक के लोन की व्यवस्था की गई है और लोन को भी साधारण किश्तों में चुकाने की व्यवस्था की गई है । उसके साथ में 10 हजार रुपये के अनुदान की भी इस सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है और उनको सम्मानपूर्वक जीने का, अपनी रोजी रोटी कमाने का अवसर प्रदान किया है । सभापति महोदय, इस बजट में उस अनुदान को भी बढ़ा कर 15 हजार कर दिया है यह भी एक सराहनीय कदम है। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि स्वच्छकारों के बच्चों के लिये कुछ नहीं किया ।

(श्री शिवजीराम मीणा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वच्छकारों के जो बच्चे पीजी कर लेते हैं, स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनके लिये संविदा के आधार पर नौकरी की व्यवस्था की है । नारी निकेतन की व्यवस्था, इसी प्रकार से पहली बार राज्य की उपेक्षित, संकट ग्रस्त और देह व्यापार से मुक्त महिलाओं के लिये पांच सम्भागीय मुख्यालयों पर नि:शुल्क आश्रय स्थल की व्यवस्था की है और नारी निकेतन के रूप में सराहनीय कार्य किया है, उनको वहां रहने की व्यवस्था की है। इस प्रकार से अपचारी बालिका घरों की स्थापना, राज्य की ऐसी अपचारी बालिकाएं उनके रहने के लिए आश्रय के लिए, उनको संरक्षण के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर गृह संचालित किये जा रहे हैं, इसके माध्यम से अब तक करीब 57 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के बच्चों के विकास की बात करते हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मैस की व्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन इस सरकार ने पहली बार उनका मैस भत्ता बढ़ाकर 675 से 725 रुपये किया और उनके सुदृढ़ भोजन की व्यवस्था की। इसी प्रकार से बीपीएल परिवार अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों को जिनकी 12 हजार रुपये मासिक आय है जो एस.सी. के हैं उनके बच्चों को योग्यताधारी, सीनियर सैकण्डरी वाणिज्य योग्यता रखते हैं उनको 300 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की जो पहले कभी विचार भी नहीं किया गया था, इस योजना से 6019 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

इसी प्रकार से मूक बधिर, नेत्रहीन बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था राज्य में 32 जिलों में से पहले केवल 15 जिलों में ही इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी, 17 जिलों में इस प्रकार की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और इस प्रकार से मूक बधिर नेत्रहीन बालक पढ़ने से वंचित रहते थे, इस सरकार ने पहली बार सभी 32 जिलों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं खोलकर अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया है जो बहुत ही सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से पन्नाधाय योजना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मुखिया या कमाऊ सदस्य के मरने के उपरान्त उसके परिवार में कोई रहता था उसको सहायता दिलाने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ की पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, जिसके माध्यम से कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर पचास हजार रुपये मिलने की व्यवस्था की। यह

(श्री शिवजीराम मीणा)

योजना 15 अगस्त, 2006 से प्रारम्भ की और इसके माध्यम से अब तक 23 करोड 81 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उनके बच्चों को भी, 1 लाख 11 हजार बच्चों को 900 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से छात्रवृति का लाभ दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से पशुपालकों के बच्चों हेतु कोई आवासीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी, इस सरकार ने उस पर पहली बार विचार किया। हमारे राजस्थान में अधिकांश पश्चिमी क्षेत्र में अकाल पड़ने से पशुपालक अपने जानवरों को लेकर बाहर चले जाते थे, राज्य के बाहरी हिस्सों में जाते थे ऐसे समाज के लिए चाहे राइका समाज हो चाहे रेवारी समाज हो उनके बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस सरकार ने पहली बार विचार करके ऐसे समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनकी देख-रेख के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की और 2005-06 में जालौर में इस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की गई। उस विद्यालय में उत्साहवर्द्धक परिणाम देखकर इस बजट में दो और विद्यालय खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, सागवाड़ा और झालावाड़ में, जो अत्यन्त ही प्रशंसनीय कार्य किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार सहयोग योजना इस सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई जिसके माध्यम से गरीब अनुसूचित जाति के परिवार जो बीपीएल में चिह्नित थे उनकी बच्चियों को शादी के समय पांच हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, उसे बढ़ाकर अभी इसी बजट में उन सभी गरीब बीपीएल परिवार चाहे एस.सी. का हो, चाहे एसटी का हो चाहे सामान्य वर्ग का हो उनकी बच्चियों की शादी के समय, जो बच्चियां 21 साल से अधिक की हो गई और उनकी शादी कराई जा रही है उन सभी को यह राशि बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गई, इस संबंध में पहले कभी विचार भी नहीं किया गया था।

इसी प्रकार से एकलव्य कार्यक्रम, आईटीआई व अन्य औपचारिक शिक्षा के लिए दसवीं क्लास पास होना अनिवार्य था कई कारणों से गांव के बालकों को दसवीं उत्तीर्ण करने में समस्या थी और आईटीआई जैसे किसी भी ट्रेड में बिना दसवीं के प्रवेश नहीं कर पाते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए, जो बच्चे स्कूली शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर सकते थे, वह बच्चे जो विभिन्न ट्रेड में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं स्वयं का रोजगार लगा सकते हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए आरएमओएल के माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति के आठवीं उत्तीर्ण

(श्री शिवजीराम मीणा)

लगभग दो लाख बच्चों को रोजगार योग्य बनाने हेतु एकलव्य के नाम से नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जो सराहनीय है। यह सरकार आने के बाद में पहली बार 100 नवीन छात्रावासों की स्थापना की गई है जिनमें 75 राजकीय, 25 गैर सरकारी क्षेत्र में छात्रावास खोलकर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जितने कार्य अनुसूचित जाति के छात्रों, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार ने किये पहले कभी विचार भी नहीं किया गया था।

मेरे क्षेत्र में कुछ समस्याएं है उसके संबंध में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं । मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के चार छात्रावास थे उसमें से आपने तीन छात्रावास के लिए भवन की व्यवस्था की उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन गरीब छात्रों को जो उसमें निवास करते थे उनको सभी प्रकार की सुविधाएं, व्यवस्थाएं की उसके लिए मैं हृदय से आभार, एक छात्रावास जो पारोली में संचालित किया जा रहा है उसमें भवन नहीं होने से उनके ठीक से रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको वह सुविधाएं नहीं है जो सरकारी भवन में मिलती हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां भी भवन बनाने का कष्ट करें।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, मंहगाई देखते हुए आपने 2005-06 में मैस भत्ता बढ़ाया था, मैं आपसे पुन: निवेदन करता हूं वर्तमान में जो मंहगाई है उसको देखते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का कष्ट करें। इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय आप द्वारा छात्रवृति दी जाती है, आज कई प्राइवेट मेडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आईटीआई कई कालेज हैं जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र पढ़ते हैं, उनको फीस रिफण्ड करने की आपने व्यवस्था की है, उनको समय पर छात्रवृति मिले और समय पर फीस रिफण्ड हो जाए इस प्रकार की व्यवस्था करें। उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और उनका भविष्य उज्जवल रहे।

अंत में माननीय मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र अमरवारली के आसपास जो गांव है सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं वहां के अधिकांश लोग मिलिट्री में सेवारत है, यदि वहां पर एक और नये छात्रावास की स्वीकृति आप प्रदान कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। माननीय सभापति महोदय आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। थैंक्यू।

श्री सभापति: भंवरलालजी राजपुरोहित।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): सभापति महोदय, राजस्थान अब भारत के विकास का एक पर्यायवाची बन चुका है1 गत पांच वर्षों के आंकड़े देखें तो चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। 2003 से 2008 तक विकास द्वारा योजना मद पर विकास योजना बनी जिस पर अरबों रुपये खर्च हुए। ऐसा लगता है जैसे (व्यवधान) उस पर तेल का काम किया गया था, उससे आज राजस्थान में एक प्रकाश दिखने लग गया है। उसका उदाहरण है वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी लगन और पक्के इरादे के साथ जो गुड गवर्नेस से नये आयाम स्थापित किये हैं उसमें खर्च का ब्यौरा देता हूं। ग्रामीण के सर्वांगीण विकास हेतु 2007 तक एक करोड़, 1400 करोड़ 68 का ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ है, जो इनमें 85 प्रतिशत राशि का खर्चा हुआ यह बहुत बडी उपलब्धि है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना देश में प्रथम, पहले 12 जिलों में अब सभी जिलों में, हमारी यह मांग केन्द्र सरकार ने मान ली है। जो 33 जिलों में अब लागू हो गई है। इन्दिरा आवास योजना में 25 हजार मकान बनाने थे। केन्द्र द्वारा 25 हजार रुपये स्वीकृत किये जाते थे, वे अपर्याप्त थे। लेकिन राज्य सरकार की सहायता से वह 50 हजार कर दिये गये हैं और अब राज्य सरकार इसमें अतिरिक्त राशि व्यय कर रही है जो अपने खुद के संसाधनों से खर्च कर रही है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले 45 करोड़ थे, अब 87 करोड़ रुपये उसमें स्वीकृत किये गये। ग्रामीण काश्तकारों में जन-भागीदारी बढ़ाने हेतु गुरु गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना शुरू की गई है। इस हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था पहले थी, जो बढ़ाकर 60 करोड़ की व्यवस्था की गई। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, एक जल ग्रहण विकास कार्यक्रम पर 4 वर्षों में 1,049 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। उसके पूर्व के 5 वर्षों के 554 करोड़ के मुकाबले में यह दुगुनी है। मिड-डे-मील में तो एक इतिहास कायम हुआ है। मिड-डे-मील में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले ये घूघरियां बांटते थे और उसका स्तर, घूघरियां मैंने खुद ने देखी हैं, मैं प्रधान रहा हूं, मैं जानता हूं, घूघरियां बांटते थे, वह भी जानवरों को खिलाने वाली थी। अब मिड-डे-मील का इतना स्तर बढ़ गया है, हमारे विकास विभाग के जो मंत्री हैं, मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं कि इनकी कुशलता के कारण बहुत ही सख्ती से यह काम में लिया जा रहा है। मैं देख रहा हूं, मिड-डे-मील में, मैंने कई स्कूल देखे हैं, आज इतना अच्छा खाना मिलता है। 2-3 सब्जियां मिलती हैं, उनको

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)
फल मिलते हैं। यह मिड-डे-मील एक वरदान साबित हो गया है। इस मिड-डे मील से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई है और चूंकि गरीब बच्चे जो यूं ही फिरते थे, उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। उनको खाने को तो मिलता ही है, इसके बहाने वे पढ़ना भी शुरू हो गये। इस मिड-डे-मील से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। यह विकास विभाग की मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भारत सरकार ने तो जो भी आठवीं तक के बच्चों को ही, यह मिड-डे-मील देने की बात कही थी। लेकिन हमारी सरकार ने अपने संसाधनों से इसको पूरी की पूरी, पहले तो गरीब वर्ग को ही था, अब पूरे वर्ग, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हों, उन सभी को यह मुहैय्या कराया गया है।

सभापति महोदय, विकास विभाग में पैसे की बहुत कमी थी, यह सही बात है। राज्य सरकार ने पहली दफे इसको, इसकी इनकम के लिये, आय के लिये, एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त की है, वह रायल्टी की, एक प्रतिशत अंशदान की राशि का प्रावधान किया है। इससे ग्रामीण अंचल में वह पैसा जब बिखरेगा तो वास्तव में उस पैसे के आने से ग्राम के कई काम जुड़ गये, गांव का विकास उन पैसों से हो रहा है। पंचायती राज को सशक्त करने की दृष्टि से बी.पी.एल. परिवारों के आबादी जोन में सरकार ने, बी.पी.एल. पहले जो हर पिछड़े परिवार से पैसा लिया जाता था, लेकिन बी.पी.एल. परिवार को सरकार ने हमारे विकास विभाग ने, सरकार की नीति ने उनको नि:शुल्क करने का निर्णय किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें 16 हजार योग्य परिवारों को नि:शुल्क पट्टे दिये गये हैं और भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं। एक एस.जी.वाई., स्वरोजगार योजना उपलब्ध कराने पर, आत्मनिर्भर बनाने हेतु 2007 तक 29.4 करोड़, 13 हजार महिलाएं, इसमें 13 हजार महिलाओं को, जिसमें 6500 अनुसूचित जाति तथा 5600 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भी डाक्टर रेड्डी फाउण्डेशन के माध्यम से 18 से 35 वर्ष की आयु वाले बी.पी.एल. परिवारों के आठवीं पास वाले बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर के रोजगार दिलाया गया है। 5 हजार बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया है जो 10 जिलों में इसका चलन है। गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 2007 तक 150 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

सभापति महोदय, कई योजनाएं हैं और आज ऐसा दिखने लग गया है कि कोई विकास का कार्य कर रहा है। मैं संक्षेप में, जब आप 10 मिनट की बात

कर रहे हैं तो मैं संक्षेप में अपने यहां की थोड़ी समस्याएं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी पंचायत समितियों में, मैंने देखा है, पंचायत समितियों में ग्राम सेवक बहुत कम हैं। मेरी पंचायत समितियों में 15 ग्राम सेवकों की कमी है। ग्राम सेवकों की कमी सभी जगह है। इसको मैं मानता हूं, क्योंकि ग्राम सेवक अवेलेबल नहीं हैं। राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्राम सेवकों की वेकेंसी को खोला है और यदि जल्दी से जल्दी इनका चयन हो जाएगा तो ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायतें अच्छी तरह से चलेंगी। क्योंकि अभी तो कोई चपरासी, कोई नाकेदार, कोई फोरेस्ट का नाकेदार, इस तरह के जो ग्राम सेवक लगाये गये हैं उनसे पंचायतें करीब-करीब ठप्प सी होने लगी थीं। इसलिये राज्य सरकार ने यह निर्णय बहुत समय पर लिया है। इसलिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं इस मांग का पुरजोर शब्दों से समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमान महीपालजी मदेरणा। आपने 7 मिनट में निपटा दिया आज, धन्यवाद आपको।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हैं, सर?

श्री सभापति: नहीं, आपने 7 मिनट में निपटा दिया, जो धन्यवाद।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): उनका समय भी मुझे दे दिया जाए।

श्री सभापति: हां, हां, आप फरमाएं तो सही।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, मैं बोल रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह समय बी.जे.पी. का है। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, बोलें, बोलें। सब देश के ही हैं, प्रान्त के ही हैं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): वे मेरी कमेटी के सदस्य भी हैं और मेरी इनसे मित्रता भी है, इसलिये मांगा। आपसे नहीं मांगा मैंने।

श्री सभापति: फरमाएं आप।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आज सदन ग्रामीण विकास की मांग पर विचार करने जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध गांव के विकास और उसके आदमी, आम आदमी के चेहरे और रोजगार से है। कैसे पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण होगा और इतने दिनों तक आपने इसको कैसे

(श्री महीपाल मदेरणा)

ठण्डे बस्ते में रख दिया। पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण सपना था। आपने इसको पावरलेस किया। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना था और महात्मा गांधी के सपने को साकार करने वाला यह पहला राज्य था। मैं इस मांग के लिये खड़ा हुआ हूं, आज 5 मार्च का दिन है और आज का दिन अपना एक महत्व रखता है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नागौर में इसकी शुरूआत हुई थी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, नागौर, हां, तो मान रहे हैं, वहां से आप हैं। वहां से बहुत विभुतियां आई हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनमें से एक ये भी हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, यह तो आप जानते ही हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): दस में से नौ आये हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अब की बार नहीं होगी यह गलती।

श्री सभापति : बीच में नहीं। कभी-कभार अच्छा लगता है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आज के दिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ग्रामीण विकास के जो..। The State Government specially the Panchayati Raj Minister must have a courage and confidence. The power to face the challenges it's overcome to difficulties these Panchayati Raj Institutions are facing. Now create employment generation programs in villages and opportunities with you for the progress of the down trodden whatsoever the obstacle on its path, please do it fairly and faithfully. You have not begun. You have not designed. Now the State Governments will invoke its true wills. The political will with the truth if you will do sincerely, it will make the Government as a warrior engine. आप वेरियर इंजन नहीं बन सकते हैं। आने वाले चुनाव में इन संस्थाओं के साथ जो विश्वासघात हुआ है, इन संस्थाओं को पंगु बनाने का जो काम हुआ है, उसमें आपकी अहम भूमिका रही है। मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के 60 साल बाद भी पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण जिस रूप में होना चाहिए, नहीं किया गया है। चाहे हमारी सरकार है, चाहे आपकी सरकार थी। इस प्रदेश की आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है। उसके अमूल्य वोट से जीतकर हम इस सदन में आते हैं। मुझे उनकी बहुत चिन्ता है। इस सदन के अन्दर जो चुने हुए माननीय सदस्य हैं, इसको सुदृढ़ करने के लिये इस सदन में दो शब्द नहीं कहते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिनको हमने यहां भेजा था, जिन 80 प्रतिशत लोगों ने यहां भेजा, उनकी बातों की हम यहां पर वकालत नहीं करते हैं। अफसोस इस बात का है कि जब पहले बजट का जिक्र हो रहा

था उसमें कहा था कि 100 days of governance, समयावधि थी, लक्ष्य निश्चित था, आपके पास समय था काम शुरू करने का। मैंने पहले कहा, आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, आज शुरू नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बार है कि आपने नये बजट में पेश किया Power to public through Panchayati Raj. You have not done it. अभी तक कुछ नहीं किया। अब तो थोड़ा समय रह गया है। फिर दोहराया कि गुड गवर्नेंस, उसका तात्पर्य यह था कि हम संकल्पबद्ध हैं कि इन चुनी हुई स्थानीय संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न करेंगे। बल्कि बैटर प्रबन्धन की शासन व्यवस्था नहीं करके, आपने समय बर्बाद किया और इनके अधिकार हस्तांतरित होने चाहिए, जो नहीं किये।

इसके लिए आपने एक मंत्री मण्डलीय कमेटी भी बनायी। एक समिति भी बनायी। समिति की अभी तक कोई सिफारिश, समिति के अध्यक्ष कौन हैं, उसकी बात, इस प्रदेश के पंचायती राज के लिए कई सम्मेलन हुए। चौखी ढाणी में पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उसकी भी सिफारिशों को, आंख बंद करके बस्ते में रख दिया गया। साथ ही साथ इस समिति ने निर्णय नहीं किया। चार साल लगे आपको पंचायती राज के अधिकारों को हस्तांतरण करने के, 29 विषयों को जो वर्णित हैं भारत के संविधान के अन्दर, आप चुप-चाप बैठे रहे। हम जोरदार तरीके से तो घोषणाएं कर देते हैं बल्कि उनकी इतिश्री ऐसे मत करो जो आने वाली ग्राम जनता आपको एक सबक देगी।

इतने साल तक जिनको वाजिब हक नहीं मिला। आपने अपनी इस बुकलेट में लिखा है, वह भी मैं कोट करके बताऊंगा कि जो अधिकार और जो हक वाजिब मिलने चाहिए उनको अतिशीघ्र दिया जाना चाहिए। आज के दिन पंचायती राज आधा-अधूरा जनतंत्र रह गया है और उसमें भाजपा का सबसे बड़ा योगदान है। चार साल तक इस जनतंत्र के ऊपर आपकी नजर नहीं गयी। यह आपकी जवाबदारी है। यह आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपने इस पंचायती राज को पंगु और पावरलैस बनाने, इस जनतंत्र को कमजोर करने की भूमिका के अन्दर आपका सबसे बड़ा योगदान रहा है। कहती तो सभी सरकारें हैं कि हम कदम उठाएंगे। जल्दी कदम उठाएंगे। समस्याओं का समाधान करेंगे और प्रभावकारी कदम उठाएंगे। आपकी यह थोथी घोषणाएं, प्रभावकारी बातें, गुड गवर्नेंस, बैटर गवर्नेंस, उसको यह परिलक्षित करती है कि आपने इसको असहाय समझा है। सच्चाई भी है। नहीं करना चाहते आप इनको अधिकार सम्पन्न, जिसके लिए आप, सोची-समझी आपकी नीति है और नीति भी है, आपने इनको

(श्री महीपाल मदेरणा)
3 स्तरीय व्यवस्थाओं के राज को फंक्शन देने चाहिए थे। क्या दिया आपने? क्या नहीं मिला और नहीं देने के कारण कौन दोषी है? कैसे हो गया। समिति नहीं करती। मंत्री मण्डलीय समिति काम नहीं करती है। आप सम्मेलन कराओ, उसके अन्दर भी आप उनकी सिफारिशों को नहीं मानो और मूक-दर्शक होकर पंचायती राज मंत्री बैठ जाएं, इससे बड़ा धोखा राजस्थान को कुछ नहीं हो सकता। इस पंचायती राज संस्थाओं को धोखा देने में अगर किसी की, सबसे बड़ी भूमिका है तो वह पंचायती राज मंत्रीजी की है। इनका भविष्य... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने इतनी देर से मुंह कैसे खोला?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने इतनी देर क्यों लगा दी बात करने में? (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपने मुझे बोलने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने तो कभी नहीं रोका। मैंने तो कभी नहीं रोका। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप तो गुरु हो मेरे, विराजिये ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तो आप, बहुत देर हो गयी, आपके आते-आते ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपका भी ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अब सम्भल जाओ। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): चुनावी भाषण लग रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह कल नहीं आये आपके यहां। इन्होंने तो आपका बहिष्कार किया है। ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बात सुन लो। नई टीम ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये अब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह नई टीम है, जो धोनी की तरह छक्का मारेगी और आपको उस चुनाव में हारकर दिखाएगी ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हार कर दिखाएगी, यह कहा है इन्होंने।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक) माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है, हार कर दिखाएंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा है कि यह हार कर दिखाएंगे।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक) यह अन्तर-आत्मा की आवाज है, मदेरणा साहब की। अन्तर-आत्मा की आवाज तो निकल ही जाती है अन्दर से... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं-नहीं, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य अपने परिवार में लीलाजी से मिलकर आये हैं आज। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): देखिये, आप लीलाजी, लीलाजी मत कीजिए। आप इसके माननीय सदस्य हैं, उस दिन मैंने सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को भी टोका था। एक महिला को सम्बोधन करने की भी आप में आना चाहिए। श्रीमती लीला मदेरणा नहीं कह सकते? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आदरणीया, आदरणीया।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आदरणीया-आदरणीया तो छोड़ो आप। वही गलती वह कर रहे हो जो मुख्य सचेतक महोदय पहले कर चुके हैं और आपकी आदत है गलती करने की ...(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि भाजपा को पंचायती राज के भविष्य को, सुदृढ़ीकरण को, अधिकार सम्पन्नता को निखारना चाहिए था और जब राजस्थान की मुख्य मंत्री घोषणा करें, उसके पश्चात् भी चार साल का समय हमको लग जाए तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। 73वें संविधान संशोधन में वर्णित सारे के सारे अधिकार मिलने चाहिए। 1994 में इसी सदन में तत्कालीन पंचायती राज मंत्री ने नया पंचायती राज एक्ट पास किया। 91-92 धाराएं दीं और आप उसके ऊपर कुंडली मार कर बैठे हो। ऐसी क्या है कि आप उनको यह अधिकार जो उनमें वर्णित हैं, उसके या तो उसमें से डिलीट कर लो और या कह दो कि वह आब्स्लीट हो गयी है। 91-92 धाराओं का एक प्रस्ताव लेकर आइये और नहीं तो उनके साथ कुठाराघात मत करो और यह कुठाराघात करोगे तो समय आपके साथ नहीं रहेगा। यह इसको मैंडेटरी लागू कराओ। उसमें वर्ड

(श्री महीपाल मदेरणा)
जो लगा दिया आपने बड़ी तरकीब से, आप ही की जाति के हैं वह तत्कालीन मंत्री। उनकी भी भाषा यहां कोट करूंगा मैं और इसको मेंडेटरी रूप से लागू करो। अगर मेंडेटरी रूप से आप लागू नहीं करते तो आपका राजस्थान का एक्ट भारत के संविधान के 243 का, उसका उल्लंघन करता है और जब वह उल्लंघन करता है तो या तो इसमें से डिलीट कर लो और डिलीट नहीं कर सकते तो उसको हटा दो कि उनको हम कोई अधिकार सम्पन्न नहीं बनाएंगे। इनको हम कोई मजबूती नहीं देंगे। इनके अन्दर कोई फंक्शनरीज नहीं देंगे। इनको कोई फंड नहीं देंगे। फंड भी जो दे रहे हो उसकी भी हालत बड़ी विचित्र है क्योंकि उसका आपका धर्म बनता है। आप आदर्शवादी पार्टी कहलाती है। आप यह विश्वास से आयी हैं। भाजपा का धर्म बनता है कि यह जो वंचित रह गये हैं उनको अवंचित करने का, इस स्थानीय पंचायती राज को मजबूत करने का, इस पंचायती राज को सुदृढ़ करने का और इसको अधिकार सम्पन्न करने का क्योंकि जब 1994 में नाथूसिंहजी नया पंचायती राज बिल इस सदन में पेश कर रहे थे, आई विल कोट- 'गांव का काम गांव वालों को, गांव का प्रशासन गांव वालों के अधीन।' कहां गया नारा? 17 साल हो गये इस नारे को जिसकी आपने घोषणा की थी और उस घोषणा का अमल नहीं करवाया। तीन-तीन घोषणाएं इस बजट में आपने करवायी और उन घोषणाओं के बाद गुड-गवर्नेंस, पावर टू पब्लिक, मुझे दिखता है अगर दिखावा ही करना है और दिखावटीपन ही करना है तो करो बल्कि घोषणाओं पर अमल नहीं होगा तो आपने विश्वास और पंचायती राज की नौ हजार कुछ ग्राम पंचायते हैं, वे आपके सामने और एक विकराल रूप और खतरनाक रूप लेकर खड़ी होंगी।

मंत्रीजी, इतनी बात कहने के बाद भी मेरे जैसा अगर मंत्री होता तो माननीय सभापति महोदय, मैं इस्तीफा दे देता। चार साल तक मैंने इन पंचायती राज को झूले में झुलाया ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इधर आ जाओ, बन जाओगे। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): नहीं, मुझे नहीं बनना। आप थोड़े ही बनाने वाले हो। आप में नहीं है हिम्मत। वह तो है राजस्थान की मुख्य मंत्री के विश्वास की हिम्मत, उसके आत्मबल की हिम्मत, आप कह नहीं सकते यह बात। आपको तो मिलने का ही समय नहीं देती वह। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको तो बुलाकर बात करती हैं न ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरे में यह क्वालिटी है इसलिए। आपको नहीं करती हैं। आज-कल आप नाराज हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो मुख्य सचेतक हूं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप नाराज हो तो हम नजदीक हैं। वह जानती भी तो हैं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो मुख्य सचेतक हूं जो मुख्य मंत्री के बिलकुल नजदीक रहता हूं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): रहने दो। यह तो सर्व-विदित है कि आप उनके खास नहीं हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो हो ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह तो सर्व-विदित है, अन्दर ही अन्दर आप इस बात को जानते हो। (व्यवधान) खैर, छोड़िये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो यह बताओ कि हमने 1994 में जो पंचायती राज को और अधिकार देने की बात का यह जो शुरू किया था, उसके बाद अशोक गहलोत साहब ने जो किया, उस पर आपकी क्या है? उन्होंने रोक दिया काम। पंचायती राज को सशक्त करने की हमने जो शुरूआत की थी वह अशोकजी गहलोत के समय में रुका है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): पहले गुरुदेव, मुझे बोलने दो। आपको अवसर है। अशोकजी गहलोत बैठते हैं, तब भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर बोलो। अशोकजी गहलोत, पूर्व मुख्य मंत्री इसी सदन के सदस्य हैं और वे बैठें जब बोलो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वे बैठते ही नहीं हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): उनकी नहीं, उनकी बात को मुझे क्यों सुनाते हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वे बैठते ही नहीं हैं और आदरणीय मदेरणाजी साहब, वह बैठते नहीं हैं। अब तो वे बैठते ही नहीं थे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): विपक्ष के नेता को अनुरोध करो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वे बैठते ही नहीं थे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय को अनुरोध करो। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): उनको बोलते ही नहीं सुना।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): ठहरो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): एक बात तो है। हम जो लोग पहली बार विधायक बनकर आये हैं, उनकी यह इच्छा थी कि अशोकजी बोलते कैसे हैं, यह सुनें तो सही, यह हमारी इच्छा थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अब आप तो, मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप लोग बोलने ही नहीं देते हो। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अब आप मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मदेरणा साहब, मदेरणा साहब ... (व्यवधान) एक मिनट, मदेरणा साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिसीमन हो गया, कई चुनाव हार जाएंगे, कई को परिसीमन में टिकट नहीं मिलेगा, उनके मन में ही रह जाएगी तो एक बार बुलाओ तो सही अशोकजी को। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। बोलने दें, अब टोका-टोकी नहीं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, अभी परिवहन मंत्रीजी कुछ कह रहे थे, बल्कि परिवहन मंत्रीजी का भाग्य इतना उज्ज्वल नहीं था कि अगर 1998 के सदन में यह आते तो उनके दर्शन, उनके भाषण सुन सकते थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दर्शन ही होते, भाषण नहीं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरे कारण नहीं, जनता ने आपको नहीं जिताया। आज आप जो बातें कह रहे हैं वह विपक्ष के नेता को कहो, मैं यहां मांग के संबंध में बोल रहा हूं, टोका-टोकी थोड़ा कम करो। मांग की बात करें, पंचायती राज है, स्थानीय राज है, हस्तान्तरित है, जिसको 60 साल में बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिये, 17 साल आने नहीं दिया, हमारी सरकार ने

नहीं दिया। जाते-जाते जरूर दिया है हमने, नाटक हमने किया था। जरूर मैं कहूंगा, मैं पंचायती राज की अहम भूमिका से जुड़ा हुआ हूं। मैं 24 साल उस पद पर रहा हूं जहां पंचायत राज में गांव का आदमी आता है, गांव की पंचायत को मजबूत करता है इसलिए मेरे मन में इस मांग के संबंध में बात है और इसीलिए कहा कि आज 5 मार्च का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? यह ऐसा-वैसा नहीं, यह बच गये दो बार तो हमने हल्ला मचा दिया नहीं तो पंचायती राज मंत्रीजी की हवा निकलनी थी, यह भाग गये, क्योंकि हमने हल्ला मचा दिया और आपने मांगें पास कर दीं। अब इसलिए पंचायती राज के दर्द को समझो और 17 साल पहले 1994 में जो घोषणाएं कीं, उनका आज तक अमल नहीं हुआ। उसकी अगर किसी पर जिम्मेदारी है तो तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी पर भी है।

एक माननीय सदस्य: आ गये यह।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आ गये तो कह रहा हूं न। पास-पास हो, कान में बात कर लो, कौन इस्तीफा देगा। (व्यवधान) नहीं करना तो वह सोचो।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मेरा क्यों मांग रहे हो, मैं तो अभी बना ही हूं। मेरे पर तो कृपा करो। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बड़ी मुश्किल से बने हो, हमें पता है। मैं तो कह रहा था वसुन्धराजी अगर मेरी सलाह लेती तो आप तो संगठन में ही फिट थे, उपाध्यक्ष ही रखा जाना चाहिये था।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मेरे से क्या दुश्मनी निकाल रहे हो आप?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप तो पीछे के दरवाजे से आये हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: थोड़ा-सा टाइम मिला है, ऐसे क्या कर रहे हो? (व्यवधान) थोड़ा सा टाइम मिला है। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हमारे मित्र हैं, थोड़ी मैंने बात कह दी मजाक के लहजे में। यह जानते हैं, इनके बनने से खुशी मुझे हुई है। यह बार बार उठे जब मैंने बात कही, नहीं तो मैं नहीं कहता। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके मन में मेरे प्रति भी कोई गलतफहमी नहीं है। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): नहीं-नहीं, आपके प्रति भी ऐसी कोई बात नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी से कोई नहीं, मैं तो जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जो भी बात है, उसकी जिम्मेदारी पंचायत राज मंत्री की है, इसलिए कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मिर्धा साहब, षड्यन्त्रपूर्वक आप.. (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मिर्धा साहब नहीं, मैं मदेरणा साहब हूं। (व्यवधान) बैठ जाओ आप। आप नहीं बोलने को कहो तो मैं चुप हो जाऊंगा। आजादी के आन्दोलन से भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। गांधीजी की कल्पना को अगर साकार करने का किसी ने बीड़ा उठाया तो इस भारतवर्ष में राजस्थान सम्मिलित है। स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी मिलने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से महात्मा गांधी से मिलने गये। उन्होंने कहा ''please sit down. Now I want to talk something very important and I want to talk for the villages' upliftment and the poor people and the down trodden people." उन्होनें कहा कि ''Lets sit down and make something so that we can go back and say that bureaucracy prevails in the villages also. I will be very happy…." कि 2 अक्टूबर, 1959 में मोहन लाल सुखाड़ियाजी के नेतृत्व में यह काम हुआ, अग्रणीय था, उसमें चलते चलते कुछ घुन लग गयी। घुन लगने के बाद इस परिकल्पना के प्रति थोड़ा जो सृजन में कमी आई और 1980 के अंदर तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसके बाद 73 अमेंडमेंट एक्ट और संविधान के अंदर कई व्यवस्थाएं कर दी गयीं और वह 29 में वर्णित, क्यों कुण्डली मारे बैठे हुए हो, क्यों नहीं समझते कि वो शख्स में है, क्यों समझते हो कि वह शख्स में नहीं, दक्ष है, कुशल है, प्रशासन है, जनता को सौंपो प्रशासन। भ्रष्टाचार, निकम्मापन, निष्क्रिय, नकारा, चोर, इस नौकरशाही को कंट्रोल करना है तो इस जनता के हाथ में अधिकार दो, अन्यथा नहीं हो सकता यह सम्भव और पंचायत राज को मजबूत नहीं कर सकोगे। सभापति महोदय, राजीव गांधीजी की बात को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। (व्यवधान) आपका भी करूंगा अभी। आपका भी अभिनन्दन करूंगा अभी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं-नहीं, आपकी परमिशन से है, अगर आप मुझे मौका दें। गड़बड़ क्या हो गयी बीच-बीच में गड़बड़ होती रहती है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बीच में गड़बड़ हो गयी, आप हार गये और अब आपका एक्ट लागू नहीं हुआ। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, आपके समय में मिसफिट कर दिया। सी.पी. जोशीजी को पंचायती राज मंत्री बना दिया। अब वह पंचायतों के बारे में क्या समझें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अब वह पंचायती राज मंत्री बने तो मन्त्र तो आपने ही फूंका होगा, वह आपके दोस्त हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 269 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि सदन का कोई भी सदस्य सदन में कुछ भी नहीं खायेगा। (व्यवधान) यह सहकारिता मंत्रीजी सुपारी खा रहे हैं। (व्यवधान) सुपारी खा रहे हैं सभापति महोदय यह।

एक माननीय सदस्य: कहां खा रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिलकुल खा रहे हैं यह। आप मुंह चैक करवायें इनका। मुंह चैक करवाइये, अन्दर फोटोग्राफी करवाइये।

एक माननीय सदस्य: माननीय मंत्रीजी आप मुंह खोलकर दिखा दो। मुंह खोलकर दिखा दो, कुछ नहीं खा रहे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नियम तो सभी के लिए पालनीय हैं। अगर मान लो बाई दी वे मंत्री महोदय ने पान चबा लिया तो इनको मुंह धोने के निर्देश फरमा दें। यह मुंह धोकर वापिस आ जायेंगे। कोई खास बात थोड़ी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नियमों की सभापति महोदय, पालना करवाइये।

एक माननीय सदस्य: नहीं, यह बोल देंगे तो मान लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें। यदि वास्तव में इनके मुंह में कुछ है तो नाथूसिंह जी, मुंह धोकर आ जाओ आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सच्चाई होनी चाहिये। माननीय मंत्रीजी, आपमें सच्चाई होनी चाहिये। आप सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं। आसन हमारे सब के लिये सम्माननीय है। मुंह धो आइये। नये माननीय सदस्यों को थोड़ा सबक मिलेगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी कुछ चबा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अंगुली घुमाकर देख लें एक बार। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप, बोलने दें प्लीज। कभी-कभी अच्छा लगता है। चलें आप बोलें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्रीजी ने पंचायती राज में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था जिसके फलस्वरूप जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अधिकार इन संस्थाओं को मिलने चाहिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं तो पान ही खाकर आता हूं, यहां तो पता नहीं कौन क्या-क्या खाकर आता है?

एक माननीय सदस्य: कौन, महावीरजी ने खाया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद आप आसन का और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की रिक्वेस्ट की पालना नहीं कर रहे हैं आप।

श्री सभापति: बिराजें आप। आदरणीय मदेरणा साहब को बोलने दें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को फोलो करता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: रहने दें। आपके अमूल्य सुझाव आ रहे हैं, आप सुनें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खांसी की दवा ले रखी है।

श्री सभापति: व्यवस्था दे दी है। पान खाकर आये हैं तो मुंह धो आवें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापतिजी, व्यवस्था हो गयी। स्व. राजीव गांधीजी ने बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया। पंचायती राज के लिए 1992 को 73वां संविधान संशोधन किया और जो अधिकार इन पंचायती राज संस्थाओं को मिलने चाहिये थे, उन विषयों को और शामिल और वर्णित किया। राज्य सरकार ने पंचायती राज हस्तान्तरण करने का काम, उनका एक मेंडेटरी प्रोविजन था और आपने उस भाषण के अंदर लम्बा-चौड़ा तत्कालीन पंचायत राज मंत्रीजी, अपनी फोटो सहित आदरणीय भैरोंसिंहजी के शासनकाल में, उनके

(श्री महीपाल मदेरणा)
मुख्यमंत्रित्व काल में कहा, मैंने वह पहले कोट कर दिया। क्या यह सही है पंचायती राज मंत्रीजी, जो संवैधानिक अधिकार भारत के संविधान में दिये हैं, आपके लिए, राज्य सरकार के लिए बाध्यता नहीं है कि वह अधिकार सम्पन्न बनाया जाना चाहिये। जब वर्णित हो गया, उसके अंदर प्रोविजन्स हो गये सभापति महोदय तो This is a violation of the Constitution. It is a compulsory binding on the Panchayati Raj Minister to implement what is in the Constitution. मुझे बड़ा दु:ख होता है जिस पंचायती राज का दीप अभी नागौर से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपके परबतसर में वहां पर दीप प्रज्ज्वलित हुआ, बल्कि परबतसर में पंचायत राज कितना प्रज्ज्वलित हुआ है, वह तो आप देखोगे, उसका शुभारम्भ हुआ। यह कटु सत्य है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कल्पना की यह व्यवस्था अब सरकार करती नजर नहीं आ रही है।

कांग्रेस की सरकार ने थोड़ा बहुत मुख्य मंत्री शिवचरणजी के काल में किया। आप सुनते जाओ। आपकी सरकार ने कौनसा किया? और मंत्रीजी बैठे हैं, 17 साल पहले इन्होंने राजस्थान पंचायती नया एक्ट लेकर आये थे और 17 साल के बाद चार साल तक आपने क्या किया? आप क्यों चुप रहे? राजस्थान की जनता विशेषत: 9000 कुछ ग्राम पंचायतें हैं वो आपसे यह जवाब चाहती हैं, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके पहरेदार हैं वह पहरे पर खड़े हुए हैं, यह आपसे जवाब चाहते हैं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आपकी सरकार ने किया था, वो विड्राल आपके टाइम में हुए, जाते-जाते दिया उनको। (व्यवधान) नहीं, नहीं हुए, नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हुए, अशोकजी ने किया। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप बोलो भले।

डा.एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं आपको करैक्ट करके दूं। 5-6 विभाग ...

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय को करैक्ट करो आप। (व्यवधान) आप अगर कह दोगे, मैं बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2003 में आपने किया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हैं? कौनसी तारीख? (व्यवधान) 2003 में किया है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं आपकी परमिशन से करैक्ट

(डा. एन. एस. गुर्जर)
करना चाहता हूं। पी.एस.ई.डी., महिला बाल विकास, 5-6 विभाग थे जिनका इन्होंने किया और स्टाफ को केवल कुछ दिन बैठाया और तीन एफ, पावर, फंक्शंस..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पंचायती राज मंत्रीजी को जवाब देना है, पंचायती राज मंत्री जवाब देंगे, यह सहकारिता मंत्री हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हम तो जानकारी दे रहे हैं, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब इस तरह से इन्ट्रप्ट करेंगे मैम्बर को। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये। नाथूसिंहजी से अच्छी मित्रता है आपकी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पहली बार जीत कर आये हैं आप, इस तरह से यह करेंगे तो मुनासिब नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी आत्मा अभी भी पंचायती राज के आस-पास डोल रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें आप। बिराजें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सच कड़वा होता है। आप इस तरह से इन्ट्रप्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बोलने दीजिए इनको। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनकी आत्मा पंचायती राज के आस-पास ही डोल रही है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जब मेरे को रैफर किया इसके लिए बोल रहा हूं। मुझे रैफर किया है इसलिए बोल रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, आपका नोट बाई नेम नाथू सिंहजी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उन्होंने कहा है, 1994 में जो मैंने कानून बनाया, यह लेकर और दबा कर बैठे रहे और इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने मुझे रैफर किया इसलिए जानकारी देना चाहता हूं।

श्री सभापति: दो-तीन बार आपने रैफर किया कि 1994 में ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्रीजी, आपकी आत्मा पंचायती राज के आस-पास ही डोल रही है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): हां, मेरी तो है, मैं गांव का आदमी हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अब तो आपके पास सहकारिता है, आप कालूलालजी को जवाब देने दीजिए। (व्यवधान) क्या आप समझते हैं कि कालूलालजी अक्षम हैं? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं गांव का आदमी हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कभी आप उठते हैं, कभी उधर से जोगारामजी उठते हैं, कभी यह देवनानीजी उठते हैं, आखिर यह सक्षम मंत्री हैं, यह विभाग चला रहे हैं।

श्री सभापति: बिराजें आप। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मुझे रैफर किया है, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनका भाषण पूरा हो जाए तब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह तो ठीक नहीं है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं जब मुझे रैफर किया है ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह बोल लें उसके बाद इनको मौका दे दें आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक्ट लाये हैं आप, यह कहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मौका नहीं है, बीच में मेरे को रैफर किया है इसलिए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो फिर वाद-विवाद का कोई स्तर नहीं होगा, अभी मंत्रीजी जवाब देंगे हम खड़े हो जायेंगे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): वाद-विवाद नहीं, अब आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, वो और मैं बीच में हैं आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? वो राज़ी हैं।

श्री सभापति: 1994 के मंत्री का रेफरेंस दिया है इसलिए खड़े हो रहे हैं आप, आधा मिनट में कन्क्लूड करें इस बात को। आधा मिनट में कहें आप और कोई भी माननीय सदस्य बीच-बीच में नहीं टोकें अब।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य राज़ी हैं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं?

सभापति महोदय, तीन एफ-फंक्शन, फंक्शनरीज एण्ड फंड, यह तीन चीज देने की बात हुई थी। जहां तक मुझे ध्यान है, सब्जैक्ट टु करैक्शन, मैंने अभी एक्ट मंगाया है, मुझे जहां तक ध्यान है उसमें 'में' वर्ड यूज किया गया है, 'में' वर्ड 'शैल' यूज नहीं किया गया।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैं इस पर पहले ही बोल चुका हूं, मैंने, सभापति महोदय, दोनों का ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक मिनट। आपने मुझे रैफर कर दिया इसीलिए।

श्री सभापति: चलिये, बाद में बात कर लेना, आप मंत्रीजी को बता देना ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मुझे रैफर किया है।

श्री सभापति: आपको रैफर किया है। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): या तो पंचायती राज मंत्रीजी से कहें अगर इतना बढ़िया आपका सब्जैक्ट है तो आपको मुख्य मंत्रीजी से यही विभाग मांगना चाहिए था।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आपने रैफर कर दिया इसलिए।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): No. Reference is other thing. I only protest

श्री सभापति: बिराजें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आपने उस समय केवल फंक्शनरीज को कुछ दिन आफिसेज में बैठाया, फंड नहीं दिया और वापस विथड्रा कर लिया।

श्री सभापति: बिराजें आप। अब कोई माननीय सदस्य बीच में टोका टाकी नहीं करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनका अनुभव सुनना चाहते हैं हम।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): देखिये, आपका सोचा-समझा, आदरणीय सभापति महोदय, + + + उसने वहां 'में' वर्ड यूज किया। इस पंचायती राज को डुबोने का अगर कोई शब्द है 'में' आप जानते हैं एक्ट होता है, वर्ड

(श्री महीपाल मदेरणा)

'शैल' होना चाहिए था और मैंने कहा यह मेण्डेटरी प्रोविजन इसलिए नहीं किया कि यह जो हम ऊपर की शासन व्यवस्था में आते हैं कि इनकी ऊपर से डिगडिगी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी यह मूल भावना ही नहीं थी कि पंचायती राज को अधिकार सम्पन्न किया जाए। वरना तो 17 साल ...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): फिर मैं कहूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति: बैठें आप। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): 73वें अमेंडमेंट में एक्ट में वहां 'शैल' वर्ड यूज नहीं था, वहां भी 'में' था इसीलिए हम को 'में' करना पडा अगर वहां' शैल' होता तो हम भी 'शैल' वर्ड यूज करते। यह कांस्टीट्युशनल प्रोविजन था, हम कैसे कांस्टीट्युशन से बाहर जा सकते हैं।

श्री सभापति: बिराजें आप। (व्यवधान) बोलने दें आप अब इन्हें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह आपका एक तर्क है। एक वकील होने के नाते, एलएल.एम. किये हुए होने के नाते, उस बात को छिपाने के नाते दिखावटी तर्क मत प्रस्तुत करो, आप जिम्मेदार हो, इस एकाउंटेबिलिटी को कहें कि जवाबदारी थी, मेरे से गलती हुई है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मणिशंकर अय्यर जिम्मेदार थे।

श्री सभापति: अब आप बोलने दें, कोई टोका-टाकी नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): Mr. Manishankar Iyer is no authority. Authority is the Constitution which is before you.

सभापति महोदय, दिखाने के लिए सब विचार मन्थन करते हैं। पंचायती राज में सारे इन्दिरा संस्थान में सम्मेलन करते हैं और प्रयोगों का दौर करते हैं और अभी भी प्रयोगों का दौर चल रहा है और कब तक ऐसा कर दोगे कि अधिकार सम्पन्न बना दोगे, इनके अधिकार जो हैं उनको हस्तान्तरित कर दोगे? बड़ी अजीब बात कहते हैं कि हमने सारा का सारा फंड इनको रिलीज कर दिया, अगर टोटल बजट का 2.18 परसेंट है और नया जो वित्त आयोग है उसने अभी तक अपनी सिफारिश नहीं दी है, जब केरल ऐसा प्रदेश है जिसके अन्दर 50 परसेंट जो स्टेट का फंड है वो पंचायती राज के माध्यम से खर्च होता है इसलिए आप यह मत कहो कि हमने फंड दे दिये, इस योजना में दे दिये, इस योजना की क्रियान्विति कर दी। नहीं, आपने फंड भी नहीं दिया और अधिकारी तो हैं ही नहीं आपके पास, उधार के लगे हुए हैं। विकास अधिकारी उधार के, ग्राम सेवक भी इनके महिलाएं हैं उनके महिला ग्राम सेवक होनी चाहिएं और

(श्री महीपाल मदेरणा)
इनके पास पहले जितने तकनीकी अधिकारी विषय विशेषज्ञ एक भी नहीं हैं, पूरा राज्य राम भरोसे इन सर्व शिक्षा अभियान के मास्टरों पर चल रहा है। आधे से ज्यादा मास्टर इनके डेपुटेशन पर वहां बैठ कर यह काम कर रहे हैं। क्या यह बात दिखती नहीं है पंचायती राज मंत्रीजी को?

सभापति महोदय, पंचायत समिति का ताला भी शाम को आठ बजे खुलता है, एक होता है कि जिसकी सील होगी, उसका आफिस होगा, उस आफिस की सील का ताला आठ बजे खुलता है। पूछो क्यों? कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्रश्न करने वाला नहीं और जब वहां इनकी जनरल बैठक होती है उसके अन्दर कोई सवाल कर देता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है इस नौकरशाह के द्वारा। पूछो इनके अधिकारियों को, जिला परिषद की मीटिंग में यह अमूमन अधिकारी एब्सेंट रहते हैं। क्या व्यवस्था है, जहां सम्पूर्ण अधिकारियों को आना चाहिए, पंचायत समिति की बैठक में कोई अधिकारी नहीं आता। किस से बात करें, वो पंचायती राज का अधिकारी किस से बात करे? कोई नहीं। लिखने के बाद, जिला कलक्टर को लिखने के बाद यह कहते हैं कि हम प्रशासन चल रहा है, अभाव अभियोग चल रहा है, आप लिख कर दीजिए। कुछ नहीं, वहां किस से बात करो, विकास अधिकारी से बात करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं कि यह बताया जाए कि इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको यह होना चाहिए कि 20 परसेंट निरीक्षण बहुत आवश्यक है, प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, उसमें एक भी साल में निरीक्षण नहीं करता। एक भी पंचायत समिति की बैठक में नहीं जाता और फिर कहते हो कि नहीं, इनका सुदृढ़ीकरण करने जायेंगे। ऐसा चौपट राज मैंने तो कभी देखा नहीं पंचायती राज का।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, इधर, आपस में बात नहीं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में कांस्टीट्युशनल अमेंडमेंट 243 ...

श्री सभापति: बाद में करना ...(व्यवधान) लेट हिम कम्प्लीट।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए आप, ऐसे नहीं।

कांस्टीट्युशन 73वें अमेंडमेंट का 243 जी ''Powers, authority and responsibilities of Panchayats. Subject to the provisions of the Constitution the Legislature on a state may by law endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-

government and such law may content provisions for the of devolution of powers and responsibilities upon the Panchayats at the appropriate level subject to such conditions as may be specified therein"

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): I have got an objection your honour.

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): How can a state can use the word 'shall'? I cann't understand it.

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, बिराजिये अब आप। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह कांस्टीट्युशन में लिखा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): Then I will request to the Chair.

श्री सभापति: बिराजिये आप।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरा व्यू भी सुन लिया जाय, इन्होंने पढ़ लिया। इस सदन के अन्दर उस समय के पंचायती राज के निदेशक को बुलाया जाय, जो इन्होंने कहा और उन्होंने जो पंचायती राज संस्था में भाषण दिया वह दोनों विपरीत हैं। The person must be called here and you must examine that whatever this Minister is saying whether this is truth or whatever he has said is truth.

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं तो कांस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): कांस्टीट्यूशन नहीं आप रहने दो, एल.एल.एम. कर लिया, कांस्टीट्यूशन हो गया। बात करते हो, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा।

डा. एन. एस.गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप तो स्वयं जानते हो कांस्टीट्यूशन के विपरीत कोई स्टेट जा सकती है क्या? जा सकती है क्या स्टेट?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय ,पहली बात तो इन पंचायती राज संस्थाओं के फंक्शन, फंक्शनरीज, फण्ड स्पष्ट रूप से सुपुर्द करने चाहिए थे, राज्य स्तर पर कार्यवाही होनी चाहिए थी, सत्रह साल में नहीं हुई तो इन तीनों का अब क्या इम्पलीमैंट होगा, इनके जाने के तो दिन आ ही गये। आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़):... (व्यवधान) स्वतन्त्र है बोलने के लिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत पहले कह दी गयी। सही आप नहीं बोल रहे ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह तो आपने भी कहा है वसुन्धराजी का राज आएगा।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैंने यह नहीं कहा। मेरे शब्दों को नहीं पकड़ सके आप ...(व्यवधान) आपकी अक्ल इतनी मोटी है, मेरे शब्दों को नहीं पकड़ सके।

श्री सभापति: मदेरणा साहब have you completed?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने भी यही कहा और नारायण सिंहजी ने भी यही कहा।

श्री सभापति: आदरणीय मदेरणा साहब, पूरा हो गया आपका?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सिर्फ दो मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इतना इंटरप्शन होगा तो कैसे बोल सकते हैं?

श्री सभापति: नहीं, नहीं वह तो आपने रैफर किया था 1994 के मिनिस्टर थे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह तो इनका भाग्य था, वसुन्धराजी की नजर पड़ गयी और नहीं होती तो यह बोल सकते थे क्या He is not a Minister and if he is a Minister, he is not Minister for Panchayati Raj and you being a very good Lawyer.... आप जैसे चुप थे वैसे ही मैं भी चुप था ... (व्यवधान) सुनते जाओ मुझे। अच्छा है कि यह वर्णित अधिकार हस्तांतरित करने के लिए पहल करनी चाहिए इस भाजपा की सरकार को और इसको तीन महीने के अन्दर चाहे आपकी समिति की सिफारिश से हों, तुरन्त गति से इस काम को किया जाना चाहिए। तब तो यह माना जाएगा कि आप संकल्पबद्ध हैं।

आपने इस किताब में लिखा है कि हमने नये सोपान बना दिये हैं, संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, अगर तीन महीने में अधिकार नहीं सम्पन्न कर सकते तो इस किताब को फाड़कर डस्टबिन में डाल देना। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि जन प्रतिनिधि सक्षम बनें और अधिकार सम्पन्न हों। आप क्यों सोचते हैं कि

(श्री महीपाल मदेरणा)

पंचायत राज के अधिकारी सक्षम नहीं हैं, जन-प्रतिनिधि ही सब हैं, आपके प्रमुख भी सक्षम नहीं हैं तो बड़ी गलती की आपने उनको बनाकर। अब देरी नहीं करनी चाहिए और ना धोखा देना चाहिए। अगर आप संकल्पबद्ध, कटिबद्ध हैं तो निश्चित रूप से तीन महीने के अन्दर इस बात की एक संकल्पबद्ध तरीके से निश्चित कि हम इन अधिकारों को हस्तान्तरण, फंक्शन, फंक्शनरीज एण्ड फण्ड, चाहे राजस्थान का कितना भी पैसा खर्च हो जाय, राजस्थान के कोने-कोने में यह प्रभारी मंत्री और मंत्री जायेंगे। अगर इनको अधिकार संपन्न नहीं किया तो सभापति महोदय, इन सब मंत्रियों का मैं मारवाड़ के अन्दर घेराव कराऊंगा और उसमें सारी पंचायती राज की संस्थाएं एक होकर मेरा काम करेंगी।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): हमारे देश को मंगता और कंगाल तक ...(व्यवधान) स्पेन के राजकुमार के सामने क्या कहा इनके केन्द्रीय मंत्री ने, मणि शंकर अय्यर ने, हमारे देश में भीख मांगने की परम्परा रही है।

श्री सभापति: विराजें विराजो।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): परन्तु सब के सामने भीख मांगना ठीक नहीं है परन्तु मैं कह रहा हूं कि हमारा देश कंगाल है, मंगता है और भिखारी है और हमारे हाथ में कटोरा है। स्पेन के राजकुमार जब भी हम आपके पास कटोरा लेकर आते हैं तो इसमें कुछ न कुछ डाल दीजिएगा, क्या उसका भी घेराव करेंगे मणिशंकर अय्यर का।

श्री सभापति: विराजो।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बहुत बढ़िया कहा आपने ...(व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): बहुत अच्छी बात है यह उनको पूछो, हमारे देश का अपमान किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठो, बैठो।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): पुरानी बातों में कोई ...(व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): पुरानी बात है क्या, आप इतिहास को पुराना समझते हो क्या।

श्री सभापति: बैरवा साहब बैठें, आप बैठें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): वित्तीय प्रबन्धन के कारण तो वसुन्धराजी राजस्थान की अग्रणीय महिला बन रही हैं और यह पुरानी बात कर रहे हैं जो पहले चार साल से....

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आज की बात करो, वर्तमान में जीओ, वर्तमान में नहीं जीओगे तो आप धोखा खा जाओगे।

श्री सभापति: बैठो, बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): वर्तमान में जीयेंगे तो धोखा नहीं खायेंगे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपको भी करवा दूंगा, आप मेरे मित्र होकर बीच-बीच में ...(व्यवधान) इसलिए यह बात भी सही है कि हमारी सरकार ने जाते-जाते हस्तान्तरण किया बल्कि अब सरकार किसकी है, राजस्थान में सरकार लोकप्रिय किसकी है, वित्त प्रबन्धन वाली सरकार किसकी है, विकास के काम करने वाली सरकार किसकी है, भाजपा की और सरकार के सामने यह सबसे बड़ा प्रश्न है, कहते हो आप मैं नहीं कहता ...(व्यवधान) मैं नहीं कहता, आप अपने भाषणों में यही बात कहते हो।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): अन्तरआत्मा से बोल रहे हो आप।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सुनते जाओ, यह सब आप कहते हो, यह जुमले हैं ना यह जुमले आप लेकर आते हो, मैं नहीं लेकर आया। अब प्रश्न यह खड़ा होता है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह दो तारीख को क्या ?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): दो तारीख को आपको और कहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कहा था इसी सदन में 2 तारीख को हम घोषणा कर देंगे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैंने पंचायती राज की कही थी क्या? आप मुझे क्यों टोक रहे हैं बीच में?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पंचायती राज और ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, प्लीज, प्लीज।

श्री सभापति: Let him complete.

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): Within two minutes I will conclude. मैंने इसलिए सारी बातें कहीं कि ...

श्री सभापति: बीच-बीच में कोई टोका-टोकी नहीं करें। सदन का समय जाया हो रहा है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): पंचायती राज से लम्बा संबंध रहा। उसकी पैरी के रूप में था इस कारण यह सारे प्रश्न मेरे सामने आते हैं। मैं कोई आपकी नेकनीयती पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहता और मैं यह विश्वास करता हूं कि आपको घोषणा करनी चाहिए 23 अमेण्डमैंट की मूल भावना के अनुरूप पंचायती राज के 29 विषयों से जुड़ी गतिविधियों को साथ-साथ फण्ड एण्ड स्टाफ को हम अच्छी तरह से करेंगे। यह आशा और विश्वास की मांग, सभापति महोदय, इनकी मांग में कोई दम नहीं, आप जानते हैं मंत्रीजी कम ही बोलते हैं।

श्री सभापति: सम्माननीय तगारामजी चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 50, 28, 41, 33 के सम्बन्ध में अपने विचार रखूंगा पक्ष में, पूर्णतया पक्ष में बहुत जोरदार शब्दों में पक्ष में बोलूंगा1 सभापति महोदय, मैंने सदन में तो आकर के अभी पहली बार बैठना, सुनना, देखना किया लेकिन जिदंगी भर सदन राजस्थान का चलते हुए देखा हुआ है, पूरा जीवन, पूरी आजादी। पहले अंग्रेजों का राज और फिर भारत का विभाजन होना और फिर यह लोकतंत्र स्थापित होना, 1952 में चुनाव होना, सारों में यूं का यूं खड़ा हूं आज खड़ा हूं इस तरह से। मेरे देखने में जब वसुन्धराजी ने 8 दिसम्बर, 2003 को सत्ता संभाली थी राजस्थान सरकार की तब से लेकर आज दिन तक भी देख रहा हूं और मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी से, सच्चाई से कह रहा हूं कि इस प्रकार का वित्तीय प्रबन्धन आज तक नहीं देखा गया। इस तरह की विकास की गंगा बहते नहीं देखी गयी, इस तरह से मन से सब की भलाई करना और शुद्ध रहना, हर तबके का, हर वर्ग का, हर योजना का और जो जिसमें कमी है उसको दूर करने का, ऐसा पहले नहीं देखा। यह मैं बिलकुल सत्य कह रहा हूं और आत्मा से कह रहा हूं।

अब बातें आती हैं पांच साल तक कुछ भी नहीं किया, मैं कहूं कि इतने गेहूं आए थे वह कहां गये, उसका पता नहीं है और चारा आया था उसका भी पता नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। एक नौकरी नहीं लगाई और सलाह दे रहे हैं इतने नौकर रख दो, सारी जगह भर दो, बैकलाग बंद कर दो, फलां बंद कर दो। केवल आप सलाह देने में नहीं चूकते हो।

एक बात और आप पढ़ते हो भारत सरकार के हैं सब, भारत सरकार के हैं सब। हम कहते हैं हम भारत में हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान

(श्री तगाराम चौधरी)

भारत का अभिन्न अंग है और राजस्थान का हक है। हक है भी भारत की निधि है उस निधि में से अपने आप यहां पर राजस्थान का हक आना चाहिये जो नहीं आया है। बहुत से मायनो में नहीं आया है।

बहुत अफसोस है मुझे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, उसकी राशि पांच साल में बाड़मेर जिले की 98 करोड़ रुपये और बार-बार क्या कहते हैं, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का गरीब जनता के साथ धोखा क्या हो सकता है। नौकरी एक नहीं लगायी और वायदा किया था। अब बताते हैं मैनीफेस्टो में क्या लिखा है। फलां में क्या लिखा है। आपका मैनीफैस्टो नौकरियां लगाने का था और आपने रोक जरूर लगायी है। उसको नौकरी मानते हो तो मान लो और फिर भी आप हिम्मत के साथ कह रहे हो कि आप नहीं रहोगे, फलां नहीं रहेंगे। कौन रहेगा, कौन जायेगा, वह आपके हाथ में है न हमारे हाथ में है। किसी के हाथ में नहीं है। प्रकृति के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ में है ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ब्याईजी को कहो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ब्याईजी को कहूं। ब्याईजी कौन से अकेले बोलते हैं? सभी बोलते हैं। मैं कौनसा अकेला बोलता हूं, सभी बोलते हैं। मैं तो पूरे आज तक जो सदन चला है उसमें आज ही बोला है मेरे को कि तगाराम बोलेगा ... (व्यवधान) पचास साल में नहीं इस सदन में अब इस सेशन में, बजट सैशन में ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): हमारे हीरो हैं तगारामजी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नहीं-नहीं, हीरो नहीं। काहे का ? मैं तो झोपड़ी में रहता हूं ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): हीरो भी झोपड़ी में ही रहते हैं ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अब झोपड़ी में रहता हूं इसलिए हीरो काहे का और नाम मेरा तगाराम है तो हीरो नाम तो नहीं है।

इसलिए फिर मैं तो दावे के साथ कहता हूं। मुझे बहुत याद है, अच्छी तरह से याद है कि स्वर्गीय राजीवजी गांधी जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि एक रुपया भेजता हूं और 15 पैसे जमीन पर दिखते हैं। यह आंखों से देखा, कानों से श्रवण और विदित है। फिर उसके बाद में यह कहना

(श्री तगाराम चौधरी)

भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट हैं, यह हैं, वह हैं, मैं तो भ्रष्टाचार का नाम भी आज इस उत्तर में ले रहा हूं। बाकी तो मैं कभी नहीं लेता। मैं तो कोई ईमानदारी का लेता हूं न भ्रष्टाचार का लेता हूं। दोनों ही घूम रहे हैं जो आज तक लेकिन उसमें कम हुआ होगा, अवश्य कम हुआ होगा यह मैं दावे के साथ कहता हूं। पूरा का पूरा आप बंद कर दो तो कर देना था पांच साल पहले। राज किया था उस समय।

मैंने गेहूं का सवाल उठाया। उसमें बहुत गहराई है। हकीकत में सभी जानते हैं और गेहूं कितने में मिल रहा है ? क्या भाव है ? किस भाव में मंगा रहे हो ? वह सारा आपको बताना चाहिये था। जवाब देना चाहिये था।

किसानों की बात पाले और शीतलहर के बारे में आपने हां नहीं भरी कि सी आर एफ में बदलाव लाएं। आपको तो आगे होकर कहना चाहिये था। इतना ही नहीं कर रहे हो। कोई भी योजना रुकी हुई पड़ी है उसके बारे में तो आप खुशियां मनाते हो। आपका मतलब है प्रतिपक्ष की कह रहा हूं। खुशियां मना रहा है। जानता हूं बिलकुल।

याद है सोनियाजी आयी थीं। कवास डूबा हुआ था। बड़ी उम्मीद करके बैठे थे वहां के लोग कवास के और कवास को उस समय अब नाम लेकर नहीं कहूंगा लेकिन वहां लेकर आये थे वह कवास के बहुत ऐसे हितैषी थे जिसका कोई ठिकाना नहीं और मैं बीमार था उस समय बाड़मेर में सोया हुआ था। फिर मैंने टी वी देखा। मैंने कहा सोनियाजी आयी हैं, पता नहीं इतनी इस प्रकार की जो त्रासदी हुई है, जन हानि, पशु हानि, खेत सारे बह गये, फसल बह गयी, घर बह गये, घर डूब गये, डूबे हुए पड़े थे, उनका कोई ठिकाना नहीं था। धोरों पर लोग बैठे थे। उनके आंसू पोंछने आये थे, सिर्फ आंसू और टी वी में देखा तो एक रुपया भी कहीं दिया हो तो बता दे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य कि इतना तो दिया था। फिर क्या हल्ला मचाया ? कुछ नहीं किया, राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है और इस पाले में भी अभी पूरा सदन देखा मैंने। पाले के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कर रहे हो और करो। आप सुन नहीं रहे हो या आपके सुनायी नहीं दे रहा है।

वसुन्धराजी ने कभी भी यह नहीं कहा है कि पैसा नहीं है और हम नहीं करेंगे। हम करेंगे, वसुन्धराजी तो और करेंगी लेकिन आपको हां भर लेनी चाहिये थी। हां तक भरना स्वीकार नहीं है और एकदम एक कहावत है कि किसी मेरे जैसे को पूछा कि जमीन का अधबीच कहां है तो उसने एक जेई रौंपी थी और जेई रौंप कर कह दिया कि यहां पर है। वह करके आप बैठ गये पूरे सदन में।

(श्री तगाराम चौधरी)

(समय : 15.36 बजे)

(श्री बीरू सिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

मैं तो वसुन्धराजी के एक बजट की नहीं यह पांचवां बजट है, पांचों बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा तो मैं तो करता हूं जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। धन्य हैं वसुन्धराजी जिन्होंने इस प्रकार का वित्तीय प्रबंधन और विकास की गंगा बहा करके सभी की सुध ली है। भगवान करे वर्षों तक राज करें और करती जाएं। यह मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे को आपने बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य हरिमोहनजी शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-50, 28, 41 और 33 पर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मूल रूप में पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार मिलने चाहिये थे और अधिकार देने की भावनाएं थीं संविधान संशोधन के बाद जिस प्रकार के अधिकार इनको देकर अपने पैरों पर खड़े रहते हुए स्वतन्त्रतापूर्वक इन संस्थाओं को जन सेवा और ग्रामीण विकास में लगना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है। हो नहीं पा रहा है इसलिए कि भले ही संविधान के संशोधन की भावना हो, चाहे आपके द्वारा बनाये गये प्रावधानों के अन्तर्गत आपकी इच्छा हो लेकिन मूल रूप से सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को स्थानान्तरित नहीं करना चाहता और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सत्ता पक्ष में बैठे रहने वाले माननीय मंत्रीजी समेत सभी मेरी इस अभिव्यक्ति को सच मान करके यह दृढ़ विश्वास उनका भी है तो फिर आपको परिवर्तन करना चाहिये। आपसे हम अपेक्षा करते हैं। सत्ता में आप बैठे हो और जब तक मूल भावना विकेन्द्रीकरण की नहीं होगी तब तक कोई भी पंचायत राज सफलतापूर्वक मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर ग्रामीण विकास नहीं कर सकता लेकिन सोच हो और सोच किनका ? सोच हो माननीय मुख्य मंत्रीजी का ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सोच तो है पर विश्वास नहीं है ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मुख्य मंत्रीजी का आप में विश्वास है कि नहीं है यह तो मैं नहीं जानता ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पूरा है। पंचायत राज का अभी किसी को यह विश्वास ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपने ही तो कहा विश्वास नहीं है ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सोच तो कांग्रेस का भी हुआ ... (व्यवधान) सभी का हुआ ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपने ही तो कहा कि विश्वास नहीं है ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन यह विश्वास जो है पंचायत राज वाले ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : सभापति महोदय, मेरे समय का ख्याल रखें बस और कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: इनको बोलने दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मूल रूप से यह सोच होना चाहिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि जिस प्रकार से आप तारीफ कर रहे हैं कि 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की हिम्मत की, मैं तो उम्मीद करता था कि पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार पूर्व की सरकार ने दिये थे चाहे वह ठीक ढंग से दिये या नहीं दिये। उनके लिये बजट प्रोविजन किया या नहीं किया। लेकिन आपने तो कम से कम कमेटी के नाम पर, उन अधिकारों को अपने पास लेकर के इन संस्थाओं को पंगु बनाने का काम किया है। मुख्य मंत्रीजी भले ही यह घोषणा करें कि मैं 50 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण कर दूंगी। लेकिन बिना अधिकारों के क्या महिलाएं कारगर ढंग से काम कर पायेंगी।

सभापति महोदय, आपका पूरे सवा चार साल का शासन हो गया, आपने इनके समय में कमेटी का निर्माण कर दिया, मंत्रिमंडलीय समिति बन गयी। अनेक बार पंचायत राज मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि शीघ्र ही हम इस बात का फैसला कर रहे हैं, पूरे सवा चार साल का शासनकाल गुजर चुका आपका और यह अंतिम वर्ष जो आपका चल रहा है, इस वर्ष में भी आपने यह हिम्मत नहीं की कि पंचायती राज संस्थाओं को आप अधिकार दें। सारे अधिकार आपने अपने पास ले लिये तो मूल रूप से जिस प्रकार मंत्रिमंडल के सदस्य अपने आपको इस बात के लिए ठगा सा महसूस करते हैं कि जैसे सारे अधिकार उनके पास नहीं होकर के माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास ही हों, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाएं भी महसूस करती हैं।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सभापति महोदय, जहां तक अध्यापकों के छोटे से छोटे स्थानान्तरणों की पावर डीसी से आपने ले ली। अब पंचायत समिति से पंचायत समिति में ट्रांसफर की पावर आपने ले ली। आपने ऐसा कोई भी काम जो अधिकार मूल रूप से उनके पास थे उनको भी आपने विदड्रा करके थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर्स का अधिकार भी आपने अपने पास ले लिया। टीचर्स का अधिकार ले लिया, हैंड पंप मिस्त्रियों का अधिकार ले लिया। विकास अधिकारी का तो आपके पास ही था। लेकिन आप उस धरातल पर पहुंच गये कि जिस धरातल पर सरकार को इतने छोटे स्तर के स्थानान्तरण पर नहीं जाना चाहिये। लेकिन अपनी-अपनी सोच है।

सभापति महोदय, जहां तक विकास की बात का सवाल है कोई मानीटरिंग सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का और मानीटरिंग सिस्टम के अभाव में जिन योजनाओं को पंचायती राज को लागू करना है, उन योजनाओं को पंचायती राज अगर प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाये और उनकी मानीटरिंग के अभाव में विकास की गति होनी चाहिए थी। जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना चाहिए था उनमें अगर गति प्राप्त नहीं कर पाये तो इसका दोष प्रशासनिक तंत्र को जाता है और प्रशासनिक तंत्र का हैड या तो मंत्री है या माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं तो किसी न किसी स्तर पर इस कमी को पंचायती राज संस्थाओं के मामले में बहुत साफ देखा जा सकता है।

सभापति महोदय, यह अनेक योजनाएं हैं, यह वार्षिक प्रतिवेदन आपने प्रस्तुत किया है। इसमें अगर आप देखें शुरू सें, आप यह देखें कि एसजीएसवाई लाभान्वित स्वरोजगारों की संख्या, 47 हजार का लक्ष्य हमारा था और आपने उस लक्ष्य की बजाय केवल 21 हजार समथिंग का लक्ष्य प्राप्त किया और आपने जो घोषणा की उन लक्ष्यों की प्राप्ति आप नहीं कर पाये। यही नहीं गरीब लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना जो निर्धनतम बीपीएल परिवार जो सबसे अंतिम छोर पर अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिये इंदिरा आवास योजना स्वीकृत होती है। उस योजना का जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये। बेरोजगारों के लिए आप कहते हो कि हम एक लाख व्यक्तियों को हर साल रोजगार देंगे, कभी कहते हैं कि हम आठ लाख लोगों को शीघ्र ही इस साल में रोजगार दे देंगे। हमने बहुत बड़े-बड़े प्लान बना लिये हैं। लेकिन आप क्या रोजगार उपलब्ध करा पाये और आप लक्ष्यों की प्राप्त नहीं कर पाये।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सभापति महोदय, इंदिरा आवास योजना का आपका 47354 का लक्ष्य था और उस लक्ष्य में से आप केवल 15137 इंदिरा आवास बना पाये। मतलब कि जो निर्धन है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, कड़कड़ाती सर्दी में वह छप्पर में पड़ा रहता है। गर्मी में वह लू के थपेड़े खाते हैं, उनको अगर केन्द्र सरकार ने योजना बनाकर के आपको पैसे उपलब्ध कराये तो आप उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप उस पैसे का समय पर उपयोग नहीं कर पाये। उन गरीब लोगों के उत्थान के लिए आप कुछ नहीं कर पाये हैं।

सभापति महोदय, आप देखिये, इसी प्रकार से केन्द्र की जो दूसरी योजनाएं हैं, आप उनको देखें, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत में जो काम चल रहे हैं, जो मिनी एनिकेट्स के काम चल रहे हैं, इनका पानी का स्टोरेज, पानी का बचाव, अप्रत्यक्ष रूप से पानी का ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होना, आप इसको उठाकर के देख लीजिये, 88 आपने काम चालू किये और 88 में से पूरे कितने किये आपने 6, 6 काम आप आपने इसमें पूरे किये। सहरिया जनजाति क्षेत्र में भवनों के लिए 250 लाख की राशि थी और आप 140 लाख ही खर्च कर पाये। शेष राशि आप खर्च नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनाएं, यह योजनाएं जिस समय आपने चालू की थी तो आपने इस दृष्टिकोण से चालू की थी कि आप गुरु गोलवलकर को अपने आराध्य देव के रूप में या किसी भी रूप में उनका सर्वोच्च स्थान इन गरीबों के प्रति योजना बनाने में करना चाहते थे। आप देखिये, जिस भावना से आपने गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का काम आरम्भ किया है उसके लिए आपके पास 2357.9 लाख रुपये थे, खर्च क्या किया आपने, औरों के नाम पर करो या ना करो, इंदिरा आवास योजना में तो नाम आने से कुछ मानसिक तनाव या प्रताड़ना आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन गुरु गोलवलकर के नाम से तो माननीय मंत्रीजी आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि अपने जिन नेतृत्व के नाम से आप योजना चलाना चाहते हैं, उन योजनाओं पर भी आप ध्यान नहीं देवें और उन योजनाओं के हिसाब से भी गुरु गोलवलकर में 2357 की जगह आप 1314 लाख खर्च कर पाये। इसी प्रकार से अनेक योजनाएं हैं, इंदिरा आवास हो, एसजीआरवाई आप देख लीजिये, इसमें आपके पास 11 हजार लाख थे और उसमें आप 9 हजार लाख रुपये ही

(श्री हरिमोहन शर्मा)

खर्च कर पाये। यह जो परिस्थिति है, उस योजना की मानीटरिंग है, आपको जिस हिसाब से काम करना था, आप किसी भी स्थान पर मानीटरिंग नहीं कर पाये और इन योजनाओं को आप ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाये। मैं आपको दूसरी योजनाएं बता दूं, गुरु गोलवलकर वाली बात मैंने आपको बतायी, आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक उत्थान के जो प्रणेता थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रणेता मानती है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप तो मानते हो कि गुरु गोलवलकर को प्रणेता?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप मानते हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं नेकर कहां पहनता हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): गुरु गोलवलकर को प्रणेता मानते हो कि नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं नेकर नहीं पहनता हूं ना ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बिना नेकर के भी ...(व्यवधान) हम बिना नेकर वालों की भी मान लेते हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं नेकर नहीं पहनता हूं ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई बात नहीं ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आप तो नेकर वालों के भी खिलाफ हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनको मानने के लिए नेकर पहनना आवश्यक नहीं है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आप तो नेकर वालों के खिलाफ हैं ना यह कह दें सदन में ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी आप नेकर पहनने वाले ही उनको नहीं मान रहे हैं तो बिना नेकर पहनने वालों से कैसे अपेक्षा करते हो ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपके आराध्य देव कौन हैं, यह भी बता दें सदन में ...(व्यवधान) इनके आराध्य देव कौन हैं, यह तो बता दें ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप क्या सीधे ही पैंट पहनकर ही आते हो क्या ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सोनिया गांधी।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : +++

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री) आप पैंट के नीचे कुछ तो पहनते होंगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सोनिया गांधी, सोनिया गांधी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह जो सोनियाजी के बारे में जो भी बाते कहीं हैं इनको कार्यवाही से निकाला जाये...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): +++ है इसमें क्या है, स्वीकार करो ना ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, वह देश की बहू हैं ...(व्यवधान) आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं यह गलत कर रहे हैं, आप बात तो करते हैं ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): वह +++ हैं इस बात को देश जानता है। आप जाने ना जानें, उससे क्या फर्क पड़ता है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह देश की बहू है और उसके बाद भी कह रहे हैं, एक तरफ तो यह कहते हैं कि भारत की संस्कृति उदार चरित्र वाली है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, बहू है, बहू है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और दूसरी तरफ भारत की बहू को +++ कहना अपराध है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई भी माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप क्यों खड़े हुए बिना अनुमति के ...(व्यवधान) आप बिराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): इटली का नाम क्या था, इटली में उनका नाम।

एक माननीय सदस्य: उनको नहीं मालूम।

श्री सभापति: बैठें आप लोग।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)
हैं और इस देश की बहू हैं। देश की बहू का अपमान करना, देश की संस्कृति का अपमान करना है इसलिए जो भी उनके बारे में कहा गया है उसको एक्सपंज कराया जाये।

श्री सभापति: बिलकुल डिलीट कर दें ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बहू के लिए कुछ थोड़े ही कहा है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बहू बेटी होती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना माननीय मंत्रीजी देखें, योजना कैसी चल रही है। न आपने देखा और न मुख्य मंत्रीजी ने, वह तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भले ही उनके मूल विचार इन लोगों से न मिलते हों फिर भी जिन लोगों के जिनके उस संस्था में विचार मिलते हैं उनको दिशा भ्रमित करने के लिए नाम जरूर दे दिया है। चाहे वह गुरु गोलवलकरजी का हो चाहे दूसरा नाम हो।

इसी क्रम में आपने यह योजना चालू की, इस योजना में आपको जो ग्रामों का चयन करना था, कितने ग्रामों का चयन किया आपने और कितने गांवों में आपने यह योजना तैयार कर दी और कितने गांवों में आपने यह योजना चालू कर दी? आपने 7-8 में जो लिखा है, 339 काम स्वीकृत किए हैं, आपने इस योजना के अंतर्गत माननीय मंत्रीजी, कई काम किए। आप गर्व से अपनी पुस्तिका में यह लिख रहे हैं कि 339 काम हमने स्वीकृत किए थे लेकिन केवल मात्र 23 काम ही पूरे कर पाए हैं। यह तो उन हस्तियों के नाम जिनके लिए आपने विशेष योजनाएं स्वीकृत की हैं उनमें आपने जो परिस्थितियां पैदा की और उनमें आपकी मानीटरिंग और जो आपका काम करने का तरीका है यह पूरा का पूरा जो विकास का काम, जो काम आपने पंचायतीराज को दिए हैं वह हस्तक्षेप के कारण, ठीक प्रकार से उनको अधिकार न होने के कारण, उनको काम करने की स्वतंत्रता न होने के कारण, प्रशासनिक अड़ंगे के कारण और मानीटरिंग के अभाव में सत्ता पक्ष के शीर्ष स्थान पर बैठे रहने वाले लोगों का ध्यान कतई इस विभाग की ओर नहीं है और इसी कारण यह काम की जो योजनाएं आपने दी हैं वह कोई भी काम आप पूरे नहीं कर पाए हैं।

करिश्मा योजना को ले लें आप। करिश्मा योजना में आपने सब पंचायत समितियों को जोड़ दिया, 1100 पंचायतों को करना था, आप देख लो,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

किस पंचायत समिति में, जिला परिषद में करिश्मा योजना के अंतर्गत क्या काम हो रहा है, क्या उसका उपयोग हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपये उसमें बरबाद कर दिए।

चूंकि मुझे संक्षेप में अपनी बात कहनी है तो मैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के मामले में और इसका प्रशासनिक तंत्र कैसा चल रहा है, आपने अपने अभिभाषण में लिखा है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केशव बाड़ी योजना के रूप में आप बता दीजिए केशव बाड़ी योजना राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कहीं भी इस नाम से किसी भी किताब में सेंट्रल की जो है वह कहीं है? यह कैसे इन सरकारी अधिकारियों ने और आपने मिलकर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केशव बाड़ी योजना के नाम से कौनसी योजना है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केशव बाड़ी योजना के नाम से कोई भी योजना नहीं है, चूंकि आपने हमें यह विश्वास दिलाया कि हम केशव बाड़ी योजना को लागू करेंगे, इतने करोड़ का बजट है, आप पैसों का इन्तजाम नहीं कर पाए, केशव बाड़ी योजना को आप फण्ड उपलब्ध नहीं करा पाए इसलिए चोर दरवाजे से अपने जिला कलक्टरों को गलत निर्देश देकर, उन पर गलत दबाव डालकर के केशव बाड़ी योजना का सारा पैसा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से आप दिला रहे हो जिसका खामियाजा जो भी कलक्टर इस प्रकार की बात कर रहा है और जो भी जिला प्रशासन इस प्रकार की बात कर रहा है, आगे आने वाले समय में उन जिला कलक्टरों को इस प्रकार से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जो आप अनुचित रूप से अपनी योजना को क्रियान्वित करवाना चाहते हो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और जिला कलक्टर्स को समय पर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं...

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपकी सरकार तो आएगी नहीं और आपके जीते जी तो सज़ा मिलेगी नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, आएगी तब तक मांग करता रहूंगा। आपको दिक्कत क्या है, मैं मांग करता रहूंगा।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत यह अपनी तुलना करते हैं दूसरे प्रदेशों से।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): केशव बाड़ी योजना में जो लाभ मिल रहा है वह सारा गरीब लोगों को मिल रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मना कौन कर रहा है, आप अपने पास से देओ न, अपने पास से देओ न। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से कैसे भुगतान कर रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह देख लेना, मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, यह देख लेना आप।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह तो हरिमोहनजी घर से आया है।

श्री सभापति: मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि उचित होगा आप परमीशन लेकर बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, हम अपनी तुलना करें कि किस प्रदेश में सौ दिन के बजाय नब्बे दिन का काम दिया तो उस तुलना पर गर्व होता है कि हमने किया है, आप तुलना करते हो कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों से जिन्होंने बिलकुल अकर्मण्यता दिखाई, इसलिए हम पहलवान हैं और हमने सौ दिन के बजाय पचपन दिन का काम दे दिया, बड़ी अच्छी आपकी पहलवानी? आप अपना नाम तब करो जब जितनी राशि केन्द्र ने सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपको दी है और आप गर्व से कहते हो कि साहब हमारा तो पूरे देश में नाम हो गया और नाम होने के बाद हमने पचपन दिन का एवरेज रोजगार दिया है क्यों नहीं दिया आपने सौ दिन का और आपके राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में एक तमाशा यह भी दिखाया कि झालावाड़ के एक सरपंच हैं, राधेश्याम करके उनका नाम है, उनके खिलाफ जांच हुई, जांच एक सीनियर आर ए एस अधिकारी ने की। जांच रिपोर्ट इनके पास 4.5.2007 को आ गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच में 144 लोगों के हस्ताक्षर और अंगूठे मिले। अंगूठों का मिलान साधारण रूप से संभव नहीं हो सकता इसलिए केवल हस्ताक्षर करने वाले 96 लोगों के हस्ताक्षरों का मिलान किया तो किसी के भी हस्ताक्षर नहीं मिले, इससे यह सिद्ध होता है कि मस्टररोलों पर फर्जी हस्ताक्षर हैं। जेईएन ने बिना मौका देखे मस्टररोल पास कर दिया और आखिर में लिखा है कि हिम्मतगढ़ पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों में 50 प्रतिशत से अधिक राशि फर्जी तरीके से उठाई गई है क्योंकि 130 मस्टररोलों में इसी अनुपात में गबन पाया गया है। मस्टररोलों के भुगतान के समय मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए, डायरी बना कर भुगतान किया। सभी हस्ताक्षर फर्जी किए गए, अंगूठे फर्जी हैं। इस बात को स्वयं सरपंच ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर गलत भुगतान उठाना सरपंच द्वारा सरकारी धन का हड़पना है और मजदूरों को उनकी मजदूरी से

(श्री हरिमोहन शर्मा)
वंचित रखना सिद्ध होता है। जब मजदूरों ने बयान देना शुरू किया तो सरपंच के लोगों ने मजदूरों को धमकाया इसलिए बयान नहीं दे सके और दस्तावेज फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भुगतान उठाना सिद्ध होता है। यह रिपोर्ट है आपके पास, यह रिपोर्ट है लेकिन यह चूंकि अध्यक्ष रहे हैं आपकी पार्टी के पर यह झालावाड़ का मामला है जहां की मुख्य मंत्रीजी हैं, वहां पर इस सरपंच ने इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया, सीनियर आर ए एस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे का पूरा प्रशासन तंत्र, पूरे का पूरा विभाग, मंत्रीजी, आज तक इन फर्जी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाए और यह जहां का तहां पड़ा हुआ है, इधर से टस से नहीं हुआ। वहां के प्रभारी मंत्रीजी को मैंने पहले समय पर बताया था, प्रभुलालजी से कहा था कि यह स्थिति है तो उन्होंने कहा कि मुझे दो, मैं करता हूं। आज तक इस फर्जीवाड़े और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इसकी जांच को रोककर आने वाले पर्यवेक्षकों के सामने यह बात बता कर कि हम अच्छा काम कर रहे हैं झालावाड़ में लाखों और करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके सामने यह जो ग्राम हरनावड़ा खुर्द, मस्टररोल नम्बर 179083, नानी बाई, भूरी बाई, यह सब मर चुके हैं, नाम उसमें है, और इसी प्रकार से एक शंकरलाल, इसी प्रकार खण्डिया, मस्टररोल पर दिनांक 17.08.2007, इसमें यह मर चुके हैं, उनके नाम हैं, पंचायत समिति खानपुर जो मर चुके हैं उनके नाम हैं और यही नहीं माननीय पंचायतीराज मंत्रीजी, मैं तो आपकी यह बात काबिले तारीफ है कि आपके सामने गोविन्द धाकड़, सरपंच, सुनैल, उसने फर्जी पट्टे काट कर अपने दस्तखतों से पूरे का पूरा, कितना, संलग्न सूची के अनुसार कुल 83 पट्टों की रसीद काट कर कुल राशि रुपये 14,54,180 वसूल की गई, रसीद पर हस्ताक्षर केवल सरपंच के हैं सचिव के नहीं हैं, उन रसीदों का पैसा पंचायत के खाते में, या कैश बुक में दर्ज नहीं है, पंचायत ने अर्थात् वसूल किए गए पैसों का सरपंच ने पूर्णत: गबन किया है, यह आपने जिला परिषद में सब्मिट की है और यह 14-14 लाख रुपये आपका सरपंच खा जाए, गरीबों का इस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो उन गरीबों को रोटी रोजी देने की केन्द्र सरकार की योजना थी उसका पैसा आपकी पार्टी का, वहां का जो मण्डल का अध्यक्ष है वह खा जाए, यह राजस्थान में फिर शीर्ष से यह कहे कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में हमने ऐसा किया है और हमने वैसा किया है और राष्ट्रीय स्तर पर आप यह कहें तो इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। यह उस स्थान के हैं जहां से माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, जहां पर पूरे के

(श्री हरिमोहन शर्मा)
पूरे प्रशासन तंत्र की नजर है और जहां की यह रिपोर्ट आर ए एस अधिकारी ने दी है, इसके बाद भी सरकार का चुप रहना यह दर्शाता है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के शीर्ष नेतृत्व सहित भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के पंचायतीराज मंत्रीजी का भी खुला समथर्न प्राप्त है। इस प्रकार पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह एक खुली किताब है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार के आचरण सरकार के हों, इस प्रकार के कार्य करने का तरीका सरकार का हो, इस प्रकार के खुले आरोप, जो दस्तावेजी सबूत हैं, जो इनके अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट में दिया, इस प्रकार सरकार उन सब आरोपों के बाद मूकदर्शक बनी रहे तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है और इस बात की पूरी भावना और जनता को इस बात का मैसेज है कि आप लोग इन भ्रष्ट लोगों को किन कारणों से संरक्षण दे रहे हैं यह प्रश्नचिन्ह है। इसमें कही न कहीं चाहे अधिकारी स्तर पर हो, चाहे मंत्री स्तर पर हो, चाहे आदरणीय मुख्य मंत्री स्तर पर हो कहीं न कहीं राजनैतिक दृष्टिकोण से इन भ्रष्ट लोगों को बचाने का षड्यंत्र करके राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो राशि उपलब्ध करायी गयी है उसका दुरुपयोग यह सरकार कर रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात रखें, यह इनका अधिकार है, पर माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं कि अपनी बात कहते-कहते कोई भी आरोप किसी पर भी लगा दें। मुख्य मंत्री किसको संरक्षण दे इसका ये तय करेंगे? जिस रोजगार गारंटी योजना के अंदर राजस्थान के काम को भारत सरकार ने माडल माना है, पुरस्कृत किया है ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यही मैं कह रहा हूं सारे तथ्य अगर उस कमेटी के सामने रखे जाते तो आपका असली चेहरा नजर आता कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किस प्रकार राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ तो रोजगार गारंटी योजना में प्रथम आया है और मुख्य मंत्रीजी का संरक्षण होता तो क्या उसकी जांच हो जाती?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किस प्रकार से राजनैतिक संरक्षण दिया

(श्री हरिमोहन शर्मा)
जा रहा है और किस प्रकार से संरक्षण देकर अपने नाम की योजना का सारा भुगतान यहां से कराया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आप मुख्य मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी का प्रोटक्शन होता तो क्या उसकी जांच हो जाती? यह सब असत्य आरोप लगा रहे हैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सरकार जिस प्रकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रही है और गरीब लोगों को मजदूरी नहीं दे रही ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, भारत सरकार की समिति थी और उसने राजस्थान को ..(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय मुख्य मंत्रीजी किसी को नहीं बचाना चाहती। मुख्य मंत्रीजी ने झालावाड़ में किसी को नहीं बचाया। इनका संरक्षण होता तो क्या उसकी जांच हो जाती? ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्यों खड़े हो रहे हैं ये पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बीच में? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप क्यों खड़े हुए?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह सभापतिजी का काम है, आपका कौनसा काम है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चार्ज क्यों नहीं लगाएंगे, जवाब दे देंगे मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आप मण्डल अध्यक्ष का नाम ले रहे हैं वह कोई मण्डल अध्यक्ष भी नहीं है वहां पर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कब हटाया? तारीख बताओ, कब हटाया? पहले था या नहीं था? जिस समय गबन हुआ उस समय था या नहीं? नागर साहब, आप बताओ।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आप मुख्य मंत्रीजी का नाम ले रहे हो तो जांच हो जाती क्या मुख्य मंत्रीजी चाहते तो? उसकी जांच हो जाती क्या? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भारतीय जनता पार्टी का मण्डल अध्यक्ष था तो सही?

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): मुख्य मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। उनका प्रोटेक्शन है क्या उसमें? आप यह बता दो कि उनका प्रोटेक्शन होता तो उसमें जांच हो जाती क्या? उसकी जांच ही नहीं होती।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुख्य मंत्रीजी पर यह आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वे उसमें शामिल हैं। लेकिन इन लोगों को बचाने का ..(व्यवधान) आप लोग उसको बचा रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): वह महाभियान चलने वाला है उससे यह बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सबसे बढ़िया काम हुआ है झालावाड़ जिले में। (व्यवधान) झालावाड़ जिले में कांग्रेस खतम हो चुकी है। आप देखिए, आने वाले दिनों में दुबारा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नागर साहब, आपका नागर प्रेम होना बहुत स्वाभाविक है, ये नागर साहब हैं, आप भी नागर साहब हैं, आपको धन्यवाद, आप उसका बचाव कीजिए, मुझे एतराज नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, वैसे तो मैं इसका जवाब उत्तर के समय ही दूंगा, लेकिन माननीय सदस्य बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं, मैं सोचता हूं कि उत्सुक होकर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वे सही नहीं हैं।

श्री सभापति: आप बिलकुल भी चिन्ता न करें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जिस सरपंच की शिकायत हुई है उसकी जांच हुई है और उस पर उसको दोषी माना गया और मैंने उसको निलम्बित कर दिया है। बाकी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। पता नहीं, क्या-क्या आरोप लगाये जा रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी बचा रहे हैं, मंत्री बचा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने क्यों निलम्बित किया?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारा किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं है और वह आदमी हमारी पार्टी का है या नहीं यही मुझे पता नहीं है। हम कभी नहीं देखते कि किस पार्टी का आदमी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह आपकी पार्टी का है इसका तो पता रखो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारे पास फाइल आती है जांच होकर तो तत्काल उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हैं और उसको निलम्बित कर दिया है।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप बिलकुल चिन्ता न करें असत्य के पाँव नहीं होते।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बेबुनियाद आरोप आप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने उसको निलम्बित कर दिया।

श्री सभापति: आप बिलकुल चिन्ता न करें, असत्य के पांव नहीं होते।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप मुझे ही पूछ लेते उस सरपंच के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? आप पूछो नहीं, आप पता नहीं करो और आरोप लगाने लग जाओ, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आर्डर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी है (व्यवधान) यह कार्यकारी अधिकारी ने दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन के अंदर तथ्यात्मक जानकारी दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आप रूल्स को पढ़िए। 272, 273 को पढ़िए। नियम में है कि हम किसी पर भी आरोप लगाते हैं, हमको विशेषाधिकार है, हम किसी के लिए कुछ भी कह जाएं .. (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आरोप नहीं, मैं तो आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। आपके अधिकारी की जांच रिपोर्ट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई दिक्कत नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके एडिशनल सीईओ ने जो जांच रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। आपके एक आरएएस अफसर ने जो जांच रिपोर्ट दी वह पढ़ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जांच रिपोर्ट पढ़ दी, मंत्रीजी ने एक्शन ले लिया, सरकार ने एक्शन ले लिया। अब क्या बात कर रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चलो आप बताओ किसके खिलाफ एक्शन ले लिया?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरपंच के खिलाफ एक्शन ले लिया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नाम बताओ, कौन से सरपंच का है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिसमें गड़बड़ पायी गयी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने तो दो का नाम लिया है। आपको कुछ याद नहीं है, आप बैठो। आप विराज जाएं। आपको कुछ याद ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिसकी जांच रिपोर्ट आपने पढ़ी है उस सरपंच को सस्पेंड किया जा चुका है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मेरी बात सुनें, आप यह कह दें कि हमारे अधिकारियों ने जो जांच रिपोर्ट दी है वह गलत है, दोनों ईमानदार हैं और बादशाह हैं और हम ऐसे ही करेंगे, हमें एतराज थोड़े ही है। मैं तो चूंकि मेरा कर्तव्य था, दोनों आरएएस आफिसर्स ने जांच रिपोर्ट की और इतना अर्सा गुजर गया और इसके बाद सरकार और पूरा का पूरा मंत्रिमण्डल, जो जिम्मेदार लोग हैं और यह किस्सा अगर इधर-उधर गली-गली का होता ..(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कोई अरसा नहीं गुजरा है, अभी परसों-तरसों मेरे पास फाइल आई है। आते ही मैंने तत्काल आर्डर कर दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): असेम्बली नहीं होती तो आप फाइल ही नहीं मंगाते, दो साल पुराना मामला है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या कार्यवाही हुई वह नहीं बोल रहे हैं। आप बोलो कि सीईओ की रिपोर्ट के बाद हमने आगे क्या कार्यवाही की? हमने उनको निलम्बित कर दिया। और क्या करते? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो अब मंगाया ना? असेम्बली नहीं होती तो दो साल से सो रहे थे, डेढ़ साल से सो रहे थे क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी अगली बात कहिए। अगली बात कहें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, एक साल से मेरे यहां सिवाड़ के सरपंच, जिसके खिलाफ भारी भ्रष्टाचार की शिकायत है और उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट बन गई ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आपका टाकिंग वे सही रखें।

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): साल भर से मंत्रीजी उसको संरक्षण दे रहे हैं।

श्री सभापति: आपका भी नम्बर आएगा, आप बोलना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी को तो आदत पड़ी हुई है, ये राजनैतिक प्रभाव से रोके बैठे हैं।

श्री सभापति: आपकी बोलने की बड़ी इच्छा रहती है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, सिवाड़ के सरपंच के खिलाफ हाइकोर्ट ने स्टे कर रखा है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): कोई स्टे नहीं है। डेढ़ साल से फाइल को कांख में दबाकर बैठे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। यह प्रश्न आपने पहले भी पूछा है और फिर आज और पूछ रहे हैं। बार-बार एक बात को क्यों उठाते हैं, आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पंचायत राज विभाग में भारी भ्रष्टाचार है और मैं चार्ज लगाता हूं ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए, बैठिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप प्रिज्युडिस हैं उसको सस्पेंड करना चाहते हैं। आपके प्रिज्युडिस होने से मैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। बोलिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पंचायत राज का भट्ठा बैठा दिया है और मंत्रीजी के बारे में सब सदस्य जानते हैं कि इनकी देखरेख में पंचायत राज का भट्ठा बैठ गया और पंचायत राज में भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रक्रिया का नियम 272 पढ़िए। 272(1) में है कि जो मामला न्यायालय में लम्बित है ...(व्यवधान) अब यह न्यायालय में लम्बित है और वह स्टे है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कौन से न्यायालय में लम्बित है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सेशन कोर्ट में लम्बित है। सेशन कोर्ट ने स्टे लगा रखा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या लम्बित है?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): डेढ़ साल से आपने बचा रखा है, उसको शरण दे रखी है। उसने दाल-बाटी-चूरमा खिला-खिलाकर मोटा कर दिया। मंत्रीजी को लाडू-बाटी खिलाकर मोटा कर दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसी भी कोर्ट में मुकदमा लम्बित हो, जांच रिपोर्ट आपके पास आये तो ..(व्यवधान)

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपना अगला विषय रखें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केवल वकालत करने से काम नहीं चलता। शायद आपको भी फीस मिली होगी, परन्तु सेशन कोर्ट ने सज़ा स्थगित कर दी। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सवाई माधोपुर जिले में बड़ा भारी नाम है मंत्री महोदय का। चूरमा-बाटी खाकर मोटे हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपना अगला विषय रखें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह किताब छपी है यह अपने आप में भ्रष्टाचार कह रही है। यह जो ग्रामीण विकास लिखा है, यह फोटो लगाया है पंचायत राज मंत्रीजी ने, इसको आप देखें। यह जो बिल्डिंग बनायी है ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका नम्बर आये तब आप बोलना, बीच में काहे को बोल रहे हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसमें लिखा है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जन-प्रतिनिधियों की जांच का सवाल ले लीजिए। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है आपकी कैसी भावना है इन कामों के पीछे, लेकिन ये उदाहरण इसलिए दिये हैं कि किसी को एक बच्चा, दो बच्चे और इधर-उधर की भ्रष्टाचार की शिकायतें कराकर कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद और कांग्रेस समर्थित सरपंचों को जिस बेरहमी के, बिना आरोपों से आपने उनको डिस्मिस और अयोग्य घोषित किया, मंत्री महोदय, आप अपने अन्तर्मन को टटोलें और भगवान राम को मानते

(श्री हरिमोहन शर्मा)
हैं तो सामने पूजा-अर्चना करते वक्त कहें कि मुझसे कितना अन्याय हुआ और सार्वजनिक रूप से एक ओर भ्रष्टाचार के आचरण वाले को तो आप हंसी-खुशी में ले रहे हो और 14-14 लाख रुपये जेब में रखने वाले को आप मस्ती से ले रहे हो, आप उनका दुरुपयोग करने वालों को आराम से ले रहे हो, 100 लोगों, 75 लोगों का फर्जी मस्टररोल बनाने वाले की तरफ आपकी नजर नहीं है और एक बच्चा, दो बच्चे और असत्य शिकायत कराकर ..(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय सभापति महोदय, इनको बहुत समय हो गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनके लिए राजनैतिक दृष्टिकोण से जो भेदभाव यह सरकार करती है मैं उसका पूरा विरोध करता हूं और माननीय मंत्री महोदय, आने वाले भविष्य में जिस प्रकार के कांटे इस रास्ते में बिछाते जाएंगे, आने वाले भविष्य में जब सत्ता का परिवर्तन होगा। तो आपको याद होगा कि इसके बावजूद भी हम आश्वस्त करते हैं आपको कि जिस प्रकार राजनीतिक द्वेषतावश जीते हुए जन प्रतिनिधियों के साथ में आपने नाइंसाफी की है, हमारी सरकार आने के बाद आपकी गलत बात पर नहीं चलेंगे। आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री हीरालाल (निवाई): आपकी सरकार में तो नहीं हुआ न ? बिलकुल दूध के धुले हुए हो क्या ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्रीमती राजकुमारी शर्मा ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिलकुल दूध के धुले हुए बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने नौकरी थोड़े ही की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका विषय पूरा हो गया है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नौकरी करके रिटायरमेंट लेकर गड़बड़ करके मैं इधर थोड़े ही आया हूं। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आदरणीय माननीय सदस्यजी, मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, अभी आपका नम्बर आएगा, पूरा जोरदार शब्दों में बोलना आप।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 50, मांग संख्या 28, मांग संख्या 33 पर मैं आज बोल रही हूं। अभी-अभी हमारे माननीय सदस्यजी बहुत सारी बातों पर बोल रहे थे मांग संख्या पर नहीं बोल रहे थे। अनर्गल बातें इस सदन में हो रही थी। हम नये आए हैं कुछ सीखने के लिए, न कि उनका भाषण सुनने के लिए। जो अभी-अभी उन्होंने कहा एक करिश्मा, करिश्मा आपने क्या करके दिखाया है करिश्मा योजना के तहत? माननीय मुख्य मंत्री की इतनी प्रखर बुद्धि है तो कभी दीनदयाल उपाध्यायजी का नाम लेती हैं, कभी करिश्मा योजना चलाती हैं, कभी माननीय हमारी बहनों के नाम से देती हैं, यह तो उनकी बुद्धि ही इतनी प्रखर है इसलिए इतना सुंदर नाम दिया है उन्होंने, करिश्मा योजना। आप बता रहे थे, माननीय सदस्यजी चले गये हैं तुरंत बहुत सारे बोलकर कि 24 गांवों में 173 काम आज तक हो गये हैं और 173 गांव के काम तो हो गये हैं, 75 लाख रुपये के हमारे काम हो गये हैं। माननीय सदस्यजी, देख लें कि करिश्मा योजना में क्या क्या काम करवाए हैं उन्होंने और बहुत सारी बातें बोल रहे थे, अभी कह रहे थे कि आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। मैं कहती हूं कि गांवों में हम जाते हैं, पंचायती राज, कहना तो उनका था कि गांधीजी का सपना था कि पंचायती राज में गांधीजी ने सबसे पहले दिया। मैं मानती हूं कि हमारे आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने पंचायत राज को बढ़ावा दिया, किसी ने भी नहीं दिया, पहले उनकी सोच थी कि गांवों से लोग आते हैं और गांवों में विकास होना बहुत जरूरी है इसलिए उन्होंने गांवों के ऊपर, हम गांवों में जब जाते हैं तो हमारी केन्द्र सरकार की उपलब्धि गिनाएं जो 450 रुपये तेल का पीपा था तो आज वह 1500 रुपये हो गया, गांव के लोग कहेंगे क्या जो 1200 रुपये, 1000 रुपये गेहूं थे, आज 2000 के करीब-करीब हो रहे हैं। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमारी चीनी बहुत सस्ती थी, आज 2000 के करीब-करीब हो रही है, पंचायती राज तो रो रहा है। आपकी ऐसी नीति, आप हमेशा पेट्रोल बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे पेट्रोल को और फिर एक रुपया घटाते हो। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो सारी चीजें महंगी हो गई, सोना चांदी की तो बात ही क्या वह तो आसमान छू रहा है लेकिन गरीब जनता को दाल रोटी भी नसीब नहीं है और फिर कहते हैं कि आपका राम क्या, हमारा राम तो हमारे अंदर है, आपके अन्दर राम नहीं होगा, इसका मुझे नहीं मालूम लेकिन पंचायत राज में राज्य सरकार सदैव ही ग्रामीण विकास की ओर से विशेष रूप से सजग रही है।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

प्रदेश में पहली बार जिला आयोजनाओं को तैयार किया जाता है। सरकार ने ग्रामीण विकास में वर्ष 2008-09 में राज्य में योजना को 425 करोड़ रुपये का व्यय करके प्रावधान सहित 1,765 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कर रखे हैं। ये हमारे पंचायती राज के हैं। बैकुण्ठ द्वार, मुक्ति धाम योजना वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ की गई थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य हुए हैं। हमारे 75 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं और काफी कार्य हमारे प्रगति पर हैं। सरकार ने अगले वर्ष इस योजना में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो इसी प्रकार हमारी निर्मल घाट योजना के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से है 8 निर्मल घाट की योजना बना कर 48 कार्य प्रगति पर हैं। ऐसा करके हमारी सरकार ने महिलाओं को निजात दिलाने में जो स्नान की सुविधाजनक योजना बनाई है, उसका विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 75 लाख रुपये का अनुदान दिया है और आगामी वर्ष में 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में हमारी सरकार ने महिलाओं को सौ दिन की मजदूरी के साथ उनको चाहे पुरूष हो चाहे महिला हो सौ दिन की रोज नियमित आने पर एक साड़ी के समान मूल्य का घाघरा, ओढ़नी देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। यदि सरकार ने इन्हीं कार्यों में बढ़ोतरी की है, 88 ग्रामों का चयन किया जाकर हमारे मुख्य मंत्री द्वारा 173 कार्य स्वीकृत कराए जा चुके हैं योजना के अन्तर्गत, उनमें 75 लाख रुपये अभी-अभी व्यय कर दिये हैं।

इसी प्रकार सरकार ने जिला परिषद् व पंचायत समितियों की जो बैठकों में आते थे उनकी हमेशा यही मांग रहती थी कि हमको भत्ता नहीं मिलता है, उनकी बढ़ोतरी करके उन्होंने जो ग्राम सेवक को 30 रुपये मिलते थे 40 रुपये करवाए हैं और हमारे जिला परिषद् सदस्य को 45 रुपये मिलते थे, 75 करवाए हैं और पंचायत समिति सदस्य को 35 रुपये थे उनको 60 रुपये करवाएं हैं। ऐसी हर चीज में उन्होंने बढ़ोतरी की है और मुख्य मंत्री द्वारा जितनी भी घोषणाएं की जाती हैं उन पर जो बजट आबंटन किया जाता है उस बजट में करवाए जाने वाले कार्यों की गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता सही हो और जितने भी हमारे लाभ लेना चाहते हैं गांवों के लोग, वह लाभ ले सकें। हमारे बी.पी.एल. परिवारों की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए घरौंदा योजना प्रारम्भ की गई जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त कराने वाले गांवों में कमजोर तबके के परिवार को एक सौ रुपये

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)
प्रतिदिन के भुगतान पर अपने स्वयं का मकान प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी मुख्य मंत्री साहिबा ने किया है और पन्नाधाय बीमा योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया कमाऊ सदस्य का एक्सीडैंट में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जब कि इसी मुखिया की साधारण मृत्यु होने पर उनके परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता दी जाती है जब कि मृत्यु तो मृत्यु ही है चाहे एक्सीडैंट से हो या साधारण हो। साधारण मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये दिये जाते हैं और एक्सीडैंट में 75 हजार रुपये दिये जाते हैं।

मैं माननीय से मांग करना चाहूंगी कि बी.पी.एल. परिवार में जिनकी भी मृत्यु हो उनको 75 हजार रुपये दिए जाएं। रोजगार के लिए पंचायतों के द्वारा व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिस पर सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए, यह तो मेरी मांग है और जो हमारे ओल्ड एज की पेंशन परिवार की है, कम से कम बी.पी.एल. से चयनित में जो रह गया है और उनके विडो है, जो परित्यक्ताएं हैं, उनके एक ही बच्चा कमाने वाला है, मैं माननीय मंत्री महोदय से माननीय सभापतिजी के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि उनकी पेंशन बंद नहीं करें। उनके 18 साल का या 20 साल का बच्चा हो जाए तो विधवा है जो और 18 साल का बच्चा कुछ कमाता नहीं है इसलिए मैं यह मांग करती हूं कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना उन्हें हमारी राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि दी जाती है, इस राशि को और बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी मुख्य मंत्री साहिबा ने जब से गांवों का भ्रमण किया है तब से प्रत्येक महिला माननीय मुख्य मंत्री की तरफ आकर्षित रहती है और उनको एक ही बात कहती है कि हमको गांवों में सिर से पानी लाना पड़ता है, हमारे गांवों में बिजली खूब दें, हमारे गांवों में कोई स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाएं तो माननीय मुख्य मंत्री साहिबा मेरे गांव में भी गई हैं जब परिवर्तन यात्रा हुई थी तब बहुत सारे गांवों में हम साथ में भी गये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गांव में अब पानी जो पहले ही सरकार ने टंकियों का निर्माण करा रखा था गांव में एक ही और अब हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पाइप लाइन बिछाने का काम जो किया है, वह कर रहे हैं कुछ गांवों में, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उससे गांव एनीकट द्वारा जो हमारा पानी रोका जा रहा है, गांवों में पंचायतों में उसका भी हमारे पंचायत राज में बहुत लाभ मिलेगा और बहुत से गांव में ऐसी औरतें हैं जो अपने स्वयं का इकट्ठा

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)
करके समूह सहायता आंगनबाड़ी कार्यकताओं के द्वारा, आंगनबाड़ी घर-घर जाकर उनको सौ-सौ रुपये इकट्ठा करके उनका रोजगार चालू करवाया है।

यहां रामलीला मैदान में एक मेला लगा है उसमें बहुत सुन्दर-सुन्दर ओढ़नी, इण्डी, कुशन कवर, पंखी आदि महिलाओं ने ला रखी है, ऐसी औरतों को आत्मनिर्भर बनाने वाली मुख्य मंत्री महोदया का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी। आदरणीय सभापतिजी, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि महंगाई केन्द्रीय सरकार की देन है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि औरतें तो औरतें क्या, कमाने वाले पुरुष भी त्रस्त हैं इसलिए इस महंगाई को रोकें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य बहुत चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे, बहुत तेज-तेज बोलते हैं, क्षमा कीजिये मेरे शब्दों को मैं वापस ले लेती हूं, बहुत तेज-तेज बोलते हैं तो इससे भी तेज बोलकर के केन्द्र की नींद को जगाइये, महंगाई को कम कीजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सी. डी. देवल साहब। बोलिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 50, 28, 41 और 33 के सम्बन्ध में जो बजट प्रस्ताव है उसके कटौती प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पंचायती राज विभाग के मंत्रीजी या सरकार ने पंचायती राज को बिलकुल पंगु बना दिया है। आज पंचायत समितियों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा काम वर्षों से प्राथमिक शिक्षा का था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान से पंचायती राज की शुरूआत की थी और उन्होंने योजना आयोग बनाकर के योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू कराया था। आज आप जो गत आपकी पंचवर्षीय योजना हुई उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं लेकिन क्या सत्ता पक्ष यह बता सकता है कि आज तक भी पहली पंचवर्षीय योजना के बाद जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं उनमें कभी आकार छोटा हुआ है? हुआ हो तो बता दो। पंचवर्षीय योजना का आकार हमेशा विकास के साथ बढ़ता है। लेकिन जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जिससे ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है वह प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज विभाग से छीन ली गई और शिक्षा विभाग को दे दी गई। जब लोग राजस्थान उच्च न्यायालय में गये तो उच्च न्यायालय की पालना करने के लिए शिक्षा मंत्रीजी को पंचायती राज का भी एडिशनल राज्य मंत्री बना दिया और उनको अधिकार दे दिया। आज जो इंस्पैक्टर आफ स्कूल, प्राथमिक है वह आदेश जारी करता है तो उसमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद लिखता है। लेकिन

(श्री सी.डी. देवल)

जिला परिषद के प्रमुख को जिसमें मेजोरिटी आपकी है, उनको पूछता तक नहीं है कि किसका स्थानान्तरण करना है और किसका पदस्थापन करना है। मनमाने ढंग से अध्यापकों के स्थानान्तरण हो रहे हैं। आज इंस्पैक्टर इतना स्वतंत्र हो चुका है कि वो आपके यहां से दिये हुए किसी भी दिशा-निर्देशों को मानता ही नहीं है और मनमाने ढंग से उनकी नियुक्ति करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्राथमिक शिक्षा को वापस पंचायत समितियों को दें क्योंकि पंचायत का सरपंच, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं और गावों की क्या समस्या है उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। इसलिए अगर शिक्षा पर प्रभावी नियंत्रण रखना है तो आप शिक्षा को उनको सौंपिये नहीं तो अगर बच रह गया, नींव कच्ची रह गई तो आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी कि आपके समय में आपने प्राथमिक शिक्षा पंचायतों से हटाकर के इन अधिकारियों के हाथों में दे दी।

मैं मुख्य मंत्रीजी और पंचायती राज मंत्रीजी का यह तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया है लेकिन इसके अन्दर जो बजट का प्रावधान रखा गया है वह ऊँट के मुंह में जीरे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। गत बार 5 करोड़ था, हमने कई बार माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को निवेदन किया लेकिन इस बार केवल 7 करोड़ का ही प्रावधान रखा है। मगरा क्षेत्र में सब गरीब रावत, मेहरात और गरीब तबके के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनोरिटी के लोग रहते हैं, उनका कोई विकास नहीं है, उनके पास कोई खेती के साधन नहीं हैं, उनके पास जमीन भी नहीं है, उनके पास कुए नहीं हैं इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मगरा क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आप यह व्यवस्था करें कि इस योजना के अन्दर 25 करोड़ रुपये रखें ताकि आने वाले समय में मगरा क्षेत्र का विकास हो सके। आपने आदिवासी क्षेत्र में, सहरिया विकास क्षेत्र में जो काम किया है, मगरा क्षेत्र काफी फैला हुआ है और मगरा क्षेत्र में पाली जिले के केवल रायपुर और मारवाड़ जंक्शन के ही कुछ गांव आये हैं लेकिन बहुत सारे मगरा क्षेत्र के गांव रह गये हैं। गत दो साल से मंत्रीजी, हम आपको लिखित में दे रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सुनवाई नहीं की है। आपने यहां मगरा विकास मण्डल बना रखा है जिसमें आपके अलावा कोई जन-प्रतिनिधि नहीं है। मगरा विकास का कार्यक्रम इस

(श्री सी. डी. देवल)

एयरकंडीशन में बैठे हुए आपके प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव नियंत्रित करते हैं और यहां से मनमाने ढंग से कार्य स्वीकृत होते हैं। मगरा क्षेत्र के कौन से गांव के अन्दर कौनसा काम है इसका ज्यादा वहां का प्रधान बता सकता है, वहां का एम एल ए बता सकता है, वहां का सरपंच बता सकता है, पंचायत समिति का सदस्य बता सकता है लेकिन यहां से प्राथमिकता तय की जाती है। कृपा कर आप इस नौकरशाही को हावी नहीं होने दें। अभी भी आपने जो 5 करोड़ रुपये दिये हैं उनमें भी 20 प्रतिशत ट्रेनिंग के रख दिये हैं। जब आपके पास काम कराने को पैसे ही नहीं हैं तो फिर आप किस बात की ट्रेनिंग के पैसे रखना चाहते हैं? इसलिए मगरा क्षेत्र जो अविकसित है, पहले उसको विकसित हो जाने दीजिये और बाद में इस ट्रेनिंग को करिये। माननीय मंत्रीजी, जिस बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं उस बोर्ड में कार्यवाही कराकर के इस प्रावधान को हटवाइये और मगरा क्षेत्र के जो गरीब लोग कहते हैं उनके विकास के काम करवाइये।

इसके अलावा, माननीय मंत्रीजी, पंचायती राज में गबन-घोटाले की बात अभी आपने हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से सुनी। जो ज्यादातर शिकायतें की जाती हैं वो जिला परिषद में जाकर के या आपके पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में जाकर के डम्पिंग ग्राउंड बन जाती है। वहां से उनका कोई जवाब नहीं मिलता है और जवाब भी मिलता है तो इतना घिसा-पिटा मिलता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। इसलिए आप जिसकी भी शिकायत आये चाहे कांग्रेस की आये चाहे बी जे पी की आये, अगर भ्रष्टाचारी कोई है तो उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि आने वाले समय में इस पंचायती राज से लोगों की आस्था नहीं उठे और उनका विकास हो सके। आप स्वयं जानते हैं, अभी आप कह देंगे कि आपके एक पूर्व मण्डल अध्यक्ष तीन लाख रुपये अकाल राहत और पंचायती राज के खा गया जिसकी जिला परिषद की रिपोर्ट आपके पास आई लेकिन आज तक मंत्री महोदय, न तो मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें मैं कोई किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और आप नाम भी लिवाना चाहते हैं तो आपके रायपुर के मण्डल अध्यक्ष गोपाल सिंह, सरपंच अमरपुर तीन लाख रुपये खा गया है और जिला परिषद की रिपोर्ट थी जो माननीय मंत्री जी के पास आयी है। इसके अलावा बर का सरपंच ढाई लाख रुपये खा गया। मैंने कोई शिकायत नहीं की, आपके ही राज में वो जांच हुई है और वो जांच रिपोर्ट यहां

(श्री सी.डी. देवल)

पर आई हुई है, उसमें तत्काल उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें या नहीं करें लेकिन जो सरकारी पैसा खाया है उस पैसे को आप वसूल करायें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी नौकरशाह थे?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मैं नौकरशाह था और इस विधान सभा में मेरे बारे में कई उठे हैं लेकिन मेरी कोई एक भी जांच प्रमाणित नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य इस सदन में तथ्यात्मक जानकारी दें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके जितने नेता थे वो सब इस विधान सभा में मेरे खिलाफ बोल चुके हैं लेकिन मेरे दामन पर कोई दाग नहीं था इसलिए मैंने ठरके से नौकरी की और नौकरी के बाद विधान सभा में सदस्य बनकर के आपके साथ आया हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक मामला इनसे जुड़ा हुआ है एम एल ए फण्ड का। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 80 लाख रुपये कर दिये यह तो उनकी मेहरबानी है लेकिन छोटे-छोटे राज्यों में भी एम एल ए का जो विकास फण्ड है वो एक करोड़ रुपये है इसलिए मेरा पुरजोर अनुरोध है कि माननीय मंत्रीजी, आप मुख्य मंत्रीजी से बात करके, सारे एम एल एज की भावना भी है, अपने संसदीय कार्य मंत्रीजी भी यहां विराज रहे हैं, यह एम एल ए फण्ड है इसको एक करोड़ करायें ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। अब आपने उस पर 20 प्रतिशत का राइडर भी लगा दिया इसलिए कम से कम एक करोड़ रुपये करा दें ताकि लोगों का विकास हो सके। आपने एक परिपत्र जारी कर रखा है कि 45 दिनों में एम एल ए फण्ड के जितने प्रस्ताव हैं उनकी स्वीकृति होनी चाहिए लेकिन माननीय मंत्रीजी, दो-दो साल हो गये, 6-6 महीने हो गये हैं पर स्वीकृति नहीं होती। लोगों से पट्टे मांगे जाते हैं। आप में से अधिकांश लोग गांवों से आते हैं, हर जगह के पट्टे नहीं बनते हैं। जो सार्वजनिक स्थान है उस पर निर्माण होने चाहिए यह बात तो सही है लेकिन पट्टों के अभाव में और उनकी फोटो के अभाव में काम नहीं होते हैं इसलिए आप ऐसी कोई व्यवस्था करें, आपके विभाग को यह निर्देश दें कि वह पंचायत और पंचायत समितियों को छोड़े, जो भी निर्माण कार्य हो, वे सार्वजनिक स्थान पर हो। अगर एक रास्ते के

(श्री सी. डी. देवल)
अन्दर छींकरा डालना हो और उसमें पैसा एम.एल.ए. ने स्वीकृत कर दिया तो उसकी टी.एस. आना जरूरी है। अगर एक सामुदायिक भवन बनाना हो तो उसकी टी.एस. आना जरूरी है। अगर एक पाइप लाइन डालना हो, 50,000 रुपये दिये हैं तो उसकी भी टी.एस. जरूरी है तो यह जो लालफीताशाही है, जिसमें कामों में देरी हो रही है, कृपा करके आप उसको रूकवाइये। आपने एक राइडर तो लगा दिया कि 31 दिसम्बर तक आप अपने प्रस्ताव भेजें लेकिन जब यह 31 मार्च को बजट पास होता है और एक अप्रैल को लागू होता है तो आप विधायकों के ऊपर इस प्रकार की रोक नहीं लगायें।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो पंचायत समिति में आपने विकास अधिकारी लगा रखे हैं, उनके चयन के कार्मिक विभाग द्वारा नियम बने हुए हैं और उन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि विभाग तीन साल के लिए विकास अधिकारी के पद पर किसी का चयन कर सकता है लेकिन तीन साल के बाद It shall not extend more than three years. यानी छह वर्ष के बाद कोई चयनित व्यक्ति विकास अधिकारी नहीं रह सकता है लेकिन आपके विभाग में माननीय मंत्री महोदय, दो-दो साल से लोग बैठे हुए हैं जिनका टर्म पूरा हो गया है और यह सब उनके द्वारा जितने भी काम किये गये हैं, अनकांस्टीट्यूशनल है, वाइड है और नियम विरुद्ध हैं। क्या सरकार इनको नियमित करने की कोई कार्यवाही करेगी और क्या उन विकास अधिकारियों को, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि अंत समय है, उनके जाने का समय आ गया इसलिए वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जगह-जगह पर पंचायत समितियों में ऐसा धंधा हो रहा है और क्या उन अधिकारियों की ड्यूटी नहीं है? आपके विभाग में जो भी सचिव हैं या प्रमुख शासन सचिव है, उनकी ड्यूटी नहीं है कि वे आपके ध्यान में लाते कि इन अधिकारियों ने छह साल पूरे कर लिये हैं, इनको हटा दिया जाये? या तो नियमों से वे अनभिज्ञ हैं या जान-बूझकर उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मेरा यह भी निवेदन है कि आप इस मामले को देखें और यह जो नियम विरुद्ध कार्य, उनका समय पूरा होने के बाद हुए हैं, जो विकास अधिकारी के पद पर कार्य नहीं कर सकते, उनके द्वारा हुए हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करायें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें चारों तरफ पूर्व का जो अनुभव है, कई प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं। इसलिए आप कृपा कर इसमें

(श्री सी. डी. देवल)
सतर्कता समितियां बनायें पंचायत समिति लेवल पर और जिला लेवल पर। उन सतर्कता समितियों को इस बात के लिए निर्देशित करें कि गरीब लोगों को उनका रोजगार का जो हक है, वह मिले और सही काम हो और उन कामों में भ्रष्टाचार नहीं हो, नहीं तो अभी तो चंद पंचायत समितियों का मामला ही आपके सामने है और अब पूरे राजस्थान में यह कार्यक्रम लागू हो रहा है तो आप इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से देखें। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे मनमोहन सिंहजी और श्रीमती सोनिया गांधी ने यह प्रोग्राम आपको दिया है राजस्थान के लिए क्योंकि आपके अब अकाल राहत के पैसे भी बच जायेंगे इसलिए कृपा कर इसकी भी व्यवस्था करें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह जो योजना दी है, कोई सोनियाजी ने नहीं दी है। सोनियाजी ने कोई खैरात में थोड़े ही दी है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अब आप इसको खैरात मानो, योजना मानो, कुछ भी मानो मगर दी तो है चाहे माननीय कालूलालजी गुर्जर ने दी हो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह राजस्थान सरकार का अधिकार है वह लेने का, वह लिया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):... और वसुन्धराजी ने इन दोनों के फोटो नहीं लगाये हैं। अच्छा होता, उन दोनों के फोटो लगाती।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह राजस्थान की पांच करोड़ जनता का अधिकार है, वह प्राप्त किया है हमने। सोनियाजी ने आपको व्यक्तिगत रूप से दिया होगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको सोनियाजी जानती हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप मनमोहन सिंहजी का भी फोटो छपाते लेकिन इनका राज है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपकी जलग्रहण योजना चल रही है, इसके अन्दर भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए कृपा कर इस योजना में जो कमेटियां बनी हुई हैं, आप उन कमेटियों को भंग कराइये और उसकी जगह यह ग्राम पंचायत को दीजिये ताकि पंचायतों का नियंत्रण रह सके और प्रभावी ढंग से काम हो सके।

(श्री सी. डी. देवल)

ग्राम सभाएं होती नहीं हैं। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि ग्राम सभा होती नहीं हैं। रजिस्टर फेर-फेर करके दस्तखत कराते हैं और सरपंच मनमाने ढंग से उसमें हस्ताक्षर कर लेते हैं और ग्राम सभाओं में जो कार्यक्रम आप चलाते हैं, एक महीने का कार्यक्रम या सात दिन का कार्यक्रम देते हैं। आप कृपा करके हर अधिकारी की ड्यूटी लगाइये कि हर ग्राम सभा के अन्दर आपका एक अधिकारी अनिवार्य रूप में पहुंचना चाहिए। चाहे ग्राम सभा के लिए 30 दिन लगें, चाहे 35 दिन लगें, जितनी पंचायत हैं लेकिन आप ग्राम सभाओं को प्रभावी रूप से कराइये ताकि आपका प्रभावी नियंत्रण हो सके और जो स्वराज का सपना महात्मा गांधी का था, वह पूरा हो सके।

एक इन्दिरा आवास की योजना है चाहे भारत सरकार पैसा दे, चाहे राजस्थान सरकार पैसा दे, लेकिन इन्दिरा आवास के लिए जो पैसा दिया जाता है, बहुत कम पैसा है माननीय मंत्री महोदय, जो पैसा है, उससे कोई निर्माण नहीं हो पाता है। शौचालयों के निर्माण के लिए जो आप पैसा देते हैं, सुलभ शौचालय भी उनसे नहीं बन पाता है। इसलिए आपकी मुख्य मंत्रीजी जैसा कि कहती हैं कि खजाना भरा हुआ है तो आप व्यावहारिक तौर पर एक शौचालय में कितना पैसा लगता है उतने पैसों की व्यवस्था कराइये और इसी के साथ इन्दिरा आवास में भी पैसा जो बढ़ा है, उससे ज्यादा बढ़ाकर उनके आवास बनाइये ताकि गरीब लोगों को मदद मिल सके।

इसके साथ ही कुछ ऐसी भी पंचायतें हैं। हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां नहीं हैं, इनके गांव की जो ग्राम पंचायत है, इसने पथ कर लगा दिया है और उस पथ कर की न तो रसीद है, न कोई उसकी सोच है और न कुछ है। बरूंदा नाम की ग्राम पंचायत है, जो मेरे पड़ौस में लगती है, वहां पर उन्होंने अपने नाके लगा दिये हैं। जो भी गाड़ियां निकलती हैं, उससे पथ कर वसूल किया जाता है। न उसकी रसीद है, न हिसाब है। अगर कर लगाना हो, यह पंचायत का अधिकार है लेकिन कर लगाने से पूर्व उनको जो प्रकिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसके बाद ही कर लगाया जाना चाहिए था। आप कृपा करके इसकी भी जांच कराइये। पंचायती राज के बारे में मैंने आपको निवेदन कर ही दिया।

साथ ही सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में तो मैं आपको निवेदन करूं, इसके जो मंत्री हैं, उनमें सिवाय प्रतिशोध के, कोई काम करने की भावना ही नहीं है। जब ये मंत्री बनें तो पहला काम यह किया कि मेरे क्षेत्र में गरीब एस.सी. के लोग पढ़ते थे, उनके होस्टल को ले गये। मैं इनके पास गया

(श्री सी. डी. देवल)

कि मंत्री महोदय, गरीब लोग पढ़ते हैं, आप इसको क्यों ले जाते हो? तो कहते हैं कि बनवारी लालजी बैरवा मेरे क्षेत्र का ले गये। तो आप बनवारी लाल जी बैरवा का ले जाओ। नये तो खोलने का सवाल ही नहीं है। छात्रावास भी ऐसी जगह खोले हैं जहां सीमित व्यक्ति हैं। केवल एस.सी. के 10 घर हैं, वहां छात्रावास खोल दिये हैं। आपके आवासनियां रहती हैं, कई तो भग गई और इन्होंने समाज कल्याण विभाग का भट्ठा बैठा दिया। माननीय मुख्य मंत्री ने इनसे सहकारिता विभाग छीन लिया क्योंकि जब तक ये सहकारिता मंत्री रहे, सहकारिता विभाग का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है इसलिए मैं इनका भारी विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

मंत्रीमण्डल के फैसलों की जानकारी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट का समय चाहूंगा। आज चूंकि मंत्रिमण्डल की बैठक थी और मंत्रिमण्डल की बैठक में कुछ नीतिगत फैसले भी हुए हैं। हमारी परम्परा रही है और अध्यक्षीय व्यवस्था भी रही है कि सदन जब चल रहा हो तो नीतिगत फैसले कोई हों तो उनके बारे में सदन को सूचना जरूर दे दी जाये तो मैं संक्षेप में सूचना देना चाहूंगा सभापति महोदय, आपकी अनुमति से।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कम से कम सदन के प्रति इतना तो सम्मान रखिये कि मुख्य मंत्रीजी से यहां घोषणा कराइये, इतना तो सदन का मान रखिये Honourable Parliamentary Affairs Minister.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): घोषणा नहीं है, मंत्रिमण्डल के फैसले हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, जो भी जानकारी हो, बहुत अच्छा होता, क्योंकि यह राज्य का सर्वोच्च सदन है इसलिए आप माननीय मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से इस सदन के अन्दर एलान करवाते उनका।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नहीं, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी भी ऐसा कर सकते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): करने को तो करो भले ही।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हां, कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सदन की नेता ही यहां पर करे। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये, आप लोग सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जोइंट रेस्पॉंसिबिलिटी है, वह तो ठीक बात है, पर इसमें उनका कोई सम्मान कम नहीं हो जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम तो यह उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके समय में तो मंत्रिमण्डल फैसला कर लेता था, सदन चलता रहता था और अखबारों में दूसरे दिन पढ़ा करते थे। यह तो हम गरिमा रख रहे हैं, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस पर बहस करना चाहते हो तो सदन की, विधान सभा सत्र की अधिसूचना होने के बाद अजमेर में आपने क्या-क्या घोषणा की। क्या उससे इस सदन का सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, आज मंत्रिमण्डल में हुए फैसले के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 2, 5, 15, 27, 29, 30, 44, 48, 49, 50, 54 व 62 में संशोधन करने और नई धारा 47-ए जोड़ने का नीतिगत फैसला हुआ है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में संशोधन करने का निर्णय हुआ है।

राजस्थान टीनेंसी एक्ट है, जो उन्होंने पहले ही कह रखा है कि इसी सत्र के अन्दर लाना है, उसको भी आज मंत्रिमण्डल ने जो री-राइट किया था, दुबारा पुनर्लेखन हुआ था, उसको भी मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी है।

सभापति महोदय, राजस्थान पशु सेवा नियम, 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है और राजस्थान गौ-वंशीय पशुवध व प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन व निर्यात विनियम, 1995 में संशोधन करने का भी फैसला हुआ है। (व्यवधान) और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 7 भूमिकर की धारा 48-ए में संशोधन करने का फैसला हुआ है और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के नीचे धारा 9(3) शामिल करने का फैसला हुआ है। यह मोटे तौर पर जो फैसले हुए हैं, यह निवेदन मैंने आपसे किया है। यह मोटे तौर पर जो फैसले हुए, यह आपसे मैंने निवेदन किये हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मतलब यह अंतिम काम कर रहे हैं आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमारजी मोची। कृपया दस से बारह मिनट में।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, व्यवस्था यह रही है कि दो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के और दो इधर से बोलें, उसके बीच में एक बीच में से भी बोले।

श्री सभापति: अब के आपका नम्बर है। (व्यवधान) क्योंकि सदस्यों की संख्या कम है इसलिए मैं एक इधर से और एक उधर से कर रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, लेकिन बीच में से तो करें सभापति महोदय।

श्री सभापति: अबके आपका ही नम्बर है।

मांग संख्या 50, 28, 41 एवं 33 पर अग्रेतर विचार

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-28 के संबंध में बोलने का मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं पंचायती राज मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के तहत योजनाओं में परिसम्पत्तियों के निर्माण पर 13 करोड़ 74 लाख का व्यय करवाया। इंदिरा आवास योजना के तहत 2673 नये आवासों के निर्माण पर 7 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय करवाये। इंदिरा गांधी आवास योजना में 651 कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलने के लिए 75 लाख का व्यय हुआ। जल ग्रहण विकास में डीपीपी फैक्स की योजनाओं में जिले में 10 करोड़ रुपये व्यय हुए। गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में 166 कार्यों की स्वीकृति पर 2 करोड़ 22 लाख रुपये व्यय हुए। यह हनुमानगढ़ जिले की बात कर रहा हूं मैं। हनुमानगढ़ जिले में मुख्य मंत्रीजी ने पंचायत राज के माध्यम से जो धन भेजा, उसके विकास कार्य करवाये, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से रावसर और टिब्बी के अंदर नवीन पंचायत समितियों की मांग करना चाहता हूं। अपन सब मिलकर यहां ग्रामीण विकास योजनाओं की तो बात करते हैं परंतु मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दूरी और संसाधन के अभाव में जिस गांव का पूर्ण विकास होना चाहिए, वह विकास सम्पूर्ण नहीं हो सकता। इसी के तहत..

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नोहर पंचायत समिति जो दो उप खण्डों को मिलाकर बनी हुई है और दूरी अंतिम छोर के गांव की 150 किलोमीटर की है। अंतिम छोर के

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)
गांव के व्यक्ति को नोहर की पंचायत समिति में पहुंचने के लिए पूरा दिन लगता है और उसका काम नहीं होने के कारण वहां रहने में उसको दिक्कत आती है और वापिस गांव पहुंचने में भी उसको दिक्कत आती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उपखण्ड स्तर पर नोहर पंचायत समिति में से रावसर नवीन पंचायत समिति का गठन करवाने का आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। इसी के साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एशिया की सबसे बड़ी पंचायत समिति हनुमानगढ़ के संबंध में बताना चाहूंगा। 121पंचायतें हैं और चार सब डिवीजनल यानि कि एसडीएम हैडक्वार्टर है। इतनी बड़ी पंचायत समिति, इतना बड़ा क्षेत्र और एक पंचायत समिति के अंदर चार तहसीलों का कार्य होना असम्भव है। उसमें संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और टिब्बी, चार उपखण्ड लगते हैं। यदि आज दूरी के हिसाब से आप देखें तो एक-एक गांव की दूरी 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर दूरी पड़ती है। क्या उस गांव का व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच सकता है पंचायत समिति के अंदर। बाई दी वे पंचायत समिति पर पहुंच गया, मतलब इतने काम का दबाव देखते हुए, स्टाफ की कमी को देखते हुए, इतने चार उपखण्डों का कार्य एक पंचायत समिति कैसे कर सकती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टिब्बी, हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीबंगा में हनुमानगढ़ पंचायत समिति हटा करके तीन पंचायत समितियां नवीन पीलीबंगा, संगरिया और टिब्बी और बनाई जाये, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यदि यह कार्य हो जाता है तो हम जरूर यह निश्चित करेंगे और यह सोच सकेंगे कि ग्रामीण विकास हो सकता है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। हनुमानगढ़ जिले में काफी पंचायतें इतनी बड़ी हैं कि एक गांव से दूसरे गांव में विकास होना असम्भव है क्योंकि एक गांव का सरपंच बनता है तो दूसरे गांव के अंदर विकास करना असम्भव हो जाता है। या तो वह वोटों की राजनीति करता है या फिर अपने समर्थकों के कारण वहां काम नहीं करवाना चाहता। ऐसे काफी गांव है जिनमें इस कारण से विकास कार्य नहीं हो रहे। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों का पुनर्गठन भी हो, नये पंचायत हैडक्वार्टर बनें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया और मैं अनुशासित सदस्य हूं, आपने जितना समय दिया उससे कम बोला हूं, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अमरारामजी (धोद)।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 33, 41 और 50 आज सदन के सामने रखी गई हैं। सबसे पहले तो पंचायत राज विकास, जो राजस्थान की 80 प्रतिशत आबादी जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और संविधान संशोधन के बाद जिन 29 विभागों का फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज पूरा उनको हस्तांतरित करने की जो भावना थी वह मैं समझता हूं राजस्थान में 94 से लेकर आज तक भी, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों का अपना शासन वह खुद कर सके और जो 80 प्रतिशत बजट इनके हिस्से का होना चाहिए वह बजट उनके हाथ में जाये और वह विकास कर सकें। क्योंकि ग्रामीण विकास और शहरी विकास में आबादी के अनुसार मैं समझता हूं, राज्य का बजट आज तक भी पिछले साठ साल में उनके विकास के लिए नहीं हुआ, इसलिए आज भी ग्रामीण आबादी तेजी के साथ शहरी आबादी में परिवर्तित हो रही है। तो मैं समझता हूं, यह जो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का जो इरादा था, वह आज तक भी राजस्थान में फलीभूत नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरी जो पंचायत समिति धोद है, राजस्थान में 237 पंचायत समितियों में एकमात्र पंचायत समिति होगी, मैंने बार बार यहां इस बात को रखा भी है, केवल एकमात्र पंचायत समिति ऐसी है जिसका खुद का भवन नहीं है। साठ साल के बाद में हम पंचायती राज को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, पूर्व पंचायत राज मंत्रीजी ने कहा कि उनके लिए भूमि नहीं है, जब भूमि अलाट हो गई तो आज तक भी मैं समझता हूं, एक ग्रामीण पंचायत का भी भवन है, चाहे नौ हजार कितनी ग्राम पंचायते हैं, शायद ही कोई ऐसी ग्राम पंचायत हो जिसका खुद का भवन नहीं हो और एक पंचायत समिति जिसका भवन आज तक भी बनने में राजस्थान की सरकार, मैं नहीं समझता कि किस तरह से वह अपने कार्यक्रम को फलीभूत कर सकती है और जहां न केवल पैसे में, बल्कि ग्रामीण जन प्रतिनिधियों में और शहरी जन प्रतिनिधियों में भी कितना भेदभाव आज की तारीख में है। जहां एक नगर निगम के पार्षद को दो हजार रुपये का भत्ता मिलता है और उतनी से ज्यादा जनसंख्या पर एक जिला परिषद का मेम्बर है, ग्रामीण प्रतिनिधि, जो जिला परिषद का मेम्बर है, उसको कोई भी भत्ता नहीं है, केवल मीटिंग का भत्ता, वह भी दैनिक मजदूरी राजस्थान में एक अकुशल श्रमिक आठ घंटे काम करता है उसकी मजदूरी है सौ रुपये और जिला परिषद के मेम्बर को मीटिंग में आने का भत्ता 65 रुपये करके बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है। मैं समझता हूं जितना

(श्री अमराराम)

भेदभाव शहरी प्रतिनिधि, एक नगर निगम के पार्षद से ज्यादा वोटों का प्रतिनिधित्व जिला परिषद का मेम्बर करता है। नगर परिषद के वार्ड मेम्बर से पंचायत समिति का मेम्बर ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उसको कोई भत्ता नहीं। केवल मीटिंग का भत्ता 45 रुपये कर दिया और हम यहां बड़ी मुस्तैदी से मेजें थपथपा रहे हैं। 200 माननीय सदस्यों में से मैं समझता हूं कि 180 माननीय सदस्य वह हैं जो गांव के लोगों का वोट लेकर के यहां आते हैं। तो यह जो दुभांत, विकास में दुभांत है, शिक्षा में दुभांत है, जन प्रतिनिधियों के सम्मान में दुभांत हैं और राजस्थान के ग्रामीण जन प्रतिनिधियों का एग्जीक्यूशन करने का, तमाम योजनाओं को एग्जीक्यूशन करने का जो जिम्मा ग्राम पंचायत को है, मैं समझता हूं राजस्थान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, उस सरकार ने उस ग्राम पंचायत के सरपंच को, जो एग्जीक्यूशन का है, उसको राजनीतिक मोहरा बनाया है और इस सरकार ने भी निश्चित रूप से, सीकर जिले में शायद एक दर्जन से ज्यादा उन ग्राम पंचायत के सरपंचों को नाजायज तरीके से सस्पैण्ड करने का काम किया और एक के एक हाइकोर्ट से स्टे लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि राजनीतिक इच्छाशक्ति पूरी नहीं होती है राजनीतिक दल की, उस ग्राम पंचायत के सरपंच को निलम्बित करने का काम लगातार, मैं यह नहीं कहता कि यही सरकार कर रही है, जो भी सरकार आई, वह..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जो भी सरकार आई, आज तक ऐसा ही किया है।

श्री अमराराम (धोद): आज तक इसलिए किया है कि उन ग्रामीण जन प्रतिनिधि और ग्रामीण पंचायत को सशक्त करने की इच्छाशक्ति और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं रही। केवल इच्छाशक्ति यह रही कि उन ग्रामीण पंचायतों के सरपंचों को किस तरह से राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है और उसके लिए लगातार उनको सस्पैण्ड करके राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश की गई और इसी का नतीजा है कि शायद एक दर्जन से ज्यादा सीकर में सरपंचों का निलम्बन किया गया पंचायत राज विभाग के माध्यम से और तमाम के तमाम को हाइकोर्ट ने स्टे दिया है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, और न केवल वह उनके साथ हो रहा है, सभापति महोदय, बजट हम यहां पास करते हैं और मांग पर, डिमांड पर भी कर रहे हैं, विधायक क्षेत्र योजना है आपकी, मैं समझता हूं 31 मार्च, 2008 तक का बजट पास किया था पिछली बार और माननीय मंत्री ने विधायक कोष के लिए

(श्री अमराराम)

यह आदेश निकाला है कि 31 दिसम्बर के बाद में वह तीन महीने में कोई स्वीकृति नहीं निकाल सकते, मैं समझता हूं कि अगर यह भावना इनकी है तो 31 मार्च से पहले दिया वह तो क्या 31 मार्च तक सब होंगे? केवल बजट तमाम विभागों का, तमाम योजनाओं का एक अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे बजट सत्र के लिए होता है लेकिन विधायक क्षेत्र विकास योजना का 31 मार्च को कर दिया और जिसका कुछ भी बाकी रह गया वह लैप्स हो जाएगा बाकी विभागों में। मैं समझता हूं कि जो नहीं करते आज बात समझ में आती है, आपने 45 दिन के लिए तमाम स्वीकृतियां निकालने के लिए कह रखा है। आप अगर 200 माननीय विधायकों का जो अनुशंसित कार्य है, मैं समझता हूं कि दस प्रतिशत कार्य भी नहीं होंगे जिनकी 45 दिन में तमाम स्वीकृतियां निकाल करके एग्जीक्यूशन हो गये हैं। आप अपना उत्तर देकर के बता दें कि जितने भी विधायकों ने अनुशंसा की है उनके 45 दिन में तमाम एग्जीक्यूशन होकर के निकल गया। अगर वह उन अधिकारियों पर लागू नहीं है तो उन पर आप क्या कार्यवाही करेंगे? 45 दिन में जो आपके आदेश दिया उनको तो आप कोई पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन विधायक के अगर 31 दिसम्बर को 2 लाख रुपये भी बाकी रह गये तो आप नहीं देंगे तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा मरू प्रसार रोग योजना शायद 8-10 ज़िलों में है सीकर और चूरू में जिन मजदूरों ने मजदूरी की, आपका प्रश्न लगा और आपने उत्तर दिया है कि अभी केन्द्र से जो बजट है उसकी मैचिंग ग्रांट में आना चाहिए था वह नहीं आया, जो मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है सभापति महोदय, उसकी व्यथा वही जानता है, वह नहीं जानता है कि केन्द्र, दिल्ली से बजट आया कि नहीं आया, राजस्थान की सरकार तो बार-बार चार साल से कह रही है मेरा खजाना भरा हुआ है तो क्या उस मजदूर को मजदूरी चूरू में, सीकर में जो इस मरू रोग योजना में काम किया, वह छह महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहा है। वह आपके प्रशासनिक अधिकारियों के सामने याचना कर रहा है मैंने मजदूरी की है छह महीने तक, जिस मजदूर ने दैनिक मजदूरी पर आपके 73 रुपए में मजदूरी की है और आपका उत्तर यह है, सरकार का यह हो कि जब दिल्ली से आएगा उसके बाद में उसका भुगतान किया जाएगा। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मजदूरी का भुगतान करने के लिए राजस्थान की सरकार का

(श्री अमराराम)

खजाना नहीं है, केवल बड़े-बड़े लोगों के लिए तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का सवाल है सभापति महोदय, यह दूसरी योजनाओं की तरह योजना नहीं है। योजनाएं और भी हैं, आज तक भी ग्रामीण विकास की योजनाएं चलती रही हैं। यह कानूनी अधिकार पहली बार इस देश के ग्रामीण क्षेत्र के उन मज़दूरों को संवैधानिक अधिकार कानून के माध्यम से मिला है जिसमें साफ प्रोविजन है 100 दिन के लिए काम मिलेगा, काम के स्तर पर ये-ये सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर तीन ज़िलों में पिछली गर्मियों के अंदर देखने का मौका मिला। जहां सुविधाएं, छाया की व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल होगा, दवाई होगी, पांच से ज्यादा महिलाएं अगर छोटे बच्चों को लेकर काम पर आएंगी तो उन बच्चों को खिलाने के लिए एक महिला होगी, एक भी सुविधा किसी भी कार्य स्थल पर नहीं मिली। दस दिन से आधा पेमेंट करने की व्यवस्था है, 15 दिन के बाद में 20 दिन में तय रूप से जितनी मजदूरी है वह मिलनी चाहिए थी, व्यक्तिगत उनका माप होना चाहिए, आपके पास कोई आपके टेक्नीकल अधिकारी नहीं है जो आपकी माप कर सके। एक जगह भी पंचायत समितियों में जो आपके प्रोग्राम अधिकारी है मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि स्टाफ ही नहीं है और कोटड़ा की तो हालत यह थी प्रोग्राम अधिकारी की मेरे पास गाड़ी नहीं है, टेंडर दे दिया, कोई नहीं आता तो मैं नहीं जा सकता तो टेक्नीकल अधिकारी तो जा ही नहीं सकता है, न कोई सुविधा पानी उस गर्मी में, मैं समझता हूं ड्रमों में पानी शुद्ध पेयजल यह नहीं हो सकता इसलिए न कोई सुविधा, न छाया की व्यवस्था...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50, 28, 41 और 33 इनके पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 50, 28, 41 एवं 33 पर अग्रेत्तर विचार

श्री अमराराम (धोद): इसलिए सभापति महोदय, यह केवल योजनाओं की तरह नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है, 20 दिन की मजदूरी का पेमेंट होने के बजाय अगर तीन-तीन महीने तक पेमेंट नहीं होता है तो जिस भी अधिकारी की ड्यूटी है अगर आप अभी कहेंगे वह कोर्ट में जाए। मैं समझता हूं कि वह दैनिक मजदूरी करने वाला मजदूर गांव का वह गरीब कहीं कोर्ट में जाकर उसको चेलेंज करे, यह हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, शासन चलाने वालों की जिम्मेदारी है कि जितना कानून में प्रोविजन है वह सुविधाएं उन मज़दूरों को मिले, समय पर उनको पेमेंट हो, उनकी नपती हो, फर्जीवाड़ा नहीं हो। मैं समझता हूं कि अभी तो 12 ज़िलों में ही था, अब पूरे 33 ज़िलों के अंदर यह लागू हो गया जिस तरह से इसका सही रूप से उपयोग हो, उस संवैधानिक अधिकार के रूप में हो, पहली बार किसी एक परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानूनी अधिकार मिला है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस योजना को उसी रूप से लागू करें जिससे राजस्थान के ग्रामीण विकास में भी योगदान होगा, उसको भी हक और अधिकार के रूप में निश्चित रूप से यह काम करने का मौका मिलेगा।

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी गायब है, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह विद्यार्थी, आप तो खुद भी प्रोफेसर रहे हैं, पूरे साल भर की स्कालरशिप जो हर महीने मिलनी चाहिए जब तनख्वाह मिल सकती है, हमको तनख्वाह मिल सकती है, राजस्थान के सात लाख कर्मचारियों को मंथली मिल सकती है तो क्या राजस्थान की सरकार की व्यवस्था नहीं हो सकती कि जिन एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों को स्कालरशिप जो माहवार मिलनी चाहिए वह साल के अंत में मिलती है, दो साल से नहीं मिलती? क्या हम यह व्यवस्था नहीं कर सकते? साल के अंत में मिलेगी और निश्चित रूप से उसका सदुपयोग जो होना चाहिए वह आज तक नहीं होता है और हर साल जाति प्रमाण मैं नहीं समझता हूं कि जो आज फर्स्ट ईयर में पढ़ता है तो सैकण्ड ईयर में उसकी जाति बदल जाएगी, उसको पैसे की जुलाई में जरूरत है, जो बीएड किया एक साल पहले उनको, एक साल पहले जिन्होंने बीएड की उनको स्कालरशिप आज तक नहीं मिली है और बहाना विभाग की तरफ से एक ही होता है सरकार से बजट आया नहीं और राजस्थान की सरकार का एक बहाना होता है कि केन्द्र से नहीं आया है। इसलिए एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों का जो भी स्कालरशिप का मामला है,

(श्री अमराराम)

निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि समय पर मिले, हर साल मिले। जब लाखों लोगों को हम तनख्वाह समय पर दे सकते हैं, जितना बजट है विद्यालय और महाविद्यालय में अगर जुलाई के फर्स्ट में अगर भेज दें तो मैं समझता हूं कि उस पैसे का सदुपयोग हो सकता है। इसलिए समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लौसल में शायद समाज कल्याण विभाग का होस्टल था, वह आपने समाप्त कर दिया, धोद में एक था उसका भवन नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि छात्रों के साथ छात्रवृत्ति के रूप में निश्चित रूप से न्याय करें और यह जो समाज कल्याण के नाम से विभाग है मैं समझता हूं कि अकल्याण नहीं करें। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री दातारामजी गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50, 28, 41 और 33 के संबंध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास और सामाजिक सुरक्षा कल्याण के विषय पर चर्चा इस सदन में हो रही है। राजस्थान प्रदेश की जितनी आबादी है उसका 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है और उनके बारे में ग्रामीण रोजगार के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार ने बनाई हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया है। सभापति महोदय, चार साल से ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार यह आभास हुआ है कि ग्रामों के विकास के लिए भी कोई सरकार कार्य कर रही है। ग्रामों में जिला परिषदों का, जिला विकास अभिकरण का इनका आपस में विलय करके और ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन सरकार ने किया और जिला परिषद के माध्यम से सारे विकास के कार्य और उसके अंतर्गत उनको करवाए गए। राज्य सरकार द्वारा सभी गाँवों में विकास किस प्रकार से हो और सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं? जो गाँवों के विकास के लिए हैं और बजट में पारित हुई उनका किस-किस प्रकार से क्रियान्वयन होगा? इस प्रकार की जानकारी देने के लिए सरकार ने समय-समय पर चेतना शिविर के माध्यम से 9189 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया और

उसमें सभी विभागों से संबंधित समस्याओं का समाधान मौके पर किया और किसानों से संबंधित सभी बातों का चाहे उनके स्वास्थ्य के प्रति हो,

(श्री दाताराम गुर्जर)

शिक्षा के प्रति हो, पीने के पानी के संबंध में हो या अन्य किसी विभाग की बात हो उन सब की गांवों में जाकर जानकारी प्रदान की गई। सरकार ने जो नेशनल रोजगार गारंटी योजना में, 2007 में जो यह पिछले साल से स्कीम लागू हुई 12 जिलों में उसमें पहली बार पूरे देश में अगर किसी राज्य में इसका सफल क्रियान्वयन हुआ तो राजस्थान में हुआ और यह औसत प्रतिशत जहां केन्द्र का 27 प्रतिशत रहा वहां हमारे प्रदेश का 57 प्रतिशत इसमें सफलता का प्रतिशत रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के माध्यम से दिसम्बर, 2003 से अक्टूबर, 2007 तक 60.43 करोड़ रुपये व्यय किये। पहली बार इतना व्यय इस सरकार ने किया। एक बार का मुझे याद है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रीजी ने उस समय यह कहा था कि सरकार केन्द्र से एक रुपया भेजते हैं उसका सिर्फ 15 प्रतिशत पैसा गांवों में लगता है लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने इसके विपरीत सिद्ध करके बता दिया कि विकास का पैसा जहां तत्कालीन सरकार के समय में 15 प्रतिशत लगता था वहां उसका आज 93 प्रतिशत तक पैसा गांवों के विकास पर खर्च होता है, माननीय सभापति महोदय।

श्री अमराराम (धोद): 7 कौन खाता है? (व्यवधान)...

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): 7 तो कोई ...(व्यवधान) नहीं रखने की बात नहीं है उसमें पूरा खर्च भी तो नहीं होता है बच भी जाता है पर आपके समय में तो मुझे याद है कि पहले बजट भाषण में जब आयी थी बात उस समय बताया था कि किसी भी मद में पैसा 45-46 प्रतिशत खर्च होता था वित्त वर्ष का और उसकी उपलब्धता जब हमारी सरकार यहां तक लेकर आयी है तो अब आप लोगों को ...(व्यवधान) प्रशासनिक और वो तो है ही पर जहां विकास पर होना चाहिए, पूरा बजट खर्च भी नहीं होता है कई बार, किसी भी डिपार्टमेंट का सौ प्रतिशत बजट तो खर्चा आपने कभी किया भी नहीं होगा शायद पर जहां आप 15 प्रतिशत खर्चा करते थे वहां अगर 93 प्रतिशत तक पूरा पैसा खर्च हो रहा है 7 प्रतिशत तक अन्य व्यवस्थाओं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में खर्च होता होगा।

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत 1,41,252 गरीब लोगों को लाभान्वित किया गया जिनमें से 74420 महिलाओं और 45377 अनुसूचित जाति, 29054 अनुसूचित जनजाति, 1352 विकलांगों एवं 2803 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया।

सभापति महोदय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसके तहत भी

(श्री दाताराम गुर्जर)
सरकार ने 775.72 करोड़ रुपये के व्यय से 698.12 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया। श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उन्हें मजदूरी के रूप में लगभग 5.33 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किये। एक ओर जहां हमारे माननीय प्रतिपक्ष के लोग कहते थे कि हमारे यहां तो उस समय पैसा भी नहीं था और हमारी सरकार ने जो-जो काम करवाये उनके बारे में कभी उनको पैसे की दिक्कत आयी भी नहीं। स्वविवेक जिला विकास योजना के तहत भी 2005-06 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप योजना का शत प्रतिशत वित्तीय व्यय किया है। यह पहली बार सभापति महोदय, हुआ है। इंदिरा आवास के मकानों पर जहां पूर्ववर्ती सरकार सिर्फ एक छलावा करती थी और अभी माननीय सदस्य बोल भी रहे थे कि पच्चीस हजार में कोई मकान बनता थोड़े ही है लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह सोचा कि यह सही है कि आज महंगाई की इस मार में जो केन्द्र सरकार द्वारा आज पूरा देश महंगाई झेल रहा है, इस मार को झेलते हुए और पच्चीस हजार में कोई भी अपने इंदिरा आवास में मकान बना नहीं सकता और उसका पैसा जस्ट डबल करके हमारी सरकार ने उसको पचास हजार रुपये अपने संसाधनों के माध्यम से किया और इंदिरा आवास में जो गरीब परिवारों के आवास बनाये गये उनमें भी सरकार ने लगभग जो सफलता हासिल की है उसमें सभापति महोदय, 1,10,094 नये आवास बनाये गये। इसके तहत गरीब परिवारों के 33402 अर्द्धनिर्मित और कच्चे आवासों को पक्के आवासों में बनाया गया। इसी प्रकार अक्टूबर, 2007 तक कुल 340.58 करोड़ रुपये व्यय किये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से गुरु गोलवलकर योजना के माध्यम से सरकार ने पहली बार जनसहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए और जहां पिछली सरकार के समय में सिर्फ दो करोड़ रुपये खर्च होते थे वहां हमारी सरकार ने सबसे पहली बार साठ करोड़ रुपये जनसहभागिता के माध्यम से गुरु गोलवलकर के नाम से जो योजना चलायी है उसमें इतना बजट सुनिश्चित किया और उसको गांवों में लगाने के लिए जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किया।

सभापति महोदय, मिड डे मील में भी पूर्ववर्ती सरकार सिर्फ घूघरी खिलाकर और बच्चों का सिर्फ मनोरंजन का माध्यम जो बनता था उसको हमारी सरकार ने सोचा कि आज पशु भी घूघरी नहीं खाता और ऐसे समय में उनको दुपहर के भोजन के समय पका हुआ भोजन जिसमें रोटी, खिचड़ी और

(श्री दाताराम गुर्जर)

अलग-अलग 6 दिवसों में जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग वार के अनुसार उनका फिक्स करके पहली बार किया और यही नहीं पिछले बजट से तो हमारी सरकार ने जहां प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों को मिड डे मील मिलता था उसको बढ़ाकर मिडिल स्कूल तक पहली बार किया और उसके अनुसरण में आज केन्द्र की सरकार ने भी इस बात की घोषणा की है।

सभापति महोदय, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना यह भी हमारी सरकार ने सबसे पहले लागू की और आज गांवों में कम से कम इस बात की प्रेरणा के लिए सब गांवों में निर्मल गांव बनाने के लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा आयी है और सरकार ने इसको और स्पर्धात्मक बनाने के लिए एक लाख रुपये का नकद पंचायत को भुगतान करने का तय किया है।

सभापति महोदय, ग्रामीण रोजगार में भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए हमारी सरकार ने और मुर्रा भैंस नस्ल सुधार हेतु भैंसे की खरीद पर दस हजार रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पहली बार दिलवाये । इसी प्रकार से बकरियों और भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए भी यह कार्यक्रम चालू किया । फल उद्यान लगाने हेतु किसानों को 75 प्रतिशत का अनुदान पहली बार सरकार ने दिया। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान तय किया और छोटे फूल उत्पादन हेतु छोटे पौधे की खरीद पर किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान तय किया। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने तय किया और इसी प्रकार से आज सरकार ने यह प्रोत्साहन राशि देकर हर व्यक्ति को रोजगार मिले और वो अपने स्वरोजगार पर निर्भर हो सके, इस प्रकार हमारी सरकार ने पहली बार यह किया है।

सभापति महोदय, अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंचायत के सदस्यों को, जिला परिषद के सदस्यों को और इनको तो बिलकुल कम भत्ता मिलता है। कम से कम हमारी सरकार ने, जो उनको मिलता है उसमें तो बढ़ोतरी की है । सभापति महोदय, आज तक तो किसी ने इस बात पर सोचा भी नहीं था और मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि उनको ज्यादा नहीं दिया गया या कम दिया गया लेकिन पहली बार सरकार ने यह तो सोचा कम से कम जहां चालीस रुपये मिलते थे उसको बढ़ाकर 70-75 रुपये तक किया है और उसके अनुपात में ग्राम पंचायत के पंच को और पंचायत समिति के सदस्यों को, जिला परिषद के सदस्यों का इन सब का ध्यान रखा और सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है।

(श्री दाताराम गुर्जर)

सभापति महोदय, एससी/एसटी के छात्रावासों हेतु तो सौ नये छात्रावास हमारी सरकार ने बनाये और छात्रावासों में आज के आधुनिक जो ये तकनीकी युग है इसकी जानकारी के लिए रंगीन टेलीविजन और गेम्स किट, फर्स्ट एड बाक्स, दरियां, कंबल आदि सब की, पिछली बार विधान सभा में कई माननीय सदस्यों ने रखा था कि छात्रावासों में कंबल नहीं हैं, दरियां नहीं हैं, इन सब बातों को देखते हुए हमारी सरकार ने यह व्यवस्था पहली बार की और यही नहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्लों में विकास के लिए या उनके परिवार जहां रहते हैं उनके विकास के लिए विधायक कोष से भी बीस प्रतिशत राशि सुनिश्चित की गई कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और एससी/एसटी के लोगों के विकास के लिए कम से कम इसमें भी उनका निश्चित कोटा जो फिक्स किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और हमारे ग्रामीण विकास मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं। अब इसमें बढ़ाया जाए तो भी मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि आज तक कांग्रेस जो अनुसूचित जाति/ जनजाति को सिर्फ वोट बैंक के रूप में काम लेती थी सभापति महोदय, आज तक कभी उनके बारे में सोचा नहीं । आज 60 साल बाद भी ग्रामों के विकास की बात की आज कोई चर्चा ही नहीं होती । सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि गांधीजी के सपनों को साकार नहीं किया । आजादी के 60 साल में मात्र 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में रही है और देश में भी बहुत कम समय में रही है और ऐसे में आज हर राज्य का निवासी हो, चाहे देश का निवासी हो वह सोचता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आजादी के 60 साल में से 30 साल भी रह जाती तो शायद ग्रामीण विकास के बारे में जो कल्पना गांधीजी ने की थी वह निश्चित रूप से साकार हो जाती । सभापति महोदय, एससी और एसटी के लिये मैं मांग करना चाहता हूं इस कोटे को अगर 30 प्रतिशत कर दिया जाये तो निश्चित रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन कालोनियों में आज तक सिर्फ वोट बैंक के रूप में काम लेकर उनको ठगा गया है उनके साथ न्याय हो। अनुसूचित जाति के लोग, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उन कालोनियों में एमएलए कोटे से प्रत्येक जनप्रतिनिधि 30 प्रतिशत राशि खर्च करें । यह सरकार बढाये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं तो यह घोषणा करता हूं कि मेरे विधायक कोटे से मैं 30 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये इस बजट से खर्च करूंगा ।

(श्री दाताराम गुर्जर)

सभापति महोदय, मंदिरों के लिये बिजली के मामले में बहुत रियायत प्रदान की है कि सामान्य कनेक्शन के बराबर में उनको कनेक्शन दिया जाये । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि एमएलए कोटे से मंदिरों तक जाने का रास्ता, कई बार जिला कलक्टर महोदय आब्जेक्शन लगा कर भेजते हैं कि मंदिर की श्रेणी में आता है इसलिए यह पैसा खर्च नहीं हो सकता । सभापति महोदय, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मंत्रीजी आप मना करें लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ है । मंदिर में तो सब लोग जाते हैं और ऐसा कौनसा गुनाह है जो मंदिर के लिये रास्ता ही हम नहीं बना सकते । हमारी आस्था का प्रतीक है। कोई भी धर्म हो अगर उसकी आस्था के प्रतीक के लिये और वहां जहां जन-जन जाता है, स्कूलों में तो सिर्फ विद्यार्थी ही जाते हैं और दूसरी जगह भी कोई व्यक्ति विशेष ही जाता होगा लेकिन मंदिर में तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब जाते हैं, अगर वहां का रास्ता हम विधायक कोष से बनायें और उसमें आब्जेक्शन लगे तो यह बड़ा महसूस होता है कि आज आस्था के लिये भी हम रास्ता निर्माण नहीं कर सकते हैं । इसमें सुधार कर और सख्त निर्देश सभापति महोदय, आपके माध्यम से जिला कलक्टर और जिला परिषद को जारी किये जायें कि रास्ते के सुदृढ़ीकरण, रास्ता निर्माण के लिये राशि का उपयोग करने की पूरी छूट हो । सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की मांग पर चर्चा चल रही है और जो प्रतिपक्ष है कांग्रेस उसके सिर्फ चार आदमी बैठे हैं । जो आदमी बोलता है वह चला जाता है इसलिए मंत्रीजी से जवाब दिलवा दीजिए । जब किसी को इसके प्रति चिंता ही नहीं है, चार-चार आदमी बैठे रहें और सदन खाली रहे और बोल कर चले जायें तो फिर ...

श्री सभापति: मैं अभी आपके सुझाव पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार कर रहा हूं ।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह वैसे घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं और यहां से बोल कर चले जाते हैं । अगर बोल कर जाये तो फिर मंत्री जी की भी सुनें।

श्री सभापति: आपने सुझाव दे दिया है मैं आपके सुझाव पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार कर रहा हूं ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय पंचायती राज मंत्रीजी इसमें एक मरम्मत शब्द भी एम एल ए कोटे में जोड़ दीजिए । जो पुराने आंगन बाड़ी केन्द्र है, पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है, उनके मरम्मत और सौंदर्यीकरण का जोड़ दीजिए । मरम्मत में आ जायेगा और सौंदर्यीकरण में रंग रोगन आ जायेगा । (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सभापति महोदय, यह इस साइड से मर्जी आये वैसे झिला देते हैं और हमको झिला कर चले जाते हैं ।

श्री सभापति: मैंने आप सब की राय ले ली है अभी उचित समय में उचित निर्णय कर देंगे । माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह । (अनुपस्थित) माननीय सदस्य श्री संयम लोढा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह 10वां साल है मैं कभी हाउस एडजोर्न होने से पहले घर नहीं गया यह आपको भी मालूम होगा । (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप इनको बोलने दीजिए ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पटेल साहब आपकी तो यह लाल बत्ती हमको बहुत भारी पड़ रही है ।

श्री सभापति: आप बोलिए ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की मांगों पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। सभापति महोदय, यह सही है कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने नागौर जिले के जरिये पंचायती राज की स्थापना की थी । यह भी सही है कि उनके बाद हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधीजी स्वप्नदृष्टा थे, जिन्होंने इस पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तीकरण के लिये संवैधानिक संशोधन लाने की बात सोची । यह अलग बात है कि उनके जीवित रहते राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं होने की वजह से उस वक्त उस संवैधानिक संशोधन को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका । लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधीजी के अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लेकर आगे बढ रही कांग्रेस पार्टी ने 1991 में जब नरसिम्हां रावजी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी का राज बना तो 73वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायती राज के उस संशोधन को मूर्त रूप दिया । पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने का भारतीय राजनीति का प्रयास यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी

(श्री संयम लोढ़ा)
वाजपेयीजी ने और तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वैंकटया नायडूजी ने उस सोच को आगे बढाने का फैसला किया। वाजपेयीजी की पहल पर 2003 में पूरे देश के पंचायती राज प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ । प्रतिपक्ष की नेता के रूप में श्रद्धेय सोनिया गांधीजी भी उस सम्मेलन में उपस्थित थीं और आम सहमति से यह फैसला हुआ कि देश में पंचायती राज के सशक्तीकरण को आगे बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हीं की भावनाओं के आधार पर 2003 में राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में, इस पवित्र सदन में दो दिन का विशेष सत्र हुआ और यह फैसला किया गया कि हम पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे । 2003 में कुछ फैसले हुए, यह भी सही है कि उसमें से एक फैसला तत्कालीन मंत्री शांति धारीवालजी ने 2003 में ही विथड्रा कर दिया । लेकिन बाकी के जितने भी फैसले किये थे वह राजस्थान में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने 18 जनवरी, 2004 को आदेश निकाल कर उन फैसलों को वापस ले लिया, उन अधिकारों को वापस ले लिया । मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह कर दिया या भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दिया, मैं यह चाहता हूं कि यह सदन मिल जुल कर इस बात के फैसले की और इस बात के संकल्प की ओर आगे बढ़े कि समाज में हमारे सबसे पीछे बैठे हुए आदमी, गांव में बैठे हुए आदमी को राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कैसे ताकत दी जा सकती है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि वर्ष 2002-03 में ग्रामीण विकास में केन्द्र और राज्य दोनों का पैसा मिल कर जो खर्च हुआ वह 674.08 करोड़ रुपये था । तब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केन्द्र में एनडीए की सरकार थी । आप इस बात को लेकर प्रसन्न हो सकते हैं कि राजस्थान में आज ग्रामीण विकास का बजट बढ़ा है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2007-08 में ग्रामीण विकास में जो बजट उपलब्ध है वह 2002-03 के 674 की तुलना में 1495 करोड़ रुपये हैं। लेकिन सिर्फ इसमें केन्द्र सरकार का योगदान 1204.38 करोड़ रुपये है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आप यह कहते हैं कि केन्द्र हमारा हक है, राजस्थान की जनता का संवैधानिक हक है । बिलकुल, यकीनन है और

(श्री संयम लोढ़ा)

उसी हक के नाते यह पैसा मिला है । यह सही है कि किसी की भी सरकार रहे, चाहे वह देश की सरकार हो ,उसने यह पैसा देकर कोई उपकार नहीं किया है यह राजस्थान की जनता का संवैधानिक हक है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि पैसा तो मिला, राजस्थान की जनता का जो हक था, केन्द्र से जो पैसा राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए था, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए आप किसकी जवाबदेही तय करेंगे ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं एसजीएसवाई में केन्द्र और राज्य का हिस्सा मिलाकर इस साल राजस्थान को 68.65 करोड़, 65.70 करोड़ मिलना चाहिए था लेकिन मिला कितना 49.5 करोड़, 93 हजार रुपये1 माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान को यह हिस्सा प्राप्त होना चाहिए था, यह 20 करोड़ रुपये राजस्थान की जनता को कम मिला उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि डीडीपी के अंदर राजस्थान को पैसा मिलना चाहिए था केन्द्र से 126 करोड़ रुपये और राज्य से 42 करोड़ रुपये, कुल 168 करोड़ मिलना चाहिए था लेकिन 2007-8 में वास्तविक प्राप्ति केन्द्र और राज्य दोनों को मिलाकर कितनी हुई 82 करोड़ रुपये। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह 70 करोड़ रुपये डीडीपी में कम मिला कौन जिम्मेदार है उसके लिए ? अभी मैंने एक अख़बार में बीच में पढ़ा था कि मुख्य मंत्रीजी बहुत नाराज हुई कि राजस्थान में इस साल का जो प्रावधान किया गया था उसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपस की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़कर राजस्थान की जनता का हम राजस्थान के सर्वोच्च सदन में बैठकर हक मारने का काम कर रहे हैं। आप जवाबदेहिता तय कीजिए उन लोगों की जो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि क्यों यू सी नहीं भेजी भारत सरकार को, क्यों उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्यों राजस्थान के उस गरीब किसान को जो पैसा भारत सरकार से मिला हुआ है उसको वक्त पर लाभ नहीं मिला।

सभापति महोदय, मंत्रीजी मैं आपका ध्यान आप ही के क्षेत्र के एक मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो यह वाटरशैड का कार्यक्रम है इसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ गए और विधान सभा क्षेत्र

(श्री संयम लोढ़ा)
कल्याणपुरा में आपने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, 1 करोड़ 26 लाख रुपये का आपने प्रावधान किया और इस साल में आपका खर्चा मात्र 18 प्रतिशत। राजस्थान सरकार का ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मंत्री खुद के क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ 26 लाख रुपये बी.पी. के अंदर उपलब्ध हो और उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं करवा सके, वो क्या राजस्थान के ग्रामीण विकास को नई दिशा देंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा समाप्त हो जाए तब जवाब दे देना।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं सिर्फ यही कह रहा हूं माण्डलगढ़ है वो माण्डल नहीं है, इसलिए मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान का, किसी का एरिया तो होगा । चलिए आपका विधान सभा क्षेत्र का नहीं है पर (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय मुझे माण्डल शब्द से कन्फ्यूज हो गया मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन जिस राजस्थान के आप मंत्री हैं उस राजस्थान में तो आता है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके प्रति? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और हम सभी देश..(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सभापति: अभी आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है मैंने। बैठिये आप, बोलिए आप संयमजी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): यह गलत सूचना दे रहे हैं उसको सही कर रहा हूं खाली।

श्री सभापति: अभी जवाब आ जाए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक मिनिट, गलत सूचना दे रहे हैं, खाली मैं सही कर रहा हूं।

श्री सभापति: मैंने आपको परमीशन दी ही नहीं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: मैंने दी ही नहीं परमीशन आपको।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपसे आदेश मांग रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपका आदेश मांग रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना, सेंट परसेंट सैन्ट्रल फण्डेड स्कीम है, राजस्थान की जनता को पैसा मिलना चाहिए था 76 करोड 59 लाख रुपये और मिला कितना 36 करोड़ 12 लाख रुपये, कौन जिम्मेदार है इसके लिए ? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने अपने प्रगति विवरण में अनेक योजनाओं का हवाला दिया है उनका हाल क्या है ? नये-नये नामों से नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। निर्मल घाट योजना, प्रावधान कितना 2007-08 में 75 लाख रुपये, यह फरवरी महीना आ रहा है, आपने योजना जो प्रगति विवरण राजस्थान की विधान सभा में रखा खर्चा कितना किया है 27 लाख 39 हजार। 75 लाख के प्रावधान की तुलना में मात्र 27 लाख रुपये। ग्राम स्वराज योजना जिसमें कन्ट्रीब्यूशन 75-25 है क्या प्रावधान है 4 करोड़ रुपये और 2007-8 में खर्च कितना किया मात्र 42 लाख रुपये, दस प्रतिशत मान लीजिए। बैकुण्ठ द्वार मुक्ति धाम योजना, फण्ड हस्तान्तरण कितना किया 50 लाख 70 हजार, 25 फीसदी। दीनदयाल उपाध्याय आदर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय इनके विचारक है, बहुत साधारण तरीके से अपना जीवन जीकर उन्होंने, अपनी विचारधारा को, लोगों को संदेश देने की कोशिश की थी वह सादगी के जरिये लोगों की सेवा में डूबकर एक नये समाज के निर्माण की कोशिश करें। उनके नाम पर 100 गांवों के चयन का लक्ष्य रखा इस साल में 2007-08 में और यह सरकार 100 गांवों का चयन नहीं कर पाई मात्र 24 गांवों का चयन किया और 15 करोड़ का प्रावधान किया उसके अंदर। निर्बंध राशि योजना प्रावधान 31 करोड़ 71 लाख रुपये और खर्चा 2 करोड़ 74 लाख रुपये। शांति प्रिय गांव अनुदान योजना 122 गांवों का पूरे राजस्थान में चयन, एक करोड का प्रावधान और खर्चा कितना 12 लाख रुपये।

सभापति महोदय, इसी तरीके से निर्मल गांव पुरस्कार योजना 23 ग्राम पंचायतों का चयन, 23 लाख रुपये का प्रावधान और खर्चा मात्र 7 लाख रुपये का। सभापति महोदय, मैंने यह जानकारी माननीय मंत्रीजी और सदन के ध्यान में लाने की चेष्टा की कि प्रावधान होने के बाद भी सरकार का क्रियान्वयन पर, व्यय पर, कितनी शिथिलता और कितनी लापरवाही है। बहुत अच्छा होगा अगर

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्रीजी ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग की हो और वह सदन को यह सूचित करें कि मैंने पैसा उपलब्ध होने के बाद भी जिन अधिकारियों ने राजस्थान की गरीब अवाम को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से काम नहीं किया उनकी यह जवाबदेही तय की है।

सभापति महोदय, अभी मुझ से पहले वक्ता यह फरमा रहे थे कि एमएलए लैड में 20 प्रतिशत शिडयूल कास्ट एंड ट्राइब के लिए प्रोवीजन किया है। जिनकी भावना थी उन्होंने पहले भी 60 प्रतिशत खर्चा एसटी एससी के एरिया में किया है लेकिन मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सम्बल ग्राम योजना चलती है, सम्बल ग्राम योजना में वह गांव सम्मिलित होते हैं जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा होती हो। राजस्थान में 2463 सम्बल गांव हैं और इस सरकार ने क्या प्रावधान किया 2007-8 में, 1 करोड रुपये। 100 लाख, 2463 गांव, क्या 500-500 बांटोगे, 500-500 रुपये से उस सम्बल गांव का विकास करोगे ? माननीय सभापति महोदय, उन 2463 गांवों का योजना में चयन भी नहीं किया, मात्र 504 गांवों का चयन किया। 504 गांवों को भी आप पैसा दे दोंगे 100 लाख रूपया, तो क्या दे दोंगे 20-20 हजार रुपये। 20 20 हजार रुपये में यह सम्बल गांव का कायाकल्प हो जाएगा? यह सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की रहनुमा बन जाएगी ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार ने नई योजना दी 2006-07 से, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, बीआरजीएफ, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2006-07 में, यह 2007-08 खतम हो रहा है, 2006-07 में 82 करोड़ 87 लाख रुपये इस योजना में राजस्थान को मिला था क्या आज तक भी आपने वह पैसा खर्च कर दिया, जो पिछले साल मिला था ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दिसम्बर महीने तक पिछले साल 82 करोड़ के मुकाबले मात्र 46 करोड़ की यू सी भेज पाए। फिर होता क्या है भारत सरकार पैसा नहीं देती। राजस्थान की पब्लिक को भुगतना पड़ता है। सभापति महोदय, बीआरजीएफ की मानीटरिंग करने का कोई सिस्टम ग्रामीण विकास विभाग के पास नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं 2006-07 के अंदर एक कस्बे के अंदर टाउन हाल नगरपालिका ने स्वीकृत करा, 15 लाख का आपने उसमें प्रोविजन किया, 80 लाख की मूल कोस्ट थी, 2007-08 में टाउन हाल गायब हो गया सारी सड़कें उसके अंदर आ गई, कौन

ध्यान रखता है आपके यहां कि वह 15 लाख रुपये लग रहा है जिसका टेण्डर हो चुका है, ठेका हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। अगले साल पैसा नहीं मिलेगा तो खर्चा कैसे होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आपकी घंटी बज रही है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं रुरल एम्पलायमेंट स्कीम पर कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी यशस्वी नेता श्रीमती सोनिया गांधी को और महान सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा राय को कि जिनके अथक जीवन संघर्ष से हिन्दुस्तान की अवाम को यह क्रान्तिकारी अधिकार मिला, रोजगार गारण्टी का। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में छह जिलों में यह योजना दो साल से चल रही है। परन्तु राजस्थान की सरकार पिछले 2 साल से इस योजना को अभी तक अकाल की तरह चला रही है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अरुणा राय ने जब सूचना के अधिकार के तहत यह अभियान चलाया.. (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका सूची में नाम है। जो माननीय सदस्य बोलता है वह मानसिक रूप से तैयार होकर आता है, उसका पूरा क्रम टूटता है, आप ध्यान से सुनें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना एक्ट के तहत संचालित है। यह योजना साधारण योजना नहीं है और हर हालत में सरकार को एक्ट के प्रोविजंस की पालना कराना सुनिश्चित करना है। एक्ट के चैप्टर सैकिण्ड का थ्री कहता है केश पेमेण्ट के बारे में, ‘‘save as otherwise provided in this Act the disbursement of the daily wage shall be …..” मंत्री महोदय ध्यान रखें...‘‘shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.” कि हर हालत में 15 दिन के भीतर मजदूर को मजदूरी का भुगतान मैंडेटरी है, बाध्यकारी है। लेकिन मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है, माननीय सभापति महोदय, खुद मंत्रीजी ने इस साल, 2008 में मेरे अतारांकित प्रश्न के सवाल का खुद ने यह जानकारी दी है, इस सदन के रिकार्ड के ऊपर, 2007-08 में सिरोही जिले में कम से कम एक हजार काम ऐसे थे जिनमें मजदूरों को 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और

(श्री संयम लोढ़ा)

जब 15 दिन के भीतर आपने मजदूरी का भुगतान नहीं किया, आपने इस पवित्र सदन के अन्दर जब सवाल का जवाब देकर के इस बात को एडमिट किया तो जो इस एक्ट का प्रोविजन है, कम्पनसेशन का, आपने फूटी कोड़ी उस गरीब मजदूर को दी है, कम्पनसेशन के रूप में?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार इस कानून का मखौल बना रही है। यह आप 55 प्रतिशत और 57 प्रतिशत के भारत सरकार के सर्टिफिकेट को लेकर घमण्ड में इतराइये मत। जवाब तो आपको राजस्थान की उस गरीब जनता को वहां जाकर देना पड़ेगा, आपको हमको, दोनों को, कि धरातल पर उसके साथ क्या हो रहा है। (व्यवधान) और माननीय सभापति महोदय, इसी एक्ट के सेक्शन 19 में प्रोविजन है, Grievances Redressal Mechanism, पूरे राजस्थान के अन्दर एक भी ब्लाक के अन्दर Grievances Redressal Mechanism की व्यवस्था नहीं है। श्रमिक के साथ कुछ भी हो जाए, काम में कुछ भी हो जाए, किसी तरह की कम्पलेंट हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। जब एक्ट में यह प्रोविजन है कि अगर टेलीफोन पर भी यह सूचना दी गई है तो उसको कम्पलेंट मानकर के ब्लाक का पी.ओ. सात दिन के अन्दर उस कम्पलेंट का निस्तारण करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मिनीमम वेज? एस.जी.आर.वाई. के बाद में यह योजना आई। इसके आने के बाद एस.जी.आर.वाई. को हटा दिया गया। जब यह योजना पहले साल में चालू हुई तब इसी सरकार ने ही आदेश जारी किया कि हर मजदूर, जो काम पर आ रहा है, टाइम बेस के आधार पर उसको 54 रुपये उस वक्त तो 60 रुपये मिनिमम वेज था, यह 54 का एस.जी.आर.वाई. में आर्डर निकला हुआ था, 54 रुपये पेमेण्ट किया जाएगा। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय, यह तो स्टेट का आप्शन है कि वह टाइम बेस वेज पर जाता है या टास्क बेस वेज पर जाता है। पर अगर टास्क बेस वेज पर जाता है तो यह एक्ट बहुत साफ कहता है ''Under no circumstances shall the laborers be paid less then wage base rate. मतलब हर हालत में आप अगर टास्क बेस पर भी काम कर पा रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि उसको न्यूनतम मजदूरी मिल सके। लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह 55 प्रतिशत या मिनिमम रेट 50-55-60 रुपये मत गिनाइये। पचासों ऐसे काम हैं, ग्राम पंचायत छीबा गांव के काम, ग्राम पंचायत चूली के काम, जहां सभापति महोदय, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठने के बाद भी मजदूर की

(श्री संयम लोढ़ा)
मजदूरी मिली है एक रुपया, पूरे दिन की मजदूरी 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और सभापति महोदय, यह स्थिति पूरे 15 दिन चली है। पूरे 15 दिन के पखवाड़े की मजदूरी उसको 28 रुपये, 30 रुपये मिली है। तो आपके डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे थे। अगर उनके काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी तो उस ब्लाक के अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में यह प्रोविजन किया है कि राज्य सरकार जिसको चाहेगी, जिस अधिकारी को, उसको डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर लगा सकती है।

अब इस सरकार ने क्या किया। कलक्टर को तो डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर लगा दिया। वह व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेकर के सेवा में आया हुआ है उसको आपने पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया, इसका डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर बनाकर। राजनीतिक आधार पर उसको दबाव डालकर उस कलक्टर इंस्टीटयूशन का यह सरकार दुरुपयोग कर रही है। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कलक्टर इंस्टीट्यूशन एक निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए। उसमें राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक अपेक्षाओं का प्रभाव उस संस्थान पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लगातार सरकार अपने निहित स्वार्थ के लिये इसका दुरुपयोग कर रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, रोजगार गारंटी के अन्दर जब घोटाले हुए, जो मरे हुए लोगों के नाम मस्टररोल पर लिखे गये, जो लोग काम पर नहीं थे, जिनकी फर्जी हाजिरी लगाई गई, मैंने 20 दिन पहले इस पवित्र सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार को दो काल आफ अटेंशन भेजे, 20 दिन पहले। जिसमें से एक मामला 2006-07 का है, बाकी का अभी का है। सरकार जवाब नहीं दे पाई। सरकार ने लिखकर भेजा कि हमें जवाब देने के लिये समय चाहिए। समय क्यों चाहिए कि विधान सभा खतम हो जाएगी। फिर जवाब देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे यह सच्चाई नहीं छिप जाएगी इस सदन के अन्दर कि मुख्य मंत्री के गृह जिले में, झालावाड़ जिले के अन्दर मरे हुए लोगों के नाम लिखकर मजदूरी के पैसे उठाये गये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर): कांग्रेस का सरपंच था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सस्पेंड करिये, कांग्रेस का सरपंच है तो, मुकदमा दर्ज कराइये आप, जेल में बंद करिये, जो राजस्थान की गरीब जनता

(श्री संयम लोढ़ा)

का पैसा खाना चाहता है, कांग्रेस हो या बी.जे.पी., कोई रहम उसके प्रति नहीं होना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मनकंवर भू-संरक्षण नाला उपचार, 2,21,880 रुपये का घोटाला। बांसखेड़ा बोदिया गांव, कोडबंध तालाब गहरा एवं मरम्मत करने का काम, एन.टी.एन. 4584 का रुपये 43513 का घोटाला। इस तरीके से कोई 21 कामों के अन्दर लाखों रुपये का इसमें घोटाला हुआ। जिसका सारा ब्यौरा मैंने माननीय मंत्रीजी को दिया हुआ है। मुख्य मंत्री के गृह जिले के अन्दर जाब-कार्ड देने के लिये लोगों से पैसे लिये गये, बनवाने के पैसे लिये गये। किसी के 400 रुपये, किसी के सौ रुपये, किसी के 70 रुपये। सभापति महोदय, मरे हुए लोगों के नाम लिखकर के पैसे उठा दिये। इसी तरीके से सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पंचायत समिति के सनवाड़ा पंचायत में जो लोग काम पर ही नहीं गये, उनके नाम से पैसे उठा दिये गये। ऐसे 12 मजदूरों का लिखित में मैंने माननीय मंत्रीजी को नोटिस दिया। सिरोही जिले की दूसरी पंचायत समिति रेवदर के अन्दर स्कूल के एक मास्टर को लगा डेढ़ महीने तक एम.बी. भरवाने का काम किया, और वह भी 2003 के अन्दर हाइकोर्ट की रिट का फैसला होने के बाद, हाइकोर्ट के आदेशों का पूरे राजस्थान के सन्दर्भ में वायलेशन करते हुए, नोटिस में आने के बाद भी लगातार उसको आपने काम पर लगाये रखा। क्या इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसी तरीके से हम राजस्थान की व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, सभापति महोदय, तो आने वाले वक्त में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। और जो लोग डूंगरपुर में गये थे, जब अरुणा राय और उनके साथी गये, तब वहां जब कलक्टर मंजू राजपाल हुआ करती थीं, उन्होंने बहुत मेहनत से अच्छा काम किया, उसकी सराहना हुई तो इस सरकार ने अरुणा राय के सर्टिफिकेट को लेकर के पूरे हिन्दुस्तान में उस सर्टिफिकेट का यूज किया। और अब मुख्य मंत्री के गृह जिले में जाकर, जब अरुणा राय और उसके साथियों ने भ्रष्टाचार को उजागर किया तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, उनके लोगों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया।

एक माननीय सदस्य: मारा गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिसका पुलिस थाने के अन्दर मुकदमा दर्ज हुआ। माननीय सभापति महोदय, और मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मारने वाले कांग्रेसी ही थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और आपके जिला प्रमुख ने क्या किया? बांसवाड़ा के जिला प्रमुख ने क्या किया? बांसवाड़ा जिला प्रमुख ने क्या किया? माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस का जिला प्रमुख, बांसवाड़ा का जिला प्रमुख, वह लिखकर दे रहा है कि यह इस तरह के सोशल आडिट के नाम पर शोषण हो रहा है लोग ब्लेकमेलिंग का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, संसदीय मंत्रीजी, एक मिनट, राठौड़ साहब। मैं भी इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बांसवाड़ा जिले में अरुणा राय के ऊपर, कातिलाना हमले की सारी तैयारी कर ली, अच्छा था कि हम सारे आदिवासी लोग जमकर अरुणा राय का समर्थन करने के लिए अगर मैदान में नहीं उतरते तो वहां पर उसकी हत्या हो सकती थी, वह स्थिति पैदा कर ली थी और यह सारे के सारे कांग्रेस के लोगों ने तय कर लिया कि अरुणा राय हर हालत में बांसवाड़ा की धरती से भागनी चाहिए, यह फैसला कर लिया था। (व्यवधान) और वहां के जिला प्रमुख ने ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखो न, आगे यह आपके सारा लिखा है। यह बांसवाड़ा के जिला प्रमुख के द्वारा लिखा हुआ और ... (व्यवधान) जिसने कहा कि अरुणा राय मेरे इलाके में आनी नहीं चाहिए। यह लोगों को भ्रमित कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यही नहीं, बांसवाड़ा की धरती पर अरुणा राय वहां पर रहनी नहीं चाहिए और इन्होंने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसके ऊपर कातिलाना हमला करवाया था। इनको बचाने का काम हमने किया। (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर): अरुणा राय ने जिस सरपंच को निलम्बित करने की सिफारिश की, उसको आपने युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया हमारे यहां पर और ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): और आज मैं मंत्रीजी को कह रहा हूं कि मैं माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर): हमारे अमरपुरा के सरपंच को आपने युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, जिसको हमने बर्खास्त करवाने के लिए मंत्रीजी को लिख रखा है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, पंचायत समिति आनन्दपुरी के अन्दर, माननीय मंत्रीजी, आप सुन लें कि पंचायत समिति आनन्दपुरी में अगर आपने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की अगर जांच करा ली तो बांसवाड़ा ही नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा वहां पर भ्रष्टाचार उजागर होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं हमारे जनता दल से आने वाले साथी ... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ... (व्यवधान) युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया आपने। (व्यवधान) और ऊंची आवाज में बोल रहे हैं यहां पर ... (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): तो सस्पैंड करने की मांग की थी... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): +++ वाली बात है। +++ है, आपके यह तो ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हरिमोहनजी ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ... (व्यवधान) आल इंडिया का ही बना दिया था। तब तो आपकी नजर नहीं खुली। भारतीय जनता पार्टी का आल इंडिया का +++ जो सीधा +++ गया और आप यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस कह रहे हो। ... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उसने थोड़ा भ्रष्टाचार किया, नहीं तो उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देते।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): हरिमोहनजी, +++ वाली बात है आपकी पार्टी ने ... (व्यवधान) भ्रष्टाचार में लिप्त था।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बांसवाड़ा की ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा प्लीज, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी सारी सूचनाएं सदन में रख दी हैं। माननीय सदस्य, आगे बोलिये। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उसने ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार किया था इसलिए जिला अध्यक्ष बनाया। अगर वह पंचायत समिति स्तर पर भ्रष्टाचार करता तो उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते यह ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, बागीडोरा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है कि बांसवाड़ा जिले के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्दर रोजगार गारंटी के अन्दर अगर स्वतंत्र जांच करायी जाए तो लाखों रुपये का भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी सदस्य हैं। जब यह खुद इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में यह कह रहे हैं कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर रोजगार गारंटी में भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इस सदन में घोषणा करें कि आप उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश से राजस्थान में रोजगार गारंटी योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप उसकी जांच कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार सोशल आडिट से घबरा रही है और सोशल आडिट एक स्वतंत्र एजेंसी से कराइये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा मैं इन्होंने... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बोलने दो न।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आधा घंटा हो गया आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ तीन मिनट और लूंगा आपसे, मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे तो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: ठीक है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बांसवाड़ा जिले के अन्दर निकलेगा, यह रोजगार गारंटी के नाम का ... (व्यवधान)

श्री सभापति: चलिये। माननीय सदस्य तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर रहे हैं। अभी तीन मिनट हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, तो जो सामाजिक अंकेक्षण इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना चाहिए। यह सरकार क्या कर रही है? उसी डिस्ट्रिक्ट का-आर्डिनेटर के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण दल गठित कर रही है जो चोरों के हाथ में ही जांच हुई, सौंप दी वापस। जिन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार करवाया है उन्हीं के जरिए आप कमेटी का गठन कर रहे हो। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि यह योजना सोनियाजी गांधी की महान प्रतिबद्धताओं की देन है और हिन्दुस्तान की गरीब आवाम के जीवन स्तर को

(श्री संयम लोढ़ा)

ऊंचा उठाने का, इनका जो संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम है इसलिए मेहरबानी करके एक प्रतिबद्धता के साथ में इस योजना को चलाने की चेष्टा करिये।

आज अनुसूचित जाति और जनजाति के जिन किसानों के कुएं इस योजना में खोदे जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, वह दुर्दशा एस.सी., एस.टी. के किसानों की यह सरकार कर रही है कि सेक्शन-4 के अन्दर, वहां के नीचे के अधिकारियों को पनिश किया जाना चाहिए और 15 फीट कुआ खुद गया, उसके बाद पैसे की मंजूरी नहीं। पैसा नहीं। वह लेकर बैठा हुआ है उसको। मजदूरी का भार उसके ऊपर पड़ रहा है। दो-दो महीने से वह कुओं की खुदाई हो गयी। उनके कुओं का, इसका पेमेंट नहीं, मैटीरियल का पेमेंट नहीं। पहले जे.ईएन. ने घर बैठे-बैठे सैंक्शन भेज दी ढाई लाख की। बाद में मालूम पड़ा कि कुआ बनाने में पाँच लाख खर्च होगा। रिवाइज्ड सैंक्शन का भेजा तो रिवाइज्ड सैंक्शन नहीं। इस तरीके के हालात राजस्थान में रोजगार गारंटी योजना में बने हुए हैं। यह भारत सरकार के सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज्यादा इतराओ मत। गरीब जनता राजस्थान की वहां सर्टिफिकेट देगी, वह सर्टिफिकेट आपके काम आएगा।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी से एक मिनट में बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): है नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो दूसरे बैठे होंगे वे लिख रहे होंगे। वह लिख दें। एक तो मेहरबानी करके यह जो हास्टल आपने एन.जी.ओ. को देने का फैसला किया है, इस फैसले को आप छोड़ दीजिए। वह 30 करोड़ रुपया जो गरीब समाज के बच्चों के जीवन को बनाने के लिए खर्च हो रहा है, इसको लूटने एक नये रास्ते की तरफ मत बढ़िये। जो व्यवस्था सरकार की बनी हुई है, उसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो यह 30 करोड़ रुपया एन.जी.ओ. के नाम पर दलाली कर रहे उन सो-काल्ड इण्टेलेक्चुअल्स की जेब में चला जाएगा और वह गरीब समाज का बच्चा फिर एक बार अपने जीवन को ऊंचा उठाने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा और माननीय मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तो इस बात का भी जवाब दें कि यह अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में आपके पास 8428 लाख रुपये उपलब्ध थे अभी तक, आज तक। 8428 लाख में से 5566 लाख रुपये आपके डिपार्टमैंट के आफिसेज में क्यों पड़े हुए हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके यहां पड़े हुए हैं, आपके यहां डिस्ट्रिक्ट आफिस में पड़े हुए हैं। असेम्बली में आन रिकार्ड मैं यह बात कह रहा हूं। 8428 लाख में से 5566 लाख रुपये पड़े हुए हैं। दूसरा, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में आपके पास कुल उपलब्ध राशि है 6267 लाख दशमलव 17 हजार, इसमें से चार हजार, नौ लाख छप्पन हजार रुपये आपके डिस्ट्रिक्ट आफिस में पड़े हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में से आपके पास उपलब्ध राशि हुई है 822.77 लाख रुपये। उसमें से 822 में से 770 लाख रुपये आपके डिस्ट्रिक्ट आफिस में पड़े हुए हैं और अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आपके पास राशि इस साल उपलब्ध हुई 479 लाख रुपये, पूरे 479 लाख रुपये आपके डिस्ट्रिक्ट आफिस में पड़े हुए हैं। इससे शर्मनाक उदाहरण दलित, आदिवासी और हरिजन छात्रों के हितों पर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ का इससे शर्मनाक उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आपने मुझे मौका दिया, आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्रजी बेनीवाल। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री जीतमलजी खांट ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जो हमारी प्रजातंत्र की आत्मा गांवों में बसती है, सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन में दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। चूंकि, जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां पर कही है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बी.पी.एल. सैंसेक्स के बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। चूंकि, बी.पी.एल. सैंसेक्स 2002 के अन्दर, जिस प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में यह तय हो जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को उस गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रोग्राम होंगे।

इन प्रोग्रामों को गांव में रहने वाला गरीब, आदिवासी, किसान, दलित, मजदूर को उसका लाभ किस तरह मिले, मुझे, सभापति महोदय, कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति चाहे किसान हो, मजदूर हो, हम जानते हैं कि उस बी.पी.एल. सैन्सस के क्या नोर्म्स हैं। यहां पर 2002 के अंदर

(श्री जीतमल खांट)

जब राज्य सरकार ने अपना सर्वे कराया, भारत सरकार के निर्देशानुसार विशेषज्ञों की सिफारिशों के मुताबिक जब यह फैसला हुआ तब 0 से 52 तक अंक निर्धारित हुए और अंकों की गणित के आधार पर सर्वे हुआ। चूंकि पूरे राजस्थान के अंदर सभी प्रकार की भिन्न-भिन्न समस्याएं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, मैं आपका ध्यान, क्योंकि पूरे सदन के अंदर जितने भी माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के नाम पर कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा, जो उनके प्रति अपनी सहानुभूति नहीं व्यक्त करता हो और मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि 2002 के बी.पी.एल. सैन्सस में जिस ढंग से यहां पर विशेषज्ञों की ओर से एक सिफारिश की गई और बी.पी.एल. परिवारों का किस तरह से अंक निर्धारण हुआ। आज हम देख रहे हैं कि पूरा आदिवासी बैल्ट जो ट्राइबल सब प्लान के अंदर आता है।

(समय : 17.51 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

यह भारत सरकार ने जो अंकों का कट आफ स्कोर की गणना के आधार पर गांव में रहने वाला और आदिवासी किसान और मजदूर यह नहीं जानता है कि किस तरीके के कौन से मापदण्डों के आधार पर मैं बी.पी.एल. में आ जाऊंगा। आज मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि आज पूरे ट्राइबल सब प्लान के आधार पर कट आफ स्कोर गणना के आधार पर 0 से 52 तक के जो अंक निर्धारित हुए थे, उनमें 12 और 13 के बीच अंक लाकर खड़े कर दिये और पूरे दक्षिणी राजस्थान में हमारा ट्राइबल सब प्लान का आदिवासी, गरीब किसान, मजदूर जो सुबह और शाम लकड़ी की गांठ लेकर बाजार में जाता है तब अपना पेट भरता है। उसको लाभ मिलता या नहीं मिलता, वह बाद का विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी बी.पी.एल. परिवार की जो सैन्सस थी, उस सूची में उसका नाम नहीं आने का मतलब यह हुआ कि वह अपने आप गरीब की पीड़ा से ऊपर उठकर अमीरों की श्रेणी में आ खड़ा हो गया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से माननीय मत्रीजी आप संवेदनशील हैं, पारदर्शी हैं, आप निश्चित रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, आबूरोड का आदिवासी, गरीब किसान, मजदूर चाहे वह दलित हो, मैं आपसे चाहूंगा कि हम लोगों को, जो जानकार लोग हैं, अच्छे-अच्छे, जिनके घर की हैसियत ठीक है, जिनके कुआं है, बिजली है,

(श्री जीतमल खांट)

ट्रेक्टर है, यह सारा का सारा बी.पी.एल. में है और जो इस बात को समझते नहीं कि बी.पी.एल. क्या चीज है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली सूची में हमारा नाम किस तरह से दर्ज होना चाहिये, वह उनको मालूम नहीं है। आज ऐसे लोग पूरे उदयपुर सम्भाग में हजारों में नहीं, लाखों के अंदर उस बी.पी.एल. सैन्सस से वंचित हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा चूंकि ग्रामीण राज एवं पंचायती राज की इस मांग पर बहस चल रही है। पूरे उदयपुर डिवीजन का आदिवासी चाहे एस.सी. का हो, एस.टी. का हो, सारे लोग आज बड़ी आस लगाये हुए बैठे हैं, मालूम है कि आज पंचायती राज ग्रामीण विकास से संदर्भित हमारी यहां डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा भला हो या न हो, लेकिन इस व्यवस्था से जो लोग छूट गये हैं, वंचित रह गये हैं, जिन लोगों को 12 और 13 अंक से बढ़ाकर गांव में रहने वाला आदमी क्या जानता है कि 12 और 13 अंकों में आने वाला बी.पी.एल. में आ जायेगा। इन्होंने तो घर का सारा हाल पूछा और 0 से 52 तक के जो अंक निर्धारित किये थे, अपनी सारी स्थिति का चित्रण कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सर्वे किसने कराया था, आपको तो ध्यान होगा न?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह केन्द्र में किसकी सरकार थी? जब यह सर्वे हुए थे और मार्गदर्शन कौनसी सरकार ने जारी किये थे पाइंट्स के, जरा यह भी बता दें। आपको पता है कि एन.डी.ए. की सरकार के कारनामे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सरकार चाहे किसी की हो पर यह सर्वे आपने करवाया। सर्वे आपने करवाया और हमारी सरकार ने तो ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक लट्टू के इतने पाइंट, पंखे के इतने पाइंट, साइकिल के इतने पाइंट, रेडियो के इतने पाइंट, टी.वी. के इतने पाइंट, यह एन.डी.ए. की सरकार ने पाइंट निर्धारित नहीं किये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सरकार ने जब यह लिखा इंदिरा आवास की सारी योजनाओं का पैसा रोका, उसके बावजूद मजबूरी में हमारी सरकार को लागू करना पड़ा। इन्होंने दबाव बनाया, इनकी दिल्ली की सरकार ने दबाव बनाया। बी.पी.एल. के अंदर राजस्थान के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका एकमात्र कोई दोषी है तो वह यह दोषी हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, एन.डी.ए. की सरकार के टाइम में परफोर्मा बनकर आया था। आप तो पढ़े-लिखे विद्वान आदमी हैं, आप बतायें। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ट्रांजिस्टर के इतने नम्बर जुड़ेंगे, साइकिल के इतने नम्बर जुड़ेंगे, अगर घर में एक बल्ब है तो इतने नम्बर जुड़ेंगे। उस वजह से यह सूचियां गलत बनी हैं। आप यह गलत बयानी क्यों कर रहे हैं?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जुबेरजी, जिनका घर सामान से भरा हुआ था, वह भी बी.पी.एल. में हैं। यहां तक कि उस समय के पटवारी, ग्राम सेवक हैं हर जगह। वह कर्मचारी तो उस समय राज्य सरकार के थे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सही है कि हर पंचायतों में कमी रही।

श्री सभापति: मेरा आप लोगों से निवेदन है जो सदस्य बोल रहे हैं आप कृपा करके सब बिराज जायें। You will be given a chance to speak.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अन्य सरकारों ने अपने कोटे से बी.पी.एल. सूचियां बनाई हैं। आन्ध्रा ने बनाई है, कर्नाटक ने बनाई है, राजस्थान पहले करे और बनाये। कौन मना कर रहा है?

श्री सभापति: आदरणीय आप बिराज जायें You will get your chance too.

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, मैं आरोप और प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता हूं, परन्तु यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और जिस गरीब की बार-बार हम यहां व्याख्या करते हैं, उनकी तकलीफों को लेकर हम बार-बार जिक्र करते हैं। यह पक्ष और विपक्ष, सबको मिलकर राजस्थान के इस पवित्र सदन में बैठकर चर्चा करनी चाहिये और इस गरीब के घाव पर नमक छिड़काने के बजाय हमें निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं इलाज ढूंढना चाहिये, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, हम सब मिल-बैठकर उस गरीब के लिए बार-बार जिक्र करते रहते हैं, उसके दर्द को पहचानने का हम प्रयास करें।

मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्रीजी देखें। इस बी.पी.एल. की सूची को लेकर मैं माननीय पंचायत राज मंत्रीजी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, मेरा और कोई विषय नहीं है, मेरा करबद्ध आग्रह है कि हमारा सम्पूर्ण उदयपुर डिवीजन ट्राइबल सब प्लान में आने वाले आदिवासी आज हजारों की संख्या में नहीं, लाखों के अंदर आदिवासी छूट गये हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा

(श्री जीतमल खांट)

कि पक्ष और प्रतिपक्ष बैठकर हम सब लोगों को कोई न कोई सामूहिक रणनीति बनानी चाहिये और गरीब को राहत मिले, ऐसा कोई न कोई हमें एक पैकेज तैयार करना चाहिये।

मैं दूसरा विषय कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी का अभी जिक्र किया, अच्छी बात है। भारत सरकार के माध्यम से यह योजना, जिसको, 545 सांसद जहां बैठते हैं, सबने मिलकर ध्वनिमत से इसको पास किया और गांव में रहने वाले गरीब आदमी को किस तरह से 'आहत को राहत' दी जाये, यह फार्मूला तैयार किया, लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जहां भी 100 दिन रोजगार उनको उपलब्ध कराने का है और यह योजना नहीं, कानून है। कानून बनने के बाद उसकी क्रियान्विति सही तरीके से होनी चाहिये, लेकिन 2005 से यह जिन 6 जिलों का, जहां पर लागू किया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही और उदयपुर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें आरोप-प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, हकीकत में, जहां पर जो धरातल की बात है, वह सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। जिन मजदूरों को आज राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी के नाम पर भारत सरकार ने 74 रुपये का एक मिनिमम मानदेय तय किया हुआ है, उसकी मजदूरी तय की है। आज हालात क्या हैं? गांव का गरीब आदमी 100 दिन की रोजगार गारण्टी के नाम पर मजदूरी पर जाता है, सारे दिन भर वहां पर काम करता है और उसको बड़ी मुश्किल से 35-40-45 या 50 रुपये के आगे एक रुपया नहीं मिलता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रोजगार गारण्टी के अंदर दो तरीके का हमें पैसा मिलता है। एक तो श्रम के पेटे और दूसरा मैटेरियल के पेटे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर हम कहते हैं कि यहां पर मेजरमेंट नहीं बैठा, इसलिए इनका पूरा भुगतान नहीं होता है, यह बात कही जाती है।

जब मैटेरियल के अन्दर सरपंच और सचिव, वहां का पी.ओ. और विकास अधिकारी और यहां तक कि जिले का सी.ई.ओ. तक भी यह सारी इस तरह की उनकी एक चैनल बनी हुई है और यह मैटेरियल के नाम पर मौके पर उस ग्रेवल सड़क पर 50 परसेंट ट्रिप डाले जाते हैं और 50 का 500 ट्रिप वहां पर एण्ट्री की जाती है और इतना सारा भुगतान उठाया जाता है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतना मेजरमेंट के नाम पर

(श्री जीतमल खांट)
एक तरफ तो उस लेबर को ठगने का काम करते हैं दूसरी तरफ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है।

सभापति महोदय, अभी जिस तरीके से अरुणा राय का जिक्र हो रहा था, मैं उस अरुणा राय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने उस सूचना के अधिकार को लेकर पूरे राजस्थान में एक ऐसा आन्दोलन खड़ा किया और जिस ढंग से बांसवाड़ा जिले के अन्दर अरुणा राय का आगमन हुआ और जब यह सूचना के अधिकार के तहत सारे फोटो कापीज और सारे मस्टररोल की प्रतियां और सारी इस तरीके की जानकारियां ली गयीं तो सबसे पहले बांसवाड़ा के जो कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारी, कांग्रेस पार्टी जो बांसवाड़ा जिले में सत्ता में है, बांसवाड़ा के अन्दर प्रधान से लगा कर सरपंच से लगा कर प्रमुख तक एक जुट होकर के उस अरुणा राय के ऊपर कातिलाना हमला करने की सारी साजिश तैयार हो गयी। सभापति महोदय, जिस तरीके से अरुणा राय सूचना के अधिकार के तहत बांसवाड़ा जिले के अन्दर आ करके राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्दर सारी सूचनाओं को कलैक्ट करने की सारी तैयारी की, कम से कम उसके साथ 500 लोग थे और 500 लोगों को बांसवाड़ा जिले के अन्दर कहीं रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह देने के लिए तैयार नहीं हुए और सारे के सारे ग्राम पंचायत से स्तर से लगा कर जिला प्रमुख, प्रधान सारे के सारे कांग्रेस के लोगों ने अरुणा राय के ऊपर कातिलाना हमला कराने की एक सुनियोजित तरीके से एक योजना तैयार कर दी और इस मौके पर कलक्टर और एस.पी. भी अपने हाथ खड़े करने की स्थिति में आ गये। तब जाकर के हमने महसूस किया कि अरुणा राय आयी क्यों है बांसवाड़ा जिले में। अरुणा राय सिर्फ यहां के लोगों को जागरूक करने के लिए आयी है, बात पूछने के लिए आयी है कि वाकई यहां रोजगार गारण्टी पर जो पैसा खर्च हुआ है वाकई इस गरीब तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि ढाई साल के दरमियान बांसवाड़ा की धरती पर तीन अरब रुपया खर्च किया गया रोजगार गारण्टी के माध्यम से और इतनी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करने के बाद भी गरीब की माली हालत में सुधार नहीं हो और माली हालत का हम जिक्र करते हैं बार-बार कि गरीब आदमी की हैसियत कैसे बढ़े। लेकिन, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से दीमक की तरह कुछ लोग जो पंचायती राज से लगा कर सी.ई.ओ. तक इनकी एक चैनल बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं,

(श्री जीतमल खांट)

माननीय मंत्री महोदय, अगर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को जांचना है, परखना है तो बांसवाड़ा की पंचायत समिति, आनन्दपुरी को, आप एक ही पंचायत समिति को बांसवाड़ा जिले के अन्दर जांच करा लो, बांसवाड़ा जिले के अन्दर नहीं सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार निकलेगा और यहां पर सारे कांग्रेस के लोग हैं। सारे कांग्रेस के लोगों ने इस तरीके के चैनल हैं और इस आनन्दपुरी पंचायत समिति के भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ही पूरे बांसवाड़ा जिले के अन्दर आमूलचूल इस तरीके का आन्दोलन खड़ा किया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): घनश्यामजी, शेम-शेम से काम चल जायेगा, आप जांच कराने की घोषणा कर दो न। (व्यवधान) आप जांच कराने की घोषणा कर दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी को चाहिए कि एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट से जांच कराऊंगा एक-एक काम की, आगे बढ़ कर सरकार घोषणा क्यों नहीं करती? ...(व्यवधान) आपकी सरकार है, अगर कांग्रेस के लोगों ने पाप किया है जेल में डालो उनको। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वो कांग्रेस का है, सी.ई.ओ., जिला परिषद कांग्रेस का है, बी.डी.ओ. कांग्रेस का है तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं वहां? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप शेम-शेम कर रहे हो, आप उनके खिलाफ कार्यवाही कर दो।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, जब यह बात अरुणा राय के खिलाफ इतना जोरदार विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ तब अरुणा राय ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत के नोटिस में यह डाला कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर कांग्रेस के लोग मेरे से इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं तब जाकर के यहां पर गहलोतजी ने फटकार लगायी तब जाकर के वहां पर शांत किया गया वरना ऐसे हालात पैदा हुए। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का मैं पूर्णत: पक्षधर हूं कि कोई भी गड़बड़ी करने वाला है, गरीब का कोई खाता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए तभी हमारा गरीब, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसकी माली हालत में कुछ सुधार आयेगा वरना यह बिचौलिये इस तरीके से सब आंकठ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए।

(श्री जीतमल खांट)

मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपने हमें बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति महोदय, आज बजट की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार, मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास, मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास, मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर जो चर्चा हो रही है, मैं भी उस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करना चाहता हूं।

सबसे बड़ी गौरव की बात है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से प्रारम्भ की गयी और पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में लागू होने से यह निश्चित है कि ग्रामीण जनता का विकास हुआ क्योंकि राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा अत: ग्रामीण विकास में गांव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इस योगदान में पंचायती राज जो व्यवस्था है वह ग्राम की जनता को उनके विकास में बहुत योजनाएं चला कर लाभान्वित कर रही हैं जो सराहनीय है।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा हमारे ग्राम के रहने वाले को जो आरक्षण मिला, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। पूर्व मुख्य मंत्री, माननीय भैरोंसिंहजी साहब ने पंचायती राज संस्थाओं में एस.सी., एस.टी. और महिलाओं को आरक्षण दिया और उसका ही नतीजा रहा कि आज गांव का सरपंच एस.सी. का आदमी बना, एस.टी. का आदमी बना, महिला भी बनी और जिला प्रमुख महिला भी बनी, एस.सी. का आदमी भी बना और एस.टी. का आदमी भी बना। तो यह भारतीय जनता पार्टी की देन है जिसने अब पंचायती राज को सुदृढ़ किया और ग्रामीण जनता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, दलितों के विकास और उनको सम्बल देने के लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। 17 जिलों में मूक बधिर बच्चों के लिये एन.जी.ओ. के माध्यम से उनकी शिक्षण की व्यवस्था की योजना इस बजट में तैयार की है। दो या दो से अधिक एक परिवार में जो विकलांग हैं उनको बी.पी.एल. की श्रेणी में लाया गया है। फिजिकली हैंडीकैप, वृद्धावस्था, विधवा जो पेन्शन 200 रुपये थी इस

(श्री हीरालाल)
कल्याणकारी सरकार ने 400 रुपये बढ़ाये हैं। स्वावलम्बन योजना के तहत एस.सी., एस.टी. के व्यक्तियों को जो बैंकों से ऋण मिलता था उसमें 5 प्रतिशत की छूट दी है। किराये के भवनों में, जो समाज कल्याण के छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इन वर्गों के लिए 90 छात्रावासों के निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को 725 रुपये का भत्ता, शिशु गृह के बच्चों को 850 रुपये का मानदेय जो भोजन आदि में उनको इजाफा हुआ है। पेंशन की पात्रता रखने वाली विधवा महिलाओं को पुन: विवाह पर पन्द्रह हजार के उपहार की भी योजना इस बजट में रखी गयी है। बी पी एल परिवारों के लिए पन्नाधाय जीवन बीमा योजना प्रारम्भ कर अब तक 7690 परिवारों को 23 करोड़ 81 लाख की राशि से लाभान्वित किया जा चुका है। एस सी, एस टी के छात्रों को छात्रवृत्तियां अभी माननीय सदस्य बहुत बहस कर रहे थे, एस सी के हितैषी हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो केन्द्र सरकार देती है, आज भी राजस्थान में तीन तीन, चार-चार साल से एस सी, एस टी के छात्रों की छात्रवृत्ति बकाया है। जो यह बात करते हैं कि छात्रवृत्ति पड़ी है बल्कि चार-चार सालों से एस सी, एस टी के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो क्या वह बच्चा अपना विकास कर सकेगा, क्या वह ग्राम से आने वाला बच्चा पढ़ सकेगा?

मैं यह मांग करता हूं आपके माध्यम से कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार लिखे कितनी छात्रवृत्ति बकाया है, कब से बकाया है, क्यों नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति भी मेरे टोंक जिले में दो-तीन साल की बकाया है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जिन छात्रों की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति बकाया हो वह माननीय मंत्री महोदय अपने स्तर पर इसको एग्जामिन कर उनको दिलाने की व्यवस्था करें।

अभी माननीय सदस्य ने कहा, बहुत पुराने हैं हिण्डौली से आने वाले नौकरशाहों की बात कर रहे थे। जन प्रतिनिधि और नौकरशाही, अगर दोनों का कोम्बीनेशन नहीं होगा तो हम राजस्थान का विकास नहीं कर पायेंगे। खाली एक तरफ से किसी नौकरशाह को दोषारोपण करना, उनको प्रताड़ित करना, यह इस पवित्र सदन में अच्छी बात नहीं है। वह माननीय सदस्य पधार गये। मैं नौकरशाह रहा हूं, मैं जयपुर में डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण रहा हूं और मैंने एक-एक साल में दो-दो बार प्रमोशन लिये हैं, ढाई-ढाई साल में एक-एक

(श्री हीरालाल)

प्रमोशन, अपनी एफीशिएंसी के आधार पर मैंने प्रमोशन लिये हैं। वह नौकरशाही की बात करते हैं उनको यह बताना चाहूंगा। मैं सदन को और कांग्रेस के सदस्य जो विराजे हैं उनको भी यह बताना चाहूंगा कि मेरे सामने आपके उप मुख्य मंत्री बनवारीलालजी बैरवा थे और इस नौकरशाह ने उस बनवारीलाल बैरवा को धाराशायी कर दिया। पांच साल तक बनवारीलालजी बैरवा रहे, मैंने उन्हीं के पीरियड में इस्तीफा दिया और नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना और यह नौकरशाह ने उप मुख्यमंत्री को हराया।

इसलिए आप नौकरशाह को एक तरफ से नहीं लेकर नौकरशाह प्लस जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर कोम्बीनेशन से चलेंगे तो राजस्थान का विकास होगा अन्यथा विकास नहीं होगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बत्तीलालजी।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50, 28, 51 और 33 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, भारत गांवों का देश है, इसकी आत्मा गांवों में निवास करती है। पंच परमेश्वर की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए महात्मा गांधी ने स्वराज की कल्पना की और उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन यह विधि की विडम्बना है कि जैसे देवता और दानवों के पिता एक थे कश्यपजी वैसे ही हमारे और इनके पिता महात्मा गांधी हैं राष्ट्रपिता, मातृभूमि हमारी दोनों की भारत है लेकिन विचारधारा में अलग-अलग फर्क है। यह कश्मीर के साथ समझौता करते हैं, यह ताशकंद समझौता करते हैं और हम नारा लगाते हैं,

जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है

ना देंगे पाक वालों कश्मीर जहां से प्यारा है।

ये राज को रंगरलियों की चीज समझते हैं, हम राज को एक पूजा की वस्तु समझते हैं, पूजा का स्थल समझते हैं। हम गृहस्थ आश्रम से भी दूर रहकर, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गृहस्थी से दूर रहकर के... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इकोनोमिक्स में एम ए हैं, ऐसे नहीं, आपकी तरह बिना पढ़े लिखे नहीं हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एल एल बी और हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं हैं आपकी तरह ठोंठ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ग्रामीण विकास के बारे में बात हो रही है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय सदस्य ने रंगरलियां शब्द बोला है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो सिद्व हो गया कि आपकी तरफ से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान बत्तीलालजी और हमारी तरफ से श्रवणलालजी। यह तो तय हो गया ना?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने रंगरलियां शब्द का इस्तेमाल किया है। आपके राज में कौन रंगरलियां कर रहा है यह बताइये आप।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हों चाहे उमा भारती हो चाहे नरेन्द्र मोदी हो, चाहे हजारों हजार वह कार्यकर्ता हों जो गांवों में अपनी गृहस्थी से दूर रहकर के भारत का निर्माण करना चाहते हैं और यह लोग विदेशी महिलाओं से शादी करते हैं और उनके साथ रंगरलियां करते हैं। इनको भारत में तो कोई लड़की नहीं मिलती जिससे यह शादी कर सकें यहां। तो यह है।

अब मैं मान्यवर, संक्षेप में आप पांच मिनट दोगे, मैं विषय से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, चाहे देश की बात करो, गांवों की बात करो, गरीब की बात करो ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अपना क्या होगा? अपने सी एम का क्या हाल है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लड़कियां तंदूर में भूनते हैं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): मान्यवर, पंचायती राज की स्थापना गौरव की बात है, यह तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने नागौर के अन्दर की, उसके बाद दो चुनाव कराये, 1958 में हाथ दिखाये, हाथ मेरे पिताजी कहा करते थे हाथ बनाकर खड़ा करके सरपंच बने पर विधिवत चुनाव 1960 में हुए फिर दुबारा चुनाव हुआ 1964 में, 1964 के बाद इन्होंने चुनाव कराना बंद कर दिया। इतना ही नहीं किया इन्होंने तो लोकसभा और देश की विधान सभाओं पर हमला बोलना शुरु कर दिया और तानाशाही की ओर देश को ले जा रहे थे। वह तो हम जैसे हजारों जवान जो अपनी सर्विस छोड़ या पढ़ाई छोड़-छोड़ कर आ गये वरना इमरजैंसी की बात किसको मालूम नहीं। यह देश का क्या करना चाहते थे यह सबको मालूम है।

(श्री बत्तीलाल)

जब 1977 में जनता पार्टी का राज रहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी शेखावत साहब थे उस समय हम भी एम एल ए थे, हमको सौभाग्य मिला इमरजैंसी के व्यक्ति होने के नाते। उस समय पंचायत राज को पुनर्जीवित किया गया, यह अवधारणा हुई कि पंचायती राज को पुनर्जीवित किया जाय, महात्मा गांधी के सपने को साकार किया जाय। महात्मा गांधी का भी बंटवारा हो गया, हमारे बट में आया महात्मा और इनके आ गया गांधी। गांधीजी का प्रयोग यह केवल राज करने के लिए और वोट मांगने के लिए करते हैं बाकी उनके सिद्धान्तों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हमको महात्मा गांधी के सारे सिद्धान्त मानने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पिता हैं, पिता तो इनके भी हैं पर इनका आधा है, पीछे का हिस्सा लिया है इन्होंने । अब वह महात्मा मानो आप।

सन् 1978 के अन्दर पंचायतों के चुनाव कराये गये और जब पंचायतों के चुनाव हुए तो हमारे शेखावत साहब ने एक योजना बनायी, अन्त्योदय योजना और वह अन्त्योदय योजना क्या थी, इनके टाइम में क्या होता था, गांवों में कितना ध्यान दिया जाता था, गरीब पर कितना ध्यान दिया जाता था, यह मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं । यह खजाने का बीस प्रतिशत हिस्सा गांवों में खर्च करते थे और अस्सी प्रतिशत खर्च करते थे शहरों पर और अन्त्योदय योजना का अर्थ यह था कि जो शहरों में पढ़े लिखे अफसर थे, नेता थे वह सारे के सारे अस्सी प्रतिशत को हजम कर जाते थे और गांव के पास तो बीस परसेंट भी नहीं जाता था। हमने इनका उल्टा किया। हमने अस्सी परसेंट हिस्सा गांवों में खर्च किया बजट में और बीस परसेंट शहरों के लिए और उसमें भी एक अन्त्योदय योजना बनायी, टेल एण्ड पर बैठा व्यक्ति है उस तक राज्य की सहायता कैसे पहुंचे, इसके लिए अन्त्योदय योजना बनाई और पहले तो यह भी पता नहीं था कि गांवों में कितने गरीब हैं, यह देश गरीब है या अमीर है। पहली बार सर्वे हुआ, 56 परसेंट लोग ऐसे पाये गये जो गरीबी की रेखा से नीचे थे जिनको दो टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता था।

मान्यवर, यह पहली बार हुआ है। ऐसी एक अन्त्योदय योजना बनी और उसमें पांच आदमियों को गांव में चुना गया और उनको हर तरह की साधन सुविधा उपलब्ध करायी गयी। उसके बाद पंचायती राज के पास न कुछ लेना था न कुछ देना था। वह तो एक ऐसी थी मेरे पिताजी सरपंच थे, वहां सैक्रेटरी भी नहीं था, न वहां चपरासी थे, छह-छह साल तक तनख्वाह भी नहीं मिलती थी उनको। यह पंचायती राज को अनुदान देते थे 25 पैसा, शेखावत

(श्री बत्तीलाल)
साहब ने उसको डबल करके ढाई रुपया दिया अनुदान और फिर एक योजना चलाई। गांवों में पहले पंचायतों को यह पता भी नहीं था कि पंचायत निर्माण कार्यो में भी कभी भाग लेती है या इसके द्वारा भी कोई काम हो सकता है। काम के बदले अनाज योजना चलाई माननीय शेखावत साहब ने और जो गेहूं गोदामों में सड़ जाता था उसको गांव में काम के बदले बांटा गया। बहुत से निर्माण कार्य शुरू किये गये। यह सारी योजनाएं काम के बदले अनाज और अन्त्योदय योजना हमारी सरकार जनता पाटी की सरकार ने चलायी थीं सन् 77 में। उसके बाद में केन्द्र सरकार पलटी और इन्होंने अपनी पुरानी नीतियों के अनुसार हमारी सरकार को भंग कर दिया। अब 80 के दशक में भी प्रोग्रेस रुक गयी पंचायत राज की।

मान्यवर, आज मुझे वह दिन याद है तब 73वें संविधान संशोधन पर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने हम लोगों को बुलाया था। मैं भी प्रधान था उस टाइम में और उस टाइम हमारे पंचायती राज मंत्री श्री भारद्वाजजी हुआ करते। हम सब लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर मीटिंग हुई थे। उसमें हमसे सुझाव मांगे गये। सारे लोगों से मांगे कि पंचायती राज में आप क्या चाहते हो। तो लोगों ने कहा कि बहुत से सुझाव, मुझे आज भी वह दिन याद है, यह कहा कि हमको एम एल ए के बराबर दर्जा दिया जाए और हमको यह किया जाए, वह किया जाए। यह बड़े कलाकार लोग हैं। मान्यवर, इनमें क्या है कि यह चुनाव से पहले एक ऐसा लोगों को निद्रा का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि लोग सोते रहें और यह अपना काम पूरा कर जाएं। पूरी की पूरी हां रखी, जो हमने कहा वही मान लिया गया। तो यह कहना चाहिये कि जो आप कहोगे वही मिलेगा।

1989 में चुनाव हुए इनकी सरकार पलट गयी और वी पी सिंहजी की बन गयी। 15 माह बाद वह सरकार खतम हो गयी। हमारी सरकार आ गयी राज में। 1994 के अन्दर माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब ने इन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया जिसको पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ने लागू किया। हमको भी बड़ा दुःख हुआ क्योंकि हमारे वहां क्या होता है कि एक बार बन गया तो जिंदगी भर ही बन गये। 25-25 साल में वहां प्रमुख हटते थे और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। आप जानते हो गरीब लोगों का तो वहां काम ही नहीं था सरपंच, प्रधान, एम एल ए, प्रमुख बनने का। माननीय शेखावत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने

(श्री बत्तीलाल)

एस टी, एस सी, ओ बी सी के लिए प्रावधान किया जिससे हमारी गरीब महिलाएं सरपंच बनीं एस सी की। बहुत से इलाके ऐसे एस टी के हैं जैसे हम इन लोगों को अछूत समझते हैं वैसे ही एस टी को वहां अछूत समझा जाता है क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है प्रदेश की। मान्यवर, एस टी, एस सी को उचित प्रतिनिधित्व मिला पंचायत राज संस्थाओं में और पंचायत राज संस्था सुदृढ़ हुई। रिजर्वेशन का काम हमने किया। पुनर्गठन का काम हमने किया। पहले पंचायत बहुत बड़ी-बड़ी थीं। आज वह जो हो रहा है पंचायत समिति स्तर पर जो विकास होना चाहिये वह हमारा ही काम था कि हमने पंचायत राज का पुनर्गठन करके बहुत सी पंचायतें बढ़ायी इससे पंचायत समिति लेवल का जो फायदा गरीब आदमी को मिलना चाहिये था वह मिला।

अब वसुन्धराजी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है। मान्यवर, यह हमसे तुलना करते हैं, हमारे विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। हमारी उम्र साढ़े चार साल और इनकी उम्र कितनी? यह 1952 में इन्होंने जन्म ले लिया था। यह बहुमत में आ गये थे सन् 1952 में। हम बहुमत में आए हैं पहली बार 2003 में, अब बताइये हमारी उम्र साढ़े चार साल और इनकी उम्र कितनी 60 साल। अब 60 साल की तुलना साढ़े चार साल से करते हैं और फिर भी कामों में कितने पीछे हैं यह बताइये। साढ़े चार साल वालों से यह तुलना करते हैं। आप कहते हो कि शेखावत साहब के टाइम में आपकी सीट 120 इतनी सी कैसे रह गयी। उस टाइम हम कमजोरी में थे। हमने उधार ले लिये थे आदमी। अब उनकी नीति जब हमारी नीतियों से मेल नहीं खायी, बहुत सी बात तो ऐसी हैं उनकी बात माननी पड़ती थी। हम पूर्ण बहुमत में पहली बार आये हैं और हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं गुजरात की तरह हम अगले बीस साल में जाने वाले नहीं हैं क्योंकि अब हमारी पूरी नीतियों को लागू करने का हमको मौका मिल गया है।

मान्यवर, यह बताइये कि हमने महिलाओं को 50 परसेंट रिजर्वेशन दिया है इससे ज्यादा और क्या होगा कोई। अब बहुत सी चीजें हमको बिलकुल चरम सीमा पर पहुंचा कर छोड़नी हैं जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते। महिलाओं को 50 प्रतिशत रिजर्वेशन आप देखिये हमने ग्राम सेवकों की भर्ती निकाली है। हमने मजदूरी बढ़ा कर ज्यादा कर दी। हम हर काम में गांव के विकास में, सुदृढ़ीकरण जो किया हमने गांव का स्थायी ढांचा चाहे सड़कों का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्वास्थ्य, किसी का हो, हमने

(श्री बत्तीलाल)

वह चरम सीमा पर पहुंचा दिया। पानी का जो यह 60 साल में नहीं कर सके वह साढ़े चार साल के एक बच्चे ने कर दिया। जैसा रावण ने, रावण कितना था और राम कितने छोटे थे। कृष्ण कैसा था और कंस कितना था लेकिन उसकी सारी नीति, उसकी सारी व्यवस्था ध्वस्त कर दी वैसे ही साढ़े चार साल में पहली बार बहुमत आने पर हमने वह दिखा दिया है जो हिन्दुस्तान हमारा अनुसरण कर रहा है कि कहीं बात सीखनी है, कहीं देखना है तो राजस्थान को देखो। उसका बजट देखो, उनका विकास देखो। जो राजस्थान को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, जो राजस्थान को यह समझते थे भीख का कटोरा लेने वाला ऐसा प्रदेश है, जो रेतीला है अब भगवान भी सहायता करता है हमारी। भगवान क्या सहायता करता है कि जो राजा की नीयत सही होती है। जो राजा नेक होता है, जो राजा त्यागी, तपस्वी होता है उसके राज में भूमि नाना प्रकार के परिलाभ देती है जैसे भगवान राम के राज में 'प्रगट्या गिरल विपत मनी खानी, जगत आत्मा भूप जिय रानी' भगवान राम के राज में पृथ्वी से नाना प्रकार की चीज पैदा हुई।

वसुन्धराजी का नाम है वसुन्धरा, वसुओं को धरने वाली धरा है। अब देखिये रेगिस्तान की कीमत हो गयी। बहुत ज्यादा निकलने लग गया है तेल, गैस निकलने लग गयी, अब झुंझुनूं में सोने की खान निकलने लग गयी, अब इससे ज्यादा क्या होगा ... (व्यवधान) हां, सोना निकल गया। सोने की खान अब निकल रही है, गैस निकल रही है, अब यह क्या है ? यह प्रकृति का वरदान है।

मान्यवर, हमने जो नीति बनायी है वह केवल जनता के हितों के लिए बनायी है, गरीब के लिए बनायी है। अब तुलनात्मक दृष्टि से आंकड़े तो बहुत सारे हैं उसमें आप मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं दोगे वरना इनसे ... (व्यवधान) वह सारे सब के हैं। सब जानते हैं सारी बातों को। आंकड़े भी, सारे विद्वान हैं। यहां दो-दो लाख से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मुझसे तो बहुत ज्यादा समझदार हैं पर मैं तो यही मानता हूं कि 60 साल की तुलना हमारे साढ़े चार साल से और साढ़े चार साल में हमने जो राजस्थान का विकास किया है, जो गांव, गरीब और मजदूर का विकास किया है वह वास्तव में इतना अग्रणी है कि जब यह इतिहास लिखा जायेगा हमारे राज्य के विकास का तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। चाहे वह गांव का विकास हो, गरीब का विकास हो या किसी का भी विकास हो। हमारी नीति पारदर्शी है। हमारी नीति कल्याणकारी है। हमारी नीति संवेदनशील है। हम इन्हीं नीतियों के कारण राज करते हैं केवल अपना

(श्री बत्तीलाल)

पेट भरने के लिए नहीं। पेट भरने के लिए इसलिए नहीं करते हमको हमारे पेट की फिक्र नहीं है। जब पार्टी में 90 परसेंट लोग मैं आपको ऐसे बता सकता हूं जो या तो बहुत बड़े राजा-महाराजा हैं या बड़े सेठ साहूकार थे या बिलकुल फकीर हैं। हम पहले से ही इस बात को लेकर चले थे कि राज तो मिलना नहीं। यह तो जनता ने दे दिया। हमको तो देश की सेवा करनी है। हमारे सामने दो लक्ष्य हैं।

मान्यवर, गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध करना तेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। मर गया तो स्वर्ग प्राप्त हो जायेगा और यदि जीत गया तो धन धान्य से सम्पन्न पृथ्वी का भोग करेगा। तो हमारा भी यही है कि जब यह जीत गये इलेक्शन में तो हम जनता की सेवा करेंगे ईमानदारी से और हार गये तो हमारी राम नाम लेने वाली पार्टी से जय श्री राम तो कोई लेने वाला है ही नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी पार्टी और हम लोग आये हैं और इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी भाई की आलोचना नहीं करेंगे। सभी अच्छा करना चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा पर मैं एक सुझाव तो भूल ही गया। एक मिनट और लूंगा।

पंचायती राज में दो चीजें ऐसी हैं जिनको आप समाप्त करें। एक तो आपने यह अविश्वास की तलवार जो जन प्रतिनिधियों पर लटका रखी है यह एक ऐसी तलवार है कि इसको आप समाप्त करें।

एक मेरा सुझाव है, मैं प्रधान रहा हूं इसलिए मेरा सुझाव है कि यह जो अपनी चुनाव प्रणाली है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार लागू कर दी है इसको बदलें। इसको आप प्रत्यक्ष बनायें। आज किस तरह आप जानते हो अब प्रेक्टिकल में क्या होता है। किस तरह जानवरों की तरह जन प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त होती है। (व्यवधान) पंचायत राज आयेगा नहीं और ऐसे लोग के हाथ में यह पंचायत राज पड़ ... (व्यवधान) इनको तो लोगों ने एक तरह व्यवसाय की दुकान समझ रखा है। मान्यवर, ऐसे लोग जो पैसे वाले होते हैं जो बन जाते प्रधान, जिला प्रमुख तो मेरा आपसे अनुरोध है, हम भी खुश हुये थे उस रोज जब यह घोषणा की थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनाव कराये जायेंगे प्रधान औरजिला प्रमुख के। मैं चाहता हूं, मेरा सुझाव है, मेरी आपसे मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा आप यह चुनाव करायें ताकि पंचायत राज में

(श्री बत्तीलाल)
भ्रष्टाचार मिट जाए, कम हो जाए, वरना भ्रष्ट तरीके से चुने हुए लोग तो इसी तरह का भ्रष्टाचार करेंगे। वह तो अपने पैसे को निकालेंगे तो यह जो दुकान बन गयी है इस दुकान को समाप्त करें।

मेरा दूसरा सुझाव और है। मान्यवर, एम एल ए लैड से हरियाणा, बस जगह देखते हैं हम गांवों में दरवाजा बनवाने का, गेट बनवाने का सब जगह प्रावधान है। आप हमको इसमें परमिशन नहीं देते हैं। आप हमको परमिशन दीजिये ताकि हमारे जो किये हुए काम हैं गांव के विकास, गांव की चीज, गांव में कितनी क्या संस्थाएं चल रही हैं उसको गेट में लिखवाया जा सके।

एम एल ए लैड की जो राशि है इसको ज्यादा बढ़ाओ आप। आपने हम पर तो पाबंदी लगा दी कि आप जल्दी से जल्दी 30 दिसम्बर तक खतम करिये लेकिन अधिकारियों को तो आप कहोगे नहीं जो हमारी स्वीकृतियों को दो-दो साल नहीं निकालते हैं। मेरी एक स्वीकृति छह महीने हो गये लेकिन नहीं निकल रही है। क्यों ? क्योंकि वह धर कर बैठ जाते हैं। वहां उनके बाबू लाट साहब हो रहे हैं। एम एल ए लैड आपका दिया हुआ, हम लोग खर्चा करते हैं और इसके मालिक कौन बनकर बैठे हैं ? वह डी आर डी ए के बाबू। तो मान्यवर, आप बाबू राज से हमको बचाइये।

मेरे और भी पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सुझाव हैं लेकिन ज्यादा समय आप मुझे नहीं दोगे। आपने बोलने के लिए समय दिया जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जुबेर खानजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कोई लम्बा समय नहीं लूंगा, एक आध सुझाव दूंगा।

मांग संख्या 50, 28, 41 और 33 के ऊपर मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा। यह भी नहीं कि कौनसी सरकार ने क्या किया है या नहीं किया है। लेकिन इस सत्र में जितनी बार हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बखान किया गया है कि हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और ट्राइबल सब प्लान एरिये के लिए हमने बहुत बड़े काम किये हैं।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, यह वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन है,

(श्री जुबेर खान)
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2007-08, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर विभाग द्वारा सामुदायिक तथा व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2006-07 में इन योजनाओं हेतु कुल 141 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। अभी 2007-08 सहित 139.97 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया। अब इसमें आप देखिये, यह वही योजना है जो मैचिंग ग्रांट है, 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। आप इसमें देखें कि 2006-07 में 141 के पेटे सिर्फ 109 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और 2007-08 में 139.97 करोड़ के पेटे सिर्फ अभी तक 73.61 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

सभापति महोदय, आप इससे अंदाजा लगा लीजिये कि यह किसको दोष दें, सरकार को दोष दें, जिसके लिये कहते हैं कि इससे भली सरकार तो नहीं हो सकती है, इससे बढ़िया वित्तीय प्रबंधन वाली सरकार तो हो नहीं सकती है। इससे यशस्वी मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकती है और जो उनकी कैबिनेट है, वह तो कहती हैं कि हम तो बहुत ही सक्षम हैं। कांग्रेस ने पिछले पांच साल में कुछ नहीं किया वह हमने तो पांच महीने में ही कर दिया। यह एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि कहीं न कहीं उन गरीब लोगों को सुविधा मिले, जिन गरीब लोगों के लिए बजट का प्रावधान किया जाना है। कहीं न कहीं चाहे प्रतिनिधि सरकार के स्तर पर हो, चाहे अधिकारियों के स्तर पर हो, चाहे कर्मचारियों के स्तर पर हो, कहीं न कहीं कोताही जरूर हो रही है कि हम वाहवाही ले लेते हैं कि हमने आदिवासी क्षेत्र के लिए इतना बजट रख दिया, इतना प्रावधान कर दिया और खर्चा उनको नहीं करना है तो झूंठी वाहवाही नहीं लेनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हर योजना मेरे ख्याल से पिछले चार साल के बजटों में जितना प्रावधान इन लोगों के लिए रखा गया है, ट्राइबल सब प्लान एरिये के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए, समाज कल्याण योजनाओं के लिए उनमें किसी भी वर्ष में 40-45, 50 या 60 प्रतिशत से ज्यादा राशि व्यय नहीं की गयी है। आप देखिये, एक योजना इसमें है एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, जनजाति उप योजना क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सामुदायिक एवं व्यक्ति लाभ की अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं तो सभी विभागों को अपने बजट में से जनजातियों के विकास हेतु, प्रवाह के तहत 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान रखा गया है। अब देखिये, इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, वर्ष 2007-08

(श्री जुबेर खान)

की राज्य योजना में 1453.04 करोड़ रुपये का प्रावधान था इसके विपरीत दिसम्बर माह तक 316.42 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है। आज मार्च शुरू हो गया, मार्च का अंत होने जा रहा है, क्या हो रहा है इन योजनाओं का और देखिये, आप ताज्जुब करेंगे कि इसमें कृषि एवं संबंधित योजनाएं आबंटन 3195 लाख और व्यय 789 लाख, ग्रामीण विकास के लिए आबंटन हुआ, राज्य सरकार ने आबंटन किया 15027.49 लाख यानि कि 150 करोड़, 27 लाख और 49 हजार रुपये का और खर्चा कितना किया 16 करोड़ 32 लाख, यह स्थिति है, यह जो एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम में, इसके मैं टोटल आंकड़े देना चाहूंगा कि आपने आबंटन किया 1635.46 करोड़ रुपये और इसके अगेंस्ट खर्चा किया सिर्फ 347.36 करोड़ रुपये और यह अंतर देखिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, मैं जरा माननीय सदस्य को करेक्ट करना चाहता हूं, शायद आपको यह मालूम नहीं है कि जनजाति विकास विभाग के पैसे जो भारत सरकार से आते हैं, संविधान की धारा 275 के अंतर्गत आते हैं, वह 31 मार्च तक आते हैं। आप अंदाजा लगायें कि 31 मार्च वर्ष का आखिरी वित्तीय दिन होता है। सभापति महोदय, इसलिए वह पैसा अगली साल के लिए कैरी फारवर्ड होता है। सन् 1975-76 से इसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में चल रही है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय मंत्रीजी, मान लो, अगर कैरी फारवर्ड हो रहा है, क्या आप उस जनजाति के साथ, किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी सरकारें रही हों, हमेशा ऐसा ही होता रहता है तो क्या आप यह कमी नहीं मानते हो ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह सदन के सामने है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राज्य सरकार के पैसे अगर कैरी फारवर्ड होते रहे, आपने योजनाएं बतायीं ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): 31 मार्च को एंड आफ दी ईयर डे फाइनेंशियल ईयर के दिन, इक्टठा अब जो पैसे आयेंगे वह 31 मार्च तक आयेंगे भारत सरकार से और 31 मार्च को आने वाले इस वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किये जा सकते हैं। आप अंदाजा लगायें कि कैसे खर्च किये जा सकते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): फिर यहां से मुख्य मंत्रीजी क्यों कहते हैं कि केन्द्र सरकार बजट दे या नहीं दे, मैं इस बजट में घोषणा कर रही हूं कि मैं इन वादों को पूरा करूंगी ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इस साल के पैसे आप एडवांस दिला दें ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप दोहरी बात मत करिये ...(व्यवधान) आप कह रहे हो ना दिलवा दो, केन्द्र के ही सर पड़ रहे हैं ना, यही मैं कहलाना चाहता था कि आप केन्द्र सरकार के बजट के अलावा अपने बजट से कुछ कर नहीं रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): और भी बताता हूं, राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न लागू हुआ 2000-01 में ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह सारी बातें दिल्ली जाकर कहें कि टाइम पर आ जाये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, बिराज जायें। जवाब दे दीजिये, आप जवाब दे दीजियेगा ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कांग्रेस के राज में, आज मैं सदन को विदित कराना चाहता हूं कि 12.44 प्रतिशत के बजाय राज्य मद से केवल 10 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप जवाब दे देना ...(व्यवधान) सभापति महोदय, आप यह अंदाजा लगा लीजिये ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): प्रावधान तो किया 10 करोड़ का परन्तु दिये केवल 5 करोड़ रुपये और इतने उपेक्षित कांग्रेस के राज में आदिवासी होते रहे ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप बिराज जायें ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कांग्रेस के राज में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुझे कह लेने दीजिये, आप तो मंत्री हैं, आप जवाब दे दीजियेगा ...(व्यवधान) आप कहने से रोक थोड़े ही सकते हैं ...(व्यवधान) और मैं आपके ही आंकड़े पढ़ रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपको मालूम होना चाहिए कि जनजाति विकास विभाग की आज मांग भी नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सामाजिक कल्याण किसका है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप अच्छी तरह से देख लीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ग्रामीण रोजगार किसका है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है परन्तु यह आज की डिमांड है ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह डिमांड सामाजिक सेवाएं क्या समाज का हिस्सा नहीं हैं, अनुसूचित जाति, ट्राइबल सब प्लान, आपको तब तो तकलीफ नहीं हुई जब बागीदौरा से आने वाले माननीय सदस्य आपकी तारीफ कर रहे थे तब तो आपको याद नहीं आयी यह बात।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): खा गये बीपीएल के पैसे वहां बांसवाड़ा में ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप वापिस निकालें ना ...(व्यवधान) फिर किसलिये बैठे हो साढ़े चार साल से, खाये हुए को निकाल रहे हो ...(व्यवधान) आपने खाये हुए को क्यों नहीं निकाला ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं आज कह रहा हूं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उप योजना क्षेत्र, जनजाति विकास विभाग का मैं मंत्री हूं, बागीदौरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मांग की है कि वहां ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले और खास तौर से आनंदपुरी पंचायत समिति में जो आदिवासियों के नाम से उठाया गया पैसा सूदखोर और मुनाफाखोर खा गये हैं, कांग्रेसी खा गये हैं... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): +++ आपको, अगर कहीं कोई पैसे खा रहा है गरीब का और यह सरकार +++ उड़ा रही है ...(व्यवधान) इससे बड़ी डूब मरने की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम नाक से निकाल देंगे ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब क्या निकालोगे। अब तो हमारे निकालने के दिन आ रहे हैं, तुम क्या निकालोगे... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कम से कम यह तो साबित हो गया कि दिल्ली के जिस सर्टिफिकेट को लेकर इतरा रहे हो वह झूंठा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, आप यह देखिये ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले के सर्टिफिकेट थे वह भी झूठे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कागज पकड़ाते हो ना, कितना खर्च कर दिया, अब उनको क्या पता कि खर्च कहां किया आपने ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कांग्रेस के समय में झूंठा था क्या ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उनको क्या पता खर्च कहां किया ...(व्यवधान) यह सदन में मालूम पड़ रहा है कि खर्च कहां हुआ है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, आप तो बिराजें ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपने सिरोही जिले का पिंडवाड़ा इलाका आदिवासी क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए हमारे भूतपूर्व जनजाति मंत्रीजी कनकमल कटाराजी ने तीन साल से प्रस्ताव भेज रखा है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जो डिमांड है उसी पर चर्चा कर सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हां, डिमांड पर है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह आज डिमांड नहीं है ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): तीन साल से 50 बार रिमाइंडर दिये गये ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आपके पंचायत राज मंत्रीजी ने कहा ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इंदिरा आवास योजना ग्राम पंचायत ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जो माड़ा क्षेत्र है टीएसपी एरिये में ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पतंगे लग गये, लग गये पतंगे, कुछ आंकड़े देने से ही ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): नहीं आये हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जिसकी वजह से माननीय मंत्रीजी को पतंगे लग गये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गुलछर्रे कौन से होते हैं ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कांग्रेस सरकार कुछ भी करना नहीं चाहती है ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): गरीबों को मिलने वाला गेहूं डलवाया एवं मक्का दे रहे हैं, मक्का है नहीं, हालत यह है ...(व्यवधान) गरीब लोगों को गांव में खाने के लिए गेहूं नहीं है, मक्का भेज रहे हैं, पता नहीं कहां से मक्का आयी हुई है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपको निवेदन करूंगा कि आदरणीय सदस्य जब बोल रहे हैं तो उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। आप कृपया करके सब बिराज जायें... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप भाषण भी कर लो, इंटरवीन भी कर लो, सब आप ही करोगे क्या।

श्री सभापति: मेरा सबसे निवेदन है कि जो सदस्य बोल रहे हैं, सम्मानीय सदस्य को अपनी बात कर लेने दीजिये। किसी बात को अगर मंत्री महोदय भी बोलना चाहें तो जब वह अपनी बात पूरी कर लें तो आसन से अनुमति लेकर बोल सकते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, इंदिरा आवास योजना इसके भौतिक लक्ष्य देखें, इसमें 16371 के लक्ष्य थे और आज तक 1252 किये गये।

यह किसको मानते हैं कि यह सरकार गरीबों के प्रति जागरूक है। वाकेशनल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार संख्या 18003-310, अब यह 10-15 दिन में ट्रेनिंग दे देंगे क्या? इसी तरह देखिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में छात्रवृत्ति वितरण समाज कल्याण विभाग द्वारा, जिसकी डिमांड पर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं, 19250 के लक्ष्य के पेटे जीरो है, अब आप यह देख लीजिए 19250 की संख्या के विरुद्ध अब तक जीरो छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। यही नहीं सभापति महोदय, कल मंत्रीजी ने जवाब दिया है, आपकी एक योजना चलाई हुई है कि गरीब...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इजाजत हो तो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभी इन्टरवीन करेंगे क्या, सारे ही मंत्री हो गए।

श्री सभापति: आप विराज जाएं, दो मिनट लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप विराजें, दो मिनट के लिए। आप गलत ट्रेक पर जा रहे हो इसलिए उस पर निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह जो अपनी अध्यक्षीय व्यवस्था है, प्रथम खण्ड का जो संकलन है, उसमें, सूची में प्रविष्ट कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है अगर मांग संख्या एक, मांग संख्या- भू राजस्व पर प्रस्तुत अपने कटौती प्रस्ताव पर श्री भीमसेन बोल रहे हैं, उन्होंने एक उस प्रस्ताव पर भी बोलना प्रारम्भ कर दिया जो सूची में नहीं था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौनसा पेज है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पेज नम्बर 156 पर। उन्होंने कटमोशन तो प्रस्तुत कर दिया पर सरकूलेट नहीं हुआ, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि अगर नहीं आया तो उसके बारे में बोल नहीं सकते तो जो जिस विषय में और जिस के कटमोशन आए उसी सीमा तक बोल सकते हैं, इसके बाहर नहीं बोल सकते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप भी पिछले चार साल से तो इस सदन में हैं। जो सरकारी मुख्य सचेतकजी बात कह रहे हैं, आज तक लागू हुई है क्या, चलो आज तक लागू हुई है तो मान लेता हूं, इसका मतलब है कि सरकार कोई सही बात सुनना नहीं चाहती है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट आप विराजो। माननीय सभापति महोदय, जो सरकारी मुख्य सचेतकजी ने अभी अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में पढ़कर सुनाया है, यह सदन संविधान, प्रक्रिया के नियम और परम्पराओं से चलता है। मैंने यहां अनेक माननीय सदस्यों को जिन्होंने कटौती प्रस्ताव नहीं दिए लेकिन चीफ व्हिप द्वारा आपके पास जो नाम आते हैं फिर भी वह बोलते हैं, पूरे विभाग के बारे में बोलते आए हैं और यह स्वयं जब विपक्ष में इधर बैठते थे तो कटौती प्रस्ताव कोई टोंक की एक साधारण नगरपालिका के बारे में या कोई एक थाने के बारे में दिया हुआ होता था और पूरे राजस्थान की पंचायती करते थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बताओ तो सही मैंने ऐसा कब किया? रिकार्ड लाओ जबरन ही ठोक रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब मैं यह पूरा... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके कहने से क्या होता है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत ने कभी कटौती प्रस्ताव नहीं दिया और यहां पर बोलते थे। कटौती प्रस्तावों पर क्या बात करते हो आप, इसलिए आप परम्पराओं से चलाएं सदन को। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यह नहीं कहता कि कटौती प्रस्तावों के अलावा नहीं बोल सकते। कटौती प्रस्ताव जिन्होंने पेश किए हैं उनके अलावा भी माननीय सदस्य बोल सकते हैं लेकिन उसी विभाग के बारे में और उसी सीमा तक बोल सकते हैं। यह टी ए डी पर बोल रहे हैं, यह तो टी ए डी पर बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतें नहीं बनाती हैं क्या इन्दिरा आवास योजना, ग्राम पंचायतें नहीं बनाती हैं क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्दिरा आवास है लेकिन जो आप टी ए डी के बारे में बोल रहे हैं वह इसमें नहीं है, वह नहीं है मांग संख्या, आप देखें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इन्दिरा आवास और कहीं नहीं बनते हैं क्या? आप इन्दिरा आवास योजना में अलग-अलग योजनाएं हैं, वहां भी बनते हैं, साधारण में भी बनते हैं, अनुसूचित जाति के लोग और जगह नहीं रहते हैं क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप जो ट्राइबल एरिया के बारे में बोल रहे हैं उसकी डिमांड नहीं है, आप देख लें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महावीरजी, आप बैठ जाइए। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, अभी मंत्रीजी ने कल ही एक उत्तर दिया, मैंने एक सवाल लगाया था कि जो विधवा महिलाएं हैं जिनके 18 साल से कम उम्र के लड़के परिवार में है, वह अपनी पुत्री की शादी करती है, उनको दस हजार की मदद मिलती है, मिलती है, आपको भी ध्यान है। आप ताज्जुब करेंगे कि वर्ष 2007-2008 के पेटे आपको मालूम है कि ग्रामीण एरिये में आखा तीज के दिन, भैया दूज के दिन ज्यादातर शादियां अप्रैल, मई, जून, गर्मियों में, बैशाख में होती हैं। शादी हो गई। इनका स्वयं का जवाब है कि अभी भी पूरे राजस्थान में 382 प्रकरण लम्बित है जिनको पैसे मिलने बाकी हैं। इससे बुरा अन्याय और क्या

(श्री जुबेर खान)

होगा। आप विधवा को कोई खैरात दे रहे हो? यदि उसको पैसा समय पर नहीं मिला, दो-दो साल बाद अगर उनको पैसा मिलेगा, एक-एक जिले का दिया है, जोधपुर में 48 केस पेंडिंग है, अलवर में 36 केस पेंडिंग है, पूरे राजस्थान में 382 केस पेंडिंग हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप यहां पर थोथे भाषण कुछ भी ठोकें जाएं। माननीय सदस्य, बत्तीलालजी अभी कह रहे थे कि वह बड़े किसान हैं, और पढे-लिखे हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं और मजदूर आदमी हैं लेकिन हम भी जानते हैं इन गरीब लोगों को।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, अभी बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य, इनकी तो जबान नहीं थकती है इस सरकार की बड़ाई करने में, आपके वहां कलक्टर किसका बैठा है? अगर कांग्रेस का जनप्रतिनिधि कोई गलत कर रहा है, जैसा कि वह माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहां का कलक्टर क्या कर रहा है, वहां का सी ई ओ, जिला परिषद क्या कर रहा है, वहां का बी डी ओ क्या कर रहा है, या तो उन पर आपका कोई अंकुश ही नहीं है, जब आपका ब्यूरोक्रेसी पर कोई अंकुश ही नहीं है तो फिर क्यों राज की बात करते हो? यह कितने शर्म की बात है, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप जांच कराइए, अगर आप यह कहते हो कि बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य का कहना यह है कि वहां कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपको हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच कराने में क्या आपत्ति है, आप आज ही खड़े होकर यहां क्यों नहीं घोषणा करते कि हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, हिम्मत ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें पंचायती राज संस्थाओं को सुधारना है, इस सदन में कई बार ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आदरणीय भैरोंसिंहजी के समय में जब राजीवजी गांधी की मंशा के अनुरूप 73वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज संस्थाओं का मेण्डेटरी किया, संवैधानिक अधिकार दिए, आरक्षण की बात कही, 33 प्रतिशत महिलाओं का होगा, एससी, एसटी का आरक्षण होगा, ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर तो भैरोंसिंहजी ने उस संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप जब यहां पर बिल लाए, उन्होंने शुरूआत की दो बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे होंगे वह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ेंगे।

(श्री जुबेर खान)

यह एक ऐतिहासिक कदम था। आज फिर जरूरत है, उस टाइम के माननीय सदस्य जो आज इस सदन के मैम्बर नहीं हैं आदरणीय चन्दनमलजी बैद, तारानगर से आने वाले, उन्होंने कहा था कि आप डाइरेक्ट इनका चुनाव करा दीजिए। मेरा निवेदन करना है उससे बढ़कर कि आप ऐतिहासिक कदम उठाएं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर कराना बंद कर दीजिए, अगर आपको पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करना है तो, यह सब के ऊपर लागू है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य दलों के लोग हों, राज आएंगे, जाएंगे लेकिन आप अगर पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करना चाहते हो तो स्वर्गीय राजीवजी की कल्पना के अनुरूप कि एक रुपए में से पन्द्रह पैसे ही नीचे तक पहुंच रहा है, उनकी यह मंशा थी कि पूरा पैसा सही आदमी तक पहुंचे ताकि लोगों के सलाह मशवरे से, लोगों की निगरानी में काम हो लेकिन राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के बाद में वह जो सपना था स्वर्गीय राजीवजी का, 73 वें संविधान संशोधन की जो मंशा थी वह पूरी तरह चौपट हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं भी जानते हैं, आप उठाइए ऐतिहासिक कदम। जैसा आपने कहा कि पचास प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देंगे, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है लेकिन आज यह भी तो देखिए कि आपके ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति में पति के बगैर कौनसी महिला जा रही है? आधी से ज्यादा घूंघट में बैठी हैं, पति दस्तखत कर रहे हैं, पति मीटिंगें अटैण्ड कर रहे हैं, यह स्थिति बन पड़ी है, आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है कि आप इसको करिये।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं का यह है कि छह महीने में चुनाव हो जाने चाहिए, बहुत सी जगह राजस्थान में इन संस्थाओं के पद रिक्त पड़े हैं, छह महीने से ज्यादा हो गए, जहां चार्ज होना चाहिए आरक्षित वर्ग के पास वहां दूसरे वर्ग के लोग बैठे हुए हैं पदों पर तो संविधान की मंशा के अनुरूप आप यह करिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बी पी एल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि केन्द्र सरकार ने बी पी एल का क्राइटेरिया बना दिया, उसमें घड़ी के भी नम्बर थे। घड़ी किसी के पास है तो उसमें मास्टर और पटवारी गए पूछने कि घर में घड़ी है, हां है, पंखा है, हां है, बल्व कितने जल रहे हैं, उस वजह से रह गए। आप जिस तरह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र

(श्री जुबेर खान)

सरकारों ने अपने कोटे से बी पी एल परिवारों की संख्या बढ़ाई है, आपको भी बढ़ानी चाहिए।

विद्युत मंत्रीजी अगर यहां बैठे हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं और यह भावना रही थी मैंने पहले भी कहा था कि कुटीर ज्योति योजना को आप रिप्लेस करें कि आपके इन्फ्रास्ट्रक्चर जम गया, केन्द्र सरकार से अब आपको 2200 रुपये प्रति कनेक्शन के मिल रहे हैं, आप पहल करिये और 1997 की सूची के आधार पर यह सितम्बर तक आपने कनेक्शन दिए हैं, 1997 की सूची के आधार पर जो वंचित बी पी एल के परिवार हैं उनको भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत नि:शुल्क कनेक्शन दें जिसमें आपका ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ आपके बीस-तीस मीटर की डोरी लगेगी और मीटर लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, दिखाइए आप हिम्मत अगर गरीबों के प्रति आपकी सोच है तो।

अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने यहां घोषणा की थी मेवात, डांग और मरू न जाने कौन-कौनसी योजनाओं में 5 करोड़ की जगह 7 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। उनका स्वागत है, हम निवेदन करेंगे इसको 10 करोड़ करें। उन्होंने एक बात और कही थी यह पैसा उन कार्यों पर व्यय किया जाएगा जो अन्य विभाग की योजनाओं में नहीं आता। घनश्याम जी तिवाड़ी यहां बैठे हैं, कटारियाजी यहां बैठे हैं आप तो चाहते हो मेवात में शिक्षा बढ़े और मेनस्ट्रीम में लोग आएं। बेरोजगारी और अशिक्षा की वजह से यूपी और हरियाणा के करीब होने से वहां क्राइम बढ़ रहे हैं उसमें लाभ मिले। अब जब आपने मदरसों में कंप्यूटर देना शुरू कर दिया, मदरसों में आपने किताबें देना शुरू कर दीं, मदरसों में आपने मिड डे मील शुरू कर दिया तो मेवात विकास योजना में मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए तथा उनके जो प्रबंधक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रजिस्टर्ड हैं मदरसा बोर्ड में, उनके प्रबंधक मनमर्जी से चंदा नहीं उगाते फिरें। वहां आप शिक्षा के लिए कमरों का प्रावधान कीजिए। यदि अन्य किसी योजना में नहीं है तो मेवात विकास योजना में यह प्रावधान करना चाहिए ताकि वहां बच्चों को बैठने की उचित जगह मिले, टायलेट वगैरह बनें और वहां एक अच्छा कार्यक्रम चल सके। हिन्दी, अंग्रेजी, गणित व दूसरी पढ़ाई है उसका उनको लाभ देकर उनको मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा सके। वहां भी यही हाल है जो प्राइवेट स्कूलों में है।

(श्री जुबेर खान)

इसलिए मेरा सुझाव है कि जो मदरसे मेवात क्षेत्र में चल रहे हैं मेवात विकास बोर्ड से उनकी चारदीवारी, उनके लिए कमरों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, होस्टलों का निर्माण मेवात योजना में करना चाहिए, यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया ...(व्यवधान)

लास्ट में एक बात बताइए, राजेन्द्रजी, आप सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं। एमएलए लैड अगर विभाग को देते हैं तो टेण्डर कर सकते हैं, ठेकेदार से करा सकते हैं वही एमएलए लैड का पैसा ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को देते हैं तो वो आपके जेआरवाई नोर्म्स के अंतर्गत आता है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि एक बार एक्सपेरिमेंट कराएं, चाहे उसकी आप मोनीटरिंग कमेटी बना दीजिए, उसमें तकनीकी आदमी भी रख लीजिए, डीआरडीए स्तर पर आप ग्राम पंचायतों को या पंचायत समितियों को या जिला परिषद को या जिसको भी आप उचित समझें या कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दीजिए यह एमएलए, एमपी लैड, मेवात विशिष्ट योजनाएं हैं इनका भी काम देते हैं तो वही देंगे उस हिसाब से और उन्हीं गाइडलाइंस के तहत कराएं क्योंकि पंचायतों में पैसा जाने के बाद में जिस तरह के काम होते हैं आप जानते हैं और जहां हमारे अलवर, भरतपुर जिले में लेबर मिलती नहीं, फर्जी मस्टररोल भरते रहते हैं, काम करने के लिए हकीकत में काम नहीं होता, आपको नयी पहल करनी चाहिए और एमएलए, एमपी लैड और विशिष्ट योजनाओं में जैसे मेवात विकास बोर्ड है, डांग विकास क्षेत्र है इसमें आप वही सिस्टम करिए, उस पैसे का जो विभाग को देने पर करते हैं यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: डा. सुरेश चौधरी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 50- ग्रामीण रोजगार, मांग संख्या 28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास और मांग संख्या 33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा भूमिका भी नहीं बनाऊंगा, कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। चूंकि बात ग्रामीण विकास की हो रही है और मेरी जो पृष्ठभूमि है वह पूर्णतया ग्रामीण रही है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़ा-लिखा हूं, बड़ा हुआ हूं और आज भी ग्राम में रहता हूं।

(डा. सुरेश चौधरी)

जब देश आजाद हुआ तो गांधीजी ने भी कहा था कि पूरे भारत की जो आत्मा है वह गांवों में रहती है और भारतीयों का 80 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है। धीरे-धीरे व्यवस्था इस तरह की रही, पार्टियां जो आजादी के टाइम हिस्सेदारी करती थीं, आजादी के बाद आज तक चाहे राजस्थान का सवाल हो, चाहे हिन्दुस्तान का सवाल हो ज्यादातर समय में शासन उसी पार्टी का रहा जो आजादी से पहले लोगों में चर्चा में थी।

(समय : 18.52 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्षजी, आज आजादी का साठवां, इकसठवां साल है, बात चाहे हिन्दुस्तान की हो, बात चाहे राजस्थान की हो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है चाहे विभिन्न रूपों में ले लो, लोकदल का, जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय मजदूर किसान पार्टी का, दलित मजदूर किसान पार्टी का इस तरह से जो भी शासन रहा है कांग्रेस पार्टी का शासन उससे चार गुना इस देश और इस प्रांत में रहा है। आज भी अगर ग्रामीण विकास, जिसकी मांगों पर चर्चा हो रही है और वहां बात इस तरह की आ रही है चाहे माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के बोल रहे हों, चाहे माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के बोल रहे हों वहां जब इस तरह की बात आये कि मस्टररोल पर फर्जी नाम चढ़ाए जा रहे हैं, फर्जी नाम से अनाज उठाया जा रहा है, फर्जी नाम से मजदूरी उठायी जा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से वो पार्टी जिसने आजादी के बाद ज्यादा शासन इस देश और प्रदेश में किया। निश्चित रूप से वो लोग जो गांव और गरीब की नीतियां बनाने के लिए सबसे आगे रहे। निश्चित रूप से वो लोग जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर गांव और गरीब की नीतियां बनाते थे और गांव व गरीब की हकीकत से वे बिलकुल वाकिफ नहीं थे। राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान इस देश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है और इस देश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस प्रदेश के आकार को देखते हुए, इस प्रदेश की संस्कृति को देखते हुए अन्य प्रांतों से इस प्रांत की तुलना करना, अन्य प्रांतों से इसकी तुलना करके उन प्रांतों के बराबर इसको लाकर खड़ा करना और फिर इसमें कमजोरियां निकालना मेरे खयाल से बेमानी होगा।

आज राजस्थान इतना बड़ा प्रांत है, मैं तो एक चीज और कहूंगा, चूंकि ग्रामीण विकास की बात हो रही है और राजस्थान का 80 प्रतिशत हिस्सा

(डा. सुरेश चौधरी)

ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है और यह राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है क्यों न मरू प्रदेश के नाम से राजस्थान में एक और प्रदेश बना दिया जाए जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, झुंझुनू, सीकर ये 11 जिले उसमें शामिल कर लिए जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा हम लगातार मांगने की बात केन्द्र से हर बजट से पहले करते रहे हैं वो विशेष राज्य का दर्जा यह मरू प्रदेश बन जाता है तो वह आपको बिना मांगे मिलेगा क्योंकि करीब-करीब अन्तरराष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान के करीब-करीब अन्तरराष्ट्रीय सीमा इस मरू प्रदेश की ही लगेगी चाहे वो गंगानगर जिला हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे नागौर, जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो।

दूसरा, अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठायी और माननीय बत्तीलालजी ने यह बात कही कि राजनैतिक दलों के आधार पर हम ग्राम पंचायतों के चाहे वो पंचायत समिति के चुनाव हों, चाहे वो सरपंचों के चुनाव हों, चाहे वो जिला परिषदों के चुनाव हों वे राजनैतिक दलों के आधार पर नहीं होने चाहिए, राजनैतिक दलों के चिन्ह के आधार पर नहीं होने चाहिए।

दूसरा, भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रत्यक्ष चुनाव हो। प्रधान का चुनाव सीधा जनता द्वारा हो, जिला परिषद का चुनाव सीधा जनता के द्वारा हो, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम का चेयरमैन है, महापौर है उसका चुनाव सीधा जनता के द्वारा हो तो यह बीच में अविश्वास वाला मामला पड़ता है और अविश्वास के बहाने खरीद-फरोख्त का मामला चलता है उस पर काफी हद तक एक अंकुश लगाया जा सकेगा।

बीपीएल सर्वे की बात आयी। चाहे किसी सरकार के शासनकाल में रहा हो, चाहे किसी सरकार ने उसमें मापदण्ड तय किये हों, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज भी गांवों में जाते हैं, माननीय सदस्य अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के गांवों में जाते हैं आज भी यह स्थिति है जिसके घर में ट्रेक्टर है, जिसके घर में फ्रिज है, जिसके घर में कूलर है, ऐशोआराम के सारे साधन हैं वो बीपीएल में हैं और जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है, जिसके मकान के कमरों की चारों दीवार नहीं है, पक्की होना तो दूर की बात, कच्ची दीवार भी नहीं है। वह परिवार बी.पी.एल. में नहीं है तो मेरा माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, माननीय

(डा. सुरेश चौधरी)

उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि यह तो सही है कि बी.पी.एल. में नाम जुड़ने और कटने की कोई निश्चित समयावधि नहीं है अभी लेकिन क्यों न एक अभियान चला कर जन प्रतिनिधियों को आगे करके एक इस तरह का अभियान चलाया जाए कि जो वास्तव में बी.पी.एल. में है, वही बी.पी.एल. में आए।

दूसरा, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारण्टी स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है कि हर परिवार को सौ दिन रोजगार गारण्टी के मिले और हर भारतीय नागरिक को जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, उसका हक भी है यह लेकिन इसमें मेरा यह मानना है कि यह वरदान तो साबित हो रहा है गरीब मजदूरों के लिए लेकिन साथ में जो काश्तकार हैं जिनको 130-135 रुपये पर-डे इसकी मजदूरी मिलेगी, काश्तकार के खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उन काश्तकारों को मजदूर नहीं मिलेगा। दूसरा, नरेगा का जो सबसे बैड इम्पेक्ट आएगा वह जो रूरल बैकग्राउंड के जन प्रतिनिधि हैं, पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं उसमें महिलाएं भी हमारी शामिल हैं जो कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ जो सरपंच है, आने वाले टाइम में अब तो यह नरेगा चलेगा एक अप्रैल से लेकिन आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो जेलों में पाए जाएंगे वह वहां के सरपंच, ग्राम सेवक और अनपढ़ खास तौर से सरपंच पाए जाएंगे कि इसमें औपचारिकताएं इतनी ज्यादा हैं नरेगा। मैं तो, इस नरेगा का भी मेरा यह सुझाव है कि सरलीकरण इस तरह से किया जाए और इसका दायरा भी बढ़ाया जाए कि सिर्फ कच्चे काम ही नरेगा में नहीं हों, एमएलए और एमपी लेड के काम भी इसमें शामिल करके और जो लेबर कम्पोनेंट है वह उसमें डवटेल करवाया जाए।

दूसरा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, मांग संख्या 33, इसमें माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण विभाग की तरफ से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता, इनके प्रावधानों में सरलीकरण किया जाए। जिस तरह कुछ माननीय अन्य सदस्यों के भी सुझाव थे कि 18 साल का बच्चा किसी के हो गया तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है, उस विधवा की या 65 साल का बुजुर्ग है उसी को यह पेंशन दी जाए। आज यह मानना पड़ेगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके ऊपर जो संवेदनशीलता से विचार किया है और चिरायु जो योजना चलाई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से उसमें मेरा एक निवेदन है

(डा. सुरेश चौधरी)

कि इसमें संशोधन करके जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में है, 65 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग हो चाहे वह बी.पी.एल. हो, चाहे एपीएल हो, चाहे सक्षम परिवार का हो, चाहे असक्षम परिवार का हो, आज बुजुर्गों की हालत इस समाज में ज्यादा बेहतर नहीं है, उनको भी पेंशन दी जाए उसमें यह राइडर नहीं लगाया जाए कि बी.पी.एल. का हो या उसकी आय इससे कम हो।

दूसरा, जिस तरह से विधवा, मेरा एक नया तरह का सुझाव है, माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसे विधवा और परित्यक्ता के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से इसमें प्रावधान है कि विधवा को पेंशन दी जाएगी, परित्यक्ता को सरकारी नौकरियां जो शिक्षा विभाग की हों, उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे उसने एस.टी.सी. या बी.एड. नहीं किया हुआ हो। क्या राज्य सरकार मेरा एक सुझाव है, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से कि विधुर भी हैं इस प्रदेश में, इस देश में, इस समाज में, की इस तरह की कोई मंशा है कि वह विधुरों को भी इस तरह की पेंशन देने की कोई योजना बना रही है या योजना रखती है या जो आजन्म कुंवारे हैं, आजन्म अविवाहित हैं वह भी तो अकेले हैं या जो परित्यक्त हैं, परित्यक्ता ही नहीं होती, परित्यक्त भी हैं, पत्नी पीड़ित भी इस समाज में होते हैं। मेरा अनुरोध है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से इस सदन के पूरे माननीय सदस्यों से और समाज कल्याण मंत्रीजी से कि जिस तरह से विधवा परित्यक्ता इनको पेंशन और रिजर्वेशन की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी तरह से विधुर और परित्यक्त व्यक्तियों को भी इस तरह की सुविधाएं दी जाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालूलालजी गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-50, 28 और 41 पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए, हो गया, काफी हो गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोगुंदा के माननीय सदस्य सदन में कभी-कभी बोलते हैं और ग्रामीण विकास की डिमांड पर अगर इनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाए तो यह घोर अन्याय होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ऐसा है, माननीय उपाध्यक्षजी, यह बोल-बोल कर चले जाते हैं। (व्यवधान) एक को भी अवसर नहीं देना चाहिए।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्षजी, आज हमारी तरफ से बहुत कम सदस्य बोले हैं और आपने एक-एक को बुलाया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच जने बैठे हैं, एक-एक जो बोल रहे हैं वह टिके हुए हैं, बाकी सब भाग गये यहां से ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पांच मिनट बोलने का अवसर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी।...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट आप कृपा करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इनका नाम पहले ही था लेकिन किसी वजह से नहीं आए... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्षजी, बहुत सदस्य बोल लिए हैं, रिप्लाई करवाएं, आप कल बोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): पहले संसाधन की डिमांड पर बोल देना, उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य को संक्षेप में बात कहने दीजिए।... (व्यवधान)...

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): यह तो परम्परा ही बन गई, उपाध्यक्ष महोदय, हर बार दबाव लगा कर किसी न किसी को बुलवा देते हैं। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं भी बोलने के लिए तैयार हूं। सब घिसे पिटे सब के पास हथियार हैं। (व्यवधान) वही पुराने हथियार हैं, धार उनमें है नहीं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसके अलावा सामान क्या है, बोलने के अलावा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इतनी देर में तो वे बोल लेते। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, इनके जो हथियार हैं, भोंटे हैं, पेंदे करके लाये गये हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है, आजादी के 60 साल में भी इन लोगों ने क्या किया, इनसे पूछा जाए। यह अंतिम छोर पर बैठे हैं, यह आदिवासी आदमी हैं, ऐसा नहीं है। आदिवासी और

(श्री जयराम जाटव)

शिड्यूल्ड कास्ट का हो, यहां जो भाषा है यह तो यह है कि साहब, यहां घोर अन्याय हो जाएगा। जब से क्यों नहीं किया, आप बुलवा देते ...(व्यवधान) पहले बुलवा देते आप, ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतनी देर में तो बोल भी देते, अपनी बात कह भी देते ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): कहने देते तो फिर कहते ...(व्यवधान) माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य से कह रहा हूं ...(व्यवधान) फिर तो मेरा नम्बर भी आएगा।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, यह दूरदराज का एरिया है, ट्राइबल सब प्लान के एरिया के साथ में जुड़ा हुआ मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): परम्परा तो गलत पड़ रही है, परम्परा के विपरीत आप दबाव से किसी को मौका दे देते हैं और हम लोग दबाव सत्ता में रह कर डालते नहीं हैं आप पर। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक-एक घंटा आप लोग बोलते हैं, दलित और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्यों नहीं बुलवाया आपने ? एक-एक घंटा बोलते हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपके मुख्य सचेतक को लिस्ट में नाम भेजना चाहिए था तब तो भेजा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नाम नहीं होगा तो हम नहीं बुलवाएंगे, आप पता कर लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: जुबेर खानजी, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अगर नाम नहीं होगा तो हम नहीं बुलवाएंगे।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, नाम था, चेंज किया अब आपने। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नाम तो हमारा भी है लेकिन समय हो गया, लेट हो रहे हैं इसलिए माननीय मंत्रीजी का जो आज भाषण सुनें, वह देने वाले हैं कुछ, अभी घोषणा करेंगे मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको अभी जिंदा रहना है लम्बा, कहां समय हो गया आपका?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य खड़े हैं उनको बोलने दीजिए अभी। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप तो अपने क्षेत्र में बोल देना।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): कल छुट्टी है और लोग-बाग़ चले गये हैं और जाना भी है, आप लोग मेहरबानी करो, थोड़ा कम करो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको देखो, चार तो मेम्बर हैं, बोल-बोल कर चले जाते हैं, जो यहां पर रूकते हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, भाषण दिया और चल दिये, आपको एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसने भाषण दिया, जो बोले वह सदन में उत्तर तक यहां बैठा रहे, यह व्यवस्था करवाएं आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आसन का भी कोई महत्व तो होता है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो होता है, वह आपको भी पता है, हमको भी पता है, बोलने दो, बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष: अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कोई बात कहेंगे, कहने दीजिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को ज्यादा लम्बा नहीं कहूंगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में मेरी बात को खतम करना चाहता हूं। मैं अनुरोध यह करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से भारत की आत्मा जो गांवों में रहती है निवास करती है और महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि स्वराज की कल्पना और गांव में गांव का राज किस तरह से कायम हो सके परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं मानता कि आज जिस तरह से गांवों में समस्याएं खड़ी हैं उनको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी

(श्री मांगीलाल गरासिया)

उनको साकार रूप नहीं मिल रहा है, मैं यह मानता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम में जो भारत सरकार के द्वारा करोड़ों रुपये जब राजस्थान में आकर के गांव और ढाणियों में लगते हैं उसमें, आज जिस तरह से गांव और पंचायतों के दूरदराज के एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत उनको भुगतनी पड़ती है।

जहां कुछ एरिया जो साक्षरता की दृष्टि से कम जागरुक एरिया है, जहां पर लोगों में आज भी जन-जागृति का अभाव है और उस एरिया के लिए जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जिनको 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधा सा यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वो लोग जब काम पर लगने के लिए आवेदन लेकर के पंचायतों में जाते हैं तो वहां पर उन लोगों से आवेदन लिये नहीं जाते हैं। यदि आवेदन नहीं लिये जाते हैं तो 15 दिन के बाद में उनको काम पर नहीं लिया जाता है और वो व्यक्ति दूर-दराज में बैठा हुआ यह इन्तजार करता है कि हमारे एरिया में काम होगा तो हम काम पर लगेंगे परन्तु उसके विपरीत उनके जीवन पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और बहुत बड़ी तकलीफों का सामना वो लोग उस एरिया के लिए कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी बात यह करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज कई परिवार ऐसे हैं जिनके जोब कार्ड के लिए फोटो नहीं खींचे गये, कहीं-कहीं राशन कार्ड नहीं बनाये गये जबकि वो व्यक्ति परिवार से अलग रह रहा है। वह अलग रह रहा है और यदि उनका जोब कार्ड नहीं बना, उनका राशन कार्ड नहीं बना तो वह व्यक्ति उस काम पर नहीं लग पायेगा और उसके लिए भी उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के काम चल रहे हैं वहां अगर देखा जाए तो वहां पर उचित व्यवस्था नहीं है और उचित व्यवस्था नहीं होने से न तो मेडिकल पैकेट के रूप में वहां अवेलेबल है और कई तरह की समस्याओं का सामना उस एरिया के लिए करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कोटड़ा ट्राइबल सब प्लान एरिया का पार्ट है और वहां व्यक्तिगत लाभ योजना में प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई, वितीय स्वीकृति जारी हो गई और वहां पर 300-400 तक व्यक्तिगत लाभ योजना में कुए सैंक्शन कर दिये परन्तु 300-400 कुए सैंक्शन करने के बाद में भी आज अभी तक वहां पर 30-40-50

(श्री मांगीलाल गरासिया)

कुए चालू किये हैं और दूसरे कुए अभी तक शुरू नहीं किये हैं इसलिए उस एरिया के लिए लोगों को तकलीफ है। यदि व्यक्तिगत योजना में उनके कुए अगर बन जाते हैं तो उनके परिवार का आधार बन जाएगा। यदि कुए नहीं बनते हैं तो मैं यह मानता हूं कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी और उस एरिया के लोगों को फायदा नहीं मिल पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केशव बाड़ी योजना में कई ऐसे काम उस एरिया के लिए किये हैं परन्तु वहां पर 20 रुपये और 30 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको भी देखने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में डब्ल्यू.एस.एस., वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के काम जिस तरह से उस एरिया में हो रहे हैं वो काम वहां कोटड़ा में अधिकांश एरिया में जे सी बी से किये जा रहे हैं जिसमें नींव खुदाई या दूसरे काम हो रहे हैं इसलिए एक व्यक्ति ही पूरा लाभ ले रहा है और उस ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को, उस एरिया को फायदा नहीं मिल रहा है और भारी भ्रष्टाचार के रूप में एरिया को कोई सम्भालने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पड़ावली खुर्द का एरिया है, पड़ावली कला का एरिया है, समीजा के कुछ एरिया में वहां पर भी इस तरह के कामों को जो प्राथमिकता मिल रही है वो उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जेट्रोफा के पौधे लगाने का काम जिस तरह से उस एरिया में हुआ और उनके बाउंडरी वाल नहीं बनाई गई। जेट्रोफा के रूप में जिस तरह से उस एरिया में काम किया जा रहा है और बाउंडरी वाल नहीं होने से, उनका रख-रखाव सही ढंग से नहीं होने के कारण वो पनप नहीं पायेंगे, कई तरह की तकलीफ हो जाएगी और जो फिजूल खर्च हो रहा है उस पर अंकुश नहीं लग पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बात कह कर अपनी बात को खतम करना चाहता हूं और ज्यादा इस मामले में जिक्र नहीं करना चाहता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर राष्ट्रीय पोषाहार के रूप में कोटड़ा एरिया में अधिकांश विद्यालय बंद हैं। पोषाहार पूरी तरह से उठ रहा है परन्तु उन विद्यालयों में पोषाहार नहीं मिल रहा है, पकाया नहीं जा रहा है और बच्चों को नहीं मिल रहा है तो आखिर में वह पोषाहार कहां जा रहा है? माननीय

(श्री मांगीलाल गरासिया)

उपाध्यक्ष महोदय, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय, झालरा, प्राथमिक विद्यालय, सीवड़िया, प्राथमिक विद्यालय काड़ा, प्राथमिक विद्यालय धोलीमगरी और प्राथमिक विद्यालय ऊपलाथाला, कई ऐसे विद्यालय हैं जो आज बंद पड़े हैं जबकि पैसा बराबर उठ रहा है, पोषाहार बराबर उठा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे एरिया में जहां पर उस एरिया के लिए ट्राइबल एरिया के जो बच्चे-बच्चियां वहां अध्ययन करती हैं, पूरा इलाका जब इस तरह से है तो उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिल पाये परन्तु मैं मानता हूं कि नहीं मिल रहा है। आज मैं पंचायती राज और शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उस एरिया के लिए कोई ऐसा समुचित कदम उठाया जाए जिससे उस एरिया का भला हो सके।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मालवा का चोरा, सालरिया, मेवाड़ों का मठ, भूतवड़ का एरिया में जलग्रहण योजना में 3-3, 4-4 वर्षों से उनको पेमेंट नहीं मिल पाया है। जब 3-4 वर्ष से किसी व्यक्ति को पेमेंट नहीं मिलता है तो उस योजना के लिए, उन लोगों के लिए बहुत भारी समस्या होगी। मैं उन आदिवासी भाइयों, मजदूरी करने वाले उस वर्ग के लिए बात उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हो गई बात। बाकी मंत्री महोदय को कह देना।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस एरिया के लिए जो जलग्रहण योजना में 3 और 4 वर्ष से पेमेंट नहीं हो रहा है उनका पेमेंट मिल पाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभाओं का जो आयोजन इस बार करने का है उसमें विशेष प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए जिससे कि वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले उन काश्तकार भाइयों को यह जमीन का आबंटन हो सके ताकि उन भाइयों का भला हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा अनुरोध करना चाहता हूं कि आज पंचायती राज विभाग...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, करीब-करीब आ गया आपका। बाकी आप मंत्री महोदय से कह दीजिये। माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): मैं दो मिनट में पूरा करना चाहता

(श्री मांगीलाल गरासिया)

हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा एक अनुरोध है कि आज सामाजिक सुरक्षा योजना में छात्रवृत्ति के रूप में जो व्यक्ति राज्य से बाहर बी.एड. करने का काम कर रहा है उनको 2 और 3 वर्ष हो गये परन्तु उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। 2 और 3 वर्ष से अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल पायेगी तो उनके लिए वहां पर भी डिग्री नहीं मिल पायेगी, कई तरह की उनकी भी दिक्कत है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उन पर ध्यान दिलाते हुए सरकार से पूरा संरक्षण दिलाने का काम करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, सारी बात आ गई, बहुत डिटेल में आ गई।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पंचायती राज को जिस तरह से पंगु किया जा रहा है, राज्य सरकार यह समझ गई कि 4 तारीख वाला जिस तरह से पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन हुआ और उससे बौखला करके 8 मार्च को नारी शक्ति साक्षरता समागम अभिव्यक्ति के लिए जो पूरी महिलाओं को जिला कलक्टरों को निर्देश देकर के, बाल विकास परियोजना अधिकारियों को देकर के गाड़ियां भराकर यहां बुलाकर के संबोधित करायेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी संबोधित करेंगी इससे जाहिर होता है कि इससे ज्यादा पंचायती राज में और कोई दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन परित्यक्ता और विधवा महिलाओं का विवाह कराना तो अलग बात है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गई बात। माननीय सदस्य, बैठिये आप। सब कह दिया आपने।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): परंतु उनको एक समागम के रूप में यहां लाकर के एक राजनीतिकरण करने का काम किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए पंचायती राज...

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सारी बात आ गई। माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा):... देकर के काम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संरक्षण चाहूंगा कि पंचायती राज विभाग में जिस तरह से राजनीति करके कलक्टरों को निर्देश दिलाकर के राजनीतिकरण करने का काम

(श्री मांगीलाल गरासिया)
कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की इन मांगों पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये, अपने विचार रखे और मेरा और सदन का मार्गदर्शन भी किया। उपाध्यक्ष महोदय, इन मांगों के लिए कुल मिलाकर के 41 माननीय सदस्यों ने 164 कटौती प्रस्ताव भी पेश किये हैं। उन प्रस्तावों को मैंने देखा है। उनके जवाब तैयार हो रहे हैं और मैं यह सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी माननीय सदस्यों को 48 घंटों के अन्दर उनके जवाब भिजवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 92 लाख से अधिक परिवार गांवों में रहते हैं और मैं सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण विकास के महत्व को पहचाना है और इसका परिणाम यह रहा कि कांग्रेस के शासन में ग्रामीण विकास में औसत प्रतिवर्ष 665 करोड़ रुपये व्यय किये, उसके मुकाबले में हमारी सरकार 2006-2007 में 1,701 करोड़ रुपये तथा इस वर्ष जनवरी तक 1,720 करोड़ रुपये खर्चा कर चुकी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 57 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। हमने न केवल भारत सरकार की और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी रूप से संचालन कर गरीबों तक लाभ पहुंचाया अपितु नवाचार योजनाओं को भी लागू किया है जिसमें गुरु गोलवलकर योजना, जन सहभागी योजना, स्वविवेक योजना, निर्मल घाट योजना, बैकुंठ मुक्तिधाम योजना, शान्तिप्रिय ग्राम योजना, केशवबाड़ी योजना एवं सहरिया विशेष रोजगार योजना प्रमुख हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को हम देखते हैं तो अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग प्रकार की समस्याएं हैं और उनके लिए विकास के अलग-अलग कार्यक्रम चालू होना सरकार ने महसूस किया और समय-समय पर कई प्रकार की योजनाएं शुरू हुईं। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है और बोर्डर एरिया भी है। वहां पर बोर्डर एरिया डवलपमेंट योजना चलती है, मरू विकास कार्यक्रम योजना चलती है और दक्षिण के अन्दर पहाड़ी

(श्री कालूलाल गुर्जर)

क्षेत्र है, ट्राइबल बैल्ट है तो वहां पर ट्राइबल विकास योजना चलती है और उत्तर में व उत्तर-पूर्व में जहां मेवात क्षेत्र है, वहां पर भी मेवात क्षेत्र योजना चलती थी पर दो क्षेत्रों में, पूर्व और दक्षिण-पश्चिमी यह जो अरावली की पहाड़िया हैं, जिस पर ट्राइबल लोग नहीं रहते हैं, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र है और इस पर अधिकतर ओ.बी.सी. और अन्य प्रकार की जातियां रहती थीं, इनके विकास की काफी लम्बे समय से चिंता लोगों को थी तो हमारी सरकार आने के बाद हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दोनों योजना जिसमें पूर्व में तो डांग क्षेत्र योजना और इस पहाड़ी क्षेत्र में मगरा क्षेत्र विकास योजना, दोनों योजना नई शुरू की हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इन योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों का विकास भी बराबर होने लगा है। शुरू-शुरू में जब यह योजना 2007-2008 में शुरू की तो 5.5 करोड़ रुपये का प्रावधान था और इस बार इसमें 7.7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि इस विशेष क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत केवल वे ही काम लिये जायेंगे जो अन्य विभागों द्वारा सम्भव नहीं हैं एवं इन क्षेत्रों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्व के कार्य होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, विधायक कोष की चर्चा हम सब करते हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र कोष जिसमें यह प्रावधान नहीं था कि कमजोर तबके के व्यक्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति को इस योजना में विशेष लाभ दिया जाये, यह प्रावधान नहीं था। हमारी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि 20 प्रतिशत राशि विधायक कोष की उन क्षेत्रों में खर्च की जायेगी जहां पर एस.सी. एस.टी. के लोग लाभान्वित हो सकें। यह अभी घोषणा 2008-2009 के बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है और अब इस बजट द्वारा वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग मिलेगा। मैं माननीय सदस्यों का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 31 दिसम्बर, 2007 तक अपने कोष की अनुशंसा कर कलक्टर को प्रस्ताव भेज दिये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ लोगों ने यह कहा, जिसमें माननीय अमरारामजी विशेष रूप से बोल रहे थे कि इस योजना में इस तरह का राइडर लगाया कि 31 दिसम्बर तक उसकी अनुशंसा करने का है, यह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च तक अनुशंसा होती रहती है और फिर उसकी स्वीकृति अप्रैल में जारी होती है तो उसका पैसा समय पर खर्च नहीं होता है जब कि इस योजना का मूल उद्देश्य यही था कि एक वर्ष

(श्री कालूलाल गुर्जर)
के लिए वह पैसा दिया जाता है कि उस वित्तीय वर्ष के अन्दर उसका पैसा खर्च किया जाये तो इस लक्ष्य को पूरा प्राप्त नहीं कर पाते थे और जैसे ही यह राइडर लगा, इसके कारण से समय पर काम होने लगे हैं और सारी स्वीकृतियां भी जारी हो गई हैं और काम भी इनके प्रारम्भ हो गये हैं, कुछ काम पूरे हो गये, कुछ और होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-2008 में माननीय सदस्यों के सहयोग के फलस्वरूप जनवरी, 2008 तक 124 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च किये जा चुके हैं। इस राशि में से 7,556 काम पूरे कराये गये और बाकी 7,528 काम पूर्ण होने की ओर चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गुरु गोलवलकर सहभागी योजना, इस योजना का लाभ भी जनता काफी उठा रही है। जब तक सरकारी योजनाओं के साथ जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक राजस्थान के विकास में काफी अड़चनें आएंगी। इतना विकास नहीं हो सकता जितना हम तेजी से चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह गुरु गोलवलकर सहभागी योजना की शुरुआत की और चूंकि इसमें जनता का अच्छा रेस्पोंस मिला। पहले पांच करोड़ रुपये थे, जनता का अच्छा रेस्पोंस मिला, काफी लोगों ने गांव-गांव तक अधिक अपनी हिस्सा राशि जमा कराई तो इसको करने से 2007-2008 में गुरु गोलवलकर सहभागी योजना में पहले प्रावधान पांच करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर गत वर्ष 60 करोड़ रुपये किये और इसके कारण से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. की अभी यहां बहुत चर्चा की। बी.पी.एल. की चर्चा से माननीय सदस्यों की जो भावना है, उसको मैं समझता हूं। बी.पी.एल. का मामला यह ऐसा कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो नोर्म्स थे, उसके अनुसार सर्वे हुआ है परन्तु बी.पी.एल. का फाइनलाइजेशन अभी हुआ है और फाइनलाइजेशन करते समय जितनी हमारी संख्या थी, उस संख्या को कम करने का काम भारत सरकार ने अभी किया है जिसमें माननीय सदस्य उधर के, प्रतिपक्ष में जो बिराजते हैं, इनकी पार्टी की सरकार है। 21 लाख 90 हजार में से इसमें 17 लाख 36 हजार की संख्या तय कर दी। अब ये कहते हैं कि नोर्म्स बनाये हैं। नोर्म्स बनाये होंगे, 52 अंक भी दिये होंगे। मैं कहता हूं कि यदि संख्या 21 लाख होती तो अंक अपने आपे बढ़ते, 12 की जगह नहीं रूककर 15-17-18 तक पहुंच जाते तो हमारे 21-22 लाख लोग उसमें आ सकते थे परन्तु यह भारत सरकार ने राजस्थान के उन गरीबों की, उन बी.पी.एल. परिवारों की संख्या कम कर गला घोंटा है। इसका दोष हमारा नहीं है, भारत सरकार का है। उसके बावजूद...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उस भारत सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, यह भी कहो साथ में आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उन्होंने कोई संख्या तय नहीं की थी। संख्या आपके मनमोहन सिंहजी ने की इसलिए... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...अगर सरकार की चर्चा में जरा भी सच्चाई है तो आप गवर्नमेंट आफ इण्डिया का लैटर पेश करो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में टोकाटोकी नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो और प्रांतों ने अपने फण्ड से संख्या बढ़ाई है, उनकी तरह आप भी उदाहरण दो ना। बढ़ाओ ना। केन्द्र सरकार को दोष तो दे रहे हो आप, आप अच्छों का उदाहरण दो, अच्छों का उदाहरण दो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बता रहा हूं ना, सुन तो लो। आप सुन तो लो, आप जवाब सुन लो, आप जवाब सुनो तो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जब भी बोलने का अवसर आता है, हर बार बोलने का अवसर नहीं मिलता है, अब पहली बार बोल रहा हूं तो भी माननीय सदस्यों के पच नहीं रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां तो ऐसा हो रहा है जैसे कोई बहस हो रही है, वकील की तरह बहस हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप सुन तो लो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम कह रहे हैं कि आप अच्छा उदाहरण दो। आप अच्छा उदाहरण दो ना। यह कोई बात नहीं है। आप अपनी सरकार की कहिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सुन लो, आप सुन लो फिर कहना। आप बिराजिये, मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। आपकी बात को लेकर ही कह रहा हूं, आप बैठो और सुनो, सुनोगे तो कहूं मैं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. परिवार जितने कम हुए, भारत सरकार की

गलती से हुए, भारत सरकार के सीमा निर्धारण करने से हुए। उसके बावजूद भी हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह तय किया कि जो संख्या कम हुई है, उतने ही बी.पी.एल. के परिवार जो सुविधा से वंचित हैं, उनको भी हम चयन करके, उनको राशन की और मेडिकल की सुविधा राजस्थान सरकार अपने खर्चे से देगी और यह हमारी सरकार ने किया है। अब बताइये मुझे, हम उनको सुविधा दे रहे हैं कि नहीं लेकिन यदि माननीय सदस्य आज अपने प्रभाव का उपयोग करके और भारत सरकार से संख्या बढ़ाते तो भारत सरकार ने जो योजना बी.पी.एल. के लिए चलती है, वे सुविधा से वंचित तो नहीं रहे। राज्य सरकार की ओर से दे देंगे और दे रहे हैं, हमने घोषणा कर दी और चालू भी कर दी लेकिन आप लोग भारत सरकार से संख्या बढ़ाकर ला सकते हैं क्या? अगर संख्या बढ़ायेंगे तो भारत सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ उनको और ज्यादा मिलेगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकी बी.पी.एल. में जिनके नाम गलत आ गये, उनको कटाने का हमने प्रावधान कर रखा है और जिनके नाम नहीं आये हैं और जुड़ना बाकी रह गये, उनके लिए भी हमने अपील का प्रावधान कर रखा है और उसके लिए कोई लिमिटेशन भी नहीं है। व्यक्ति जब चाहे अपना नाम जुड़ा सकता है और चाहे जब अपना नाम कटवा सकता है, यह प्रावधान भी हमने इसमें कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सतर्कता समिति एवं निगरानी समितियों का गठन किया हुआ है जिनकी निरंतर बैठकें आयोजित हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह चार जने आपकी सरकार को कंधा देंगे, कंधा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): देश भर में राजस्थान ही एकमात्र प्रदेश है जिसने सामाजिक अंकेक्षण हेतु विस्तृत मैनुअल प्रकाशित किया है और प्रत्येक पंचायत के लिए सामाजिक अंकेक्षण मंच का गठन कर इसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। यह राजस्थान पहला राज्य है जिसने सामाजिक अंकेक्षण को स्वीकार किया और सामाजिक अंकेक्षण कराना प्रारम्भ किया। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं को त्वरित गति से जन-जन तक पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार एक विशेष

(श्री कालूलाल गुर्जर)

अभियान चला रही है। 02 अप्रैल, 2008 से एक वृहत् मुख्य मंत्री सर्व-जन सम्बल महाभियान का आयोजन किया जा रहा है, इसमें लगभग 1800 शिविर राज्य में आयोजित किये जायेंगे जिसमें वर्ष 2008-09 की इंदिरा आवास एवं ग्रामीण विकास की अन्य सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं उन सब योजनाओं की स्वीकृतियां मौके पर की जायेंगी। साथ ही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गांव की चौपाल पर न? सरकार जायेगी गांव में। वाह।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पिछले साल वह स्वास्थ्य रथ लेकर गये थे ऐसे ही जाओगे न?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सरकार चौपाल पर, सरकार गांव की चौपाल पर, इसी तर्ज पर यह कार्यवाही की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008-09 में यह व्यवस्था लागू की गई है कि जिला परिषदों द्वारा इंदिरा आवास के लाभार्थियों को राशि, अब, उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास का पैसा जब गरीब आदमी के पास जाता है तो वहां पर एक समस्या आती है, कभी-कभी हमें शिकायतें मिलती हैं कि उन गरीब को थोड़ा पैसा मिलता है उसमें से भी कोई न कोई गड़बड़ करते हैं, कभी-कभी ऐसी शिकायतें आती हैं और उसकी हम जांच भी कराते हैं और दोषियों को दण्डित भी करते हैं पर इसको रोकने का तरीका भी हमने निकाला है, वह चाहे रोजगार गारंटी योजना का भुगतान हो, और चाहे इंदिरा आवास का हो, इसमें बीच में कोई गड़बड़ नहीं करे इसके लिए हमने यह कर रखा है कि यह जो पैसा है, यह सीधा जिला परिषदों से, सीधा जिसको इंदिरा आवास स्वीकृत होगा उसके खाते में ट्रांसफर हो जायेगा, ताकि बिचौलिये कोई पैसे ले ही नहीं सकते। इससे गरीब आदमियों को, लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और कोई पैसा बीच में खा नहीं पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के स्वरोजगारियों को अनुदान एवं बैंक ऋण उपलब्ध कराने में राजस्थान ने सदैव ही लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। ऐसा करने वाले राज्यों में राजस्थान का अग्रणी स्थान है। इस वर्ष 113 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2008 तक 85 करोड़ के ऋणों की उपलब्धता करा दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब यह चूंकि पीक सीजन होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीन महीनों के अंदर मैं यह आश्वस्त करता हूं कि

(श्री कालूलाल गुर्जर)
इस योजना का पैसा आज दिन तक हर साल बराबर हमने समय पर खर्च किया है और इस वर्ष भी 31 मार्च तक इसके लक्ष्य पूरे प्राप्त कर लिये जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग चालीस हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया जाता है। इस दर से राज्य में 21.50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने में पचास वर्ष लग जायेंगे। मेरा निवेदन करना यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि चालीस हजार व्यक्तियों को अगर एक साल में लाभान्वित करेंगे और हमारे यहां 21-22 लाख बीपीएल परिवार के लोग हैं तो उनको अगर इसी गति से लाभान्वित भारत सरकार की योजना के अनुसार करेंगे तो पचास साल तक भी वह लाभान्वित नहीं हो सकते। इसलिए राज्य सरकार ने इस स्थिति को गम्भीरता से लिया है और तेजी से बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने की दृष्टि से विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु दो योजनाएं, आईफेड 415 करोड़ की एवं विश्व बैंक ने इस हेतु डीपीआईपी के द्वितीय चरण की 825 करोड़ की, यह दोनों योजनाएं बनाकर भारत सरकार को प्रेषित कर दी है। विपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार से इन दोनों योजनाओं को तत्काल स्वीकृत करा दें ताकि इतनी बड़ी राशि हम राज्य की गरीब जनता के लिए और उपलब्ध करा सकें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, गांव में रहने वाले गरीब जो अच्छे कुशल कारीगर हैं, अच्छे दस्तकार हैं, अच्छा धन्धा कर सकते हैं और अच्छा अपना प्रोडक्शन भी तैयार करते हैं पर मार्केट लिंकेज नहीं होने के कारण उस गरीब को उसकी कमाई का पूरा पैसा नहीं मिलता है। यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस कारण से उसके माल को कोई बिचौलिये सस्ते में ले लेते हैं, फिर बाहर एक्सपोर्ट करके अच्छे पैसे कमा लेते हैं, वह जो ओरिजिनल बनाने वाला है उस गरीब को कुछ मिलता नहीं। इसके ऊपर हमारे विभाग ने चिंता की है और इसके लिए रूरल हब्स, ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के नाम से इस योजना को हमने प्रारम्भ किया है। विभिन्न योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं किंतु दक्षता प्राप्त दस्तकारों के सामने मुख्य समस्या उनके उत्पाद के विपणन की है, इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सीआईआई के सहयोग से ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किये जाने की पहल की है। ग्रामीण दस्तकारों के कौशल विकास तथा उनके द्वारा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

बनाये गये उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने की दृष्टि से उद्योगपतियों, स्वैच्छिक संगठनों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र रूरल बिजनस हब्स की स्थापना हेतु छह एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं, अब तक चार हब स्थापित हो चुके हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब दस्तकारों को काफी बड़ा लाभ मिल रहा है और उनको उचित मूल्य मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की मांग की और यह सही भी है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज भी काफी गांव के अंदर बेरोजगार लोग मिलते हैं, रोजगार के लिए उनको बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो अकुशल मजदूरों हेतु तो रोजगार गारंटी योजना से कुछ राहत मिल गई लेकिन पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। यह भी सच्चाई है कि इन सभी के लिए सरकारी नौकरियों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर निरंतर सृजन हो रहे हैं इसलिए हमारी प्राथमिकता इन पढ़े-लिखे युवकों को उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से जिन क्षेत्रों में रोजगार लायक बनने की है, इसी दृष्टि से हाल ही में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बीपीएल परिवारों के पढ़े-लिखे युवकों का विस्तृत सर्वे करवाया, इससे यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आये कि इन वर्गों के राज्य में 4.05 लाख युवा जो आठवीं या इससे अधिक पढ़ाई कर चुके हैं, में से 3.19 लाख युवा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। उनका हमने सर्वे करवा कर पूछा तो ऐसे लोग तैयार हैं, ऐसे युवा जो तीन लाख उन्नीस हजार हैं, इनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रेडी फाउण्डेशन के माध्यम से ऐसे युवाओं के लिए दस जिलों में परियोजनाएं संचालित की गई हैं जिसके अंतर्गत 3255 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाकर 2490 को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमने कर दिया, और हम आगे और करना चाह रहे हैं। इसी रेडडी फाउण्डेशन और अन्य संगठनों के माध्यम से इनको ट्रेंड करके इनको प्राइवेट सैक्टर में नौकरी देने का काम, यह एक बहुत बड़ी महती एक योजना हमने चला रखी है, इस योजना की सफलता को देखते हुए इसका द्वितीय चरण शीघ्र ही प्रारम्भ करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़ा जिला ग्रांट फण्ड, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग, मगरा व मेवात क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कौशल विकास के लिए जोर दिया गया है। राजस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से भी इस एक वर्ष में एक लाख ऐसे युवकों को रोजगार

(श्री कालूलाल गुर्जर)

देने का लक्ष्य रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां इंदिरा आवास की चर्चा की कि इंदिरा आवास का पैसा खर्च नहीं होता है। इंदिरा आवास का नाम तो इंदिराजी के नाम से है परंतु इसका काम सबसे अच्छा हम कर रहे हैं। राजस्थान के मुकाबले अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के आवास विहीन परिवारों को भारत सरकार से पच्चीस हजार रुपये दिये जाते हैं। अब, उपाध्यक्ष महोदय, पच्चीस हजार रुपये तो इतनी कम रकम है कि आज की तारीख में कोई एक कमरा बना नहीं सकता। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृपा कर और सहृदयता दिखाकर उन्होंने यह तय किया कि ट्राइबल जो क्षेत्र है, जो जनजाति क्षेत्र है उसके अंदर इंदिरा आवास जिन जनजाति क्षेत्र के उपयुक्त बीपीएल परिवारों को स्वीकृत किया जायेगा, मंजूर किया जायेगा उनको पच्चीस हजार रुपये राजस्थान सरकार अलग से देगी। कुल पचास हजार रुपये देगी। नये बजट में अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और घोषणा की है कि उस ट्राबल बेल्ट के अलावा पूरे राजस्थान में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनको भी वह सुविधा राज्य सरकार देगी, पच्चीस हजार रुपये अलग से। तो आराम से पचास हजार रुपये में एक कमरा बनाकर एक गरीब आदमी अपना परिवार वहां रह सकता है, रख सकता है। नहीं तो इंदिरा गांधी आवास के इतने कम पैसे हैं कि न तो मकान बनता है और पैसे दूसरी जगह खर्च हो जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान) ऋण नहीं, अनुदान, ऋण तो आपके जमाने में देते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर रोजगार गारंटी की बहुत चर्चा की गई और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य रोजगार गारंटी पर बोले। सबसे पहले तो मैं उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहता हूं सदन को कि जब यह रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी तब राजस्थान के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव किया। राजस्थान में इस योजना की सर्वाधिक आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान में मानसून अस्थिर है कभी अधिक आ जाता है, कभी कम आता है, कोई-न-कोई ज़िले, कुछ-न-कुछ ज़िले राजस्थान में हर साल अकाल से प्रभावित रहते हैं, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, कुल मिलाकर राजस्थान में एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत नुकसान काश्तकारों को होता है। फिर वह बेरोजगार होकर रोजगार मांगते हैं, ऐसे प्रदेश को अधिक रोजगार देने के लिए अधिक ज़िले प्रथम चरण में लेने चाहिए थे परंतु दुर्भाग्य है राजस्थान के साथ भेदभाव किया गया। केवल 6 ज़िले लिए गए हैं, उसके बाद मुख्य मंत्रीजी के द्वारा और मेरे द्वारा

(श्री कालूलाल गुर्जर)
कई बार आग्रह करने के बाद भी द्वितीय चरण में भी एक जिला नहीं बढ़ाया केवल 6 ही ज़िले लिए गए हैं। अब चूंकि पूरे हिन्दुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया इसलिए राजस्थान को ले लिया तो यह कोई हमारे माथे पर अहसान नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पक्षपात तो उस समय हुआ था उपाध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों जैसे बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में 80 प्रतिशत से अधिक ज़िलों को पहले ही योजना में ले लिये गये और हमारे यहां पर केवल 6 लिए और फिर दुबारा भी 6 लिए और अगर लिए हैं तो पूरे भारत में लागू किया है तो पूरे भारत में तो राजस्थान भी आता है यहीं तो मजबूरी है वरना तो ये संयमजी जाकर के मना कर दें आधा और छोड़ दो क्योंकि यही विरोध में थे वहां पर पहले इन्होंने रूकवाया था मत करो भाजपा को इसका क्रेडिट मिल जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बार-बार राज्य की विषम परिस्थितियों को इंगित करते हुए ज़िलों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था परंतु भारत सरकार ने नहीं माना और अब यह एक अप्रैल से लागू हो रही है। मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में इस योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, नम्बर वन है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का संचालन राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, राजस्थान में यह काम बहुत अच्छा हो रहा है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे हैं, भारत के योजना के उपाध्यक्ष कह रहे हैं, उनके सदस्य युगांधर साहब कह रहे हैं और सारे के सारे पत्रकार कह रहे हैं कि यह राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ ढंग से योजना लागू की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, देश के मानदण्डों की तुलना में राज्य में किए गए कार्य को करते हुए मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि कार्य की मांग करने वाले परिवारों की संख्या का प्रति जिला राष्ट्रीय औसत 84,494 है जब कि राजस्थान का औसत 1 लाख 68 हजार 950 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दो गुणा है। इसी प्रकार वर्ष में प्रति परिवार औसत रोजगार का राष्ट्रीय औसत 36 दिवस रहता है जब कि राज्य का 65 दिन रहा है जो लगभग दो गुणा है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के रोजगार की उपलब्धता का औसत केवल 43 प्रतिशत है जब कि हमारे राज्य का 69 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार प्रति जिला व्यय की तुलना की जाए तो प्रति जिला राष्ट्रीय औसत 31.91 करोड़ रुपए रहा जबकि राज्य में प्रति जिला औसत व्यय 85.60

(श्री कालूलाल गुर्जर)
करोड़ रुपये रहा है जो लगभग तीन गुणा है। मानव दिवसों के सृजन की तुलना की जाए तो भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रति जिला राष्ट्रीय औसत 30.9 लाख रहा है जबकि राज्य का यह औसत 109.5 लाख रहा है जो तीन गुणा से भी अधिक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में काम सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें माननीय सदस्यों ने यह चिंता जताई कि इस योजना के जो मजदूर लग रहे हैं उन मज़दूरों को मजदूरी कम मिल रही है और इन्होंने किसी ने कहा कि टास्क कम करो और किसी ने और भी सुझाव दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से बिलकुल भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है, प्रत्येक स्थान पर जिस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए मज़दूरों को, वह भी पूरी दी जा रही है और जो मिनिमम वेज 73 रुपये है उपाध्यक्ष महोदय जहां थोड़ा सा भी ठीक से काम कर रहे हैं मजदूर वहां पूरे 73 रुपये मिल रहे हैं। मैं स्वयं उदयपुर और डूंगरपुर गया था, मेरे साथ में केन्द्र के ग्रामीण विकास मंत्री महोदय थे। कई योजनाओं का जहां काम चल रहा है हमने स्वयं ने देखा है, मज़दूरों से स्वयं केन्द्रीय मंत्रीजी ने बात की कि तुम्हें कितने रुपये मिलता है तो उन्होंने कहा कि 73 रुपये पूरे मिलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय जो टास्क यह हम पैसे देते हैं टास्क पर, अब टास्क कम करने की बात आई, टास्क जो हमारी ग्रामीण निदेशिका बनी हुई है ग्रामीण विकास विभाग के काम करने की उससे भी हमने चूंकि पहले गत विधान सभा सत्र में भी माननीय सदस्यों ने मांग की थी, विशेष तौर से हमारे जीतमलजी ने बहुत ज्यादा मांग की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिए और 30 प्रतिशत टास्क कम कर दी है। इस कारण से अब राजस्थान के जो गरीब आदमी आज काम कर रहे हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। अब फिर भी काम नहीं करें और बिलकुल ही बैठा-बैठा पैसे ले तो वह तो सम्भव है नहीं क्योंकि भारत सरकार ने भी ऐसे और फिर भी माननीय सदस्य चाहे तो हम तो दें इनको यहां दूसरा मेरा निवेदन है कि 73 रुपये ये कम मिलते थे अब हमारी सरकार ने मिनिमम वेज भी 100 रुपये कर दिये तो नेचुरली अब पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: काम ही नहीं करते यह..

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) सदस्य पूरे काम कर रहे हैं आज 400 रुपये रोज ले रहे हैं एक घंटे के, तो काम कौन कर रहा है? यहां कह रहे हैं क्या? पेपर साइन किये 400 रुपये ले रहे हैं, गरीब को क्यों कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: काम करने की आदत तो डालनी पड़ेगी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें माननीय सदस्यों ने की, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह मानता हूं, यह स्वीकार करता हूं कि शिकायतें मिलती हैं ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं मिली हो, शिकायतें मिली हैं और जहां शिकायत मिली उसकी हम जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद जो भी दोषी होता है उसको कठोर दण्ड देने का काम भी हम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा आरोप लगाना की कोई जांच नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है, जांच की है और हमने पूरी जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही की है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने झालावाड़ के मामले को लेकर जो दो मामले बताए थे उनमें जिनमें मरे हुए आदमी का हाजिरी भरकर के और सरपंच ने जो पैसा उठा लिया है उसमें सरपंच को हमने सस्पैण्ड कर दिया है बाकी सब के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह से एक और शिकायत मिली वहां पर भी सरपंच, ग्राम सेवक और मेड़ के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है और उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। इसी तरह से हालांकि यह एक ऐसी समस्या है उपाध्यक्ष महोदय कोई जादू का डण्डा नहीं है जिसके आधार पर हम सबके मानस को बदल दे। सारे ऐसे कुछ अपराधी तत्व अपराध कर सकते हैं और भ्रष्टाचार कर सकते हैं। मैं सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने में आप सब सहयोग करें। केवल ऐसा नहीं है कि कोई मामला ध्यान में आ गया तो विधान सभा में उठाने के लिए उसको अपने पास रख ले, अगर आपके पास कोई शिकायत आती है दो महीने पहले या छह महीने पहले तो उसको विधान सभा के लिए सुरक्षित नहीं रखें और आप तत्काल हम तक पहुंचाएं कि यह शिकायत आई है ताकि हम उसकी जांच करा सकें, हमारे अधिकारियों तक पहुंचायें ताकि अधिकारी जांच करें। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के सारे सदस्य मिलकर इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे तभी हम इस पर काबू पाएंगे नहीं तो यह एक ऐसी आग है की एक जगह बुझाने पर दूसरी जगह जा लगती है। इसलिए इसमें मैं माननीय सभी सदस्यों से सहयोग चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय जितनी अनियमितताएं हमारे सामने आई हैं उसमें दोषियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करके चार जगह और मुक़दमे दर्ज करवाए, 31 कर्मचारियों, अधिकारियों व जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम पूरे

प्रयत्नशील हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना में गरीब व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, बीपीएल के व्यक्तियों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने का प्रावधान है और वह प्रावधान हम उपयोग में ले रहे हैं। हमने केशवबाड़ी के नाम से योजना चला कर उन गरीबों को जिनका किसी का कुआं गहरा कराना, जमीन समतल कराना, उनके पौधे लगाना, उनकी लिवलीहुड के सारे कार्यक्रम करवाने का प्रयास किया। अब माननीय सदस्यों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि इसका नाम केशवबाड़ी क्यों रख दिया। आपको केशव से क्या तकलीफ है? मेरे तो समझ में आया नहीं। अगर आपको तकलीफ है तो आप ये ही बता दें कि क्या आपने कभी इस तरह का काम नहीं किया ?आलोचना करने से पहले अपने गरेबान में झांककर देखते कि आप लोगों ने भारत सरकार की योजनाओं को क्या अपने नाम से नहीं चलाया ? और अगर नहीं चलाया तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार द्वारा पोषित शिक्षा गारंटी योजना के तहत जितना पैसा भारत सरकार ने दिया था उसको राजीव गांधी पाठशाला के नाम से स्वीकृत करके आपने पाठशालाएं चलाईं। अब मुझे बताओ कि शिक्षा गारंटी योजना का पैसा और आपने राजीव गांधी के नाम स्कूलें खोल कर लगाया । आज अगर रोजगार गारंटी का पैसा है और हम अगर उससे गरीबों को लाभान्वित कर रहे हैं और केशवबाड़ी योजना नाम रख दिया तो कौन सा अन्याय कर दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की कई योजनाएं चलती हैं दूसरों में तो आप नहीं बोल रहे लेकिन इस योजना में विशेष तौर से सुझाव दिये जाते हैं कि प्रधान मंत्रीजी की फोटो लगाओ। प्रधान मंत्रीजी की फोटो आपके राज में जब अटलजी थे तब कितनी लगाई ये आप बता दो। कहीं न कहीं आप उदाहरण तो प्रस्तुत करते कि हमने तो उदारतापूर्वक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा एहसान माना तो हम भी मानते । हम तो कहते हैं कि यह राजस्थान की खरी कमाई का पैसा है भारत सरकार यदि राजस्थान में योजना चलाती है तो कोई कृपा मेहरबानी नहीं है, कोई दया नहीं है। यह हमारा हक है राजस्थान की जनता का और वो हम पूरा ले रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):...(व्यवधान) जनता के लिए कुछ करते तो कोई एहसान करते हो ? आपका कर्तव्य नहीं है क्या ?आपका भी कर्तव्य है अगर जनता के लिए करते हो, कर दिया तो मुख्य मंत्री की बड़ी मेहरबानी और केन्द्र

(श्री जुबेर खान)

सरकार ने दे दिया तो हमारा तो अधिकार है तो आपकी सरकार के ऊपर भी जनता का अधिकार है कोई एहसान नहीं करते हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पर जनता का अधिकार है इसलिए हम जनता के लिए ही खर्चा कर रहे हैं हम व्यक्तिगत खर्चा नहीं कर रहे हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह सरकार तो है ही जनता की।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नाम लिख दिया पहले हमने कहा कि राजस्थान रोजगार गारंटी योजना इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया, दिल्ली तक गये कि राजस्थान की योजना का नाम डाल दिया राजस्थान में। उस एक्ट में ही प्रावधान किया हुआ है मनमोहनसिंह जी ने किया है उनको ही जाकर पूछते कि क्यों किया प्रावधान उन्होंने कि राज्य अपने नाम से योजना चलायेंगे, हमने चलायी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) किया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बाद आप राजस्थान लगा सकते हो, आपने तो जगह ही बदल दी। आपको कहा आखिरी में लिखिये आपने पहले ही लिख दिया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बैठो न। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये तो कोई तरीका नहीं है। भारत सरकार ....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आखिरी की बात को पहले लिख रहे हो, आपका तरीका ठीक है ?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बोले तब मैंने इंटरप्शन किया ? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां नोहर भादरा में एक सिंचाई परियोजना थी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना उसके पहले भी नाम लिख दिया राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना।

श्री उपाध्यक्ष: वो है, सब है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ये तो सभी जगह चलता है कोई एक जगह का थोड़े है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का पैसा है, रोजगार गारंटी योजना में राजस्थान सरकार का भी शेयर है ऐसा नहीं है कि सारा ही पैसा भारत सरकार देती हो। ये भूल जाते हैं और जब मैं कहता हूं कि हमने तो शेयर दे रखा है इतना बड़ा सरकार का अमला लगाकर सब को वहां तैनात करके और इस योजना का क्रियान्वयन सफलता से कर रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हम कपड़े सिलवाने जाते हैं दर्जी के पास में उसको सिलाई का पैसा देते हैं, कपड़ा अपना होता है अपन लाते हैं और अपना नाम उस कपड़े पर कहीं नहीं लिखता लेकिन दर्जी तो अपना नाम लिख ही देता है अपनी पर्ची चिपका देता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पैसा दे रहे हैं, योजना चला रहे हैं पैसा हम दे रहे हैं और अगर हमारा नाम हो गया तो आपको इतनी क्यों चिढ़ हो रही है? (व्यवधान) बार-बार एक ही बात ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो 90 प्रतिशत का भी कुछ लिख दो आप तो दस प्रतिशत दे रहे हो। जो सरकार 90 प्रतिशत दे रही है और प्रचार प्रसार के लिए शत प्रतिशत दे रही है ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप तो दर्जी का काम शुरू कर दो जुबेर खानजी, दर्जी वाला काम शुरू कर दो तो आपका लिख जाएगा नहीं तो राज्य सरकार का लिखा जाएगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान)... केन्द्र सरकार से आ रहा है आप केन्द्र सरकार के ...(व्यवधान) पैसे से अपनी फोटो लगा रहे हो। कोई प्रधान मंत्रीजी की फोटो हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपने अटलजी की फोटो क्यों उतरवाई उस समय कहते गहलोतजी को।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ...(व्यवधान) आपको दर्जियों की चिंता नहीं है ...(व्यवधान) माननीय जुबेरजी, आपको ...(व्यवधान) दर्जियों की चिन्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जुबेर खानजी को दर्जी वाला काम दिला दो तो नाम उनका आ जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):...(व्यवधान) राजीव गांधी उनके अलावा किसी की गुलामी करते हो ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो काम करता है उसका नाम होता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनका फोटो लग गया तो लग गया अब उससे इनको क्यों जेलेसी होती है। अशोक गहलोतजी की फोटो लगी थी तो हमने तो नहीं कहा कि क्यों लगायी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये फोटो ज्यादा लगाई न मुख्य मंत्री की इसलिए डूंगरपुर में दस हजार वोटों से हारे थे और पूरे राजस्थान में एक-एक मजदूर जानता है कि ये सोनिया गांधी की देन है फोटो छापने से कुछ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप कांग्रेस की देन हैं या सोनिया गांधी की ?

श्री जयराम जाटव (खैरथल): सोनिया गांधी की कितनी फोटो लगी थी लोक सभा चुनाव में कितनी सीटें आईं राजस्थान में ?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सोनिया गांधी दहेज में लायी थी उसकी देन हैं ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): लोक सभा के चुनाव में कितनी सीटें आयीं सोनिया गांधी की तस्वीर थी कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हां, वो दहेज में आयी थी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कितने ही दहेज की बात करो बार-बार भारत की जनता, अमेठी की जनता लाखों वोटों से जिता करके सोनिया गांधी को भेजती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप लोगों के हाथ में ...(व्यवधान) ठनठन पाल मदन गोपाल ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्षेत्र नहीं बदलते ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गुजरात आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके नेता तो हर बार क्षेत्र बदलते हैं। वो कभी क्षेत्र नहीं बदलते हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कौन बदलता है? (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): एक और भाग्यवान हैं जुबेरजी ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आडवाणी की तरह गांधीनगर में शरण नहीं लेते हैं सोनिया गांधी आडवाणी की तरह गांधीनगर में गुजरात में जाकर शरण नहीं लेती । एक अमेठी से बार-बार चुनाव लड़कर आती हैं, अपने काम के बूते चुनाव लड़कर आती हैं... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भाग गये, भाग... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य: महाराष्ट्र गया हाथ से।

श्री हीरालाल (निवाई):... (व्यवधान) अपना दिया कि राम पैदा नहीं हुआ, सीता हुई नहीं, हनुमान जी नहीं हुए, इस बार पता चलेगा आपको चुनाव में जाओगे तब।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे पड़ोस में एक सीट है हंगामी लालजी और उधर सीट है संयम लोढ़ा। यह माइक आज तक सवा चार साल में एक बार भी नहीं बोला और वहां संयम नाम की चीज नहीं है तो ये दोनों सीटें बदल दी जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है हंगामी लालजी तो बोले नहीं है और ...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सवा चार साल में एक बार भी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): और संयमजी ने संयम नहीं रखा इसलिए इनकी बदल दो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बदल देते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद जब हमको भारत सरकार ने यह कहा कि इसका सामाजिक अंकेक्षण कराओ तो

(श्री कालूलाल गुर्जर)

हमने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण कराने के लिए हम तैयार हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि भारत में किसी भी राज्य ने अभी सामाजिक अंकेक्षण कराना शुरू नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया बेसिकली भारत सरकार की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, राजस्थान पहला राज्य है जहां पर अंकेक्षण की कार्यवाही करायी गयी है और आगे भी कराते रहेंगे। सामाजिक अंकेक्षण को लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्हें इन गतिविधियों से वंचित रखा जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को प्रारम्भ से ही इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है उन्हें सामाजिक अंकेक्षण में भी पूरा सहयोग दिया है सामाजिक अंकेक्षण मेनुअल तैयार करने में उनका पूरा सहयोग लिया गया है। मेट प्रशिक्षण व सामाजिक अंकेक्षण मंचों के प्रशिक्षण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण का सर्वप्रथम विरोध बांसवाड़ा जिले के जिला प्रमुख एवं सरपंचों द्वारा किया गया था उनके द्वारा विरोधस्वरूप भिजवाये गये पत्र की प्रति मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): रखो जाकर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अभी रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: रखी गई। रखी गई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) रखवाओ वहां टेबल पर हम देखेंगे। टेबल करवाओ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेबल करवाओ पहले।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी, अगर आसन की परमिशन के बिना उठा मत ले जाना इसको। पिछले बार आप लेकर चले गये थे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में जिन लोगों ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने व पर्चे बांटने पर आरोप वर्णित किया, यह विवाद पता होने पर बांसवाड़ा में पंचायतों ने नरेगा के कार्य को बंद कर दिया व मांग की कि सामाजिक अंकेक्षण नरेगा के प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा से ही करें। इसको ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि स्वयंसेवी संस्थाएं कानून के

(श्री कालूलाल गुर्जर)
अन्तर्गत सूचना प्राप्त कर अपने स्तर पर अंकेक्षण की कार्यवाही कर सकती है राज्य सरकार के अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे। इसके साथ आडिट मेनुअल के अनुसार वे सामाजिक अंकेक्षण मंच के साथ जुड़कर अंकेक्षण कर सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोब्लम यह है कि कोई भीएनजीओ आकर कहता है मैं सामाजिक अंकेक्षण करने जाऊं, भेजो आप सारे अधिकारियों को। एक आध बार तो हमने कराया बार-बार सामाजिक संस्थाएं एक के बाद एक इस तरह से अंकेक्षण करती रहेंगी तो मेरे ख्याल से सामाजिक अंकेक्षण में ही पूरा समय निकल जायेगा और काम करने की फुर्सत नहीं मिलेगी और आंकड़े तैयार करने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी । इसलिए इसका फैसला एक जगह होना चाहिये तो भारत सरकार की जो गाइड लाइन है उसके अनुसार हमने सामाजिक अंकेक्षण मंच बनाया और उसमें ग्राम सभा में एक मंच की स्थापना की और उसमें सरपंच को नहीं लिया । ग्राम सभा में पांच आदमी सलेक्ट किये उसमें एक अध्यक्ष और चार मैम्बर हैं । उसमें दो महिलाएं है, दो ऐसे रिटायर्ड आदमी हैं जो अंकेक्षण में समझते हैं, कोई अकाउंटेंट या इस तरह के व्यक्ति हैं । इस तरह से पांच-पांच आदमियों का सामाजिक अंकेक्षण मंच गठित किया और मंच को हमने यह कह रखा है कि समय-समय पर वही सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। जो एनजीओ अंकेक्षण चाहते हैं उनको भी कहा है कि आप भी उस सामाजिक अंकेक्षण के समय पहुंच जायें और आप भी अपनी बात कह दें। जहां भी कोई मामला आता है आप उसको उठा सकते हैं पर ऐसा अधिकार नहीं दिया जायेगा कि रोज एक एनजीओ जाकर सामाजिक अंकेक्षण करें, यह हमने व्यवस्था की है। सामाजिक अंकेक्षण का हमने विरोध नहीं किया । कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष में जो सदस्य बैठे हैं इन्हीं की पार्टी की जिला परिषद के जिला प्रमुख ने इसका विरोध किया था जिनका लैटर मैंने सदन की मेज पर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना में मजदूरी के भुगतान में थोड़ा विलम्ब हुआ है । (व्यवधान) आज तो बोलने दो पांच साल में एक बार ही तो बोल रहा हूं । मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ है यह मैं मानता हूं । सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया उसमें सही बात है कि विलम्ब जरूर हुआ है लेकिन यह भी नहीं है कि इतना विलम्ब हुआ जो असहनीय हो । इसका कारण है कि योजना शुरू हुई, योजना शुरू होते ही जो हमारे पास मैन पावर थी उसको लगाया गया । कुछ भर्ती हमको कांट्रेक्ट बेसिस पर करनी थी। कई बार संबंधित व्यक्ति हमको कांट्रेक्ट बेसिस पर मिल नहीं पाये और भर्तियों

(श्री कालूलाल गुर्जर)

में थोड़ी देर लगी । इस कारण से थोड़ी सी देरी हुई है और परन्तु मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार जो 20 जिलों में जो नई योजना शुरू हो रही है उनके लिये हमने पूरी तैयारी कर ली है और अब हमारा अनुभव भी हो गया है । आने वाले समय में भुगतान समय पर किया जायेगा इसकी मैं पुख्ता व्यवस्था करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कम स्टाफ होते हुए भी इतनी बढ़िया योजना का संचालन किया। इसलिए मैं इस योजना के क्रियान्वयन से जुडे अधिकारी और कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयास से इस योजना की यथा निर्देश तथा समय पर क्रियान्विति सम्भव हो सकी ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक योजना चला रखी है मिड डे मील की जो काफी पहले से चल रही है । मिड डे मील में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब सत्ता में थे तब बच्चों को घूघरी देते थे। उपाध्यक्ष महोदय, उबले हुए गेहूं को बच्चे खाते नहीं थे और घूघरी तो मैं समझता हूं सामान्य व्यक्ति भी रोज खा कर जिंदा नहीं रह सकता । अगर घूघरी खाने से काम चल जाता तो फिर रोटी सब्जी और पकवान बनाने की किसी की जरूरत ही नहीं रहती दोनों टाइम आराम से गेहूं उबाल-उबाल कर देते रहते और काम चल जाता, कोई खाकर जिंदा नहीं रह सकता । उपाध्यक्ष महोदय, केवल गेहूं को उबाल कर नमक डालकर देते थे जिसे बच्चे खाते नहीं थे फैंक कर चले जाते थे और कब्जी और होती थी । हमारे यहां मेवाड में तो घूघरी बांटने का भी एक दिन होता है और वह होता है जब किसी के बच्चा होता है और जलवा पूजते हैं तो उसके नहावण की घूघरी देते हैं । हमारी लोकल भाषा में कहते हैं नहावण की घूघरी । लोग कहते हैं कि फलां के बारे में आप जानते हो तो कहते हैं कि मैंने कैसे जानू मैंने उसके नहावण की घूघरी थोड़े ही खाई है । इस तरह की कहावत चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य जब सत्ता में थे तो पता नहीं यह किसका नहावण पुजवाते थे । रोज बच्चों को घूघरी बांट कर, रोज पता नहीं किस का नहावण पुजवाते थे । हमारी सरकार आई तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा, मुख्य मंत्रीजी महिला हैं, मां है उनके मन में बच्चों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और सबसे ज्यादा महावीरजी के प्रति है ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसलिए

(श्री कालूलाल गुर्जर)

जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि बच्चों को घूघरी खिलाते हैं वह बच्चे नहीं खाते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों के लिये अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाये और हमने पौष्टिक आहार की व्यवस्था की और आज मुझे खुशी है कि यह भोजन की व्यवस्था इस राजस्थान में इतनी अच्छी चल रही है मिड डे मील की, राजस्थान का नम्बर इसमें भी प्रथम स्थान पर है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को अवगत करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में कक्षा 5 तक के 70 लाख छात्रों को 75 हजार विद्यालयों में मिड डे मील दिया जा रहा था, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष केवल शैक्षणिक दृष्टि से पिछले खंडों में कक्षा 6 से 8 तक के 16 लाख छात्र-छात्राओं को मिड डे मील देने की घोषणा की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि बच्चों के साथ भी भेदभाव । शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे खंडों के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को भोजन देंगे, बाकी बच्चों को नहीं देंगे। बाकी बच्चों ने क्या पाप किया है? हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम ऐसे नवजात शिशु, छोटे-छोटे बच्चे ... (व्यवधान) सोरी, ऐसे शिशु जो अभी छोटी उम्र के हैं अभी ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी आप धन्य हो, नवजात को सीधे ही ऊपर की क्लास में पहुंचा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष: पाठशाला में नवजात है ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बच्चे जो अभी छोटे हैं, जो अभी पहली से पांचवीं कक्षा में पढते हैं और फिर सातवीं आठवीं में आ गये उन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता । हमारी मुख्य मंत्रीजी का मां का हृदय था, उन्होंने कहा कि नहीं भारत सरकार अगर केवल शैक्षणिक दृष्टि से पिछले हुए ब्लाक को ही मिड डे मील 8वीं तक देगी तो हम पूरे राजस्थान में देंगे और उन्होंने चालू करवा दी ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह नहावण की घूघरी अब नहीं बंट रही है क्या ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अत: राज्य सरकार द्वारा स्वयं की राशि से कक्षा 6 से 8 तक के लगभग 8 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में मिड डे मील का जो भोजन तैयार किया जाता है उसको तैयार करने के लिये भी कई महिलाओं को काम मिला है और लगभग एक लाख से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को हमने इस मिड डे मील के कारण रोजगार से जोड़ा है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

मिड डे मील कार्यक्रम में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा लगातार ठोस कार्यवाही की जा रही है । इस दिशा में विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये हैं । खंड एवं जिला स्तर पर गठित समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। पोषाहार और परिवहन कार्य का जिम्मा खाद्य विभाग को दे दिया गया है । जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं । मिड डे मील ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि हमारी सरकार ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने मीड डे मील का एक ट्रस्ट बनाया उसके कारण गुणवत्ता पूर्ण अच्छा भोजन बच्चों को दे उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया उसमें करीब एक करोड़ रुपये लोगों ने दे भी दिये। हमारे भारत सरकार को पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा और यह कहा कि इस मिड डे मील ट्रस्ट को तो इनकम टैक्स से छूट दो ताकि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सकें । लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है केन्द्र सरकार ने मना कर दिया कि कोई छूट नहीं दी जायेगी और वह लैटर वापस हमारे पास आ चुका है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्योंकि उनको पता है कि मिड डे मील का चेयरमैन आप किसको बनाने जा रहे थे इसलिए नहीं दिया, वह डकार जाता।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लेकिन भारत सरकार ने आयकर में छूट नहीं दी, यह है इनकी बच्चे विरोधी नीति । राज्य में अभी तक 16 स्थानों पर केन्द्रीय रसोई घर स्थापित किये जा चुके हैं। एक रसोई घर की औसत लागत 70 लाख रुपये आती है । यह सारी राशि दान दाताओं से ली गई है । केन्द्रीय रसोई घर से लगभग 9 लाख बच्चों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है जो सम्पूर्ण देश में एक रिकार्ड है । उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्रीजी ने मुख्य सचिवों की बैठक में राजस्थान के मिड डे मील कार्यक्रम की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को राजस्थान माडल अपनाने का आग्रह किया है, यह हमारे लिये गर्व की बात है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव महोदय द्वारा भी पिछले 7 माह में इस कार्यक्रम की पांच बार समीक्षा की गई एवं हर बार राजस्थान के क्रियान्वयन को सराहा गया ।

मिड डे मील कार्यक्रम के लिए भारत सरकार सभी नामांकित छात्रों की पूरी उपस्थिति मानते हुए, उपाध्यक्ष महोदय कई बार माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं कि इतना गेहूं उठाया ही नहीं, इतना गेहूं लेप्स हो गया। मैं निवेदन

करना चाहता हूं भारत सरकार आबंटन करती है नामांकन के आधार पर और हम उठाते हैं वास्तविक उपस्थिति के अनुसार, तो अब आप देखिये हमारे यहां कम गेहूं खर्च हुआ और हमने कम उठाया तो यह तो और अच्छी बात है कि हमने कोई बेईमानी, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया । हमने गेहूं का दुरूपयोग नहीं होने दिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कुछ श्रेय अपने ब्यूरोक्रेसी को तो दो जो इसको लागू कर रही है ईमानदारी से। सारा श्रेय मुख्य मंत्रीजी को ही दोगे क्या।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुख्य मंत्री जी की टीम में सब आ जाते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो लागू कर रहे हैं लगन से, कम से कम कर्मचारी, अधिकारियों को तो धन्यवाद दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया, दे दिया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुख्य मंत्री जी के साथ में सब मंत्री भी हैं और सारे के सारे अधिकारीगण भी उसी में आते हैं इसलिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद मतलब सब को धन्यवाद हो गया।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): बाड़मेर में पंचायती राज कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यह सब जो प्रशासन के लोग सारे कर्मचारी हम सब मिलकर एक परिवार है और सब को शामिल होकर संयुक्त रूप से अपनी शक्ति का उपयोग करके हमको राजस्थान को विकास की दौड़ में आगे लाना है। मतलब यह सारे के सारे कर्मचारी वगैरह उनका परिवार ही तो हुआ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आपको भी बोलना चाहिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): दौड़ लगाओगे कैटवाक करोगे यह तो बता दीजिए (व्यवधान) दौड़ लगाओगे कैटवाक करोगे यह तो बता दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिए आपकी सरकार ने करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा पोषाहार के घोटाले में जितने शिक्षाधिकारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए उनको वापस बहाल कर दिया क्योंकि आप मिल-जुलकर लूटना चाहते हैं पोषाहार को । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष

(श्री कालूलाल गुर्जर)
महोदय, इस प्रकार आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न आबंटन होने पर विभाग द्वारा वापिस भारत सरकार को समर्पित किया गया। इसी प्रकार भोजन बनाने की राशि का उपयोग वास्तव में लाभान्वित छात्रों की संख्या के अनुसार ही किया गया है। माह दिसम्बर 2007 तक 132 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन प्राप्त हुआ था उसमें से 87 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न उठा लिया गया और भोजन बनाने के लिए 155 करोड़ रुपये खर्च हुआ। कई स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा इस कार्यक्रम का मूल्यांकन कराया गया एवं कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन पाया गया। गत एक वर्ष में 14600 विद्यालयों में...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्षजी, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सवा करोड़ रुपये के बर्तन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। पिछले तीन वर्ष में लगभग 36000 विद्यालयों में रसोईघर स्वीकृत किये गये जिनमें से 35000 रसोई घर तैयार हो चुके हैं, जिनमें 200 करोड़ रुपये व्यय हुआ। मैं यह घोषणा करता हूं कि इस वर्ष 16000 विद्यालयों में रसोई घरों के निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कौनसी योजना से आएगा आप यह बता दें, कि इनका पैसा कौनसी योजना से लगेगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपको आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं। आपको आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नम्बर एक जब आपको मिल गया तो इतनी बहस क्यों करा रहे हो, नम्बर एक तो हो गये ना, तो बंद कराइये, पास कराइये । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा पंचायती राज पर भी ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि केरल के बाद राजस्थान भारत का दूसरा प्रदेश है जिसमें विकेन्द्रित जिला आयोजना की प्रक्रिया को अपनाते हुए 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007 से 12 एवं वार्षिक जिला योजना 2008-09 को तैयार किया गया है। जिला योजना को मूर्त रूप देने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य के समग्र जिलों में जिला प्रमुखों की अध्यक्षता में जिला आयोजना समिति का गठन किया जा चुका है यह केरल के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है, जहां पर

(श्री कालूलाल गुर्जर)
आयोजन से संबंधित समस्त काम पूरे हुये और प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपये इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए गत वर्ष भी दिया इस वर्ष भी एक एक करोड़ रुपया और दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के परिवारों को पंचायत द्वारा 150 वर्गगज आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर आबंटित किये जा रहे हैं। इस वर्ष अब तक 20164 आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर आबंटित किये जा चुके हैं। वर्ष 2007-08 में पंचायतों को सशक्त करने की दृष्टि से बीपीएल परिवारों व आवासहीन घुमक्कड़ भेड़पालकों के परिवारों को आबादी भूमि में से निःशुल्क भूखण्ड आबंटन करने की शक्तियां पंचायतों को दे दी गई। अब तक 10300 परिवारों को इससे लाभान्वित किया गया है। ऐसे परिवार जिनके पास कोई भी गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनको वर्ष 2003 तक, यह बहुत इम्पॉर्पोटेंट है उपाध्यक्ष महोदय, झुग्गी झौंपडी कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा उसे मुक्त विनियमितिकरण करके 14229 पट्टे जारी किये जा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): विचिलित मत होइये, कालूलालजी को यह सिद्ध करना है कि मुख्य मंत्रीजी की नजर में यह ज्यादा इंटेलिजैंट हैं, प्रभावशाली है, ज्यादा विद्वान है इसलिए इनको पहले मंत्री बनाया, आपको अब बनाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जब तक आपको संतुष्ट नहीं करेंगे लगातार बोलते रहेंगे। आप ही हाथ जोड़कर कहेंगे कि हम संतुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न पूछते हैं और मैं संतुष्ट कर देता हूं फिर भी यह पूछते रहते हैं, आज मैं भी इनको पूरा संतुष्ट करूंगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पढ़ा हुआ मान लीजिए, पूरा कराओ और मांग पास कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: यह मान गए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह पूर्ण संतुष्ट नहीं होंगे तब तक इनको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संतुष्ट है आप तो पारित करवाओ। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम तो संतुष्ट हो गए, आपके जवाब से।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुझे अनुभव होगा जब मैं मानूंगा, ऐसे तो मैं कहता रहता हूं कि आप संतुष्ट हो जाओ, आप कहां होते हो। ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आप चिंता मत करिये सवा दस बजे तक बोलेंगे। सवा दस बजे तक तो यह बोलेंगे फिर हमारे यह आगे बोलेंगे। सवा दस बजे तक बोलेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम तो चार आदमी परेशान हो रहे हैं आप तो 50-60 परेशान हो रहे हो, हमें क्या दिक्कत है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में कई गांवों में, आप भी गांव से आते हैं, आपने भी गांव में देखा है, मैंने भी देखा है। पिछले वर्षों में कई जगहों पर बोर्ड लग रहे थे, अच्छे-अच्छे बोर्ड लग रहे थे एक में लिखा आदर्श ग्राम, एक में लिखा था गांधी ग्राम...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): इस बार इनको ओवरसैंचुरेट करना है, सिर्फ संतुष्ट ही नहीं ओवरसैंचुरेट करना है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन की सारी महिला सदस्य आपसे संतुष्ट होकर चली गई।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं वो बात नहीं है, मुझे महिलाओं को नहीं, मुझे तो आपको संतुष्ट करना है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको पता है संयम लोढ़ा संतुष्ट होंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आज इन्होंने भी प्रण लिया है संयमजी को संतुष्ट नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्षजी, प्रतिपक्ष की तरफ से सिर्फ चार सदस्य बचे हैं और चार जनों की आवश्यकता कहां पड़ती है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इस लम्बे जवाब के बावजूद भी चार बचे हैं इनको तो धन्यवाद दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप इन चारों को ही निकालना चाहते हो क्या ? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उपाध्यक्षजी, मुझे लगता है गांधीजी का सपना साकार करेंगे ये चारों आज।

श्री उपाध्यक्ष: मान लिया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने कई गांव ऐसे राजस्थान में देखे हैं आपने भी देखे हैं कि गांव में बोर्ड लग गए एक गांव में मैंने देखा आदर्श गांव बोर्ड लग रहा था, एक गांव जिसमें मैंने देखा गांधी ग्राम बोर्ड लग रहा था हमने सोचा कि यह तो गांधी ग्राम हो गया इसका मतलब सब समस्याओं का समाधान हो गया। गांधीजी के सपने को पूरा कर दिया इन्होंने। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य था कि जब अंदर पूछा कि इस बोर्ड का मायने क्या है, क्या ऐसा नया काम हुआ, कैसे इसको आदर्श गांव किया, तो कि साहब एक वाटरशैड स्थापित कर दिया इसलिए इसका नाम गांधी ग्राम कर दिया। यह कोई आदर्श गांव और गांधी ग्राम होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने तय किया कि या तो आदर्श शब्द किसी के लगना नहीं चाहिए और लगता है तो उसको आदर्श बनाना चाहिए । हमने दीनदयालजी के नाम से दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना शुरू की और मुझे खुशी है कि प्रथम चरण में 50 गांव हमने सलेक्ट किये। हमने नहीं किये दुनिया भर के गांव। (व्यवधान) इस बार हमने 100 गांव सलेक्ट, 100 गांव में से 98 गांवों का सलेक्शन हो गया। संयम लोढ़ाजी की जानकारी के लिए बता दूं यह असत्य बोल रहे हैं कि 20 ही हुये हैं, 25 ही हुए हैं। 98 गांवों का सलेक्शन हो गया। अब सलेक्शन कर रहे हैं लेकिन इसमें एक प्रोसीजर बना रखा है, हम नहीं चाहते सारे गांव एक साथ आ जाये हम चाहते हैं कि गांव आये लेकिन आने वाला गांव वास्तव में आदर्श बने उस गांव में जाने के बाद कोई भी समस्या बाकी न रहे। आधारभूत समस्या बाकी न रहे इसका हमने पूरा पुख्ता इंतजाम किया। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय हमने इन गांवों का चयन किया है और चयन करने के साथ-साथ जनभागीदारी को भी साथ में रखा। प्रत्येक उस गांव में रहने वाला परिवार महीने में दो दिन श्रमदान करेगा या श्रमिक उपलब्ध करायेगा उसकी ओर से उसका जनसहयोग होगा। इसके अलावा गांव के सभी लोगों से हमने इस बात के लिए पूरा आश्वासन लिया है लिखित में (व्यवधान) कि गांव के अंदर कोई भी बाल विवाह न करें।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

गांव में कोई भी बच्चा-बच्ची अनपढ़ नहीं रहेगा, मृत्यु-भोज नहीं करेगा और नशा नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: बस आ गया ना। जुबेर खानजी वगैरह, सब मान गये। अब हाथ जोड़ने लग गये। (व्यवधान) जोड़ दिये, जोड़ दिये हाथ इन्होंने। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): अभी आरम्भ किया है इन्होंने। अभी तो आधा ही बोले हैं ये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसलिये हमने दीनदयाल उपाध्याय की आदर्श योजना चला रखी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब मदनजी को मौका दें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य इसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): प्रतिपक्ष के नेता संतुष्ट नहीं हुए हैं अभी तक। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये कि जिस विभाग की वहां पर जो आवश्यकता है किसी काम की तो वह उसको पूरा कराएंगे और इन गांवों को हम आदर्श बनाएंगे। चाहे धीमी रहेगी गति पर जिस गांव को हमने टेक-अप किया है, वह बिलकुल आदर्श बनेगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): या तो हाथ खड़े करके कह दो, संतुष्ट हो गये। (व्यवधान) दोनों हाथ खड़े करके कह दो।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): दोनों हाथ खड़े करके कह दो, दोनों ही। (व्यवधान) और नहीं तो अभी आधा ही हुआ है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपसी बातचीत से पंचायतों...

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, संतुष्ट हो कि नहीं?

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य संतुष्ट हो? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी 12.45 की ट्रेन है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक बजे छोड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसी बातचीत से पंचायती के द्वारा, यह पंचायतों का विभाग है और पंचायती वास्तव में गांव में बैठकर जो लोग पंचायती करते हैं उसको भी हमने प्रोत्साहित किया है। हमने कहा कि जिस गांव में गांव के लोग पंच, बैठकर के आपसी फैसले निपटा देंगे, मुकदमा दर्ज नही कराएंगे ऐसे गांव को शांतिप्रिय गांव घोषित किया। इसके लिये एक लाख रुपया विशेष अनुदान, एक साल का हमने उसको डवपलमेंट के लिये अलग से दिया। इस प्रकार करीब 122 शांतिप्रिय गांवों में 125 कार्यों के लिये 122 लाख रुपये निस्तारित कर दिये गये हैं और इस पर 42.50 लाख रुपये का व्यय भी किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत वांछनीय स्वच्छता का स्तर प्राप्त करने वाली पंचायत को भारत सरकार से मिलने वाली राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से एक एक लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बाकी प्रेस में आ जाएगा सारा।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, बोलना तो पड़ेगा। आज तो पूरा बोलना ही पड़ेगा। अभी तो 10 बजे ही नहीं हैं। 10 बजे तक वैसे ही सदन रोज चलता है, उतना तो चलाएंगे ही।

श्री उपाध्यक्ष: मदनजी दिलावर को बोलना है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बैकुण्ठ धाम योजना भी इसी तरह से, श्मशान घाट बनाने की योजना हमने शुरू की है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): अभी ये और हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेण्ट है। उपाध्यक्ष

(श्री कालूलाल गुर्जर)
महोदय, इन्होंने जैसा कहा कि नेहरूजी प्रथम प्रधानमंत्री देश के नागौर में आये और 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज की स्थापना की, महात्मा गांधी का सपना साकार करने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने महात्मा गांधी का नाम लेकर वोट तो खूब लिये लेकिन वास्तव में महात्मा गांधी के नाम से कोई चीज शुरू हुई तो क्या वहां पर कोई निशान भी बनाया। जिस चबूतरे पर नेहरूजी ने बैठकर पंचायती राज की स्थापना की उस चबूतरे का हाल तक नहीं देखा कभी। उस चबूतरे को तोड़-फोड़ दिया, देखा ही नहीं कभी। उपाध्यक्ष महोदय, जब सत्ता में आये, हमने कहा ऐसा ऐतिहासिक स्मारक बनना चाहिए इस स्थान पर, और हमने एक करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत करके स्मारक बनवाने का काम किया। वहां उसका काम चालू हो चुका है, काम चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, पूरे संतुष्ट हैं सब। मदनजी दिलावर। माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया है, कालूलालजी, मेरा नाम पुकार लिया है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा नाम पुकार लिया है, मेरा नाम पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे घोषणाएं करनी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, अब हो गया, सदन की भावना है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आधा ही नहीं हुआ, शुरू ही किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके जवाब से संतुष्ट हैं सब।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष

(श्री कालूलाल गुर्जर)

महोदय, मैं तो आज पूरा बोलूंगा। आप कृपा करके, मेहरबानी करें और मुझे बोलने दें, मैं जल्दी खतम कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना चलाई। संयम लोढ़ाजी पूछ रहे थे कि इसकी स्वीकृतियां नहीं हुईं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 2007-08 के वर्ष का पैसा अब दिसम्बर में हमको दिया और फिर भी हमने दिसम्बर के बाद तत्काल स्वीकृतियां जारी करके और कार्य प्रारम्भ कर दिया। (व्यवधान) आप कह रहे हो कि पूरी स्वीकृतियां नहीं हुईं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब बोलते हैं तो आपका ध्यान कहां रहता है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप कह रहे हो, स्वीकृतियां नहीं हुईं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि 2006-07 के 82 करोड़ में से अभी तक पैसा आपने पूरा खर्च नहीं किया। (व्यवधान) कहते कुछ हैं और जवाब कुछ और देते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इस आधार पर चुनाव बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करो ना घोषणा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब कोई नई घोषणा कीजिये। घोषणा पर आ जाइये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): अभी घोषणाएं तो बाकी हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ग्रामीण विकास सेवा का गठन किया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, ओ.बी.सी. से आपको अनुसूचित जनजाति में आना है। इतना लम्बा भाषण मत दीजिये, नहीं तो कहेंगे इनको क्या जरुरत है, ये तो पहले ही विद्वान हुए पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विकास सेवा का गठन किया जा चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम बेच में 75 विकास अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया

(श्री कालूलाल गुर्जर)

चालू कर दी गई है। कनिष्ठ अभियंताओं के 170 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इससे पंचायत समितियों के खाली पदों को भरा जाएगा। ग्राम सेवकों के 1050 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी है और अखबारों में एडवर्टाइज करके एप्लीकेशन आमंत्रित की जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्य विभागों, संस्थाओं से ग्राम सेवक के पद पर आये हुए कर्मचारियों की समायोजन करने की प्रक्रिया भी हमने चालू कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में किये गये प्रयासों को सदन में अवगत कराना चाहता हूं। अब यह इम्पोर्टेण्ट है। आप अगर मुझे रोक देंगे तो यह इम्पोर्टेण्ट बात रह जाएगी। अब आप बताओ, नहीं बताऊं, बताऊं ना। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के एक-तिहाई पदों पर महिलाओं का आरक्षण है, जिसे वर्ष 2008-09 के बजट में बढ़ाकर 50 प्रतिशत घोषित किया गया। यह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये महत्वपूर्ण कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करना एवं राज्य के आर्थिक उन्नति में भागीदार बनाना चाहती है। खनिज से प्राप्त रायल्टी का एक प्रतिशत राशि का अनुदान के रूप में पंचायतों को दिये जाने की सिफारिश द्वितीय राज्य वित आयोग ने वर्ष 2001 में की थी लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो रही थी। माननीय सदस्य, यह जानकर खुश होंगे कि हमने यह राशि पंचायती राज संस्थाओं को देना प्रारम्भ कर दिया है और 23 करोड़ 86 लाख रुपये हस्तांतरित कर दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं में सम्पादित कार्यों हेतु प्रत्येक कार्य के लिये कार्यकारी संस्था को एक लाख से बड़े कार्य कराने के लिये राशि तीन किश्तों मे उपलब्ध कराई जाती थी। इसके स्थान पर अब राशि दो किश्तों में जारी करने के आदेश जारी किये। प्रथम किश्त, जो कि स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत होगी और स्वीकृति के साथ ही जारी कर दी जाएगी। द्वितीय किश्त पूर्व में जारी किश्त की राशि का समायोजन होने पर 50 प्रतिशत के रूप में दी जाएगी। पूर्व में पंचायतों को 50 हजार रुपये तक की राशि के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार था। उसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाता है।

वर्ष 2007-08 में जिला परिषद और पंचायत समिति और पंचायतों

(श्री कालूलाल गुर्जर)
बैठकों में भाग लेने वाले जिला परिषद सदस्यों के गये बैठक में, 30 रुपये से बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 45 रुपये किये हैं। पंचायत समिति सदस्यों को 25 से बढ़ाकर 35 कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 1998 में पहली बार भत्ता देना शुरू किया था। 5 साल तक आप सत्ता में रहे। आपने एक रुपया नहीं बढ़ाया। हमने एक नहीं, 5 साल में दो बार बढ़ा दिया। गत साल भी बढ़ाया और इस साल और बढ़ाकर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और इसको बढ़ाकर के जिला परिषद सदस्यों का भत्ता 45 से 75 कर दिया, पंचायत समिति सदस्यों का 35 से 60 कर दिया और वार्ड पंचों का 30 से 40 रुपया कर दिया। ग्राम पंचायतों को जिला परिषद, पंचायत समितियों के माध्यम से राशि स्थानान्तरण में देर होती थी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां से राशि जाती थी, जिला परिषद, जिला परिषद से ग्राम पंचायतों में जाने पर देरी होती थी। तो इस देरी को हटाने के लिये हमने पंचायतों को राशि का आबंटन चैक-चेनल्स के माध्यम से करने की व्यवस्था कर दी है। इससे राशि ग्राम पंचायतों को शीघ्र मिलेगी और त्वरित गति से काम होंगे। 12वें वित्त आयोग ने राज्य वित आयोग, तृतीय तथा बी.आर.जी.एफ. की राशि का आबंटन बैंक चेनल्स के माध्यम से कर दिया गया है, शुरूआत भी कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, हेण्ड-पम्प मिस्त्रियों के सेवा नियम नहीं थे, वे हमने बना दिये और उनको सब प्रकार की जो सुविधाएं मिल सकती थीं, वह सारी सुविधाएं देना शुरू कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल माह में अभियान चलाकर पुराने कब्जों का जो 2003 तक जिनके कब्जे थे, उससे पहले, उन कब्जों का नियमितिकरण कर गरीब एवं आवासहीन व्यक्तियों को नि:शुल्क भू-खण्ड आबंटित किये जाएंगे। एक महीने का अभियान विशेष रूप से चलाया जाएगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हे प्रभु, हमारी सुन।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भवन रहित ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कराये गये हैं। वर्ष 2006-07 में शेष रही भवन रहित 49 पंचायतों के भवनों की स्वीकृति जारी की गयी। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2008 के अन्त तक एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी, जिसका भवन नहीं होगा। सब के भवन बना दिये जाएंगे। अन्य विभागों, संस्थाओं से ग्राम सेवक के पद पर आये हुए कर्मचारी जो समायोजन के योग्य नहीं हैं, उनकी स्क्रिनिंग करा ली गयी है और उनके स्थान पर जितने भी स्थान खाली होंगे उस पर भी नये

नियमित ग्राम सेवकों की भर्ती कर दी जाएगी, इसकी स्वीकृति फाइनेंस से हमें मिल गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए आम जनता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोई भी आदमी, कोई भी गांव का किसान अंजान, जो ज्यादा नहीं समझता है, अपने काम के लिए पंचायत समिति में जाता है, जिला परिषद में जाता है तो वह भटकता रहता है, आफिस में पूछता है, कौन से आफिस में है, किस आफिस में कौनसा काम होगा। इसके लिए हमने यह तय कर लिया है कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक स्वागत कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें जाने वाले को सब प्रकार की सूचना मिलेगी। उसके प्रार्थना पत्र को वहां दर्ज करके और उसको आवश्यक रिलीफ दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों द्वारा वर्तमान में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक लास्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों द्वारा वर्तमान में 150 वर्ग गज के भूखण्ड आबंटित किये जाते हैं। आगामी वर्ष में इसे बढ़ाकर 300 वर्ग गज का भूखण्ड आबंटन और नियमित करने की, संशोधन की घोषणा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह सब प्रेस में दे देंगे। माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्री महोदय, यह सब प्रेस में आ जाएंगे। प्रेस में दे देंगे। आपको बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। सब दे देंगे इनको। मदनजी दिलावर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब वाटर शेड का थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने रखे हैं प्रस्ताव। वाटर-शेड का तो बहुत जरूरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में गिरते हुए जल स्तर को लेकर पूरे विश्व में चिन्ता व्यक्त की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सुनिये। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, सब आ गया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसी को देखते हुए बढ़ती हुई आबादी को भविष्य में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने

की समस्या है। ऐसे में वर्षा पर आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में पड़ी हुई बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वर्षा के पानी को खेत में ही संग्रहित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए जल ग्रहण योजनाएं चलती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाँच योजनाएं चलायी जा रही हैं। मरु विकास कार्यक्रम, मरु प्रसार रोक, बंजर भूमि विकास, सूखा सम्भावित क्षेत्र और राष्ट्रीय जल ग्रहण योजना। इसकी यह 2560 करोड़ रुपये की लागत की, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हो गया अब। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ... (व्यवधान) 4200, 4 परियोजनाएं गंगानगर जिले को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में चल रही हैं। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम पिछली सरकार ने, 1998 से नवम्बर, 2003 तक पांच वर्षों में 590 करोड़ रुपये खर्च किये थे।

श्री उपाध्यक्ष: वह सहयोगी है। बात आ गयी आपकी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जब कि हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2007 तक चार वर्षों में 1089 करोड़ रुपये खर्च कर लगभग दुगना क्षेत्र उपचारित किया।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत बढ़िया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राज्य सरकार द्वारा 117 पंचायत समितियों के अन्तर्गत 883 नये वाटर शेड, कुल 256 करोड़, 85 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना के अन्तर्गत... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह तो वही कागज दे देकर ...(व्यवधान) वह तो आ गयी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आ रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कर दिये हैं। इनके आने से पांच वर्षों में 4 लाख 28 हजार हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्री महोदय, अब...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): धीरे-धीरे बताते रहो आप। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत जोर दिया गया है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): वाटर शेड बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, साहब।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाटर शेड के अन्दर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरे भारत में किसी भी राज्य में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की भावना है कि आप ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राजस्थान पहला राज्य है, जिसके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक कम्पनी से समझौता करके और तीन करोड़ रुपये उस कम्पनी के हैं और तीन करोड़ रुपये राजस्थान सरकार के हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मंत्री महोदय, आप आराम से बताते रहो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और एक वाटर शेड स्वीकृत किया, उसका काम अच्छा चल रहा है। उसका बहुत अच्छा चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। पूरा विस्तृत जवाब आ गया। प्रेस में दे देना पूरा।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अभी तो बहुत बाकी है, साहब। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पेज और है। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक पेज और नहीं अभी तो बहुत पेज बाकी हैं। धीरे-धीरे आराम से ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08 में कुल दो राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली द्वारा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य: वह उन्हीं कागजों को पकड़ा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आराम से बताओ। (व्यवधान) वह सब गिना दो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2004-05 में नया गांव जल ग्रहण, जिला राजसमंद को प्रथम, 2005-06 में हरिपुरा जल ग्रहण, कोटा को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त इंडिया टेक फाउंडेशन, मुम्बई द्वारा... (व्यवधान) टोगरा जल ग्रहण को उरासिया जल ग्रहण, उदयपुर के स्टडी के आधार पर ग्रामीण स्वरचना की श्रेणी में 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदनजी दिलावर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ... (व्यवधान) अब सर्वश्रेष्ठ की यह बात भी आप नहीं सुनेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: मदनजी के लिए भी छोड़ो कुछ ... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): लगे रहो, मंत्रीजी, लगे रहो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। मदनजी दिलावर।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): लगे रहो, मंत्रीजी, लगे रहो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विशेष रूप से राज्य सरकार की उपलब्धियों और उसके बारे में कह रहे हैं। इसमें तो आप समय दें, इसको मत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब ने स्वीकार कर लिया, माननीय मंत्रीजी। माननीय मदनजी दिलावर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी, माननीय जुबेर साहब ने यह कहा था कि मेवात क्षेत्र में कमरे बनाना और इसके लिए भी व्यवस्था की जाए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान में और इनमें अगर कमरों की स्वीकृति नहीं होती है तो इस योजना में यह भी करने की स्वीकृति कर दी जाएगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मदरसों के लिए। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां-हां,

मदरसों के लिए। मदरसों के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब एम.एल.ए. लेट और एम.पी. लेट ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, मदरसों की ही नहीं अगर आप कोशिश करोगे तो आपके भी बनवा देंगे यह तो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एम.एल.ए. लेट और एम.पी. लेट में पंचायतों द्वारा कार्य कराने पर आपका सुझाव था कि अगर ठेके पर देने पर विचार करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा और निश्चित रूप से अगर सम्भव होगा तो यह प्रावधान भी कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अभी तो आधा बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सदन की भावना को, माननीय मंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक एस.जी.एस.वाई. में आपने बताया कि बहुत कम खर्चा हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि योजना में 68 करोड़ रुपये का प्रावधान वर्ष 2007-08 के लिए है, उसमें से 49 करोड़ रुपये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, घोषणाएं बहुत हो गयी हैं। सब प्रेस में दे देंगे ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): : 49 करोड़ रुपया दिसम्बर माह तक खर्च हो गया था। माननीय सदस्य ने केवल अर्द्धसत्य कहा। इन्होंने केवल पहली किश्त का जिक्र किया, दूसरी किश्त का जिक्र ही नहीं किया इसीलिए यह प्रश्न पूछा। नहीं तो पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास के लिए कहा। अब इंदिरा आवास का आप देख लीजिए कि वर्ष 2004-05 में लक्ष्य था 31207 और 31070 उपलब्धियां प्राप्त हो गयीं। 2005-06 में 37626 का लक्ष्य था, 38471 हमने बना लिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2006-07

में 34094 का लक्ष्य था, 33397 बना लिये और इस साल भी 47354 आवास बना रहे हैं, जो पूरे हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 2005-06 में 21542 प्राप्तियां, उसके खिलाफ में 23498 व्यय। 2006-07 में 17239 प्राप्तियां, ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुबारा पढ़ रहे हैं। पहले वाले कागज ही हैं यह ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसमें से 19338, व्यय ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): दुबारा पढ़ रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वही कागज है, यह दुबारा पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और 2007 -08 में 1 अप्रैल से सम्पूर्ण रोजगार ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): दुबारा पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित किया गया। इसमें 10497 व्यय किया जा चुका है। इस तरह से यह सारे कार्य हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सारे का सारा आप ... (व्यवधान) पढ़ने के लिए जो दे रहे हैं वह ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। यह बहुत हो गया ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री ओंकार लाल गुर्जर, सरपंच ग्राम पंचायत घोरबंद, जिला झालावाड़ के विरुद्ध ... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कागज दुबारा पकड़ा रहे हैं, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मृत व्यक्तियों के नाम पर मस्टर-रोल दर्ज करने पर ... (व्यवधान) फर्जी भुगतान उठाने के आरोप के कारण, जांच रिपोर्ट 22.2 के द्वारा भेजी गयी, जिस पर हमने उसको निलम्बित कर दिया है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.आर.जी.एस. में भारत सरकार ने 2006-07 की राशि मार्च महीने में 7.87 करोड़

(श्री कालूलाल गुर्जर)
रुपये और मई में 75 करोड़ रुपये जारी की। हमारी सरकार ने 60 करोड़ परसेंट से ऊपर व्यय कर दिया है, जैसे ही पैसा मिलता है तो तत्काल व्यय कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले पढ़े हुए कागज ही वापस पढ़वा रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक बी.ए.डी.पी. का मामला उठाया। बी.ए.डी.पी. में पैसा खर्च नहीं हुआ। आया नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, यह वही कागज पकड़ा रहे हैं आपको बार-बार। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कुल 76 करोड़ रुपये में से 36 करोड़ रुपये माह दिसम्बर, 2007 तक जारी किये थे जो अब तक पूर्ण आबंटित राशि प्राप्त हो चुकी है। बाकी अब प्रक्रियाधीन है। जब पैसा और मिलेगा तो और हम खर्च कर देंगे। बी.पी.एल. में ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह वही कागज तो नहीं पकड़ा रहे हैं। यह राउंड शुरू हो गया। दुबारा आ गये यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बार-बार वही कागज तो नहीं पकड़ा रहे हैं कहीं आपको? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत अच्छी बात। श्री मदनजी दिलावर। बहुत अच्छी बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो रहम करना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, मदनजी ज्यादा नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) आप बीच में मत टोको।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य जीतमलजी बड़े चिन्तित हो रहे हैं। इन्होंने जो भी अपने भाषण में शिकायतें दर्ज करायी हैं, आनन्दपुरी की, उन सब की मैं जांचें करवाऊंगा और जो भी दोषी होगा, कठोरतम सज़ा दी जाएगी।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्रीजी, वह जो मरम्मत वाला, माननीय मंत्रीजी, मरम्मत वाला, एम.एल.ए. लेट का मरम्मत वाला ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह देख लेंगे। उसका परीक्षण करवा लेंगे। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एम.एल.ए. की मरम्मत वाला या एम.एल.ए. लेट की मरम्मत वाला? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ऐसा है, सभी जिला परिषद में सी.ई.ओ. जारी नहीं करता है एम.एल.ए. लेट को, कोई भी पुराने भवन मरम्मत करने के लिए पैसा जारी नहीं करता है वह निदेशिका में मरम्मत शब्द नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के संबंध में चर्चा में 8 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और 25 माननीय सदस्यों ने 55 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त करके और कटौती प्रस्ताव के माध्यम से जो सुझाव दिये हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, वृद्ध, महिला, बालक, पशुपालकों, महिलाओं इत्यादि के लिए, जो कमजोर वर्ग है उन सब के कल्याण के लिए काम करता है। और आप यह भी जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पांच वर्षों में 987 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और वर्तमान सरकार ने भी चार सालों में 1585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो 60 प्रतिशत की वृद्धि इसमें की है, ये बहुत बड़ी बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे कमजोर कड़ी होती है समाज की, जिनके ऐसे बच्चे जिनके मां-बाप नहीं होते हैं, यानि मां-बाप नहीं होने का अर्थ मां-बाप बचपन में उनको छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं, ऐसे बच्चों की चिन्ता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है और उनके कार्यकाल में उन्होंने पालनहार योजना को प्रारम्भ किया है। मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष है कि हिन्दुस्तान में

(श्री मदन दिलावर)

केवल राजस्थान में यह योजना संचालित हो रही है और लगभग 11 हजार बच्चों को अभी तक इससे लाभ दे चुके हैं और इस पर लगभग 9 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं। ऐसे बालक जिनके मां-बाप नहीं रहे हैं और जो 15 वर्ष की उम्र के हैं और 5 वर्ष से बड़े हैं, ऐसे सब बच्चों को ऐवरेज 800 रुपये प्रतिमाह घर बैठे उनके लालन-पालन के लिए भिजवाते हैं और जो 5 साल से कम हैं और जो आंगनबाड़ी केन्द्र तक जाते हैं, ऐसे सब बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से हम उनके लालन-पालन के लिए भिजवाते हैं। यही नहीं ऐसी बहिनें जो पेंशन पाने की पात्रता रखती हैं, विधवा पेंशन पाने की पात्रता रखती हैं और उनके छोटे बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को भी प्रत्येक मां-बाप के एक-एक बच्चे को 675 रुपये प्रतिमाह उनके भिजवाते हैं ताकि उनका लालन-पालन ठीक प्रकार से हो सके। ऐसी विधवा बहिनों को हम कुल-मिलाकर पौने 1100 रुपये प्रतिमाह देते हैं ताकि वह दूसरों के सामने हाथ नहीं पसारे और अपना गुजारा खुद कर लें। एक बहुत बड़ी योजना हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान में है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। कई प्रदेश भी हमसे चर्चा कर रहे हैं और इस योजना को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसकी काफी प्रशंसा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आस्था कार्ड, ऐसे बंधु जो एक परिवार में एक से ज्यादा विकलांग हैं, ऐसे बंधु को हमने आस्था कार्ड इश्यू किया है। बी.पी.एल. परिवार में नहीं होने के बावजूद भी हमने बी.पी.एल. का मान लिया है और बी.पी.एल. के सारे के सारे लाभ ऐसे परिवार को देय होंगे, चाहे उन्हें पेंशन मिले चाहे नहीं मिले।

अभी तक पन्नाधाय जीवन अमृत योजना उन्हीं लोगों के लिए थी जो बी.पी.एल. में चयनित हुए हैं। परन्तु आस्था कार्डधारियों के लिए नहीं थी। हमने ऐसे जो 4000 आस्था कार्डधारी हैं, ऐसे लोगों को भी पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में शामिल करके उन 4000 लोगों का पैसा देकर बीमा करवा दिया है ताकि उनको भी पन्नाधाय जीवन बीमा योजना का लाभ मिले।

विश्वास योजना हमारी ऐसी थी जो विकलांग बंधु हैं, जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं। ऐसे सब बंधुओं के लिए अभी तक 50 हजार रुपये तक का लोन देते थे और मैक्सिमम 10 हजार रुपये का अनुदान देते थे। अब हमने उस अनुदान को बढ़ाकर मैक्सिमम 15 हजार रुपये कर दिया है ताकि सभी विकलांग बंधु इसका लाभ ठीक प्रकार से ले सकें।

हमारी अनुप्रत योजना, जो आर.ए.एस. और आई.ए.एस. की प्रारम्भिक परीक्षाओं में या मुख्य परीक्षाओं में पास हो जाते थे, ऐसे सब आशार्थियों को हम प्रारम्भिक परीक्षा में पास होने पर कुछ अंश और शेष मुख्य परीक्षा में पास होने पर उनको कुल एक लाख रुपये आई.ए.एस. परीक्षा के लिए और आर.ए.एस. परीक्षा के लिए 45 हजार रुपये देते थे। अब इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आई.आई.एम. और आई.आई.टी. के लिए और केन्द्रीय मेडिकल कालेज के लिए भी इस योजना को लागू कर दिया है ताकि ऐसे सब लोगों को इसका लाभ मिले।

हमारी एक स्वावलम्बन योजना है। ऐसे लोग जो कक्षा पांच तक पढ़े लिखे हैं, अनुसूचित जाति के हैं, रोजगार करना चाहते हैं और उनके पास आय के कोई साधन नहीं हैं, गरीब हैं, पैसा जुटा नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने 50 हजार रुपये तक का लोन, उस पर 10 हजार का अनुदान और 40 हजार रुपये पाँच प्रतिशत बैंक ब्याज लेती है और शेष ब्याज समाज कल्याण विभाग यानि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग अपने खाते से भरता है ताकि उस गरीब के ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़े और अपना रोजगार ठीक प्रकार से कर सके।

हमारी एक सहयोग योजना है जो एस.सी. बी.पी.एल. परिवारों की जो बालिकाएं हैं और जिनकी शादी होनी है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है। अब तक उनके लिए पांच हजार रुपये तक का प्रावधान था, यह योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारम्भ की थी। अब इस योजना को हमने सभी बी.पी.एल. परिवार चाहे किसी भी जाति के हों, उन सब के लिए लागू कर दिया है, परन्तु उनकी उम्र हमने 21 वर्ष रखी है। राशि भी पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी है ताकि आम गरीब आदमी को इसका लाभ मिल सके।

विधवा पुनर्विवाह योजना में जो बहिन पेंशन पा रही थीं, ऐसी बहिनें यदि पुनर्विवाह करना चाहती हैं तो 15 हजार रुपये एकमुश्त देकर उनकी सहायता करते हैं।

ऐसे विकलांग बंधु जो अपना स्व-रोजगार करना चाहते हैं, पेंशन नहीं लेना चाहते हैं, जो पेंशन पा रहे थे, उनकी पेंशन को बंद करके एकमुश्त 15 हजार रुपये पेंशन उनको दे रहे हैं।

एक निशक्त कोष योजना है। ऐसे विकलांग भाई और बहिनें, जिनके

(श्री मदन दिलावर)

दोनों हाथ नहीं हैं या दोनों पैर नहीं हैं या दोनों आंखें नहीं है, ऐसे सब लोगों के लिए हम मोबाइल कियोस्क यानि चलती-फिरती दुकान हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक लगभग 900 ऐसे बन्धुओं को हम सहायता उपलब्ध करा चुके हैं। आगे यह क्रम जारी रहेगा ताकि ऐसे बन्धु दूसरों का सहारा लेकर अपना जीवन-यापन कर सकें, परन्तु किसी के ऊपर आर्थिक बोझ न रहे, यह भी हमारी योजना है।

सभी संभागीय मुख्यालय पर हमने निशक्त बन्धुओं के लिए हमने आवासीय विद्यालय खोले हैं ताकि वह भी आगे पढ़-लिख सकें और आगे बढ़कर ठीक प्रकार से अपना रोजगार कर सकें। सभी संभागीय मुख्यालयों पर हमने ऐसी बहनों के लिए जो महाविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं, आप तो जानते हैं गांव में लड़कियों को वैसे ही कम पढ़ाते हैं और फिर शहर में जाने के लिए लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना खर्चा कौन करेगा? बहुत गरीब मां-बाप नहीं कर पाते हैं। इसलिए महाविद्यालय स्तर पर हमने छात्रावास प्रारम्भ किये हैं और उनका सारा का सारा खर्चा समाज कल्याण विभाग अपने खाते से उठाता है और प्रत्येक एक बालिका पर 725 रुपये प्रतिमाह हम खर्च कर रहे हैं और एक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास की जो स्ट्रेंथ है वह 75 की है। ऐसी सैकड़ों बहिनें इसका लाभ लेंगी।

निशक्त छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर जहां 85 रुपये से लगाकर 250 रुपये तक छात्रवृत्ति मिलती थी, उसको हमने बढ़ाकर 725 रुपये तक कर दी है ताकि विकलांग बन्धुओं को ठीक प्रकार से उसका लाभ मिल सके और अच्छी छात्रवृत्ति उनसे प्राप्त कर सके।

एक पीपीपी योजना है इसके जो कालेज चला रहे हैं, निजी विद्यालय चला रहे हैं, वह यदि छात्रावास बनाना चाहते हैं तो हम 10 लाख रुपये ऐसी प्रत्येक संस्था को दे रहे हैं ताकि वह 10 लाख रुपये सरकार के लगाकर शेष राशि अपनी लगाकर उन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को वहां रखकर उनको शिक्षा में सहयोग कर सकें और इसके लिए हमने इस बार 50 ऐसी संस्थाओं को 10-10 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं ताकि इससे गरीब लोगों को ठीक प्रकार से लाभ मिल सके।

विकलांग करेक्शन कैम्प, पोलियो करेक्शन कैम्प, जिनके पोलियो हो गया है, उनके लिए ऐसी विधि आ गयी है और इलाज निजात हो गया है और उनको ठीक किया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए हम पोलियो करेक्शन कैम्प

लगाकर उनको लगातार ठीक कर रहे हैं और हमारी यह योजना निरन्तर रहने वाली है। हमारे छात्रावासों की संख्या लगभग 602 छात्रावास हैं और इनमें 28,246 बालक-बालिकाएं अध्ययन कर रहे हैं। 100 नवीन छात्रावास हमने पिछले वित्तीय वर्ष में खोले थे और छात्रावास भवनों का निर्माण भी हमने काफी बड़ी संख्या में किये थे। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 602 छात्रावासों में से अब 130 छात्रावास ऐसे हैं जिनके भवन बनने शेष रहे गये हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि जितने भी बालिकाओं के, जो अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं हैं, उनके जितने भी छात्रावास बनने शेष रह गये, उनके भवन हम आने वाले वित्तीय वर्ष में बना देंगे ताकि सब बालिकाओं के छात्रावास हो जायेंगे।

छात्रवृत्ति के बारे में बहुत सारी चर्चा आई। आप तो जानते हैं कि शैक्षणिक जो सत्र है, हमारा जुलाई से प्रारम्भ होता है और यह वित्तीय वर्ष काउंट होता है, 01 अप्रैल तक काउंट होता है और आप तो जानते हैं भारत सरकार कितनी लेट छात्रवृत्ति भेजती है। इस वर्ष की छात्रवृत्ति हमको अभी प्राप्त हुई है, अब इसका कैसे वितरण हो सकता है, लेकिन माननीय सदस्यों ने इसके बारे में उँगली उठाई है, चर्चा की है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा शैक्षणिक सत्र वित्तीय वर्ष तक चलता है, फिर भी मैं कह सकता हूं कि हमने जो इस वित्तीय वर्ष की, यानि इस शैक्षणिक सत्र की छात्रवृत्ति, 80 प्रतिशत छात्रवृत्ति हम छात्रों को इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करा देंगे ताकि उनको ठीक प्रकार से वह लाभ मिल सके। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि 2-4 साल की छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह मुझे अवगत करा दें कि किन-किन बच्चों को दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, मेरे अवगत कराने के बाद 15 दिन के अंदर ऐसे सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी जायेगी, किसी को भी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखा जायेगा।

अब छात्रवृत्ति इतनी बड़ी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति कम लोगों को नहीं मिलती है, बहुत बड़ी है और बहुत बढ़ी है। प्राइवेट मेडिकल कालेजों में जो बच्चा पढ़ता है ऐसे को हम लगभग 9 लाख रुपये की छात्रवृत्ति पूरा उसका जो पाँच साल का कोर्स होता है उसमें हम लगभग 9 लाख रुपये की छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के खाते से उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से डेण्टल कालेज में पढ़ने वाले के लिये लगभग 5 लाख रुपये की हम उपलब्ध

(श्री मदन दिलावर)

कराते हैं। ऐसे ही इन्जीनियरिंग कालेज में पढ़ने वालों को लगभग 4 लाख रुपये उपलब्ध कराते हैं और पायलेट का कोर्स करने वालों को हम लगभग 15 लाख रुपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराते हैं छात्र को। यह बहुत बड़ा अमाउण्ट है और बहुत बड़ी संख्या में, लगभग ढाई लाख लोगों को हम छात्रवृत्ति देते हैं।

पेन्शन की यदि हम चर्चा करें तो 200 रुपये से बढ़ा कर, विधवा अवस्था, विकलांग और वृद्धों की पेन्शन को 200 रुपये से बढ़ा कर 400 रुपये कर दिया है और यह 315 करोड़ रुपये हम पेन्शन पर खर्च कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि है जो राजस्थान सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने खजाने से देती हैं ताकि ऐसे सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।

नवीन आवासीय विद्यालय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि पशुपालकों के लिए ऐसे आवासीय विद्यालय, जो एक जगह से दूसरी जगह तक पशु चराने जाते हैं और उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो सफर करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने जालौर जिले के हरियाली गांव में एक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया है और अभी उनके बच्चों को दूसरे आवासीय विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, पूरा होने वाला है शीघ्र, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, वो पूरा होकर उसमें विद्यार्थी पढ़ने लगेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सागवाड़ा और झालावाड़ में दो पशुपालकों के लिए आवासीय विद्यालय और खोलने जा रहे हैं, इसके लिए बजट में माननीय मुख्य मंत्रजी ने प्रावधान कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे.जे. एक्ट के तहत जो हमारे किशोर गृह, बाल गृह और शिशु गृह खुलते हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से राजस्थान हाई कोर्ट के जज, शिवकुमारजी भी मानीटरिंग करते हैं इसकी और जो राजस्थान सरकार ने काम किया है इसके लिए एक संगोष्ठी भी हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी आये थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आये थे, उन सब लोगों ने प्रोग्रेस देखकर के कहा कि हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश है जो बालकों के कल्याण के लिए इस प्रकार का काम कर रहा है और कोई प्रदेश ऐसा नहीं, इस प्रकार का काम कर रहा है और उन्होंने खुले मन से सब के सामने, प्रेस को भी इस बात को बताया कि राजस्थान ही सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है जो जे.जे. एक्ट के तहत किशोर गृह, बाल गृह और शिशु गृह चल रहे हैं, उन पर यह काम कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गाड़िया लुहारों के लिए पहले कांग्रेस के

राज में जो 5000 रुपये उनके मकान बनाने के लिए दिये जाते थे, हमने उसको बढ़ा करके 17,500 रुपये किये और उसको बढ़ा करके हम 25,000 रुपये कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर पुरस्कार योजना हमने प्रारम्भ की है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के काम करने वाले संस्था को, व्यक्ति को और अनुसूचित जाति, जनजाति के केसेज होते हैं उनको फ्री लड़ने वाले और उनको एडवाइज करने वाले वकील को भी हम इसमें 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती पर उनको पुरस्कृत करते हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड की परिक्षाओं में मैरिट में स्थान प्राप्त किया है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ऐसे सब बच्चों को भी हम अम्बेडकर जयन्ती पर सम्मानित करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. और विकलांग लोगों का जो आरक्षण होता है उसका हम लगातार मानीटरिंग कर रहे हैं ताकि उन लोगों को आरक्षण का ठीक प्रकार का लाभ मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी आय 50 हजार रुपये तक है ऐसे सब लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी और उस पर एक लाख रुपये तक का भी यदि खर्चा होगा तो सरकार अपने खाते से देगी। अभी तक यह व्यवस्था बी.पी.एल. परिवारों के लिए थी लेकिन बी.पी.एल. परिवार से भी आगे बढ़ कर अनुसूचित जाति के ऐसे सब लोग जो 50 हजार रुपये तक की आय करते हैं उनके लिए की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम जन बीमा योजना, आम आदमी के लिए बीमा योजना भी हम ला रहे हैं। इसमें जो ऐसे भूमिहीन लोग हैं राजस्थान के ऐसे सब परिवारों का बीमा कराया जायेगा ताकि जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और भगवान के प्यारे हो जाते हैं उनको उसमें उस आश्रित परिवार को 75 हजार रुपये की राहत दी जायेगी और यदि पूर्णत: विकलांग हो जाता है, कमाने की स्थिति में नहीं रहता तब भी 75 हजार रुपये की राहत दी जायेगी और यदि साधारण मौत से मर जाता है तब भी उसको 37,500 रुपये की राहत दी जायेगी। यह योजना भी शीघ्र ही रह रही है पूरे हिन्दुस्तान में, भारत सरकार ने कहा था पहले लेकिन आपको यह जानकारी करके हर्ष होगा कि हम 14 अगस्त, 2006 से ही इस योजना को बी.पी.एल. परिवारों के लिए लागू कर चुके हैं, भारत

(श्री मदन दिलावर)
सरकार तो अब कह रही है और हम अब आगे बढ़ करके इसको आम-जन तक ले जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि बुजुर्ग लोगों के सामने कितनी समस्याएं रहती हैं, उनकी उपेक्षा होती है... (व्यवधान) उनकी उपेक्षा होती है इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि जन सहभागिता योजना के आधार पर हम इस प्रकार के वृद्ध आश्रम चलायेंगे ताकि ऐसे लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां रह सकें, अपना समय काट सकें, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। बहुत सारे मां-बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे तो हैं लेकिन वह उनकी व्यवस्था नहीं करते हैं, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं करते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं करते हैं, उपेक्षा करते हैं, घर में उनका असम्मान होता है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो डाइरेक्शंस आ गये हैं कि ऐसे मां-बाप यदि आकर के कलक्टर को सूचित करते हैं और यह प्रूव हो जाता है कि वास्तव में जान-बूझकर के बच्चे मक्कारी कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों से मां-बाप के लिए ढाई हजार रुपये महीने उनके भरण-पोषण के लिए दिलायेंगे और बच्चे नहीं देंगे तो जेल की हवा खायेंगे, उनकी जमानत का प्रावधान नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग काफी बड़ा है और मैं जानता हूं, माननीय सदस्यों की भावनाओं का मैं आदर करता हूं क्योंकि यह भी काफी महसूस कर रहे हैं कि जल्दी समाप्त करें इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करते हुए कि अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बालक, पशु पालक ...(व्यवधान) नि:शक्त में आ गये सब, विकलांगों में आ गये, उन सब के लिए राजस्थान सरकार के पास किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं है, राजस्थान सरकार उनके कल्याण के लिए निरन्तर करती रहेगी लेकिन एक कष्ट का विषय आपको सुना रहा हूं। मुझे दुःख है इस बात का कि भारत सरकार ने अब कई बच्चों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया है। जो प्राइवेट कालेजेज में जो व्यावसायिक शिक्षा लेंगे उन सब की छात्रवृत्ति 60 प्रतिशत अंक लाने पर ही देंगे, इससे नीचे पर नहीं देंगे। इसके कारण से गरीब छात्रों को, जो ग्रामीण परिवेश से पढ़ कर के आते हैं और इतने अंक प्राप्त नहीं कर पाते उनको छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए मैं कांग्रेस के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि इन्होंने बहुत किन्तु, परन्तु किया था, पहले दूसरों की भी बंद कर दी थी फिर हमने विरोध दर्ज कराया इसके बाद इन्होंने

किया है, मैं निवेदन करता हूं कि भारत सरकार से आग्रह करें, हम तो लगातार आग्रह कर रहे हैं, कि यह बैरिकेट्स हटायें ताकि सब बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। इसी के साथ आपको धन्यवाद।....(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय मंत्रीजी, विधुरों और आजन्म कुआरों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी ...(व्यवधान) आ गया, सब आ गया।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): विधुरों और आजन्म अविवाहितों के लिए।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आजन्म कुआरें जो भी 65 वर्ष के हैं उन सब को 400 रुपये महीने की पेन्शन दी जायेगी और जो विधुर हो गये हैं, उन्होंने 65 वर्ष अब उम्र प्राप्त कर ली है और उनके बेटे-बेटी नहीं हुए थे तब भी उनको 400 रुपये पेन्शन के रूप में दिये जायेंगे, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आजीवन कुआरों को देंगे, आजीवन अविवाहितों को देंगे? आप यह स्पष्ट कर दें, यह दोनों अलग हैं। एक तो आजीवन कुआरें और एक आजीवन अविवाहित, यह दोनों अलग-अलग हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक ही बात, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इसमें फर्क बताना थोड़ा। फर्क तो स्पष्ट करो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): फर्क बताऊं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हां, बताओ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बताऊं क्या? एक तो जैसे ...

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें तो कर दूं, महिलाओं की बात कर दूं, इसके साथ ही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की बात है, इसी से जुड़ा हुआ है। तीन कटौती प्रस्ताव भी थे, मेरे पास आये हुए हैं, मैं शोर्ट में मुख्य-मुख्य रूप से चार-पाँच लाइनों में ही अपनी बात करके समाप्त कर दूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तिवाड़ीजी को पता है मैं किन का नाम लूंगा इसलिए मैं नहीं बता रहा। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): महिलाओं का मामला है, शोर्ट में आठ-दस पंक्तियों में अपनी बात पूरी करके समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कर लीजिए, कर लीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): गागर में सागर भर दो आप तो।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्यों को भी जाना है इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा तो सब सोचेंगे कि बहुत बड़ा समय हो रहा है इसलिए बहुत ही कम समय में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो वैसे भी ज्यादा नहीं ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मात्र तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, इसको पूरी तरह से अध्ययन करके उसका उत्तर 48 घंटे में हम माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला कितनी महान है, माता कितनी महान है वो हम सब जानते हैं। इसमें मैं आपको चार-पांच पंक्तियों में बताऊंगा।

हे जग जननी नारी तूने क्या गौरव गरिमा पाई है

तेरे तो रुप अनेकों उन सब में तू ही समाई है,

माता, पत्नी, पितृ, बहन तू हर रिश्ते में आयी है,

तू लक्ष्मी, तू सरस्वती, भगवती तू दुर्गा माई है।

सौ करोड़ जनता की तू भारत माता है। हे जग जननी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिए।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ध्यान रखा, बहुत अधिक इनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इसमें कुछ शार्ट में ही जो बिंदु हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राज्य की महिला सशक्त होगी तो राज्य हमारा सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में भी सशक्त होगा।

साथ ही साथ महिला निदेशालय हमारे दो विभाग इसमें आई सी डी एस, समेकित बाल विकास परियोजना एवं महिला निदेशालय का गठन करके आठ हजार साथिनों को रोजगार देने का मानदेय पर महिला एवं बाल विकास विभाग में किया गया है जिसमें इन महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।

सामूहिक विवाह के अन्दर भी छह हजार प्रति जोड़ा और अधिकतम दो लाख का प्रावधान किया गया है। स्वावलम्बन योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्रोतों से चलाई जाती है। संभवत: राजस्थान ऐसा करने वाला एक मात्र राज्य है। इस योजना के माध्यम से 1170 महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं सहायता समूह के अन्दर एक ऐतिहासिक कार्य जिसमें एक दिन में 18 हजार से अधिक समूहों को 38 करोड़ रुपये का ऋण एक दिन के अन्दर दिया गया। पहला ही कार्यक्रम ऐसा एक स्थान पर करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस माध्यम से किया गया है।

एस एच जी के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो ब्याज महिलाएं लेंगी उसकी दो प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है। मातृ मृत्यु दर में कमी, जननी योजना एक मात्र राज्य है जिसमें पैंतीस हजार से भी अधिक महिलाओं को रोजगार पर मानदेय पर लगाया है। यह पहला राज्य है किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है।

विधवा, परित्यक्ता, एस टी, एस सी, ओ बी सी और सामान्य महिलाएं जो निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उनको प्राथमिकता के आधार पर पंचायत के अन्दर उसका चयन किया जाता है। साथ ही साथ चालू वर्ष में पूरक पोषाहार 48 लाख बच्चे और माताएं इसका लाभ ले रहे हैं। गरम पोषाहार के माध्यम से बच्चे लाभ ले रहे हैं। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार, भोजन का वितरण एस एच जी मातृ समितियों द्वारा एवं अन्नपूर्णा समितियों द्वारा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी प्रयत्न किया गया है।

अति कुपोषित बच्चों को भी नव कुपोषित प्रबन्धन केन्द्रों पर 2500 अतिरिक्त कुपोषित बच्चों को इनके जीवन को बचाया है। साथ ही साथ पिछले समय में यानि कि 1997-98 से 2003 तक यानि पांच वर्षो में स्वयं सेवकों ने 65,284 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था जिसमें ऋण 8850 समूह को ऋण दिया गया 14.48 लाख और 2004-05 यानि भाजपा का जब राज आया, मुख्य मंत्री महोदय की कृपा से जो महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया इसमें चार वर्षो के अन्दर 1,54,477 स्वयं सहायता का गठन करके 1,02,665 समूहों को 222 करोड़ रुपया सोलह लाख रुपया ऋण दिया गया। एस एच जी का प्रशिक्षण कुल दो लाख सड़सठ हजार महिलाओं को अब तक दिया गया।

ट्रेनिंग, एस एच जी ट्रेनिंग के लिए भी यहां झालाना डूंगरी में संस्था का

(श्री कनकमल कटारा)

भवन निर्माण किया जा रहा है जिसको पांच करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग के अन्दर ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, पेपर आदि इस तरह के लगभग दो लाख सड़सठ हजार महिलाओं को ट्रेनिंग दी गयी है।

इस प्रकार से महिलाओं की शार्ट में मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किये गये हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मांगों का पारण

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,71,89,90,000/- (तीन अरब इकहत्तर करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,76,17,91,000/- (एक अरब छियत्तर करोड़ सत्रह लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,25,58,55,000/- (चौदह अरब पच्चीस करोड़ अठावन लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,53,18,84,000 /-(नौ अरब तिरपन करोड़ अठारह लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.07 बजे दिनांक 10 मार्च, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बूंदी जिले के राजकीय भवनों का स्वतन्त्रता सेनानियों के नामकरण के लम्बित प्रस्ताव

175. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण के प्रस्ताव सरकार को दिये हैं? यदि हां, तो किन-किन जनप्रतिनिधियों ने किन-किन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किन-किन राजकीय भवनों के नामकरण के नाम प्रस्तावित किये हैं और उन पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बूंदी जिले के विभिन्न शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण करने के सम्बन्ध में सरकार ने विचार किया है? यदि हां, तो कब-कब और क्या सरकार नीति एवं प्रस्तावों के अनुसार बूंदी जिले के विभिन्न भवनों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और अब तक जिले के प्रस्तावों पर निर्णय नहीं करने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां। शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण करने के आदेश की प्रतियां परिशिष्ट "1" एवं "2" अनुसार संलग्न है। शहीदों सम्बन्धी नीतिगत आदेश को फिलहाल दिनांक 1.8.2006 से स्थगित किया हुआ है (आदेश परिशिष्ट "3")

(2) जी हां। जन प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम राजकीय भवनों के नामकरण के प्रस्तावों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "4" संलग्न है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) जिला बूंदी के विभिन्न शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण करने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव परिशिष्ट "5" पर संलग्न है। जिला स्तरीय समिति से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(प्रतियां/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गंगरार विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

176. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के किन-किन गांवों में किस-किस स्तर के पशु चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशु औषधालय व पशु उप केन्द्रों पर रिक्त चिकित्सक व कम्पाउण्डरों के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राशमी, ऊंचा आरनी, गंगरार, जोजरी का खेडा, तुम्बडिया, सिंहाना व साडास में पशु औषधालय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के निम्नांकित ग्राम मुख्यालयों पर पशु चिकित्सकों द्वारा पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध करवाई जा रही हैं :-

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय
गंगरार	साडास
	राशमी
	रूद
	सिहाना
	बस्सी
	नगरी

(2) रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी हां। सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में नवीन भवन बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

राज्य परिवहन निगम द्वारा नई बसों की खरीद के लम्बित प्रस्ताव

177. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगत गत 5 वर्षों में लगातार घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो क्यों व किस-किस वर्ष में कितना-कितना घाटा हुआ?

(2) सरकार द्वारा निगम को घाटे से उबारने के कौन-कौन से उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पुरानी बसों के स्थान पर 1200 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो नई बसें कब तक बेड़े में शामिल हो जायेंगी?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम गत पांच वर्षों से लगातार घाटे में चल रहा है। घाटे में रहने के प्रमुख कारणों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न हैं। गत पांच वर्ष के घाटे का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	घाटा करोड़ रु. में
1.	2002-03	42.29
2.	2003-04	37.62
3.	2004-05	4.63
4.	2005-06	30.08
5.	2006-07	19.14

(2) निगम स्तर पर घाटे से उबारने के लिये किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी बसों के स्थान पर राजस्थान परिवहन निगम को 1150 (1120 नहीं) नई बसें खरीदने की अनुमति दी गई है। जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2008-2009 से नई वाहनें आना प्रारम्भ हो जायेंगी।

परिशिष्ट-1

राजस्थान परिवहन निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण

1. डीजल की कीमतों में बार-बार वृद्धि होने से लागत में वृद्धि होना।
2. मंहगाई भत्ते आदि में वृद्धि के कारण संस्थापन लागत में वृद्धि होना।
3. राज्य में बड़ी रेल लाइनों/रेल सेवाओं का विस्तार होने से निगम बसों में अपेक्षाकृत कम यात्रीभार मिलना।
4. वर्ष 2007-08 में आवश्यकतानुसार नई वाहनों का निगम बेड़े में शामिल नहीं होना।
5. चार पहिया वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना।

परिशिष्ट-2

निगम को हानि से उबारने हेतु निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयास :-

निगम को हो रही हानि से उबारने के लिए निगम स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :-

1. दिनांक 1.10.2007 से नई शीतकालीन समय सारिणी लागू की जा चुकी है जिससे वाहन उपयोगिता बढ़ सके एवं सेवाओं का समानान्तर संचालन न हो।
2. वित्तीय वर्ष 2006-07 में बस स्टाफ अनुपात 4.82 कर्मचारी प्रति बस था जो इस वर्ष दिसम्बर 2007 में 4.78 कर्मचारी प्रति बस ही हैं।
3. इसके अतिरिक्त निगम के विभिन्न आगारों एवं कार्यशालाओं में उपलब्ध अनुपयोगी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।
4. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगभग 1.39 कि.मी. की वृद्धि की गई है। वर्ष 2006-07 में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन संचालन 76.11 कि.मी. था जिसे इस वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में बढ़ाकर 77.50 कि.मी. प्रति कर्मचारी प्रतिदिन किया गया।
5. वाहनों का आकस्मिक एवं प्रभावी निरीक्षण कराया जा रहा है।
6. अनाधिकृत संचालन पर रोक हेतु राज्य सरकार की सहायता से समय-समय पर अभियान चलाकर रोक लगाई जा रही है।
7. प्रतिस्पर्धा में टिकने हेतु युक्तिपूर्ण तरीके से किराये में कमी की जा रही है।
8. निगम प्रबन्धन द्वारा समस्त फील्ड अधिकारियों को गीयर अप किया जा रहा है तथा नियमित रूप से समय-समय पर संचालन परिणामों की समीक्षा की जा रही है।
9. वर्ष 2008-2009 में 1150 नई वाहनें आना प्रारम्भ होने पर निगम के यात्रीभार में वृद्धि होना स्वाभाविक है जिससे निगम की आय में वृद्धि हो सकेगी।

10. बसों की स्थिति में सुधार कर विभिन्न भौतिक पैरामीटर्स यथा वाहन उपयोगिता, वाहन बेड़ा उपयोगिता, डीजल औसत, ब्रेक डाउन दर, दुर्घटना दर आदि में सुधार किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08 दिसम्बर 07 तक
1.	वाहन उपयोगिता प्रति बस प्रतिदिन कि.मी.	342	346	370	380	386
2.	वाहन बेडा उपयोगिता प्रतिशत	94	96	96	97	96
3.	आयल टाप अप औसत प्रति कि.मी. प्रति लीटर	2322	2903	3208	3496	3437
4.	दुर्घटना दर प्रति एक लाख कि.मी.	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11

मुख्य प्रबन्धक एवं समस्त महाप्रबन्धकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर पारदर्शितापूर्ण लक्ष्य निर्धारण, संवाद एवं समीक्षा के माध्यम से संचालन परिणामों में सुधारात्मक कदम उठाये हैं।

वेस्ट लैण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन/बोर्ड द्वारा भू-आबंटन में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता

178. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वेस्ट लैण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन/बोर्ड बनाया गया है? यदि हां, तो कब व किस प्रयोजन से?

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) कारपोरेशन/बोर्ड द्वारा राज्य में कहां-कहां कितना क्षेत्र चिन्हित किया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिन्हित क्षेत्र या बंजर भूमि (वेस्ट लैण्ड) से किस संस्थान/निजी/कम्पनी व अन्य किसी को कहां-कहां कितना क्षेत्र किन शर्तों पर आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भू-आबंटन में स्थानीय व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन एवं प्राथमिकता दी जानी है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में वेस्ट लैण्ड डवलपमेंट नाम का कोई कारपोरेशन नहीं बनाया गया है।

(2) जी नहीं। जब कारपोरेशन ही नहीं बना है तो क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

जोधपुर शहर की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु गैस इन्सूलेटेड ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापना

179. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में विद्युत सप्लाई मुख्यत: बासनी स्थित 220 के.वी.ए. के जी.एस.एस. पर ही निर्भर है और इस जी.एस.एस. पर कोई भी गड़बड़ी होने पर पूरे शहर की सप्लाई पर व्यवधान हो सकता है?

(2) क्या सरकार जोधपुर शहर में 220 के.वी.ए. का एक और जी.एस.एस. एवं 132 के.वी.ए. के चार जी.एस.एस. स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जोधपुर शहर की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कम स्थान में स्थापित होने वाले 33 व 11 के.वी.ए. के गैस इन्सूलेटेड सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर शहर में विद्युत सप्लाई मुख्यत: बासनी स्थित 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन पर ही निर्भर नहीं है। इसके अतिरिक्त जोधपुर शहर में विद्युत सप्लाई के लिए 400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन मण्डोर, 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, बनाड़, न्यू पावर हाउस, चौपासनी, मण्डोर एवं सूरसागर भी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में जोधपुर शहर के विद्युत भार को देखते हुए 400 के.वी.जी.एस.एस. मण्डोर, 132 के.वी.जी.एस.एस. न्यू पावर हाउस तथा चौपासनी में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि करने की योजना है।

(3) वर्तमान में इस तरह के गैस इन्सूलेटेड सब स्टेशन तकनीक का प्रचलन अभी राज्य में नहीं हुआ है एवं वर्तमान में निगम स्तर पर 33 के.वी. व 11 के.वी. गैस इन्सूलेटेड सब स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में उपकरण निर्माताओं से समुचित जानकारी प्राप्त होने के पश्चात तकनीकी जानकारी, गुण दोष, आर्थिक संशाधनों की दृष्टि व अन्य राज्यों में दक्षता आंकलन पश्चात ही 33 के.वी. व 11 के.वी. गैस इन्सूलेटेड सब स्टेशन बनाने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-180

(स्थगित)

विधायक अनुशंसित तोपदडा (अजमेर) के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण

181. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में सरकार द्वारा खेलों के विकास हेतु जिला स्तर पर खेल स्टेडियमों के निर्माण का चरणबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में 5 करोड़ रुपयों का प्रावधान बजट में किया गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उन खेल स्टेडियमों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी, जहां सांसद व विधायकों द्वारा भी अपने कोष की राशि वहां व्यय करने की सहमति दी गई हो?

(4) क्या सरकार को इस योजना के तहत अजमेर के तोपदडा स्थित खेल मैदान को विकसित करने व स्टेडियम निर्माण करने की क्षेत्रीय विधायक द्वारा

(श्रीमती अनिता भदेल)

अनुशंसा की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के तहत अजमेर स्थित तोपदडा खेल मैदान को भी शामिल करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

निजी शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में तिवाड़ी समिति द्वारा अनुशंसित सिफारिशों का क्रियान्वयन

182. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण संस्थाओं की स्थिति पर तिवाड़ी कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो उस कमेटी की क्या अभिशंषा रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा तिवाड़ी कमेटी तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये? शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया केपिटेशन फीस, पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम, वहां काम करने वाले कार्मिकों, अध्यापकों की सेवा शर्तों तथा दिये जा रहे वेतनमानों व निजी शिक्षा के क्षेत्र में नियमन के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अभिशंषाओं की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) तिवाड़ी कमेटी का गठन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में 16 नवम्बर, 2005 को प्रस्तुत कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को कोई कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान नहीं किये हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पशुधन सहायकों के चयन में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

183. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(1) सरकार द्वारा पशुधन सहायकों के चयन हेतु वर्ष 2006 में जारी विज्ञप्ति में चयन हेतु क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निदेशालय द्वारा चयन के मानदण्डों को पूरा कर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की सूचना किस पत्र द्वारा शासन सचिव को दी गई? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भर्ती में अनियमितता की शिकायत पर मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक टिप्पणी पर विभाग द्वारा क्या प्रतिवेदन भेजा गया? प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विभाग द्वारा भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट पर कार्यवाही अमल में नहीं लाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) चयन प्रक्रिया में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं पात्र अभ्यार्थियों के चयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पशुधन सहायकों के चयन हेतु वर्ष 2006 में जारी विज्ञप्ति में निम्नानुसार बिन्दुओं का समावेश किया गया :-

शैक्षणिक योग्यता पुरानी पद्धति से सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी अथवा नई पद्धति (10+2) से सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान/अधीन (कृषि) पशुपालन एवं जीव विज्ञान विषयों सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।

तकनीकी योग्यता विभाग द्वारा संचालित पशुपालन विद्यालय एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पशुपालन स्कूलों से पशुधन सहायक का एक वर्षीय/दो वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।

क्या पशुपालन क्षेत्र में पशु चिकित्सा कार्य का अनुभव (राजकीय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था का) रखते हैं? यदि हां तो वर्षों में बतावें। (अनुभव प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्था प्रभारी के हस्ताक्षरयुक्त संलग्न किया जावे।)

(2) निदेशालय द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (अनुसंलग्नक-1)

(3) विभाग द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (अनुसंलग्नक-2)

(पशुपालन मंत्री)

(4) तथ्यात्मक टीप पर कार्यवाही के सन्दर्भ में प्रस्तावित कमेटी के गठन हेतु मुख्य सचिव महोदय को अनुमोदन प्राप्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। अनुमोदन होते ही कमेटी का गठन कर जांच करायी जावेगी।

(5) गठित की जाने वाली समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फालना आगार के अनुपयुक्त/नाकारा वाहन

184. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फालना बस डिपो में नवीन बसों, चालक, परिचालक एवं कार्यालय स्टाफ की कमी है? यदि हां, तो कितनी व क्या सरकार उक्त डिपो की वांछित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिपो में वर्तमान में संचालित बसें निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने से नकारा हो चुकी हैं?

(3) क्या सरकार नवीन बसों की खरीद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कमी की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	मद	स्वीकृत/आवश्यकता	कार्यरत/उपलब्ध	कमी
1.	वाहनें	44	43	1
2.	चालक	73	73	—
3.	परिचालक	72	70	2
4.	कार्यालय अधीक्षक	01	01	—
5.	कार्यालय सहायक	01	—	1
6.	वरिष्ठ लिपिक	04	03	01
7.	कनिष्ठ लिपिक	12	05	07
8.	पत्रक वितरक	09	02	07

(यातायात मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर रोक होने के कारण फिलहाल रिक्त पद भरा जाना सम्भव नहीं है।

(2) फालना आगार में वर्तमान में संचालित आठ वाहनें निगम द्वारा निर्धारित नार्म्स पूर्ण कर नकारा योग्य हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा 1150 नई बसें खरीदने की अनुमति दी गई है। जिसकी निविदाओं सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है शेष आवश्यक प्रक्रिया उपरान्त संभवतया अप्रैल, 2008 से नई वाहनें आना प्रारम्भ हो जायेंगी।

ग्राम पंचायत मारोठ (नागौर) की मरूधर आवासीय योजना का अनुमोदन

185. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में आवासीय योजना तैयार करने के मानदण्ड तय किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति कुचामनसिटी की किस-किस पंचायत को आवासीय योजना हेतु कितनी-कितनी भूमि कब-कब आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आबंटित भूमि पर काटे जाने वाले भू-खण्डों को किस-किस विधि से किस-किस प्रकार की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को आबंटन किया जा सकता है?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इन्डाली में गत पंचायत द्वारा भूमि का आबंटन कर पट्टे जारी किये गये थे? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि का आवंटन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मारोठ में मरूधर आवासीय विकसित बस्ती में नीलामी द्वारा भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि मरूधर आवासीय विकसित बस्ती योजना ग्राम पंचायत मारोठ के अन्तर्गत भूमि नीलामी कार्यवाही हुई? यदि हां, तो उसका अनुमोदन अभी तक पंचायत समिति अथवा सरकार द्वारा क्यों नहीं किया गया?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मारोठ की आवासीय योजना की नीलामी का अनुमोदन नहीं होने से जिन लोगों ने 1/4 राशि जमा कराई उन्हें न राशि

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

वापस लौटाई गई न ही नीलामी का अनुमोदन होकर 3/4 राशि जमा की गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 में आवासीय योजना तैयार करने के प्रावधान हैं। उक्त प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति कुचामन सिटी की ग्राम पंचायतों को आवासीय परियोजनार्थ आबंटित की गई भूमि का पंचायतवार एवं तिथिवार विवरण परिशिष्ट-बी पर संलग्न हैं।

(3) आबंटित आबादी भूमि पर काटे जाने वाले भू-खण्डों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 163 के अनुसार व्यक्तियों को आबंटित किया जा सकता है।

(4) जी हां। जिन व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-सी पर संलग्न है।

(5) ग्राम पंचायत मारोठ द्वारा मरूधर आवासीय विकसित बस्ती में भूमि की नीलामी की गई थी। सक्षम प्राधिकारी से आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् भूमि का आबंटन किया जावेगा।

(6) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन हेतु पंचायत समिति को आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण नीलामी कार्यवाही का अनुमोदन नहीं हो सका।

(7) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी कार्यवाही के अनुमोदन के लिए पंचायत समिति को आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण विलम्ब हुआ है।

(मानदण्डों की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बिजली चोरी की रोकथाम हेतु पुलिस थानों की स्थापना

186. श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा गत चार वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गए एवं अब तक कुल कितना निवेश हो चुका है?

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(2) 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा गत चार वर्षों में क्या-क्या कदम उठाये गये एवं कितने फीडरों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है?

(3) गत चार वर्षों से अब तक बिजली चोरी रोकने हेतु कितने पुलिस थानों की स्थापना की जा चुकी है? क्या सरकार बिजली चोरी रोकने व छीजत कम करने के उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन में निजी प्रवेश के प्रोत्साहन हेतु दिनांक 15.9.2005 को एक नीति अधिसूचित की है, जिसकी प्रति विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। राजस्थान सरकार के प्रयास से निजी क्षेत्र में 3126 करोड़ रुपये का 31.1.2008 तक निवेश हुआ है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा फीडर रेनोवेशन कार्यक्रम के तहत ट्रांसफार्मर स्थापित करना, अधिक दक्षता के ट्रांसफार्मर को कम क्षमता के ट्रांसफार्मर में बदलना, एबी केबल लगाना, सर्विस लाइन बदलना तथा गांवों में घरेलू विद्युत आपूर्ति हेतु सिंगल फेस ट्रांसफार्मर स्थापित करना आदि कार्य सम्मिलित हैं। राज्य में माह जनवरी 2008 तक 4919 फीडरों पर उपलब्ध के अनुसार को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) गत चार वर्षों में अब तक बिजली चोरी रोकने हेतु 27 विद्युत चोरी निरोधक थानों की स्थापना की जा चुकी है। बिजली चोरी रोकने एवं छीजत कम करने के लिए सतर्कता जांच, फीडर सुधार कार्यक्रम, ए.बी.सी. केबल का प्रयोग, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाना, अरबन फोकस कार्यक्रम के तहत आर्मड सर्विस लाइन लगाना, दोषपूर्ण व खराब मीटरों को बदलना एवं प्रशासनिक सुधार व नये 33/11 के.वी. सब स्टेशनों का निर्माण कर छीजत कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जाटव समाज छात्रावास हेतु भू-आबंटन

187. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आल राजस्थान युवा जाटव महासभा द्वारा जाटव समाज को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटित करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन किया गया है? यदि हां, तो कब व उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्भय लाल)

(2) क्या सरकार जयपुर शहर में जाटव समाज को छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु नि:शुल्क या रिजर्व दर पर शीघ्र ही भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जयपुर द्वारा जाटव समाज को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु भूमि आबंटन हेतु फरवरी 2003 में आवेदन पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये हैं तथा दैनिक भास्कर/विद्याश्रम स्कूल के आस-पास क्षेत्र जवाहर सर्किल/झालाना डूंगरी के पास क्षेत्र में 10,000 वर्ग मीटर भूमि की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा भूमि तलाश की गई लेकिन वांछित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं है।

(2) पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर भूमि आबंटन के प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

नटणी के दाता एनीकट (सवाईमाधोपुर) निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

188. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के उपखण्ड बौंली (सवाई माधोपुर) में नटणी के दाता के एनीकट निर्माण में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त किस-किस अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त नटणी के दाता एनीकट का निर्माण कार्य अब कब तक पूरा करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के उप खण्ड बौंली (सवाई माधोपुर) में नटणी के दाता के एनीकट निर्माण में हुई लापरवाही के लिये एक वनपाल एवं एक वन रक्षक को निलम्बित किया जाकर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 की धारा 17 के अन्तर्गत आरोप अभिकथन पत्र जारी किये गये हैं। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(वन राज्य मंत्री)

(2) उक्त नटणी के दाता एनीकट का निर्माण कार्य मार्च 2008 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

नवक्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति

189. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) एवं **श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेडा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कितने वर्षों से राज्य में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई व कितने पद शारीरिक शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार इन पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि बी.एड/एम.एड व्यक्तियों को शिक्षकों के पदों पर भर्ती किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या बी.पी.एड/एम.पी.एड को भर्ती करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विगत वर्षों में नव क्रमोन्नत सैकण्डरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कर उनमें नियुक्तियां देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II की 1998-99 एवं शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III की अन्तिम नियुक्तियां वर्ष 2003-04 में की गई थी। वर्तमान में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद निम्नानुसार हैं :-

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
व्याख्याता शारीरिक शिक्षक	39
शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II	349
शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III	1520

फिलहाल सीधी भर्ती के पदों को नहीं भरने का निर्णय लिया हुआ है।

(2) जी हां। शिक्षकों की नियुक्तियां राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 एवं राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती हैं। तथा बी.पी.एड व एम.पी.एड योग्यताधारी अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षक के लिए पात्र होते हैं। फिलहाल सीधी भर्ती के पदों को नहीं भरने का निर्णय लिया हुआ है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पद सृजित करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पद सृजित होने पर नियमानुसार पद भरने की कार्यवाही की जावेगी।

विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मण्डी समितियों से प्राप्त अंशदान का उपयोग

190. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1994-97 में विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मण्डी समितियों से कितना-कितना अंशदान लिया जाता था वर्तमान में कितना-कितना लिया जा रहा है?

(2) राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा लिया गया अंशदान किस-किस पर खर्च किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मण्डी से प्राप्त अंशदान राशि उसी मण्डी समिति पर खर्च की जाती है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष1994 से 97 तक विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मण्डी समितियों से 10 प्रतिशत बोर्ड अंशदान लिया जाता था। वर्तमान में विशिष्ट श्रेणी मण्डियों से 30 प्रतिशत अंशदान लिया जाता है।

(2) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 22 जे में अंकित प्रावधानों पर मण्डी अंशदान खर्च किया जाता है। प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मण्डी समितियों एवं अन्य मण्डी समितियों से प्राप्त अंशदान मण्डी विकास निधि में जमा होता है। राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य की समस्त मण्डी समितियों के विकास पर एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार व्यय किया जाता है।

परिशिष्ट

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 22 जे

1. राज्य कृषि मण्डी समितियों का सुधार तथा नियमन।
2. राज्य में स्थित आर्थिक दृष्टि से कमजोर मण्डी समितियों को ऋण तथा दान के रूप में सहायता देना ताकि वे अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का पालन कर सकने में समर्थ हो सकें।
3. कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, मुआवजा प्रदान कराने और बोर्ड, ग्रेच्युटी काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन/भत्तों, पेंशनों और

ग्रेच्युटी में अंशदान/इस अनुच्छेद के अधीन तमाम खर्चे मण्डी विकास निधि पर प्रथम भार रखेंगे।

4. बोर्ड के सदस्यों को निर्धारित रीति से यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते देना,

5. राज्य में कृषि उपज के विपणन के सम्बन्ध में शिक्षा देना तथा प्रचार करना

6. कानूनी खर्चो का भुगतान

7. मण्डी समितियों के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता का प्रावधान करना जिसमें निम्नलिखित प्रकार के प्रयोजनों के लिए मण्डी समितियों के लिए कर्मचारी वर्ग रखना सम्मिलित है-

(ए) अभियान्त्रिकी

(बी) मण्डी समितियों के हिसाब की जांच (Auditing)

8. मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, शिविर, कारखाने सेमीनार और सम्मेलन का आयोजन करना,

9. कृषि उपज को श्रेणीबद्ध करना समस्तरीय करना,

10. मण्डी की सड़कों और मण्डी को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण,

11. मण्डी यार्डो व उप (गौण) यार्डो का निर्माण और उनको मण्डी समितियों के पक्ष में पटटे पर देना अथवा अन्तरण करना

12. निर्धारित तरीके से कर्मचारियों का ऋण तथा अग्रिम राशियां स्वीकृत करना

13. बोर्ड कार्यालयों की स्थापना और उनको चलाना

14. बोर्ड के हिसाब की जांच पर खर्चा, और

15. कृषि विपणन से सम्बन्धित सरकार की पूर्वगामी अनुमति से किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्चा।

पंचायतीराज के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

191. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में पंचायती राज को मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा कोई कमेटी का गठन किया गया था तथा क्या इस समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रदान की गई है? यदि हां, तो कब व इसके मुख्य सुझाव क्या थे?

(पंचायती राज मंत्री)

(2) सरकार द्वारा रिपोर्ट की किस-किस बिन्दु पर अमल किया गया व कितने बिन्दु पर कार्यवाही होना शेष है?

उत्तर

(1) जी हां। मंत्रीमण्डल समिति द्वारा सरकार को दिनांक 26.12.2005 को रिपोर्ट प्रदान कर दी गई है जिसकी मुख्य सुझाव पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर गतिविधियों का हस्तान्तरण मय स्टाफ व फण्डस के इस प्रकार किया जावे कि स्वशाषी इकाइयों के रूप में स्थापित होते हुए प्रभावी ढंग से विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन सुनिश्चित कर सके।

(2) रिपोर्ट निर्णय की प्रक्रिया में है।

अधीनस्थ लेखा-सेवा कार्मिकों के स्थानान्तरण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

192. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अधीनस्थ लेखा सेवा के कितने कर्मियों के स्थानान्तरण वर्ष 2007-08 में किस नीति के अन्तर्गत किये गये? स्थानान्तरण नीति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लेखा सेवा के कर्मियों के स्थानान्तरण में हुए भ्रष्टाचार के कारण निदेशक का स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्थानान्तरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाई गई? यदि हां, तो इसमें दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मियों के स्थानान्तरण दो वर्ष से पूर्व (पूर्व पद स्थापित पदों से) भी किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस कर्मी के तथा किस आधार पर?

(4) क्या सरकार अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मियों की स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अधीनस्थ लेखा सेवा के 217 सहायक लेखाधिकारी, 138 लेखाकार एवं 759 कनिष्ठ लेखाकारों के वर्ष 2007-08 में स्थानान्तरण विभिन्न कारणों यथा पद समाप्ति, कार्यालय समाप्ति, पद क्रमोन्नति एवं प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं।

स्थानान्तरण नीति दिनांक 15.6.1999 परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(वित्त मंत्री)

(2) जी नहीं। तत्कालीन निदेशक दिनांक 31.7.2007 को अधिवार्षिक आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हुये थे। तत्कालीन निदेशक द्वारा अन्तिम कार्य दिवस को देर तक कार्य कर स्थानान्तरण आदेश जारी करने पर कुछ कर्मचारी संगठनों की आपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा घटना क्रम की जांच हेतु आबकारी आयुक्त, राजस्थान को निदेशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है तथा इसका परीक्षण किया जा रहा है।

(3) हां। अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों के 2 वर्ष पूर्व स्थानान्तरण (पूर्व पदस्थापित पदों से) पद समाप्ति, कार्यालय समाप्ति, पद क्रमोन्नति, स्वयं के आवेदन, पदोन्नति एवं प्रशासनिक कारण आदि से किये गये हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-2, 3 व 4 पर संलग्न है।

(4) नहीं। व्यावहारिक आधार पर प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं स्वयं के आवेदन आदि पर समय-समय पर स्थानान्तरण किये जाते हैं। नीति में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका के वेतनमान का नोटिफिकेशन

295. श्री सुभाष चन्द शर्मा (कोटपूतली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 सितम्बर, 1998 से पुनरीक्षित वेतनमान घोषित होने के पूर्व सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के माध्यमिक व प्रवेशिका विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पदों का वेतनमान समान था?

(2) क्या यह सही है कि सामान्य शिक्षा के प्रधानाध्यापक माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा के प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के कार्य की प्रकृति समान होने के बावजूद वेतन विसंगतियां हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पुनरीक्षित वेतनमान जो दिनांक 1 सितम्बर, 1998 से प्रभावशील किये गये, उसके नोटिफिकेशन संख्या एफ. 16(5)/एफ.डी./रूल्स 98/07 अगस्त, 1998 में प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका के वेतनमान के संशोधन का उल्लेख नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त नोटिफिकेशन में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के वेतनमान संबंधी उल्लेख करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। 1 सितम्बर, 1998 से पुनरीक्षित वेतनमान घोषित नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। सामान्य शिक्षा में प्रधानाध्यापक माध्यमिक का पद राज्य सेवा का है जब कि संस्कृत शिक्षा के प्रधानाध्यापक प्रवेशिका का पद अधीनस्थ सेवा का है। अत: दोनों पद वेतनमानों के प्रयोजनार्थ तुलना योग्य नहीं हैं।

(3) नोटिफिकेशन दिनांक 7.8.1998 द्वारा शिक्षकों के वेतनमान दिनांक 1.7.1998 से संशोधित किये गये हैं न कि दिनांक 1 सितम्बर, 1998 से। वेतनमानों में संशोधन, अध्यापकों को चयनित वेतनमान व अन्य मुद्दों पर सिफारिश हेतु गठित उच्चाधिकार समिति की अनुशंसा के आधार पर किये गये हैं।

(4) स्थिति प्रश्न के उपरोक्त बिन्दु-2 में स्पष्ट की जा चुकी है।

उच्च शिक्षा विभाग के व्याख्याताओं की प्रति स्कूल प्रविष्टियों का निस्तारण

296. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 से आज तक कितने राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्री-लिटिगेशन समिति में विचार हेतु डिमाण्ड आफ जस्टिस के नोटिस दिये गये? कितने प्रकरणों पर प्री–लिटिगेशन समिति द्वारा विचार कर किन-किन अधिकारियों की प्रतिकूल प्रविष्टियों को उन्मार्जित किया गया? विवरण मय नाम, विभाग के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आशय के उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कितने प्रकरण वर्ष 2003 से आज तक व्याख्याताओं के प्राप्त हुए? उन पर कब-कब क्या-क्या निर्णय लिए गए? सरकार शेष प्रकरणों का कब तक निस्तारण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2003 से अब तक सात राज्य सेवा अधिकारियों के द्वारा अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्री-लिटिगेशन समिति में विचार हेतु डिमाण्ड आफ जस्टिस के नोटिस कार्मिक विभाग में प्राप्त हुये हैं। निम्न तीन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन समिति की सिफारिश के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. श्री बलवीर सिंह सिंहमार, सिंचाई विभाग
2. डा. मुकेश शर्मा, कालेज शिक्षा विभाग
3. डा. अजय वर्मा, कालेज शिक्षा विभाग

(विवरण संलग्न है)

(2) उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कुल पांच व्याख्याताओं के प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें से निम्न दो व्याख्याताओं की प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. डा. मुकेश शर्मा, कालेज शिक्षा सेवा, अधिकारी के प्रकरण में दिनांक 28.9.2004 को प्री-लिटिगेशन कमेटी में विचार कर पत्र दिनांक 7.12.2004 के द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई गई।

(कार्मिक मंत्री)

2. डा. अजय वर्मा, कालेज शिक्षा सेवा, अधिकारी का प्रकरण दिनांक 17.8.2005 को प्री-लिटिगेशन कमेटी में विचार कर पत्र दिनांक 8.11.2005 के द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई गई।

3. सुश्री कुलदीप कौर, कालेज शिक्षा सेवा अधिकारी ने श्री उदयचन्द बबेरवाल एडवोकेट के माध्यम से दिनांक 13.7.2004 को नोटिस प्रेषित किया गया था जिसे आयुक्त, कालेज शिक्षा विभाग के स्तर से इग्नोर करने का निर्णय लिया गया। सुश्री कौर ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8153/07 दायर कर रखी है जो मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

4. श्री राकेश पारीक, व्याख्याता-भूगोल एवं 5. श्रीमती परमेश्वरी बागडा व्याख्याता-राजनीति शास्त्र ने श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट के माध्यम से नोटिस दिया था। नोटिस पर विचार करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 24.7.2007 को प्री-लिटिगेशन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निर्णय नहीं लिया जा सका। श्री राकेश पारीक एवं श्रीमती परमेश्वरी बागडा के प्रकरणों में पुन: विचार किये जाने हेतु प्री-लिटिगेशन कमेटी की बैठक दुबारा बुलाये जाने की कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग	निस्तारण
1	2	3	4
1.	श्री बलवीर सिंह सिंहमार	सिंचाई विभाग	प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई गई।
2.	डा. मुकेश शर्मा	कालेज शिक्षा विभाग	प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई गई।
3.	डा. अजय वर्मा	कालेज शिक्षा विभाग	प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई गई।
4.	श्री कृष्ण कुमार	कृषि विभाग	प्रकरण विचार योग्य न पाये जाने के कारण निस्तीबद्ध किया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मात्री)

1	2	3	4
5.	सुश्री कुलदीप कौर	कालेज शिक्षा विभाग	प्रकरण कालेज शिक्षा विभाग द्वारा इग्नोर कर दिया गया है। श्रीमती कौर ने मा. उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8153/07 दायर कर रखी है जो मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
6.	श्री राकेश पारीक	कालेज शिक्षा विभाग	प्री-लिटिगेशन कमेटी की बैठक में दुबारा विचार किये जाने हेतु कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।
7.	श्रीमती परमेश्वरी बागडा	कालेज शिक्षा विभाग	

स्थानीय निकायों में पदस्थापित राज्य कर्मियों का वेतन संरक्षण

297. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा नियमों में वेतन संरक्षण करने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सेवा से स्वायत्त शासन विभाग की सेवा में जाने पर स्थाई कर्मचारी/अधिकारी का वेतन संरक्षण का प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारी जो वेतन प्राप्त कर रहा है, नये पदस्थापन नियुक्ति में पाते वेतन से कम किया जा सकता है?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगरीय निकायों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान लागू किये गये हैं। इनके दृष्टिगत राज्य सेवा से स्वायत्त शासन विभाग की सेवाओं में लिये जाने पर स्थाई कर्मचारी/अधिकारी के वेतन संरक्षण के प्रावधान के

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

सम्बन्ध में वित्त विभाग की राय अनुसार राज्य कर्मचारियों के नगर पालिका सेवा में नियुक्त होने पर उनको वेतन संरक्षण अनुज्ञेय नहीं है।

(3) इस भाग का उत्तर बिन्दु संख्या 2 में निहित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहरी सीमा से बाहर स्थानान्तरित पशु डेयरियों हेतु आवश्यक सुविधाएं

298. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में संचालित पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने से पूर्व पशुपालकों को शहर सीमा के बाहर आबंटित स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो क्या? अब तक उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जानी थी एवं क्या-क्या कर ली गई एवं क्या कार्यवाही किन कारणों से नहीं की जा सकी तथा अब कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी?

(3) क्या सरकार पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने हेतु पशुपालकों को आबंटित स्थानों पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा कर पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में संचालित पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के दिये गए आदेश अभी भी प्रभावी है।

(2) जी नहीं। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के अतिरिक्त कोई निर्देश नहीं दिये गए हैं।

(3) जयपुर नगर निगम द्वारा पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने हेतु पशुपालकों को आबंटित स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। वर्तमान में मा. सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति के आदेश

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

प्रभावी रहने के कारण पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है।

अभेड़ा महल, कोटा के सौन्दर्यकरण पर व्यय

299. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कोटा क्षेत्र में अभेड़ा महल के सौन्दर्यकरण पर विगत पांच वर्ष में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर कब-कब व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभेड़ा महल लीज पर देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं किस-किस कम्पनी ने उसमें भाग लिया?

(3) अभेड़ा महल के रख-रखाव और संचालन की निविदायें राज्य और स्थानीय स्तर के किन-किन अखबारों में कब-कब प्रकाशित करवाई गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रक्रिया को निरस्त करने के लिये संसदीय सचिव द्वारा नगरीय विकास मंत्री को पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो लिखे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभेड़ा महल के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण कार्य पर दिनांक 1.3.2004 से 11.8.2007 तक नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कुल 338.69 लाख रु. व्यय किये गये।

(2) हां। अभेड़ा महल को लीज पर देने के लिये न्यास द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आमंत्रित निविदा में कुल तीन फर्मो द्वारा भाग लिया गया।

1. मैसर्स सारदा, जानिंगत सिलचर, असम
2. मैसर्स होटल लालगढ़ पैलेस, बीकानेर
3. मैसर्स हेरिटेज रिर्सोट, बीकानेर

(3) अभेड़ा महल को लीज पर देने के लिये न्यास द्वारा जिन राष्ट्रीय स्तर, राज्यीय स्तर एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन करवाया गया उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली) दिनांक 12.12.2006
2. दैनिक भास्कर कोटा, जयपुर, जोधपुर दिनांक 19.12.2006

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

3. दैनिक नवज्योति, कोटा, जयपुर, उदयपुर दिनांक 20.12.2006

4. ईवनिंग न्यूज, कोटा दिनांक 22.12.2006

(4) हां। प्रति संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

शिवराम कालोनी, जगतपुरा (जयपुर) के सुविधा क्षेत्र पर अवैध निर्माण/ अतिक्रमण

300. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं. 9 के शिवराम कालोनी, जगतपुरा, जयपुर में सामुदायिक भवन व पार्क है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय योजना के आसपास दो किलोमीटर की दूरी तक कोई अन्य सामुदायिक भवन व पार्क नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी के निवासियों की सुविधा हेतु सामुदायिक भवन व पार्क बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त आवासीय कालोनी में कितनी-कितनी जमीन सुविधा क्षेत्र हेतु कहां-कहां छोड़ी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सुविधा क्षेत्र को विकसित करने, सामुदायिक भवन बनाने तथा सड़क, पार्क व नालियां बनवाये जाने के लिए उक्त कालोनी के निवासियों की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण में ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? ज्ञापन की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में कुछ भू-खण्डों पर हुए निर्माण कार्य को जयपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण मानते हुए तोड़ा है? यदि हां, तो कौन-कौन से भू-खण्डों को? क्या सरकार उक्त भू-खण्डों को सुविधा क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? क्या उक्त तोड़े गये भू-खण्डों के अलावा भी और भू-खण्डों पर हुआ निर्माण कार्य अवैध व अतिक्रमण की श्रेणी में आता है? यदि हां, तो कौन-कौन से भू-खण्डों का? क्या सरकार इन शेष रहे भू-खण्डों पर हुए निर्माण कार्य को अतिक्रमण मानते हुए हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री अर्जुन सिंह)

(6) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना में सीवरेज के कनेक्शन जारी करना शुरू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त सुविधा से कालोनी को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? उक्त कालोनी में सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत कब करवाई गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में शिवराम कालोनी जगतपुरा, जयपुर में स्कीम नं. 9 (लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति) में कोई भी सामुदायिक भवन व पार्क विकसित नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र में पार्क एवं सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि दर्शायी हुई है।

(2) जी नहीं। उक्त आवासीय योजना के आसपास दो किलोमीटर में आनन्द विहार रेलवे कालोनी योजना में सामुदायिक भवन व पार्क है।

(3) उक्त आवासीय कालोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के मानचित्र में सुविधा क्षेत्र हेतु 577 वर्गगज भूखण्ड संख्या-142 एवं 145 के दक्षिण की ओर 30 फीट चौड़ी सड़क पर दर्शायी हुई है। योजना के संदर्भित भाग की फोटो प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त कालोनी के निवासियों द्वारा सुविधा क्षेत्र को विकसित करने एवं सड़क, पार्क व नालियां बनवाये जाने हेतु दिनांक 28.12.2007 को ज्ञापन दिया गया है। सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल कम होने, उस पर अतिक्रमण होने तथा सुविधा क्षेत्र जो कि उक्त कालोनी के आंतरिक भाग के 30 फीट चौड़ी सड़क के सामने स्थित होने के कारण इस सुविधा क्षेत्र पर सामुदायिक भवन निर्माण सम्भव नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त कालोनी में डामरीकरण सड़क का निर्माण वर्ष 2005 में करवाया जा चुका है। पार्क के लिए आरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तथा उपरोक्त आवासीय योजना के आन्तरिक सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है। अत: उक्त आवासीय योजना में नाली निर्माण की आवश्यकता नहीं है। ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) शिवराम कालोनी में सुविधा क्षेत्र पर हो रहे अतिक्रमणों को तोड़ा जाकर सुविधा क्षेत्र की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है, किसी भूखण्डधारी का निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया है। शिवराम कालोनी के प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र में स्वीकृत सुविधा क्षेत्रों की भूमि के क्षेत्रफल 2734 वर्गमीटर में से 2233

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

वर्गमीटर भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। 501 वर्गमीटर भूमि से अतिक्रमण विधिक प्रक्रिया अपनाकर हटाया जाना विचाराधीन है। शिवराम कालोनी के योजना मानचित्र से स्वीकृत भूखण्डों पर हुए निर्माणों को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त नहीं किया गया है और न ही ध्वस्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) जी नहीं। आन्तरिक सीवर व मुख्य सीवर लाइन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि 6.6.2008 है। सड़क की मरम्मत का कार्य आन्तरिक सीवर का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 6.6.2008 तक करवाया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर लाल नेहरू अरबन कच्ची बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु कार्य योजना

301. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा कच्ची बस्ती पुनर्वास के लिए जवाहर लाल नेहरू अरबन कच्ची बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम राजस्थान के कुछ शहरों में लागू करने के लिए राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितनी व कौन-कौन से शहरों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कच्ची बस्ती पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या-क्या योजनाएं तैयार की हैं और कब तक ये योजनाएं पूरी कर दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर शहर के लिए जवाहर लाल नेहरू अरबन नेशनल रिन्यूअल मिशन के घटक शहरी गरीबी के लिये मूलभूत सेवा कार्यक्रम (बीएसयूपी) के लिए 277.14 करोड़ रु. एवं अन्य शहरों के लिए एकीकृत आवास एवं विकास कार्यक्रम में कच्ची बस्ती पुनर्वास के अन्तर्गत 291.05 करोड़ रु. भारत सरकार से स्वीकृत किये गये हैं। शहरों एवं स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कच्ची बस्ती पुनर्वास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार कच्ची बस्तियों में नये आवासों का निर्माण, आवासों का उन्नयन एवं मूलभूत सुविधाएं जैसे :- पानी,

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

बिजली, सीवरेज, सडकें, नालियां, सामुदायिक भवन/शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/विद्यालय एवं पार्क आदि आवश्यकतानुसार मुहैया कराने का प्लान है। शहरवार स्वीकृत योजनाओं का विवरण खण्ड 1 के परिशिष्ट "अ" पर है।

यह कार्यक्रम सन् 2012 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

(3) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन के कार्यक्रम एवं एकीकृत आवास एवं विकास के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश, राज्यांश व स्थानीय निकाय का अंशदान निम्न प्रकार है :-

स्कीम	राज्यांश	केन्द्रीय अंश	स्थानीय निकाय अंश
JNNURM (BSUP) for Jaipur	20%	50%	30%
For Ajmer for Pushkar	10%	80%	10%
IHSDP for all towns	10%	80%	10%

परिशिष्ट 'अ'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Local Self Government

Project cost & State Share of sanctioned Projects under JNNURM (BSUP & IHSDP)

Sr No.	Name of ULB	Project Cost (Rs lacs)	State Share (Rs. In Lacs)
1	**2**	**3**	**4**
BASIC SERVICES FOR URBAN POOR (BSUP)			
1.	Jaipur	16943.22	8480.51
2.	Ajmer/Pushkar	10771.00	2314.20
	Total BSUP	**27714.22**	**10794.71**
INTEGRATED HOUSING AND SLUM DEVELOPMENT PROGRAMME (IHSDP)			
1.	Bikaner	332.129	66.426
2.	Chittorgarh	669.570	157.762
3.	Bhilwara	1912.910	402.58
4.	Tonk	446.180	89.236
5.	Pali	2205.590	441.12
6.	Rani	79.340	15.868

1	2	3	4
7.	Sadri	128.900	25.78
8.	Sojat City	315.890	62.626
9.	Bali	329.900	65.98
10.	Hanumangarh	2224.840	471.22
11.	Falna	446.480	94.792
12.	Baran	969.860	233.236
13.	Chabra	446.970	89.394
14.	Sikar	544.180	108.836
15.	Aasind	508.350	117.67
16.	Kota	2162.380	458.04
17.	Gulabpura	124.430	24.886
18.	Jhalrapatan	421.254	104.939
19.	Jhalawar	458.300	110.49
20.	Bhawani Mandi	181.690	38.274
21.	Pratapgarh	1120.15	400.04
22.	Jaisalmer Ph-I	1676.31	412.3
23.	Gangapur City	351.72	105.95
24.	Alwar	1970.08	510.52
25.	Sawai Madhopur	1348.17	355.6
26.	Udaipur	2455.09	848.38
27.	Jodhpur Ph-I	2055.64	841.18
28.	Balotra	847.89	301.18
29.	Barmer	2371.32	849.69
	Total IHSDP	**29105.513**	**7803.995**
	Grand Total BSUP+IHSDP	**56819.733**	**18598.705**

विद्याधर नगर/शास्त्री नगर क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

302. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विद्याधर नगर थाना, शास्त्री नगर चौराहा, पावर हाउस चौराहा रोड को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त रोड को कहां-कहां कितना-कितना चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोड पर डिवाइडर नहीं होने से कई बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड पर डिवाइडर का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) सड़क पर डिवाइडर की वजह से दुर्घटना होने की सूचना नहीं है। वर्तमान में डिवाइडर निर्माण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिरोही जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठकें

303. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2007-08 में सिरोही जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठक कब-कब आयोजित की गई और उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गए?

(2) राज्य के किस-किस जिले में वर्ष 2007-08 में कब-कब उक्त परिषद् की बैठकें आयोजित की गई?

(3) सिरोही जिले में खेल प्रतिभाओं को संवारने के प्रति उदासीनता के लिये कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1)जिला क्रीड़ा परिषद, सिरोही के गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से वर्ष 2007-08 में कोई औपचारिक बैठक आयोजित नहीं की गई परन्तु जिला क्रीड़ा परिषद की खेल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला कलक्टर की

(खेल कूद एवं राज्य मंत्री)

अध्यक्षता में समय-समय पर बैठकें आयोजित की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है

(2) प्रश्न के खण्ड-1 के अनुसार किसी भी जिले में जिला क्रीड़ा परिषद की औपचारिक बैठक आयोजित नहीं की गई परन्तु जिला क्रीड़ा परिषद की खेल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती रही है।

(3) प्रश्न के खण्ड संख्या-1 से स्पष्ट है कि सिरोही जिले में खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए कोई उदासीनता नहीं बरती जा रही है। गत वर्षों में सिरोही जिले की खेल प्रतिभाओं द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय मरू उद्यान (बाड़मेर) की वन्य जीव गणना

304. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मरू उद्यान (डी.एन.पी.) के बाड़मेर जिले के परिधि क्षेत्र से राज्य पक्षी गोडावन पूर्णतया लुप्त हो चुके हैं? यदि हां, तो डी.एन.पी. गठन के बाद की अन्य जीव गणना रिपोर्ट प्रजातिवार तथा वर्षवार मय आश्रय स्थलों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 2003 में करायी गयी वन्यप्राणी गणना में बाड़मेर जिले के क्षेत्र में गोडावन देखे गये थे। राष्ट्रीय मरू उद्यान गठन के पश्चात की गयी वन्यजीव गणना का वर्षवार एवं प्रजातिवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु पौधारोपण/रख-रखाव

305. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु पौधों की पौध तैयार करने व उनके वितरण की व्यवस्था क्या है? पौध वितरण के उपरान्त वन क्षेत्रों में उन्हें रोपण करने तथा उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वृक्षाच्छादित क्षेत्रों के विस्तार हेतु राज्य के सभी जिलों के विभिन्न भागों में पौध तैयार करने एवं उनके वितरण हेतु स्थायी एवं अस्थायी पौधशालाएं स्थापित की जाती हैं। विभागीय पौधशालाओं से वन क्षेत्र एवं अन्य राजकीय तथा सामुदायिक भूमि पर विभागीय वृक्षारोपण हेतु पौधे तैयार कर उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत कृषकों एवं आम जनता को भी निर्धारित शुल्क पर पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में वन महोत्सव के लिये एवं विद्यालय परिसर में 100 पौध तक नि:शुल्क पौध उपलब्ध कराये जाते हैं।

पौधशालाओं में विभागीय वृक्षारोपण हेतु तैयार पौधों को निर्धारित वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षारोपण कर इनका संधारण समय-समय पर (निराई-गुड़ाई एवं अन्य सिल्विकल्चरल आपरेशन्स आदि के माध्यम से) करवाया जाता है एवं इनकी देखभाल विभागीय स्टाफ तथा ग्राम वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समिति द्वारा करवायी जाती है। जब कि कृषकों एवं आम जनता को वितरित पौधे उनके द्वारा स्वयं लगाये जाते हैं तथा उनकी देखभाल भी उनके द्वारा ही की जाती है।

वन उत्पादों से प्राप्त राजस्व

306. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक वन उत्पादों से राज्य को कितना राजस्व प्राप्त हुआ और यह वर्ष 2003 से पूर्व के पांच वर्षों से कितना अधिक या कम है?

(2) राज्य में तेन्दूपत्ता विक्रय की नीति क्या है?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक 4 वर्षों की अवधि में वन उत्पादों से राज्य को 9940.46 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2003 से पूर्व के पांच वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 की अवधि में 10125.64 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ था।

वर्ष 2003-04 से 2006-07 की चार वर्ष की अवधि में प्राप्त राजस्व 2003 से पूर्व के पांच वर्षों के राजस्व से 185.18 लाख रुपये कम है।

(2) राज्य में तेन्दूपत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित किया हुआ है। व्यापार हेतु निम्न नीति निर्धारित है :-

(वन राज्य मंत्री)

1. तेन्दूपत्ता वन उपज संग्रहण पर राज्य सरकार (वन विभाग) का एकाधिकार स्थापित करना।
2. तेन्दूपत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलवाकर उचित पारिश्रमिक दिलवाना।
3. तेन्दूपत्ता से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि करना।

तेन्दूपत्ता इकाइयां बेचान से पूर्व हर वर्ष गठित सलाहकार समितियों की सिफारिशानुसार तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर निर्धारित करने के बाद वृत्त कार्यालयों द्वारा इकाइयों का बेचान किया जाता है। इकाइयां बेचान से पूर्व रिजर्व प्राइस निर्धारण समिति की सिफारिशानुसार प्रत्येक इकाई की न्यूनतम रिजर्व प्राइस अनुमोदित की जाती है। तत्पश्चात् निविदा/नीलामी द्वारा रिजर्व प्राइस से अधिक मूल्य प्राप्त होने पर इकाइयों का बेचान किया जाता है। निर्धारित रिजर्व प्राइस को वर्ष के दौरान कम नहीं किया जाता है विक्रय से शेष रही तेन्दूपत्ता इकाइयों में बाजार में तेन्दूपत्तों की मांग की स्थिति के अनुरूप सीमित मात्रा में 10 प्रतिशत तक अच्छी किस्म का पत्ता विभागीय तौर से संग्रहित करवाकर विक्रय किया जाता है। अथवा इकाइयों को पड़त रखा जाकर विभागीय तौर से संग्रहण नहीं कराने का नीतिगत निर्णय लिया जाता है।

सीकर जिले के कृषकों को फलदार/औषधीय पौधों के लिए अनुदान

307. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को फलदार/फूलदार एवं औषधीय पौधों की कृषि के लिये सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो इनके मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में गत चार वर्षों में उपरोक्त योजनान्तर्गत कितना-कितना ऋण एवं अनुदान किसानों को दिया गया? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत चयनित जिलों के किसानों को फलदार/फूलदार एवं औषधीय पौधों की कृषि के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। फलदार पौधों की खेती के लिये राज्य योजना मद में भी

(कृषि मंत्री)

अनुदान का प्रावधान है। इन योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया जाता है। कृषकों को वर्तमान में दी जा रही सहायता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता/अनुदान

फसल	सहायता/अनुदान
1	2
फल	बगीचे स्थापना पर प्रत्येक श्रेणी के कृषकों को कुल लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम 22500 रुपये प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, अधिकतम 4.00 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 3 वर्षों में 50:20:30 की तीन किश्तों में।
फूल 1. कट फ्लावर लघु सीमान्त कृषक	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 35000 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो की दर से, 2 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा तक।
अन्य कृषक	लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रुपये 23100 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो की दर से, 4 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा तक।
2. बल्ब्स फ्लावर लघु सीमान्त कृषक	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 45000 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो की दर से, 2 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा तक।
अन्य कृषक	लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रुपये 29700 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो की दर से, 4 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा तक।
3. लूज फ्लावर लघु सीमान्त कृषक	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 12000 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो की दर से, 2 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा तक।
अन्य कृषक	लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रुपये 7920 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो की दर से, 4 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा तक।
औषधीय फसलें	प्रत्येक श्रेणी के कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रुपये 11250/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो प्रति लाभार्थी 4.00 हैक्टेयर की सीमा तक

फल	सहायता/अनुदान
राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता/अनुदान	
फल	राज्य की जलवायु के लिये उपयुक्त सभी फलों पर राज्य के समस्त जिलों के कृषकों को फलदार बगीचे स्थापित करने पर राशि रुपये 7500/- प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान, प्रति लाभार्थी 4.00 हैक्टेयर की सीमा तक।

इसके अतिरिक्त राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, जयपुर औषधीय पौधों की निर्धारित प्रति एकड़ लागत का 30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाता है।

(2) सीकर जिला राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत चयनित नहीं है। अत: इस जिले में गत चार वर्षों में कार्य योजना, राज्य योजना एवं राजस्थान आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इन योजनाओं में सीकर जिले में विभिन्न वर्षों में फल, फूल व औषधीय फसलों के लिये देय सहायता/अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उद्यान विभाग एवं राजस्थान मेडिसनल प्लांट बोर्ड के द्वारा गत चार वर्षों में उपलब्ध कराया गया अनुदान विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	फसल	वर्षवार व्यय की गयी राशि (रुपये लाख)				
		2003-04	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007– जनवरी 08 तक**
1.	फल	5.40	5.02	9.04	3.86	17.50
2.	फूल	0.57	0.68	3.82	0.00	0.00
3.	औषधि	0.00	0.34	0.35	0.00	0.00
योग		**5.97**	**6.04**	**13.21**	**3.86**	**17.50**

राजस्थान मेडिसनल प्लांट्स बोर्ड द्वारा औषधीय फसल पर उपलब्ध कराये गये अनुदान का वर्षवार विवरण :-

फसल	वर्षवार व्यय की गयी राशि (रुपये लाख)				
	2003-04	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007– जनवरी 08 तक**
औषधीय	0.26	10.57	7.29	12.68	0.36

पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जैविक खाद हेतु नीति से कृषि को प्रोत्साहन

308. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में जैविक खाद से कृषि को बढ़ावा देने की नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में रासायनिक खाद से भी खेती होती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पूर्व से ही जैविक खाद से कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य के सभी जिलों में किसानों के द्वारा खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है।

ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवलगढ़ में प्रतिनियुक्त अध्यापक

309. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कार्यालय ब्लाक शिक्षा अधिकारी नवलगढ़ के अधीन कार्यरत शिक्षकों को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ में लगाकर कार्य करवाया जाता है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में किन-किन शिक्षकों से कब-कब कार्य करवाया गया व क्यों? प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ में कार्यरत अध्यापकों को हटाने के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा, अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनूं) के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक जिनको कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में विगत चार वर्षों में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है, का अवधि सहित विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है तथा आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "ग-I" से "ग-II" तक संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) वर्तमान में कोई अध्यापक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक

310. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में विभिन्न संवर्गों के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल कितने पद भरे हुए तथा कितने पद रिक्त हैं?

(2) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में कार्यरत समस्त स्थाई अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम मय पद व उनकी स्थाईकरण की तिथि सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में अस्थाई कर्मचारियों व अधिकारियों में से कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगाये हुए हैं? प्रतिनियुक्त समस्त अस्थाई कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में विभिन्न संवर्गों के 29 राजपत्रित एवं 215 अराजपत्रित पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल 22 राजपत्रित एवं 209 अराजपत्रित पद भरे हुए तथा 7 राजपत्रित व 6 अराजपत्रित पद रिक्त हैं।

(2) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण एवं सूची क्रमश: परिशिष्ट-क एवं ख पर उपलब्ध है।

(3) सूचना शून्य है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा का स्थानान्तरण प्रकरण

311. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री रणछोर गर्ग, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा की जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने पर बांसवाड़ा जिले से अन्य जिले

(श्री जीतमल खांट)

में स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत 4 वर्षों में उक्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का बांसवाड़ा जिले से अन्य जिलों में कई बार स्थानान्तरण किया गया? यदि हां, तो कितनी बार व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा का गत चार वर्षों में बांसवाड़ा जिले से बाहर अन्य जिले में कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ। श्री रणछोर गर्ग, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा 22.6.2003 से अब तक बांसवाड़ा जिले में ही विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बस्सी (जयपुर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

312. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को वेतन सही समय पर नहीं दिया जा रहा है? जनवरी, 2006 से जनवरी, 2008 तक का वेतन विवरण माहवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वेतन समय पर नहीं दिये जाने पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की उच्च अधिकारियों को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा शिकायतें प्राप्त होने के उपरान्त अभी तक ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बस्सी द्वारा शिक्षकों के वेतन से की गई कटौतियां लम्बे समय तक जमा नहीं कराई जाती हैं? यदि नहीं, तो कटौतियां जमा कराने का जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2007 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बस्सी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 2006 से जनवरी, 2008 तक का वेतन भुगतान विवरण माहवार परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वेतन भुगतान के सम्बन्ध में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की कोई शिकायत उच्च अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रश्नोत्तर बिन्दु संख्या-02 के अनुसार।

(4) जी हां। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बस्सी द्वारा शिक्षकों को समय पर वेतन न देने व कटौतियां समय पर जमा न करायी जाने की जांच करवाई जा रही है।

(5) जांचोपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गौड़ विप्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में प्रधानाध्यापक का नियुक्ति प्रकरण

313. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के यहां श्री गौड़ विप्र सीनियर सैकेण्डरी स्कूल जयपुर अनुदानित संस्था है एवं वर्ष 1991 से माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1993 के प्रावधान लागू हैं?

(2) क्या राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993 के तहत सीनियर सैकण्डरी स्कूल में प्रधानाचार्य का पद 10 वर्ष के अनुभव के साथ स्वीकृत होने व सहायक प्रधानाचार्य का पद दो पारी स्कूल में स्वीकृति की शर्त दर्ज है?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में श्री गौड़ विप्र सीनियर सैकण्डरी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद हेतु साक्षात्कार लिया गया था? यदि हां, तो किस नियम में? क्या राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993 में सीनियर सैकण्डरी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद का प्रावधान ही नहीं है? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली की आर्डर शीटें व सम्पूर्ण पत्राचारों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(4) क्या यह सही है कि साक्षात्कार में भी पांच वर्ष के अनुभव की शर्त अंकित थी? यदि हां, तो क्या चयनित व्यक्ति पर विभाग ने पांच वर्ष से कम अनुभव को देखते हुए आक्षेप लगाया था? यदि हां, तो फिर किस प्रकार का पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण हुआ? क्या इस बाबत संस्था द्वारा पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस पद पर नियुक्ति में आरक्षण नियमों की पालना हुई है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार इस कार्यवाही को रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री गौड़ विप्र सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, जयपुर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के यहां माध्यमिक स्तर तक अनुदानित विद्यालय है। इस संस्था को वर्ष 1991 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। उक्त संस्था पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्संबंधी नियम, 1993 के प्रावधान लागू हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वर्ष 1999 में नियम 26 से 29 में वर्णित प्रावधानानुसार श्री गौड़ विप्र सीनियर सैकण्डरी स्कूल, जयपुर में स्वीकृत प्रधानाध्यापक के पद हेतु साक्षात्कार लिया गया था। अनुदानित सीनियर सैकण्डरी शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत करने का नियमों में प्रावधान नहीं है। श्री गौड़ विप्र सी.सै. स्कूल, जयपुर को माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं हेतु विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है तथा यह पद माध्यमिक स्तर हेतु स्वीकृत है। संस्था एवं आयुक्तालय के मध्य हुए पत्राचार से सम्बन्धित पत्रों की छाया प्रतियां परिशिष्ट "अ" संलग्न है। उक्त प्रकरण में पद स्वीकृत होने पर ही साक्षात्कार एवं नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की गई है। अतः इस हेतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(4) जी हां। राजस्थान शिक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानानुसार 6 माह से अधिक अनुभव होने पर एक वर्ष का अनुभव माना जाता है। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त श्री धर्मेन्द्र तिवाड़ी का 6.9.1994 से 20.8.1999 तक अध्यापक अनुभव है, इस प्रकार श्री तिवाड़ी के पास 1994-95 से 1998-99 तक कुल पांच सत्रों का अनुभव

(शिक्षा मंत्री)

माना गया जो कि नियमानुसार मान्य है। संस्था से प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जी हां। प्रधानाध्यापक का एक ही पद संस्था में स्वीकृत है, जो कि राज्य सरकार के आरक्षण के प्रावधानानुसार एक ही पद होने पर सामान्य श्रेणी का पद होता है।

(6) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

मकराना विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

314. श्री भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर की पंचायत समितिवार राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापक कितने आबंटित किए गए? आबंटन के क्या नियम थे? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यह भी सही है कि श्री शिवजीराम जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा ने जानबूझकर विद्वषा के कारण मकराना क्षेत्र में सर्वाधित रिक्त पद होने के उपरान्त भी सबसे कम अध्यापक लगाए, जिससे आज भी प्राथमिक शालाओं में पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापक नियुक्ति हेतु नागौर जिले को 1344 आशार्थी आबंटित किये गए। जिला आबंटन आशार्थी द्वारा आवेदन में चाहे गये जिले तथा वरियता क्रम के आधार पर उनके वर्ग में विज्ञप्ति अनुसार उपलब्ध पदों पर किए गए। प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में श्री शिवजीराम जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर को प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में कर मुख्यालय आयुक्तालय, प्रार.शि., बीकानेर किया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाचुकाबास (जयपुर) के दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

315. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को शारीरिक दण्ड न दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी छात्र/छात्रा को विद्यालय से निकालने या दण्डस्वरूप उसे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र न दिये जाने सम्बन्धी कोई दिशा-निर्देश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नवम्बर 2007 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोचुकाबास (शाहपुरा) जयपुर में किसी छात्र को मारपीट व प्रताड़ित कर टी.सी. देने का प्रकरण सामने आया एवं घटना की जांच में प्रधानाचार्य एवं शारीरिक शिक्षक को दोषी पाया गया है? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को और सख्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को शारीरिक दण्ड न दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं। दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(2) कड़े गम्भीर प्रवृति के अपराधों की स्थिति में छात्र/छात्रा का दोष सिद्ध होने पर उसे संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय से बहिष्कार/निष्कासन का दण्ड दिया जा सकता है, परन्तु दण्ड स्वरूप उसे टी.सी. न दिये जाने सम्बन्धी प्रावधान नहीं है। नियम की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" में रख दी गई है।

(3) जी हां। प्रधानाचार्य एवं शारीरिक शिक्षक को विद्यालय से हटाया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन का नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाये जाने

(शिक्षा मंत्री)

पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जावेगी। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "ग" में रख दी गई है।

(4) जी हां। जांच प्रतिवेदन का नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है। इसके पश्चात् दोषियों के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जावेगी।

(5) जी हां। जारी दिशा-निर्देशों का पुन: परीक्षण कराया जावेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षकों के सेवा नियम

316. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों को राज्य सेवा की तर्ज पर वेतनमान दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या उक्त पद ये राज्य सेवा में शामिल हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों के लिये सरकार द्वारा सेवा नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति एवं कैडर का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों के लिये ए.आई.सी.टी.ई. की अभिशंसानुसार कैरियर एडवांसमेंट योजना को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) वर्तमान में पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन्हें भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में इन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अभिशंसित वेतनमान दिये जा रहे हैं।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। नये प्रस्तावित राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियमों में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों को सम्मिलित किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने समस्त केडर के पदों को मैरिट के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर खुली भर्ती प्रक्रिया से भरने का प्रावधान कर रखा है।

(4) पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में नये राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम लागू होने के उपरान्त ही निर्णय लिया जा सकेगा।

(5) वर्तमान में पुस्तकालयाध्यक्ष के 7 पद रिक्त हैं। सेवा नियम बन जाने व वित्तीय उपलब्धता होने पर विचार किया जा सकेगा।

फुलेरा में विधान सभा क्षेत्र प्रस्तावित नवीन ग्रिड सब-स्टेशन

317. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितनी क्षमता के कितने विद्युत सब-स्टेशन कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्युत सब-स्टेशनों में किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा उनमें वर्तमान में कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् अब तक कितने विद्युत सब-स्टेशन कितनी-कितनी क्षमता के कहां-कहां व कब स्वीकृत किये गये तथा इन्हें कब प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 33/11 के.वी. क्षमता के 19 उपकेन्द्र स्थापित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 33/11 के.वी. के 19 सब-स्टेशन हैं जिनमें से 15 सब-स्टेशनों की सप्लाई व्यवस्था एवं कार्य ठेके पर दे रखा है तथा 4 सब-स्टेशनों पर निगम के कर्मचारी कार्यरत हैं। इन 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों पर अलग से श्रेणीवार पद स्वीकृत नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् अब तक चार 33/11 के.वी. क्षमता के सब-स्टेशन स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से एक सब-स्टेशन डयोडी को चालू कर दिया गया है शेष का कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में नये ग्रिड सब-स्टेशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता होने पर 33/11 के.वी. के नये सब-स्टेशन प्रस्तावित किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	33 के.वी. उपकेन्द्र का नाम	निगम अथवा ठेके पर संचालित	स्थापित उपकेन्द्र की क्षमता	विशेष विवरण
1.	सांभर	सांभर	निगम द्वारा	2x3.15 एम.वी.ए	—
2.	सांभर	त्योद	ठेके पर आबंटित	2x1.6 एम.वी.ए	—
3.	रेनवाल	रेनवाल	निगम द्वारा	1x5.0+2x1.6एम.वी.ए	—
4.	रेनवाल	डूंगरी खुर्द	ठेके पर आबंटित	2x3.15+1x1.6एम.वी.ए	—
5.	रेनवाल	प्रतापपुरा	ठेके पर आबंटित	1x3.15 एम.वी.ए	—
6.	रेनवाल	बागावास	ठेके पर आबंटित	1x3.15 एम.वी.ए	—
7.	रेनवाल	बासडी खुर्द	ठेके पर आबंटित	1x3.15 एम.वी.ए	—
8.	रेनवाल	भैसलाना	ठेके पर आबंटित	1x3.15 एम.वी.ए	—
9.	रेनवाल	बघाल	निगम द्वारा	2x3.15 एम.वी.ए	—
10.	रेनवाल	जूनियावास	ठेके पर आबंटित	1x3.15 एम.वी.ए	—
11.	जोबनेर	जोबनेर	निगम द्वारा	1x5.0+1x1.6एम.वी.ए	—
12.	जोबनेर	पंचकोडिया	ठेके पर आबंटित	2x3.15 एम.वी.ए	—
13.	जोबनेर	रामजीपुरा कला	ठेके पर आबंटित	1x3.15 एम.वी.ए	—
14.	जोबनेर	घाटोलाई	ठेके पर आबंटित	1x3.15 एम.वी.ए	—

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	33 के.वी. उपकेन्द्र का नाम	निगम अथवा ठेके पर संचालित	स्थापित उपकेन्द्र की क्षमता	विशेष विवरण
15.	जोबनेर	करणसर	ठेके पर आबंटित	2x3.15+1x1.6एमवीए	—
16.	जोबनेर	खेजडावास	ठेके पर आबंटित	1x1.6 एम.वी.ए	—
17.	जोबनेर	सुन्दरियावास	ठेके पर आबंटित	2x3.15 एम.वी.ए	—
18.	जोबनेर	मोहन का बास	ठेके पर आबंटित	1x1.6 एम.वी.ए	—
19.	जोबनेर	तिवारिया	ठेके पर आबंटित	1x2.5 एम.वी.ए	—

परिशिष्ट-ब

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 1.01.2004 के पश्चात स्वीकृत एवं प्रारम्भ सब-स्टेशनों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	33 के.वी. सब-स्टेशन का नाम	क्षमता (MVA)	स्वीकृति की दिनांक	वर्तमान स्थिति	प्रारम्भ करने की दिनांक
1.	सांभर	सिनोदिया	3.15	21/12/2004	कार्य प्रगति पर	—
2.	रेनवाल	बधाल रोडी	3.15	04/01/2005	कार्य प्रगति पर	—
3.	जोबनेर	मुरलीपुरा	3.15	04/01/2005	कार्य प्रगति पर	
4.	जोबनेर	ड्योडी	3.15	04/12/2004		जनवरी 2006

बाली विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

318. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम पंचायत मुख्यालय/ग्राम कोट बालियान कुमटिया, भन्दर, लुन्दाड़ा, कूरण, खेतरली, भीमाणा, लाटाडा, खुडाला, फालना आदि में पालतू पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है? यदि हां, तो क्या सरकार कोर्ट बालियान, कुमटिया, भन्दर, लुन्दाड़ा, कूरण, खेतरली आदि गांवों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं भीमाणा खुडाला फालना व लाटाडा के पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को राजकीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम पंचायत (मुख्यालय) के ग्राम कोट बालियान, कुमटिया, भन्दर, लुन्दाड़ा, कुरण, खेतरली, भीमाणा, लाटाडा, खुडाला, फालना में पशुओं की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	ग्राम	पशु संख्या
1.	कोट बालियान	3130
2.	कुमटिया	4348
3.	भन्दर	7337
4.	लुन्दाड़ा	4147
5.	कुरण	2830
6.	खेतरली	3044
7.	भीमाणा	13267
8.	लाटाडा	4016
9.	खुडाला	3078
10.	फालना	1938

ग्राम कोट बालियान, भीमाणा, खुडाला एवं लाटाडा में उपकेन्द्र संचालित हैं। शेष ग्रामों में निकटवर्ती पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से वर्तमान में पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में नवीन उपकेन्द्र खोले जाने तथा कार्यरत उपकेन्द्रों को क्रमोन्नत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भेड़पालकों के बीमा हेतु सर्वे

319. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील क्षेत्र शेरगढ़ में कितने व कहां-कहां पशु चिकित्सालय संचालित हैं?

(2) क्या सभी पशु चिकित्सालयों के भवन बने हुये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(3) सरकार द्वारा पशुपालकों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु पालने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) तहसील क्षेत्र शेरगढ़ में भेड़ पालकों के बीमा योजनान्तर्गत कितने पात्र व्यक्तियों का बीमा किया गया है? क्या सरकार द्वारा ऐसे पात्र व्यक्तियों का पूर्व सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में कुल 12 पशु चिकित्सालय शेरगढ़, बालेसर, केतुमदा, देचू, सेतरावा, गिलाकोर, भुंगरा, दासनिया, आगोलाई, नाथडाउ, खुडियाला और चामु में संचालित हैं।

(2) तहसील शेरगढ़ के उक्त पशु चिकित्सालयों में से पशु चिकित्सालय नाथडाउ एवं आगोलाई में राजकीय भवन निर्मित नहीं है। वहां ग्राम पंचायत द्वारा पशु चिकित्सालय भवन की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) पशुपालकों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु पालने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु राजकीय अनुदानित गाय एवं गोपालक बीमा योजनाऐं, दुग्ध अभिलेख योजना, काफ रैली एवं दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताएं, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण कार्यक्रम तथा पशुपालकों को पशुपालन संबंधी नवीनतम जानकारियां उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न पशुपालक प्रशिक्षण शिविर तथा विस्तार/प्रचार-प्रसार गतिविधियों के अन्तर्गत पशुपालन विकास प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं।

(4) तहसील क्षेत्र शेरगढ़ में वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल 294 भेड़पालकों का अविकापाल बीमा योजनान्तर्गत तथा 222 भेड़पालकों का अविरक्षक बीमा योजनान्तर्गत बीमा किया गया है। बीमा योजना के लिए पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु सर्वे की आवश्यकता नहीं होती है।

पंचायतीराज संस्थाओं को प्रशासनिक अधिकार

320. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पंचायतों, पंचायत समितियों जिला परिषदों को प्रशासन की इकाई मानकर इनको वही अधिकार देने का विचार रखती है जो प्रशासनिक इकाइयों तहसीलदार एवं एस.डी.एम. व कलक्टर को मिले हुये हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम व उसके अधीन बने नियमों के तहत सरकार द्वारा पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अधिकार दिये गए हैं। तहसीलदार एवं एस.डी.एम. के अधिकार विभिन्न अधिनियमों के तहत अलग होते हैं।

चयनित जन सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति

321. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जन सम्पर्क अधिकारी के वर्तमान में कुल कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2007 में जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कितनी तथा कहां-कहां पर? चयन व पदस्थापन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों पर जन सम्पर्क अधिकारी का चयन करने के पश्चात् भी कुछ पद रिक्त रह गये हैं? यदि हां, तो कितने तथा पद रिक्त रखने का क्या कारण रहा?

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी रिजर्व सूची के अभ्यर्थियों से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के कुल 60 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में एक पद रिक्त है।

(2) जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर वर्ष 2007 में कोई नियुक्ति नहीं की गयी है अपितु वर्ष 2008 में सात व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। सूची संलग्न है।

(3) जी हां। लोक सेवा आयोग से चयनित एक उम्मीदवार के ज्वाइन नहीं करने के कारण एक पद रिक्त है।

(4) जी हां। लोक सेवा आयोग से आरक्षित सूची में से नाम मांगा जा चुका है।

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

संख्या/एफ.1(3)गृह/सम्पर्क/सचि/प्रको/99/   जयपुर, दिनांक 11.2.2008

आदेश

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.2.2008 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंसा पर नियुक्त किए गए जन सम्पर्क अधिकारियों का पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री गजेन्द्र गौतम	जन सम्पर्क कार्यालय, सिरोही
2.	श्री रजनीश शर्मा	आबकारी विभाग, उदयपुर
3.	श्री जगदीश गिरी	जन सम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगानगर
4.	श्री श्रवण कुमार	जन सम्पर्क कार्यालय, बाड़मेर
5.	श्रीमती क्षिप्रा भटनागर	वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
6.	श्री ब्रजेश कुमार सामरिया	जन सम्पर्क कार्यालय, दौसा
7.	श्री जसवीर मीणा	अजमेर विद्युत वितरण निगम, अजमेर

इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिवस में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त आदेश निरस्त समझे जायेंगे।

सभी अभ्यर्थी प्रथम उपस्थिति सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (मुख्यालय), जयपुर में देंगे।

उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अभ्यार्थियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ह./-

(रोहित कुमार सिंह)

शासन सचिव

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

बाड़मेर जिले में पर्यटक कर वसूली में व्याप्त अनियमितताएं

322. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिला मुख्यालय है जहां पर्यटकों के अलावा अन्य लोगों का आवागमन रहता है?

(2) क्या यह सही है कि पर्यटकों से कर वसूली के लिए शहर की दोनों सड़कों पर लगाई गई चौकियों के कर्मचारियों के व्यवहार से आम आदमी परेशान हैं?

(3) क्या यह सही है कि पर्यटन कर वसूली सिर्फ पर्यटन स्थल से ही होनी चाहिए, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चौकियों को शहर की मुख्य सड़कों से हटा कर पर्यटन स्थल पर ही स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। जिला प्रशासन, जैसलमेर को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

महिला सुपरवाइजर के आरक्षित पदों की पूर्ति

323. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में महिला सुपरवाइजर के कितने पद भरे गये, उनमें से कितने-कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति से भरे गये एवं कितना बैकलाग है?

(2) क्या सरकार बैकलाग की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गत 4 वर्षों में 364 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला सुपरवाइजर के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। इनमें अनुसूचित जाति के 57 एवं अनुसूचित जनजाति के 41 पद भरे गये हैं। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से महिला सुपरवाइजर कोटे का अनुसूचित जाति का 2 तथा अनुसूचित जनजाति के 4 पद का बैकलाग है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी हां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से महिला पर्यवेक्षक के पद हेतु आयोजित आगामी भर्ती प्रक्रिया में इन बैकलाग के पदों को सम्मिलित किया जावेगा।

महिला कल्याण कोष से लाभान्वित महिलाएं

324. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

महिला कल्याण कोष की स्थापना का क्या उद्देश्य है, इस कोष से किन-किन को सम्बन्धित किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसी महिला कल्याण योजनाएं हैं और उनको प्रभावी बनाने के लिये वर्ष 2003-04 से अब तक वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से किस मद से की गई तथा इस कोष की स्थापना से कितनी महिलाओं को (शहरी एवं ग्रामीण पृथक्-पृथक्) लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्यरत महिलाओं में सेवा सुरक्षा का भाव जागृत करने तथा सेवा विमुक्ति पर एक मुश्त राशि उपलब्ध करवाने के ध्येय से कल्याण कोष की स्थापना वित्तीय वर्ष 2005-06 में की गयी है। यह कोष भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस कोष से विभाग में मानदेय पर कार्यरत 18 से 60 वर्ष आयु की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनियों एवं साथिनों को जोड़ा गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालित सामूहिक बचत एवं बीमा योजना के अन्तर्गत कोष में राज्यांश के लिए राशि राज्य सरकार के द्वारा राज्य आयोजना मद में आबंटित की गयी है।

कल्याण कोष के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अंशदान 600 रुपये प्रतिवर्ष तथा सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिन का अंशदान 300 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। इस अंशदान के विरुद्ध 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है।

इस कल्याण कोष से अब तक शहरी क्षेत्र में 3619 मानदेय कार्मिकों को तथा ग्रामीण क्षेत्र में 93235 कुल मानदेय कार्मिकों को जोड़ कर लाभान्वित किया गया है।

डीडवाना आगार से संचालित बसें

325. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राकेश मेघवाल)

(1) गत चार वर्षों में प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने आगार एवं उप आगार सृजित किये गए तथा अब कितने नये आगार एवं उप आगार सृजित किये जाने प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भरतपुर के यातायात प्रबन्धक के विरुद्ध किसी कर्मचारी को बिना वजह परेशान करने पर विभागीय जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। व नहीं, तो क्यों?

(4) डीडवाना आगार से वर्तमान में कौन-कौनसी बसें कब-कब संचालित की जा रही है तथा कौन-कौनसी नई बसें संचालित की जानी प्रस्तावित हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा गत 4 वर्षों में केवल एक डीडवाना आगार सृजित किया गया तथा कोई उप आगार सृजित नहीं किया गया है।

वर्तमान में कोई नया आगार एवं उप आगार सृजित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। भरतपुर आगार के प्रबन्धक (यातायात) के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कोई विभागीय जांच नहीं कराई गई।

(3) प्रश्न का उत्तर खण्ड 2 में दिया जा चुका है।

(4) डीडवाना आगार द्वारा वर्तमान में जिन-जिन मार्गों पर बस सेवायें संचालित की जा रही हैं उनकी मार्गवार समय सारणी दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट “1” पर संलग्न है। डीडवाना आगार से फिलहाल किसी भी नये मार्ग पर बस सेवा संचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल कोटा का निर्माण कार्य

326. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगढ़मण्डी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में डी.सी.एम. रोड पर अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(2) शिलान्यास के समय बस टर्मिनल की लागत क्या थी एवं उस समय इसका निर्माण किस कम्पनी द्वारा किया जाना प्रस्तावित था?

(3) शिलान्यास के कितने माह पश्चात् बस टर्मिनल का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ?

(4) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य विलम्ब से होने के कारण बस टर्मिनल की लागत बढ़ी है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 25.1.2007 को कोटा शहर में डी.सी.एम. रोड पर अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान द्वारा किया गया था।

(2) शिलान्यास के समय बस टर्मिनल कामर्शियल कोम्पलेक्स एवं आगार कार्यशाला की अनुमानित लागत 41.00 करोड़ रु. आंकी गई थी। उक्त परिसर का विकास B.O.T. के आधार पर किया जाना प्रस्तावित था।

(3) नगर विकास न्यास कोटा से भूमि स्वामित्व, नक्शा आदि की B.O.T. पर विकसित करने की निविदा आदि की प्रक्रिया हुई है। निर्माण कार्य सभी औपचारिकताओं के पश्चात् किया जायेगा।

(4) जी नहीं।

अजमेर जिले में संचालित निगम बस सेवा

327. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें कहां-कहां से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में निगम द्वारा किन-किन मार्गों पर बस सुविधाओं को बन्द किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम के विभिन्न आगारों द्वारा अजमेर जिले एवं अजमेर होकर दैनिक संचालित की जा रही बस सेवाओं की आगारवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(यातायात मंत्री)

(2) गत दो वर्षों में निगम के विभिन्न आगारों द्वारा अजमेर जिले एवं अजमेर होकर संचालित जिन बस सेवाओं का संचालन बन्द किया गया है उनकी आगारवार सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में विधायक मद से स्वीकृत नलकूल

328. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटडा में वर्ष 2002 से अब तक विधायक मद से सार्वजनिक कूप कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये और इनमें से कितने पूर्ण किये गये व कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत मेवाड़ों का मठ, मालवा का चोरा में विधायक मद से सार्वजनिक कूपों में वर्ष 2002 से अब तक कितने लेबर लगाये गये? मस्टररोल की प्रति व लेबर भाग तथा मेटेरियल भाग में खर्च का व भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या कार्य पूर्ण है? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटडा में वर्ष 2002 से अब तक विधायक मद से 23 सार्वजनिक कूप स्वीकृत किये गये हैं और इनमें से 12 पूर्ण हो गये तथा 11 कार्य अपूर्ण है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत मेवाडों का मठ व मालवा का चौरा में विधायक मद से वर्ष 2002 से स्वीकृत सार्वजनिक कूपों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पंचायत	कूपों की संख्या	लेबर की संख्या	भुगतान की राशि (रुपये)	
				लेबर भाग	मेटेरियल भाग
1.	मेवाडों का मठ	1	10	14490	15500
2.	मालवा का चौरा	5	40	56540	50300

(ग्रामीण विकास मंत्री)

उक्त सार्वजनिक कूपों की मस्टररोल की प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध है।

उक्त 6 स्वीकृत कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण हैं। एक कार्य अपूर्ण एवं एक कुएं में पानी होने से कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया हैं। अपूर्ण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में विधायक अभिशंसित अपूर्ण कार्य

329. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक विधायक कोष से किस-किस ग्राम पंचायत को, किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि की अभिशंसा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में की गई अभिशंसा के कार्यों में से कितने कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई और कितने कार्यों की इस प्रकार की स्वीकृतियां अभी भी शेष हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में आने वाली ग्राम पंचायतों ने उक्त प्रकार जारी की गई प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों के बाद किस-किस वर्ष में कितने कार्य पूर्ण किये, कितने अधूरे हैं और कितने कार्यों में कब से कार्य आरम्भ नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अभिशंसित किये गये कार्यों में पूर्णता के बाद किस-किस स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी देने हेतु बोर्ड लगाया गया?

(5) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में किन-किन सरपंचों के द्वारा उनके कोष में वित्तीय स्वीकृति के आधार पर दी गई धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किया गया अथवा कार्य आरम्भ नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अभिशंसित कार्यों के पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र जारी होने से अब तक कितनी राशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भुगतान करना शेष है और इस राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों को कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक विधायक कोष से अभिशंसित किये गये कार्यों का ग्राम पंचायतवार एवं राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त वर्षों में की गई अभिशंसा के कार्यों में से 390 कार्यों की प्रशासनिक, 340 कार्यों की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। 26 कार्यों की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियां अभी भी शेष हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में आने वाली ग्राम पंचायतों ने उक्त प्रकार जारी की गई 340 कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों के बाद 244 कार्य पूर्ण, 53 कार्य प्रगति पर, 42 कार्य वित्तीय स्वीकृति दिनांक से अप्रारम्भ एवं एक कार्य विवादित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) उक्त अभिशंसित किये गये कार्यों में पूर्णता के बाद सभी पूर्ण हुये कार्यों के स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी देने हेतु बोर्ड लगा दिया गया हैं।

(5) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 20 पर अंकित प्रगतिरत/अप्रारम्भ कार्यों की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत द्वारा उनके कोष में वित्तीय स्वीकृति के आधार पर दी गई धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किया गया।

(6) उक्त अवधि में पूर्ण हुये कार्य जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र माह जनवरी, 2008 तक प्राप्त हो चुके हैं, की अन्तिम किश्त का भुगतान किया जाना शेष नहीं है। शेष पूर्ण हुए कार्यों की अन्तिम किश्त का भुगतान सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले की ग्राम पंचायतों की जैट्रोफा संरक्षण

330. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006-07 व 2007-08 में सरकार द्वारा प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जैट्रोफा के कुल कितने पौधे लगाये गये? इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों में जैट्रोफा के पौधे संरक्षण के अभाव में नष्ट हो गये हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने पौधे लगाये गये थे व सत्यापन के बाद कितने पौधे जीवित पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में सरकार द्वारा प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जैट्रोफा के कुल 193.28 लाख पौधे लगाये गये हैं तथा इस कार्य पर राशि कुल रु. 588.42 लाख खर्च किये गये हैं तथा 58 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) हां। यह सही है कि कोटा जिले की सांगोद, खैराबाद एवं सुल्तानपुर तीन पंचायत समितियों की कुछ ग्राम पंचायतों में जैट्रोफा के पौधे संरक्षण के अभाव में नष्ट हुये हैं, जिले की जिन ग्राम पंचायतों में जैट्रोफा के पौधे लगाये गये उनका पंचायत समिति द्वारा सत्यापन करवाया गया बाद सत्यापन लगाये गये पौधों की संख्या एवं जीवित पाये गये पौधों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कुएं गहरे करने की स्वीकृति

331. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में नये कुएं खोदने की योजना सम्मिलित की गई है? यदि हां, तो इस योजना में कुओं को गहरे करने की योजना शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार इस योजना में कुएं गहरे करने को सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत अनुमत कार्यों की केटेगरी 4 जिसमें अनु. जाति/जनजाति/बीपीएल/इन्दिरा आवास योजना एवं भूमि सुधार के लाभार्थियों की निजी भूमि पर नये कुएं खोदना शामिल है। पूर्व में निर्मित कुओं को गहरा कराना शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस कार्य के पर्यवेक्षण व क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) जी नहीं। कारण क्रम संख्या 1 में अंकित है।

सीकर जिले में राजकीय महिला शास्त्री कालेज की स्थापना

332. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एक भी राजकीय महिला शास्त्री कालेज संचालित नहीं है? क्या यह भी सही है कि इस कमी को पूरा करने के लिए सीकर जिले की चक खाचरियावास की जनता द्वारा एक राजकीय शास्त्री कालेज की स्थापना के लिए वर्ष 2007-08 के प्रारम्भ में पेशकश की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शास्त्री महिला महाविद्यालय के लिए पंचायत समिति/तहसील द्वारा प्रस्तावित 10 बीघा जमीन कलक्टर सीकर द्वारा आबंटित की गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर संस्कृत विश्वविद्यालय के मानकों के मुताबिक 30 लाख की लागत का भवन बनाकर देने हेतु एक भामाशाह ने शिक्षा विभाग के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उक्त संस्कृत बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अब तक एक महिला शास्त्री कालेज की स्थापना क्यों नहीं की जा सकी? क्या सरकार चालू वर्ष में उक्त कालेज की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चक खाचरियावास की जनता से राजकीय शास्त्री महिला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(2) जी नहीं। महिला महाविद्यालय के लिए भूमि आबंटन नहीं हुआ है।

(3) जी हां। वित्तीय प्रावधान होने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा।

मण्डी बोर्ड को वित्तीय अधिकारों की स्वीकृति

333. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मण्डी समितियों के चुनाव के बाद चुनाव पूर्व बोर्ड प्रशासक द्वारा केन्द्रित अधिकारों से वापिस निर्वाचित बोर्ड को क्या-क्या अधिकार दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) क्या मण्डी बोर्ड को स्वयं के स्तर पर व्यय करने के वित्तीय अधिकार हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व कितनी-कितनी राशि का? यदि नहीं, तो क्या सरकार मण्डी बोर्ड को वित्तीय अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रशासकों के समस्त अधिकार चुनाव के पश्चात् नवनिर्वाचित कृषि उपज मण्डी समितियों को दिये गये हैं। कृषि उपज मण्डी समिति की शक्तियां और कर्तव्य राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 9 में तथा कृषि उपज मण्डी समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 के नियम 31 में वर्णित है जिनकी छाया प्रतियां संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने मण्डी समितियों को 5.00 लाख रु. की सीमा तक के निर्माण या मरम्मत कार्य कराने के लिये प्राधिकृत किया हुआ है, परन्तु निर्माण करने से पूर्व इन कार्यों के विस्तृत तखमीने और नक्शे विपणन बोर्ड द्वारा नियुक्त इंजीनियर द्वारा स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है।

(छाया प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-171 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

निदेशालय महिला अधिकारिता

जिला नागौर में लाभान्वित महिलाओं तथा अर्जित औसत मासिक आय विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण जिसके लिए सहायता समूहों ने ऋण लिया	समूहों की सं. जिन्होंने ऋण लिया	लाभान्वित हुई महिलाओं की सं.	औसत मासिक आय जो महिलाओं को प्राप्त हुई
1	2	3	4	5
1.	सिलाई कार्य	242	288	1500 से 2000 प्रतिमाह
2.	पशुपालन	299	903	1200 से 1800 प्रतिमाह
3.	कृषि	188	760	1000 से 1500 प्रतिमाह
4.	ब्यूटी पार्लर	2	2	औसतन 1800 प्रतिमाह
5.	मनिहारी व्यवसाय	44	86	2000 से 2500 प्रतिमाह
6.	किराणा दुकान	35	35	1500 से 2000 प्रतिमाह
7.	पापड़ बड़ी उद्योग	7	64	500 से 800 प्रतिमाह
8.	आटा चक्की	20	20	1000 से 1200 प्रतिमाह
9.	घरेलू कार्य	84	414	1000 प्रतिमाह
10.	सब्जी विक्रय	7	7	1000 से 1200 प्रतिमाह
11.	बुनाई कढ़ाई	1	2	1200 प्रतिमाह
12.	कसीदा कार्य	14	26	800 से 1000 प्रतिमाह
13.	दुग्ध उत्पादन	126	468	500 से 700 प्रतिमाह

1	2	3	4	5
14.	संगीत यंत्र	1	1	800 प्रतिमाह
15.	चाय ढाबा	2	2	1000 प्रतिमाह
16.	स्टेशनरी व्यवसाय	1	1	1200 प्रतिमाह
	योग	**1075**	**3079**	

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

निदेशालय महिला अधिकारिता

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में लाभान्वित महिलाएं एवं अर्जित औसत मासिक आय

क्र. सं.	कार्य का विवरण जिसके लिए सहायता समूहों ने ऋण लिया	समूहों की सं. जिन्होंने ऋण लिया	लाभान्वित हुई महिलाओं की सं.	औसत मासिक आय जो महिलाओं को प्राप्त हुई
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	सिलाई कार्य	28	52	1500 से 2000 प्रतिमाह
2.	कृषि	31	85	1000 से 1500 प्रतिमाह
3.	पशुपालन	36	71	1200 से 1800 प्रतिमाह
4.	मनिहारी व्यवसाय	10	24	2000 से 2500 प्रतिमाह
5.	आटा चक्की	1	1	1000 से 1200 प्रतिमाह
6.	ब्यूटी पार्लर	1	1	1800 प्रतिमाह
7.	घरेलू कार्य	8	24	1000 प्रतिमाह
8.	सब्जी विक्रय	7	10	1000 से 1200 प्रतिमाह
9.	स्टेशनरी व्यवसाय	1	1	1200 प्रतिमाह
10.	कशीदा कार्य	5	7	800 से 1000 प्रतिमाह
11.	चाय ढाबा	1	1	1000 प्रतिमाह

1	2	3	4	5
12.	संगीत यंत्र	1	1	800 प्रतिमाह
13.	किराणा दुकान	1	1	1500 से 2000 प्रतिमाह
14.	दुग्ध उत्पादन	2	10	500 से 700 प्रतिमाह
	योग	**133**	**289**	

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-172 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

आना सागर झील के लिए कार्य लागत अनुमान

क्र. सं.	योजना घटक	लागत राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	औसाद हटाना (3.4 लाख घन मीटर)	534.00
2.	बन्द शहरी नालों की सफाई एवं संधारण	15.19
3.	आद्र भूमि का निर्माण (32 हैक्टेयर क्षेत्रफल में) एवं बाधा छननी का निर्माण	324.8
4.	नियंत्रण बांध (चेक्ड डेम) 31 नग एवं जल ग्रहण क्षेत्र में पौधारोपण	122.18
5.	जलाशय के अन्दर उपचार (5 वायु मिश्रण यंत्र का निर्माण)	35.00
6.	जलाशय/झील सीमांकन कार्य	0.00
7.	भूमि अधिग्रहण कार्य (32 हैक्टेयर)	160.00
8.		
8.1	प्लवमान फव्वारा 4 नग	28.00
8.2	पौधारोपण कार्य (10000 पौधारोपण)	3.7
8.3	सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश की व्यवस्था	17.00
8.4	घाट निर्माण कार्य	5.00
8.5	पगडन्डी मार्ग निर्माण एवं बैठने के स्थान की व्यवस्था	9.75
8.6	विश्राम स्थल का निर्माण	100.00

1	2	3
8.7	उद्यानों का विकास एवं संधारण	5.00
	योग (8)	**168.45**
9.	जन प्रसार एवं संगठनात्मक सुधार	30.00
	योग	**1414.62**
	सेन्टेज (@ 8 प्रतिशत)	**113.17**
	कुल योजना लागत	**1528.00**
	भारत सरकार का अंश (@ 70 प्रतिशत)	**1070.00**
	राज्य सरकार का अंश (@ 30 प्रतिशत)	**458.00**

परिशिष्ट "ब"

पुष्कर झील के लिए कार्य लागत अनुमान

क्र. सं.	योजना घटक	लागत राशि (रुपये लाखों में)
1	**2**	**3**
1.	औसाद हटाना	
1.1	सरोवर तल में औसाद हटाना	349.51
1.2	वर्तमान में विद्यमान कुओं की सफाई	4.82
1.3	रिसाव नियंत्रण हेतु सरोवर तल का उपचार	97.00
2.	सहायक नालों का जलीय सुधार	2697.00
3.	परिशोधन/जमाव टैंक एवं जल संग्रहण टैंक का निर्माण	200.00
4.	जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार	160.00
4.1	पौधारोपण कार्य	100.00
4.2	रेतीले ढीबों का स्तरीकरण	80.00
4.3	गेवियन संरचनाऐं	200.00

1	2	3
5.	प्लवमान तंत्र	97.10
6.	प्रवेश द्वार एवं मुहाने पर जलीय प्रबन्धन	145.00
7.	काजवे के स्थान पर पुलिया का निर्माण	300.00
8.	सरोवर के समीप विकास कार्य	
8.1	चिडियों के लिए विश्राम स्थल	4.85
8.2	बैठने के स्थान की व्यवस्था	40.00
8.3	सरोवर क्षेत्र का समग्र एवं समग्र उत्थान	33.15
8.4	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (15 सीटर 4 नग)	50.00
8.5	अवरोध एवं फैन्सिंग निर्माण	25.00
	योग (8)	**153.00**
9.	जन प्रसार एवं संगठनात्मक सुधार	30.00
10.	जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था हेतु	25.00
	योग	**4478.43**
	सेन्टेज (@ 8 प्रतिशत)	358.27
	कुल योजना लागत	4836.70
	भारत सरकार का अंश (@ 70 प्रतिशत)	3385.69
	राज्य सरकार का अंश (@ 30 प्रतिशत)	1451.01

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-173 का विवरण)

परिशिष्ट–क

नागौर जिले के वन क्षेत्र में अवैध कटाई से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र. सं.	शिकायत जहां से प्राप्त हुई	शिकायत कर्ता	वर्ष
1	2	3	4
1.	मुख्य मंत्री कार्यालय	श्री भंवरलाल बावेला	2004
2.	वनमंत्री कार्यालय	मोहन सिंह एवं समस्त ग्रामवासी, गांव बंवाल, बस्सी, मायापुर	2005
3.	राष्ट्रपति सचिवालय	बेनामी	2005
4.	वन संरक्षक, कार्यालय सीकर	भवानी सिंह सचिव, ग्राम वन सुरक्षा समिति बंवाल	2005
5.	अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति राजस्थान, जयपुर	मानव अधिकार परिषद् अजमेर	2005
6.	वनमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर	बेनामी	2005
7.	वनमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर	गोमदाराम जिला परिषद् सदस्य वार्ड सं. 10, थांवला	2005
8.	वनमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर	श्री मीठूराम नायक सरपंच ग्राम पंचायत पलाड़ा, तहसील नावां	2005
9.	वनमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर	चैनसिंह रामसुख गांव कुरड़ाया तहसील मेड़ता	2006
10.	मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर	श्री डालूराम ग्राम बाजोली तहसील मकराना	2006

1	2	3	4
11.	जोगाराम गांव-खटोड़ा तहसील खींवसर	स्वयं	2006
12.	वनमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर	जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा ग्राम रोटू, तहसील जायल	2007

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-50

ग्रामीण रोजगार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-50 मुख्य शीर्षक ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

1. राज्य में ग्रामीण रोजगार योजना में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजना के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

3. विधान सभा क्षेत्र मावली में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत एवं सी.सी. सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

4. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना को कारगर रूप से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

5. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासरत गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

6. विभाग द्वारा पशुपालन के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विभाग द्वारा दस्तकारी एवं हस्तशिल्पियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कृषि उत्पाद की लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

9. विभाग द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं उनमें उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

10. विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत विकास के कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

11. राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों की तुलना में कार्यरत श्रमिकों को कम मजदूरी मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

12. विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) के अन्तर्गत प्राथमिकता वाले कार्यों को वर्षा से पूर्व पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

13. प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वंचित रहे परिवारों की पुन: फोटोग्राफी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

14. विभाग द्वारा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्राथमिकता से क्रियान्विति करने एवं इससे जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

15. प्रदेश में लागू राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना एवं ग्रामीण रोजगार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

16. विभाग द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के तहत शौचालय, सी.सी. रोड एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

17. प्रदेश में लागू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

18. विभाग द्वारा ग्रामीण रोजगारों में की जाने वाली अनियमितताओं और भेदभाव पर रोक लगाने में बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये।

19. प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों को उनकी संख्या के अनुपात में रोजगार उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

20. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत नियत कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश के ग्रामीण गरीब बेरोजगारों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

22. विधान सभा क्षेत्र शिव के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु कुटीर उद्योग पनपाने में विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

23. विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर रोजगार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने एवं उत्पादित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

24. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास हेतु संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों को बढ़ाकर जिला स्तर पर ग्रामीण आबादी के अनुरूप अथवा आबादी के 50 प्रतिशत तक रखे जाने व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

25. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कोटड़ा कस्बे में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

26. प्रदेश में लागू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

27. विधान सभा क्षेत्र दूदू में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जोब कार्ड बनाने में आ रही समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

28. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ग्रामीणों को विशेष योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा खेतीहर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

31. विभाग द्वारा राज्य में ग्रामीण रोजगार की स्थिति के अनुसार कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

32. विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र में रोजगार के लिये अलग से योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

33. विभाग द्वारा गांवों में ग्रामीण रोजगार के सृजन हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाकर उनके पलायन को रोकने हेतु कदम उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

34. विभाग द्वारा मरू प्रसार रोक योजना में चूरू, सीकर क्षेत्र के कार्यरत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

35. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग्रामों में सीमेंट कंकरीट की सड़कों का निर्माण करने एवं पानी की निकास की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

36. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में बेरोजगारों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

37. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के बेरोजगारों को विभाग द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

38. जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बून्दी में स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पम्पलेट, पोस्टरों में अधिकारियों द्वारा अनदेखी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत लघु निर्माण कार्यों में फर्जी मस्ट्रोल तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नैनवां (बून्दी) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तर्गत विभिन्न कार्य यथा-दुर्गम रास्ते के नालों में पुलिया निर्माण, ग्रेवल सड़क आदि कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नैनवां में स्वविवेक जिला विकास योजना से राशि स्वीकृत की जाने में अनदेखी पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) (नागौर) :

43. विभाग द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये 50 प्रतिशत श्रमिक व 50 प्रतिशत सामग्री के मानदण्ड निश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विभाग द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. नागौर जिले में अनुसूचित जाति व महिलाओं की ग्रामीण रोजगार के भागीदारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

46. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

47. विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

48. ग्राम पंचायत स्तर पर लेबर, कारीगर से मापदण्ड से अधिक कार्य कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

49. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्रामीण बेरोजगारों को लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्रामीण महिलाओं को परम्परागत उद्योग को बढ़ावा देने हेतु ऋण दिये जाने पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

51. विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के 01 अप्रैल, 2008 से सभी जिलों में शुरू किये जाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में पहल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की जानकारी देने हेतु मेले आयोजित करने तथा दस्तकारों के लिये प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विभाग द्वारा लवलीहुड मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के लिये किये गये सराहनीय प्रयासों का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिये मिशन को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा ग्रामीणों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

56. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम बखूसर के बुनकरों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

57. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम नायासर में खादी ग्रामोद्योग द्वारा कच्चा माल (ऊन) उपलब्ध करवाकर तैयार माल (कताई ऊन) संकलित करने के पूर्व संचालित केन्द्र को पुन: प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

58. रोजगार गारंटी योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के कुए खुदाई के कार्यों का सिरोही जिले में गत दो माह से भुगतान न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. अधिशासी अभियन्ता (नरेगा) सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही द्वारा

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रेषित पोसालिया मुख्य सड़क की स्वीकृति का प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विभाग द्वारा रोजगार गारंटी कानून, 2005 के प्रावधान के अनुसार 15 दिवस में मजदूरी के भुगतान के प्रावधान की सिरोही जिले में लगातार अवहेलना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा सिरोही जिले में सामग्री आधारित कार्यों को ठेकेदारों से 15 प्रतिशत कमीशन पर करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-41

सामुदायिक विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

1. विभाग द्वारा सामुदायिक विकास के अधिकाधिक कार्यक्रम आयोजित करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

2. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजस्थान रोडवेज के ढोला बस-स्टैण्ड पर सुलभ-शौचालय निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

3. सामुदायिक विकास में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विभाग द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

4. विधान सभा क्षेत्र खारची के गांवों में बस-स्टाप पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हेतु विश्राम भवन बनाने तथा शौचालय-मुत्रालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विभाग द्वारा प्रदेश में नागरिकों को समूह में गठित करके उनके रोजगार हेतु बैंकों से ऋण सुलभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

6. विभाग द्वारा सामाजिक समरसता हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

7. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर अनु. जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये सामुदायिक भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

8. विभाग द्वारा विकास विभाग में ग्राम-सेवकों की भर्ती हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

9. प्रदेश में सामुदायिक विकास की योजना के अन्तर्गत महिलाओं के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

10. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को राजकीय चिकित्सालय में नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था एवं औषधियां उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

11. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित सामुदायिक विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

12. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्रामीण क्षेत्रों व मगरों में आंगनबाड़ी की स्थापना एवं उनमें निवासरत स्त्री, पुरूषों व बच्चों हेतु अच्छे स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग द्वारा लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

13. पंचायतराज संस्थाओं के माध्यम से करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार को रोक पाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

14. भेदभाव बरत कर निर्बन्ध विकास कोष राशि से स्वीकृत कार्यों बाबत विभागीय जांच कराई जाने में सरकार की अनदेखी पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा सदस्यों के पत्रों की अनुशंसा पर बैकुण्ठद्वार/मुक्तिधाम योजना के तहत कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति जारी की जाने में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

16. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना में बून्दी जिले की ग्राम पंचायत रायथल एवं ग्राम पंचायत समिति का चयन करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

17. निर्मल घाट निर्माण योजना में कराये जाने वाले कार्यों में विधान सभा क्षेत्र नैनवां के प्रति भेदभाव बरत कर स्वीकृतियां जारी करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता, नागौर) :

18. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में अनुसूचित जाति सामुदायिक भवन व वृद्धा आश्रम खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

19. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये सामुदायिक सभा भवन व दूदू आश्रम खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

20. विभाग द्वारा ग्रामीण जन-प्रतिनिधि, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंचों को मासिक भत्ता नगरीय जनप्रतिनिधियों के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरू) की ग्राम पंचायत खूड़ी के सरपंच को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

22. विभाग द्वारा सामुदायिक विकास के लिये विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

23. विभाग द्वारा पंचायत समिति नगर द्वारा जनहित तथा ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

24. विभाग द्वारा राज्य में विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं सहित पंचायत समितियों में काफी समय से रिक्त पड़े पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. विभाग द्वारा पंचायत समितियों में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से नहीं रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर की नगर पंचायत समिति द्वारा विकलांग, वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन के आवेदकों का लम्बे समय से निपटारा नहीं करने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

27. राज्य में इन्द्रा आवास योजना की प्रभावी मोनीटरिंग नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-33

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

1. विभाग द्वारा संचालित निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी के छात्रावासों की क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये।

2. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के मगरा क्षेत्र कनेरा में विभाग का छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

3. विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की योजनाओं पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

4. विभाग द्वारा विकलांगों के लिये आवास हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

5. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के हनन से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

7. विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत समस्त कार्यों में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

8. विभाग द्वारा संचालित विधवा/वृद्धावस्था पेंशन योजना की भांति दूसरों पर आश्रित विकलांगों को भी पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा उक्त योजनाओं में किये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

10. विधान सभा क्षेत्र खारची के मगरा क्षेत्र में समाज कल्याण का छात्रावास खोलने तथा अनुसूचित जाति के लिये आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

11. प्रदेश में विभाग द्वारा आपसी समन्वय व समाजोत्थान के लिये प्रेरणादायी प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

12. राज्य में सामाजिक सुरक्षाओं के विभिन्न कार्यों पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

13. विधान सभा क्षेत्र परबतसर मुख्यालय पर समाज कल्याण छात्रावास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र परबतसर पर मूक बधिर विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्तियों को समय पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

17. प्रदेश में लागू विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं यथा (वृद्घावस्था, विधवा व विकलांगता) के प्रावधानों के सरलीकरण के लिये इन योजनाओं के मापदण्डों में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

18. विभाग द्वारा समाज कल्याण छात्रावास में कम्प्यूटर सेंटर एवं रोजगार केन्द्र शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

19. प्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति की बालिकाओं के लिये मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति की विधावारिधी योजना को जिला स्तर पर लागू करने व मैरिट में प्रथम पांच स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पूरे पाठ्यक्रम हेतु 7500/- की छात्रवृत्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

20. विभाग द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलनों में निर्वाहित होने वाली कन्याओं को कन्यादान के रूप में प्रति जोड़ा 5000/- रुपये की राशि दिये जाने, 20 से अधिक जोड़े होने पर अधिकतम सीमा तक लाख रुपये तय की गई है, को समाप्त कर प्रति जोड़ा चाहे सम्मेलन में कितने ही जोड़े क्यों न हो प्रति जोड़ा 5 हजार रुपये दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की भांति ही शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बी.पी.एल. परिवारों को बी.पी.एल. से ऊंचा उठाने हेतु महिला सदस्यों को रोजगार मुहैया करवाने हेतु परिवार के पुरूष सदस्य को प्रशिक्षण देकर उचित उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विभाग द्वारा नि:शक्तजन या विकलांग को मिलने वाली विकलांग पेंशन में उसके अपने संयुक्त परिवार में रहने या पिता के जीवित रहने पर पेंशन लाभ न मिलने से विकलांगों में आ रही हीन भावना को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

23. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की योजनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

24. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के केलवाड़ा कस्बे में कालेज स्तरीय अनुसूचित छात्रों का छात्रावास प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विभाग द्वारा अनाथ छात्र-छात्राओं को छात्रवृति उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों को एन.जी.ओ. को नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भोजन राशि को 725 से बढ़ाकर 1000 किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

29. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अधीक्षकों की कमी से छात्रों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

30. विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) :

31. प्रदेश में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिये छात्रावासों की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

32. विधान सभा क्षेत्र निवाई के डांगरथल एवं सिरस में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

33. सरकारी विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर को निजी क्षेत्र की संस्था मानकर एम.एस.सी. (फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री) में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों द्वारा अध्ययन/प्रवेश हेतु जमा कराई पूर्ण फीस का भुगतान छात्रवृति के रूप में करने में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालय रायथल (बून्दी) में अध्ययनरत आदिवासी/दलित वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विभाग द्वारा नदी पार की माली बस्ती ग्राम रिहाणा (बून्दी) की निवासी विधवा/वृद्धा महिलाओं की बन्द पेंशन को पुन: चालू करने एवं उन्हें समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विभाग द्वारा बून्दी जिले के ग्राम खब्कड़ में खटकड़ चौराहा क्षेत्र में रहने वाले गाड़िया लुहारों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास कार्यों के सुचारू संचालन के लिये बून्दी जिले के ग्राम जावरा की झोपड़ियां, केदारा की झोपड़ियां, मंडीत्या में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता, नागौर) :

38. नागौर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा मेड़ता क्षेत्र में समाज कल्याण छात्रावास खोलने व भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

40. विभाग द्वारा नागौर जिले में मेड़ता क्षेत्र में अनुसूचित जाति के सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिये योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

41. विभाग द्वारा धोद समाज कल्याण छात्रावास का भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

43. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आश्रम छात्रावास तूंगा, बस्सी एवं कोटबावदा में भौतिक सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आश्रम छात्रावासों में अधीक्षक के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. राज्य में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अम्बेडकर पार्क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

47. विभाग द्वारा अल्प संख्यक आयोग की सिफारिशों को मानने तथा सुझाये गये कदमों पर अमल कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु केन्द्रीय सहायता (विशेष योजना) का पूरा उपयोग (व्यय) नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा समाज कल्याण बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा व समाज कल्याण के छात्रावासों में रह रहे छात्रों को देय सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा महिला आयोग व महिला सुधार गृह व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिये चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

52. राज्य में विभाग द्वारा विकलांग छात्रवृति, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान, विकलांग विवाह हेतु सहायता तथा अन्य योजनाओं में सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये।

53. विभाग द्वारा समाज कल्याण छात्रावास, लूणकरणसर, छत्रगढ़, पूंगल, खाजूकेला, बीकानेर में व्यवस्था के सुधार पर तथा नये छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

54. विभाग द्वारा छात्रावासों को पी.पी.पी. में देने की स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा सिरोही जिले में विधवा पुत्रियों की शादी के लिये सहायता समय पर न उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-28

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत रेगिस्तानी जिलों में राजस्व गांव 250 की जनसंख्या के स्थान पर 100 की जनसंख्या की जाकर सामुदायिक सभा भवन कराये जाने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

2. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़ , सीकर) :

3. विभाग द्वारा प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री एवं मजदूरी के अन्तर को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

4. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अधिक कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

5. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रमों द्वारा अधिकाधिक ग्रामीणों को सुविधाएं पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) :

6. विभाग द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. विभाग द्वारा प्रदेश में गांवों के विकास के लिए पेयजल, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा, रोजगार की समुचित व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

8. विभाग द्वारा मेवात क्षेत्र के विकास हेतु मेवात विकास बोर्ड को अधिकाधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

9. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत सुमेरपुर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था एवं गंदी बस्ती सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत गांवों में जल-मल निकासी के पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के निर्बन्ध योजना में गांव मादड़ी के बाहर सड़क पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

12. विभाग द्वारा प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समय पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा पंचायत समितियों की साधारण सभा में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विभाग द्वारा सभी प्रकार के पेंशन फार्म समय पर भरने एवं विभागीय स्तर पर तुरन्त स्वीकृति जारी करने एवं भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिये।

15. बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु पर बीमा राशि भुगतान के फार्म अविलम्ब भरवाने व विभाग द्वारा अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

16. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं महिलाओं को रोजगार एवं आंगनबाड़ी संचालित करने में विभाग द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

17. प्रदेश में विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों की क्रियान्विति में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

18. विभाग द्वारा पंचायतों को हस्तान्तरित तालाबों के रख-रखाव व मछली पालन से प्राप्त राजस्व से तालाबों व घाट/नहर/ओटा के विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

19. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष में दो बार शिविर आयोजित कर आवासीय भूखण्ड तथा पुस्तैनी मकानों के पट्टे तैयार कर वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. ग्रामीण विकास की योजनाओं के तहत जिले के सभी कब्रिस्तानों की चार दीवारी निर्माण को प्राथमिकता से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. ग्रामीण विकास की योजनाओं तथा एमसीए सीएडी की समय पर स्वीकृतियां जारी नहीं होने तथा कार्य पूर्ण होने तक राशि का हस्तान्तरण नहीं किये जाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विभाग द्वारा पंचायत समिति देसूरी तथा मारवाड़ जंक्शन के मगरा क्षेत्र में आई हुई पंचायतों व गांवों को मगरा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तालेश्वर महादेव मन्दिर के पास भीमगोड़ा पर विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत एनीकट बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) :

25. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में बड़ी पंचायतों को पुनर्गठन कर नयी सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

26. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विस्तार से बड़ी पंचायतों का पुनर्गठन कर नयी पंचायतों का पुनर्सीमांकन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

27. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बी.पी.एल. सर्वे में हुई धांधली व वंचित रहे गरीब परिवारों को बी.पी.एल. सूची में चयनित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

28. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा जिला नागौर में वाटर शैड के कार्यों की स्वीकृति में बरते गये भेदभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों को समय पर स्वीकृति जारी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम में करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता में सुधार व जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

32. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिये (NAREGAS) के साथ विधायक निधि/सांसद निधि की राशि देने पर शिथिलता प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य में गति लाने के लिये समयबद्ध कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

34. विभाग द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्के निर्माण कार्य स्कूल बाउन्ड्री प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

35. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्य को प्राथमिकता से किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

36. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों पर पहल करने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

37. विभाग द्वारा किशनगंज पंचायत समिति, शाहबाद पंचायत समिति एवं बारां जिले में बी.पी.एल. के चयन में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

38. विभाग द्वारा कस्बा रावतसर एवं कस्बा टिब्बी को पंचायत समिति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

39. मरू विकास कार्यक्रम डी.डी.पी. के तहत चल रहे भू-संरक्षण के कार्यों में भ्रष्टाचार होने के क्रम में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र दूदू में डी.डी.पी के तहत स्वीकृत वाटर सैट की महिला प्रशिक्षण शिविरों में भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा विधायक कोष के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

42. विभाग द्वारा गांवों के तालाबों के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत मरम्मत हेतु ग्राम पंचायतों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण स्कूलों में बाउन्ड्री-वाल के लिये विशेष पैकेज देने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

44. विभाग द्वारा सराड़ा पंचायत समिति में एक ही कार्य पर दोहरी स्वीकृति एवं फैल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

45. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत चकडेम, एनीकट निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

47. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की समस्त ग्राम पंचायतों में गरीबी उन्मूलन की योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये ठोस कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में बी.पी.एल. परिवारों को लाभ देने के लिये कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी करवाकर योजनाएं चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री सुन्दर लाल)

50. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामों के विकास के लिये सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं रखरखाव में स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

51. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विधायक लैड के निर्माण कार्यों में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

52. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (बून्दी) :

53. डी.आर.डी.ए. बून्दी में कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के साथ हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्थित डी.आर.डी.ए. कार्यालय के कर्मचारियों में आपसी स्थानान्तरण के प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत पात्रता निर्धारण में पारदर्शिता बरती जाने में विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र नैनवां की पंचायत समिति नैनवां (बून्दी) में बंजर एवं बारानी भूमि के भू-संरक्षण को रोकने एवं भूमिगत जल-स्तर में वृद्धि के लिये एनीकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. बून्दी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अभिशंसित कार्य देवीदास बैरागी के मोहल्ले एवं ग्राम देबून्दा (रिहाणा) पं. स. तालेड़ा में हैण्डपम्प की स्थापना तथा रैगर मोहल्ला ग्राम तलवास (नैनवां) में अम्बेडकर वाटिका की सुरक्षा दीवार निर्माण करवाये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

58. प्रदेश में मगरा विकास की राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में अधिकारों में की गयी कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) :

60. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

61. सीकर जिले में वाटर शैड के कार्यों की स्वीकृति में अनियमितताओं की रोकथाम में विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

62. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सन् 2004 से दिसम्बर, 2007 तक विधायक कोष की राशि खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पंचायतों द्वारा बनाये गये एनीकटों की देखभाल में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश में ग्रामीण पेयजल स्कीमों में लगे हुए बेरोजगारों का मानदेय बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम हंसमहल दयालपुरा आदि में पंचायतों के द्वारा पेयजल स्कीमों को चलाने वाले कर्मचारियों का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

66. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

67. मेवात क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा कराये गये कार्यों की प्रभावी मोनेटरिंग में विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में माड़ा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथाम नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

69. विभाग द्वारा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा मेवात क्षेत्र के गरीब दस्तकारों को स्वरोजगार हेतु सस्ती ब्याज दर व आसान किश्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. मेवाती भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने हेतु विभाग द्वारा मेवात विकास बोर्ड को योजना बनाकर भेजने एवं उन्हें लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

71. प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्विति के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

72. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की ग्राम पंचायत कींथल, निर्मल ग्राम चयनित में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं हो पाने पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की सही क्रियान्विति के अभाव में व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

74. बी.आर.जी.एफ. में जिला परिषद् सिरोही के प्रस्तावों की राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. विभाग द्वारा सिरोही जिले में ग्राम सेवकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विभाग द्वारा सिरोही जिले के सम्बल ग्रामों को सम्बल योजना के माध्यम से धन उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।